खण्ड-466, अंक-6
बुधवार, 14 मार्गशीर्ष, शक संवत् 1929
(5 दिसम्बर, 2007 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2007)

खण्ड 466 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2007

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
बुन्देलखण्ड में सूखा पड़ने के कारण किसानों द्वारा आत्महत्याएं करने तथा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं होने विषयक सूचनाओं को उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1-64
श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा पर प्रशासन गाजीपुर द्वारा फर्जी मुकदमा कायम करके उनका उत्पीड़न कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना एवं दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग	65-68
गंगाजल के प्रदूषण से सम्बन्धित नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से उठाने का प्रयास	68-69
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया)	69
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया)	69-70
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया)	70
उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया)	70
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	70-71
प्रदेश की वैकल्पिक ऊर्जा का विकास करके बिजली की कमी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	71-72
जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट के अन्तर्गत वर्ष 2006 में स्वीकृत 40 खनन पट्टों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	72
देवरिया के गौरी बाजार क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा भरथा पट्टी के पास दोहरी नाला पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	73

विषय	पृष्ठ-संख्या
वाराणसी के काशी विद्यापीठ एवं लठिया विशनपुर गांव की सड़कों की गुणवत्ता ठीक कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	73
जनपद बागपत के राजकीय चिकित्सालयों में पर्याप्त एण्टी रेबीज इन्जेक्शन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	74
रामपुर-बरेली क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	74
जनपद खीरी की मोहम्मदी कृषि मण्डी परिषद् द्वारा सड़कों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	74-75
बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में शिक्षकों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	75
खीरी के पैला क्षेत्रान्तर्गत कुकरा से भीरा पी0डब्लू0डी0 रोड के मध्य पेन्टेड रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	76
गोण्डा में सर्वशिक्षा अभियान योजनान्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा माननीय विधायक के प्रस्तावों को स्वीकृत न किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76
जनपद खीरी के माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-9 एवं 11 के छात्रों का पंजीकरण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	77
जौनपुर के गड़वारा क्षेत्रान्तर्गत सई नदी पर बेसवार घाट पर निर्माणाधीन पुल की गुणवत्ता ठीक न होने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	77-78
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करते हुये थाना शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद की पुलिस द्वारा कांग्रेस के वरिष्ट नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	78-88
दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 को नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृत कार्यवाही की जानकारी श्री सुरेश कुमार खन्ना को निर्धारित समय के अन्तर्गत न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	88-89
वर्ष में 90 दिन व दो माह के अन्तराल पर 10 उपवेशनों के लिये विधान सभा के सत्र न बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	89-90

विषय	पृष्ठ-संख्या
मा0 सांसदों एवं विधायकों के पत्रों के निस्तारण हेतु शासन द्वारा अलग से व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	90-91
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत ग्रिड कोड, 2007 दिनांक 18 अप्रैल, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया)	91
संस्थागत वित्त एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयीं)	92
श्री अमरमणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा को केन्द्रीय कारागार वाराणसी से हरिद्वार कारागार को स्थानान्तरित किये जाने की सूचना ...	92-148
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	148
उत्तर प्रदेश राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र (जनपद झांसी, ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर, महोबा एवं चित्रकूट) को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके एक पृथक राज्य का गठन किये जाने विषयक सदन द्वारा केन्द्र सरकार को सिफारिश सम्बन्धी श्री प्रदीप जैन आदित्य आदि द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा (जारी) ...	148
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	148-150
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुनः मूलतः पारित) ...	150-155
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 (पुनः मूलतः पारित)	155-156
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुनः मूलतः पारित)	156-157
उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007 (पुनः पारित)	157-161
प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक सामान्य नीति बनाये जाने तथा उसे बिना भेद-भाव के प्रदेश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से कड़ाई से लागू किये जाने विषयक चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	161
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	161-162

विषय				पृष्ठ-संख्या
जनपद कानपुर स्थित एयरपोर्ट स्टेशन चकेरी के निर्माण हेतु किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दीपक कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	...	...	...	162-163
जनपद कुशीनगर के मुख्यालय पडरौना में परिवहन निगम के बस डिपो की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0 पी0 एन0 सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य			...	163-164
प्रदेश में चकबन्दी विभाग द्वारा मानक के अनुरूप जनपदों में फील्ड स्टाफ की नियुक्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री धनंजय सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...	...	164-167
जनपद आजमगढ़ स्थित मोहम्मदपुर खरिहा होते हुए निजामाबाद की गड्ढायुक्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंगद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	...	...	...	168
नत्थियां	...	...	...	169-173

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 05 दिसम्बर, 2007

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य 342

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अर्कीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनन्त मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अर्नास अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द गिरि, श्री	लखीमपुर खीरी
अरविन्द्र सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पण्डित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई

इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमलेश यादव, श्रीमती	बदायूं
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
कादिर राणा, श्री	मुजफ्फरनगर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
कांशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
दद्दन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दयाराम, श्री — कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री — हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री — चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री — वाराणसी
दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री — झांसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
दूधराम, श्री — बस्ती
धनीराम वर्मा, श्री — औरैया
धर्मपाल, श्री — गाजियाबाद
धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री — बदायूँ
धर्मपाल सिंह, डा0 — आगरा
धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
धू राम लोधी चौधरी, श्री — हमीरपुर
नकुल दुबे, श्री — लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री — इलाहाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री — सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री — फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा
'इंजीनियर', श्री — ललितपुर
नारायण सिंह, श्री — आगरा
निर्मल वर्मा, श्री — सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री — शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री — गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0 — कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री — बाँदा
पूरन प्रकाश, श्री — मथुरा

प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री — बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री — झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री — प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री — देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री — इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री — महराजगंज
फरहत हसन, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री — बाराबंकी
फागू, श्री — मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री — महराजगंज
बलवीर, श्री — मुजफ्फरनगर
बिमलेश सिंह, श्रीमती — अलीगढ़
बिरजू राम, श्री — जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री — प्रतापगढ़
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री — बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री — झाँसी
भगवान दास, श्री — सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री — आगरा
भगेलू राम; श्री — सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री — इटावा
भोला, श्री — आजमगढ़
मंजू, श्रीमती — बलिया
मदन भैया, श्री — बागपत
मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री — आगरा
मनोज चौधरी, श्री — सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री — एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री — सहारनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूं
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
रघुनाथ प्रसाद शंखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुंवर	प्रतापगढ़
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुँवर	कुशीनगर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती

राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम विशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़	सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गार्जीपुर	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सी0 एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर	सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सुखलाल, श्री	पीलीभीत	सैयूयदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गार्जापुर
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव	सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	हसरत उल्ला, श्री	एटा
सुभाष, श्री	बलिया	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़	हीराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी		

नोट–लोक निर्माण, आबकारी, आवास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री, (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) तथा वित्त मंत्री (श्री कम्ला कान्त गौतम) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुन्देलखण्ड में सूखा पड़ने के कारण किसानों द्वारा आत्महत्याएं करने तथा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं होने विषयक सूचनाओं को उठाने का प्रयास

(विपक्ष के कुछ मा0 सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये)

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

बुन्देलखण्ड में सूखा पड़ रहा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

दिन दहाड़े समाजवादी पार्टी के लोगों की हत्यायें हो रही हैं। मा0 शिवपाल सिंह जी ने नोटिस दिया है उसको मान्यवर, सुन लें।

(श्री प्रदीप जैन सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री अध्यक्ष-

जैन साहब, आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं ? कल प्रथम नम्बर पर तय किया गया था मा0 चौधरी साहब, हुकुम सिंह, तिवारी जी का किसान वाले मुद्दे पर। दूसरा जो आप ला रहे हैं नियम 103 में चर्चा है। जैन साहब आप बैठिए। आपके प्रदर्शन से दूसरों पर असर पड़ेगा।

(श्री प्रदीप जैन आदित्य सदन के फ्लोर से वापस अपने स्थान पर चले गये)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के कारागारों में निरुद्ध बन्दियों के भोजन पर व्यय की जाने वाली धनराशि

**1-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कारागारों में निरुद्ध बन्दियों के भोजन पर व्यय की जाने वाली धनराशि वर्ष 1948 के मानकों के आधार पर अभी भी निर्धारित है ? यदि हां,तो क्या सरकार बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए कैदियों के भोजन की दरें संशोधित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (कु0 मायावती)-

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध बन्दियों के लिये भोजन का मानक धनराशि के आधार पर निर्धारित नहीं है, बल्कि मात्रा के आधार पर निर्धारित है।

चूंकि बन्दियों के भोजन का मानक धनराशि के आधार पर निर्धारित नहीं है। अतः दरें संशोधित करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश के अन्दर जितने भी कारागार हैं तमाम सारे कारागार में जो बन्दी हैं जो कुख्यात अपराधी हैं जो बड़े स्तर के अपराधी हैं वह मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का काम करते हैं जो भोजन बन्दियों को दिया जाता है जेल के अन्दर, जो बड़े अपराधी हैं उनके लिये तो भोजन की अलग व्यवस्था है। लेकिन जो साधारण कैदी हैं जो किसी कारण से जेल के अन्दर चला

गया उसके खाने का भोजन जो आज हम देने का काम कर रहे हैं वह इतने घटिया किस्म का भोजन है कि उसको आम आदमी नहीं खा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक करें।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

जो भोजन बनता है उसकी गुणवत्ता नहीं है। एक तो मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री जी से, कि प्रति बन्दी सरकार व्यय कर रही है वह कितना है ? दूसरा मेरा सुझाव है कि कुछ जगहों पर जेलों में प्राइवेट एन0जी0ओज को खाने की जिम्मेदारी दी गई है जो पैसा आप खर्चा कर रहे हैं इसी पैसे में घटिया उत्तम भोजन जेलों में एन0जी0ओज देने को तैयार हैं। जिससे जेल में जो भ्रष्टाचार है, जो मिलावट है उस पर रोक लग जायेगी क्या सरकार के पास कोई ऐसी कार्य-योजना है ऐसा कोई प्रस्ताव है जिससे जेल के अन्दर जो खाना है उसमें सुधार हो सके। प्राइवेट एन0जी0ओज आज आफर दे रहे हैं सरकार पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा और जेलों में भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि प्रति बन्दी सरकार कितना खर्च करने का काम कर रही है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैंने पहले ही मूल प्रश्न के उत्तर में बताया कि प्रति बन्दी धनराशि के आधार पर नहीं बल्कि मात्रा के आधार पर खाद्यान्न की मात्रा निर्धारित की गई है। जहां तक दूसरा प्रश्न है, एन0जी0ओ0 को देने का, ऐसा कोई विचार शासन के सामने नहीं है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मात्रा का निर्धारण कैसे करते हैं ? कितनी-कितनी मात्रा देने का प्रविधान है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, बन्दियों के लिये मात्रा निर्धारित है: प्रति बन्दी आटा सिद्ध दोष बन्दी के लिये 700 ग्राम, दिवारात्रीन के लिये 540 ग्राम प्रति दिन, चावल 235 ग्राम दोनों के लिये सप्ताह में दो बार, दाल 90 ग्राम प्रति दिन दोनों के लिये, राजमा 15 ग्राम सप्ताह में एक बार, सब्जी 230 ग्राम प्रतिदिन, सोयाबीन 10 ग्राम सप्ताह में एक बार, उरद की बरी 15 ग्राम सप्ताह में एक बार, उरद की बरी का तेल 2 ग्राम सप्ताह में एक बार, तेल छौंका 15 ग्राम प्रतिदिन, हल्दी 1 ग्राम प्रतिदिन, मिर्च 1 ग्राम प्रतिदिन, गरम मसाला 1 ग्राम प्रति दिन, नमक 14 ग्राम प्रतिदिन, गुड़ 45 ग्राम प्रतिदिन, चाय डेढ़ ग्राम प्रतिदिन, चीनी 10 ग्राम प्रतिदिन, दूध 25 ग्राम प्रतिदिन, दलिया 60 ग्राम सप्ताह में 3 बार, दलिया की चीनी 30 ग्राम सप्ताह में 3 बार, चना नाश्ता 45 ग्राम सप्ताह में दो बार, नमक नाश्ता 2 ग्राम सप्ताह में दो बार, मिर्चा नाश्ता 0.5 ग्राम सप्ताह में दो बार।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, हो गया, बैठ जाये।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

जवाब तो आने दीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, तेल नाश्ता 1 ग्राम सप्ताह में दो बार, अमचूर 2 ग्राम सप्ताह में दो बार, बंद 1 पीस सप्ताह में दो बार। इसी तरह सूजी हलुवा 30 ग्राम माह में 3 बार, डालडा 15 ग्राम माह में 3 बार, चीनी 40 ग्राम माह में तीन बार, डालडा पूरी का 90 ग्राम माह में तीन बार, आलू नाश्ता (चने के साथ) 25 ग्राम सप्ताह में 2 बार।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मेरी उत्सुकता है, आप भी जानना चाहते होंगे, जो मीनू बताया जा रहा है, यह तो अच्छी-अच्छी शादी-ब्याह में मीनू नहीं मिलता है। मेरा यह कहना है और सच्चाई यह है कि यह मीनू केवल कागज पर, व्यवहारिकता में पानी वाली दाल और रोटी और कुछ कंकड़, कुछ पत्थर और बाकी जेल कर्मी खा रहे हों तो खा रहे हों, जेल जाने वाले नहीं पर, मान्यवर, मेरा प्रश्न बिल्कुल अलग है, मेरा प्रश्न यह है, अपने ज्ञान के लिये मैं जानना चाहता हूं, इन्होंने यह कहा कि बन्दियों में दो श्रेणी रखी है, 750 ग्राम आटा सजायाफ्ता को और जो अण्डर ट्रायल हैं, विचाराधीन हैं, उनको कम। मैं जानना चाहता हूं कि वजह क्या है, इसके पीछे कारण क्या है ? इसकी उत्सुकता मान्यवर, आपको भी होगी और जिन्होंने सुना होगा, उन्हें भी होगी, ऐसा क्या कारण है कि विचाराधीन बन्दी को कम, सजायाफ्ता को ज्यादा ? अगर यही सिर्फ आधार है कि उनको श्रम करना पड़ता है या इसके अलावा कोई और आधार है ? दूसरा, मैं लालजी वर्मा की बात कर रहा हूं, संसदीय कार्य मंत्री जी की बात नहीं कर रहा हूं, यह पुराने सोशलिस्ट हैं और कई बार जेल में रहे हैं, अच्छे काम के लिये जेल में रहे हैं, वहां क्या काम करते थे यह पता नहीं, तो क्या मा0 मंत्री जी अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकते हैं कि जो मीनू उन्होंने पढ़ा है वह जेल में प्राप्त होता था ? अगर वह प्राप्त होता था तो उस जेल का नाम बता दें। आज जेलों की स्थिति बद से बदतर हो गयी है उसमें सुधार की आवश्यकता है और वहां पर सुधार करने चाहिए। वहां समानान्तर अपराध चल रहा है, वहां आपराधिक कार्यवाही चल रही है। निःसंदेह अच्छा प्रयास किया गया है कि इसे गृह विभाग के अधीन कर दिया गया है और इसके अच्छे परिणाम आये हैं। तो मेरे दो प्रश्न हैं-एक तो सजायाफ्ता कैदी को ज्यादा और अण्डर ट्रायल को कम मात्रा में आटा क्यों दिया जाता है, और दूसरा यह है कि यह जेल का मीनू है या फाइव स्टार होटल का मीनू है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह जेल का ही मीनू है और उसके पीछे तथ्य यह है कि उसे ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। जो श्रम करने वाले लोग हैं उन्हें ज्यादा आवश्यकता है और जो श्रम करने वाले नहीं हैं उन्हें कम आवश्यकता रहती है। सजायाफ्ता कैदी ज्यादा काम करते हैं उसके आधार पर ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है और जो विचाराधीन कैदी हैं उन्हें कार्य नहीं करना पड़ता है इसलिए कम कैलोरी की आवश्यकता होती है, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए यह अंतर है। इसके अतिरिक्त जो बन्दी बीमार होते हैं उन्हें जैसा डाक्टर परामर्श देता है उसके हिसाब से दिया जाता है। महिलाएं जो गर्भवती होती हैं उसके अनुसार अलग से दिया जाता है।

श्री प्रमोद तिवारी-

जेलों में कैसे गर्भवती होती हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

जो बंदी होने से पहले गर्भवती होती हैं उनकी बात है, जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं उनकी उसी हिसाब से व्यवस्था की जाती है। यह बात सही है कि पहले जेल में ज्यादा गड़बड़ियां थीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने, प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में इस बात पर विचार करते हुए, जेलों से अपराध को मिटाने के लिए और साथ ही साथ जेलों में जो कानून है उसके आधार पर बन्दी रहे, उनकी जो जरूरत है, जो नियम हैं उसके अनुसार उनको खाना और सुविधा मिले इस बात को ध्यान में रखते हुए कारागार विभाग को गृह विभाग में मिलाकर उसमें नियंत्रण करने का काम किया जा रहा है । मैं इस बात पर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पहले जो भी कमियां रही हैं, उस दिशा में समानान्तर शासन नहीं चलने दिया जायेगा। साथ ही साथ जो प्रमोद जी ने मेरे बारे में पूछा है, तो मैं जितने दिन भी जेल में रहा सुपीरियर क्लास का बन्दी रहा उसके अनुसार जो डाइट थी वह मिल रही थी।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जेलों में कैदियों की जो भोजन की व्यवस्था है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो प्राविधान बताये उसमें अन्तर है। आंकड़ों में उत्तर देने से यह बात सिद्ध नहीं हो सकती है। मेरा यह कहना है कि जेलों में सुधार के लिए जो कदम उठाये हैं और जेल विभाग को पूर्व की भांति गृह विभाग से सम्बद्ध कर दिया है यह प्रशासनिक सुधार के लिये उठाया गया एक कदम था लेकिन जेल में मिलने वाली जो भोजन व्यवस्था है उसमें जितना लम्बा आपने मीनू में जो अनाज और तेल, मसाला अलग-अलग इनकी मात्रा रखने का जो काम किया है इसकी जगह पर, और आप देखेंगे कि जितनी मात्रा है स्वाभाविक तौर पर एक आदमी की सामान्य खुराक से काफी ज्यादा है। लेकिन यह इण्टर चेंजेबुल होता हैं जेल में, कि कभी इस चीज को उस चीज से बदल देते हैं, कभी उसको दूसरे से बदल देते हैं ऐसा व्यवहारिक तौर पर जेलों के अन्दर भोजन की व्यवस्था होती है। श्रीमन्, मैं जो इस समय सरकार से अनुपूरक के तौर पर प्रश्न पूछना चाहता हूं उसके तहत मैं यह जानना चाहता हूं कि आज की जो व्यवहारिक आवश्यकता है, एक विधायक को उसके भोजन में जितना इस कैण्टीन में प्राप्त होता है इस तरह का भोजन भी जितनी मात्रा आप बता रहे हैं उतने मात्रा में, अगर उतनी मात्रा के वनस्पति पका पकाया भोजन बना करके दिये जाने का प्रबन्ध आप करें तो इस तरह का भोजन और व्यवस्था जेलों में बन सकती है। तो इस व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का क्या काम सरकार करेगी कि बजाय उसमें दाल इतनी, नमक .3 ग्राम हल्दी 1 ग्राम, मिर्च 1 ग्राम, इन सारी चीजों की बजाय पका पकाया भोजन समुचित मात्रा में दिये जाने के लिये एक नई व्यवस्था बनाने के लिये क्या सरकार इस पर विचार करेगी ? क्योंकि यह जब की व्यवस्था बनी है तब से उसी ढर्रे पर चला करके, ठीक से चल भी नहीं पाती और फिर फर्जी आंकड़ेबाजी होती है इसलिये मैं अपना प्रश्न स्पष्ट कर दूं। क्या इस भोजन व्यवस्था को जेलों में परिवर्तित करके नये सिरे से आम मीनू बना करके और कैदियों के भोजन की व्यवस्था शुरू करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कोई नई व्यवस्था विचाराधीन नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

करेंगे भी नहीं ? है या नहीं है, यह मैंने पूछा ही नहीं। मान्यवर, मेरा प्रश्न दूसरा है और उत्तर दूसरा है। मैं प्रश्न स्पष्ट कर दूं, शायद यह सुन नहीं सके, मैंने नहीं पूछा कि विचाराधीन है कि नहीं है। मैंने पूछा कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी ? यह बता दें।

श्री लालजी वर्मा-

कोई ऐसा विचार नहीं है और मेरा यह मानना है कि आपको जो भोजन की आवश्यकता है उसमें कुछ मात्रा में अन्य चीजों की जरूरत पड़ती है जो सामान्य कैदी है उसको खाने के लिये अलग आवश्यकता है और जितना आटा या चावल आप खाते हैं अगर उतना कैदी को मिलेगा तो उसका खाना पूरा नहीं होगा और इस दृष्टि से उसमें कोई अलग व्यवस्था का विचार नहीं किया जा रहा है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सवाल को कुछ माननीय सदस्य थोड़ा हल्का करने का काम कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी भी हल्के ढंग से ले रहे हैं। मेरा जो उद्देश्य था इस समस्या के पीछे, आज तमाम हमारे मिलने वाले, रिश्तेदार, भाई-बन्धु जेलों में बन्द हैं, प्रदेश की बहुत सारी जनता जेलों में बन्द है। उनको जो खाना खाने के लिये सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, मेरी जो मंशा है, जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। मेरी मंशा यह है कि उनको इतनी घटिया किस्म का खाना, जो मीनू अभी बताया गया यह मीनू, अभी सूजी का हलवा भी बताया गया, आज तक किसी जेल में हलवा ही नहीं बना, मेरा तो यह मानना है, आप किसी से भी इन्क्वायरी करा लीजिए। उस मीनू का खाना वहां बनता ही नहीं, जो सबसे घटिया किस्म का खाना, सब्जियां बाजार में उपलब्ध होती हैं उसको खरीद कर जेल में कैदियों को खिलाने का काम होता है। मेरा प्रश्न यह है कि अगर कोई एन0जी0ओ0 सरकार के पास यह प्रस्ताव ले करके आता है कि हम जो जेलों में बन्दी हैं उनके लिये अच्छा भोजन इसी खर्चे पर जो सरकार आज खर्चा वहन कर रही है, सरकार पर कोई अतिरिक्त भार भी नहीं पड़ेगा, अगर कोई ऐसा एन0जी0ओ0 प्रस्ताव लेकर सरकार के पास आता है तो क्या सरकार उस प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसका उत्तर तो मैंने पहले ही दे दिया है। सूजी का हलवा माह में तीन बार मिलता है और माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहूंगा कि अगर कहीं भी किसी जेल में यह शिकायत आये कि माह में तीन बार नहीं मिलता है तो उसकी जांच करा कर उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश की किसी भी कारागार को, जैसा माननीय मंत्री जी ने माना भी है कि बहुत भ्रष्टाचार था, पहले, अभी सुधार हुआ है, तो माननीय मंत्री जी विधान सभा के किसी भी चार सदस्यों की एक कमेटी बना लें और प्रदेश की किसी भी जेल का निरीक्षण कराने का काम कर लें। मान्यवर, यह बिल्कुल झूठी रिपोर्ट है। यह बहुत ही गम्भीर विषय है।

आपने जो हलवा मिलने की बात कही है, आप सदन के सदस्यों की एक कमेटी बना दें वह मंत्री जी के साथ किसी भी जेल में निरीक्षण के लिये चली जाये अगर एक कैदी भी कह दे कि उसे मीनू के आधार पर खाना मिलता है, सूजी का हलवा मिलता है तो हम इस रिपोर्ट को सही मान लेंगें। आपको किसी भी जेल में नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

कोई स्पेसिफिक मामला हो तो वह मंत्री जी को दे दीजिये।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, जेलों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, लाखों करोड़ों रु0 जो सरकार दे रही है अधिकारी उसे खाने का काम कर रहे हैं। क्या सदन की संयुक्त समिति बनाकर उसकी जांच कराने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी को कोई स्पेसिफिक मामला हो तो दे दीजिये वह उसकी जांच करा लेंगे, उन्होंने कहा है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, मंत्री जी को जेल में रहने का अनुभव है, हम सबको अनुभव है। मैं परसों एक मित्र से मिलने गया था वह राजनीतिक कार्यकर्ता है वहां उसे बैठकी न देने की वजह से डंडे से मारा जा रहा था। तो मैं कहना चाहता हूं कि जेलों की व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिये इस आदरणीय सदन की कमेटी बनाने पर विचार करेंगे ताकि वह समिति जेलों की व्यवस्था का, निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट दे दे। और, सरकार उस रिपोर्ट को कार्यान्वित करके नयी व्यवस्था को लागू करने पर विचार करे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जेलों में निरन्तर पर्यवेक्षण और सर्वेक्षण की एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार काम होता रहता है और उसके अनुसार कार्यवाही हो रही है। अन्य कोई नयी व्यवस्था लागू करने पर विचार नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, यह बैठकी क्यों ली जाती है। इसको देखें।

प्रदेश के पूर्व विधायकों को पेंशन/कूपन सम्बन्धी सुविधा में बढ़ोत्तरी की मांग

**2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या संसदीय कार्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के पूर्व विधायकों को पेंशन/कूपन सम्बन्धी सुविधा में बढ़ोत्तरी का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसको कब से लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जी हां। निर्णय लिया जा चुका है।

दिनांक 01 दिसम्बर, 2007 से उक्त निर्णय लागू किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जब मैंने यह पूछा था तो यह लेटेस्ट व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। मान्यवर, यह जो मैंने विधायकों के सम्बन्ध में पेंशन, कूपन से सम्बन्धित प्रश्न किया है तो माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में कोई स्थायी व्यवस्था करने के सम्बन्ध में विचार करेंगे जिससे बार-बार इस प्रकार की मांग सदन में न आये और न ही सदन रोज इस प्रकार की व्यवस्था को पारित करे। आप इसे प्राईज इन्डेक्स की व्यवस्था से जोड़ सकते हैं जिसके अन्तर्गत जब महंगाई बढ़े तो आटोमेटिकली इसके बढ़ने की व्यवस्था हो जाये। जब यह सब बातें समाचार-पत्र में छपती हैं या इलेक्ट्रानिक मीडिया में आती हैं तो यह संदेश बाहर जाता है कि माननीय सदस्यों ने अपने ही भत्तों में वृद्धि कर ली, अपनी सुविधाओं में वृद्धि कर ली, अपने कूपनों की राशि में वृद्धि कर ली। इससे जनता में मैसेज बहुत ही खराब जाता है।

तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई स्थाई व्यवस्था पर विचार करेंगे जिसमें माननीय सदस्यों के साथ-साथ भूतपूर्व माननीय सदस्यों की जो आवश्यक जरूरियात है उनकी पूर्ति हेतु महंगाई के हिसाब से सुविधाओं में बढ़ोत्तरी हो सके ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जी नहीं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जो सुविधायें दी गयी हैं उसका अगर आप यहां पर ब्यौरा दे दें तो सभी की जानकारी में आ जायेगा। दूसरी बात खन्ना साहब ने कही है कि कोई ऐसी व्यवस्था पर विचार करें ताकि समय के साथ यह चीजें स्वतः बढ़ सकें। मान्यवर, एक पक्ष तो इसमें यह देखता है कि क्या बढ़ा है, दूसरे पक्ष को यह भी देखना चाहिए कि 2-2, 3-3 बार जो विधायक रह चुके हैं वह पैसे के अभाव में अपनी चिकित्सा नहीं करा पा रहे हैं और मौत के मुंह में समा रहे हैं। उन्हें यह भी देखना चाहिए और जो आपके संज्ञान में भी आया है अध्यक्ष महोदय, कि गोण्डा और बहराइच के दो ऐसे विधायक हैं जो अपने जीविकोपार्जन के लिए, जो दो बार विधायक रहे हैं, चाय की दुकान चला रहे हैं। बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनके जीवन का कोई सहारा नहीं है, कोई आशा नहीं, जो पूर्व विधायक आज बन गये हैं तो जो आज के सामाजिक जीवन में बढ़ती हुई महंगाई, जरूरतें और आवश्यकताएं हैं उनको देखते हुए मैं एक आग्रह करूंगा जी नहीं करने की जल्दबाजी नहीं करें माननीय मंत्री जी, इस पर कृपापूर्वक विचार कर लें कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था कभी दलीय नेताओं की बैठक में रखेंगे कि एक निश्चित समय सीमा के बाद यह अपने आप बढ़ जाया करे। क्योंकि जब रेल का किराया बढ़ जाता है, हवाई जहाज का किराया बढ़ जाता है, बाजार के भाव बढ़ जाते हैं तो उसके साथ क्या यह उचित नहीं होगा कि जो सुविधाएं दी जाती हैं वह एक निश्चित अवधि के बाद स्वतः बढ़ जायं उनको सदन में लाने की आवश्यकता न पड़े। इस पर आप विचार कर लें कोई निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है और क्या है यह ब्यौरा बता दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 में संशोधन करके मुख्यतः भूतपूर्व सदस्यों को अनुमन्य रेल कूपनों की सीमा तीस हजार प्रतिवर्ष से बढ़ाकर पचास हजार रुपये प्रतिवर्ष करने, भूतपूर्व सदस्यों को तीन हजार रुपये प्रतिमास के स्थान पर छः हजार रुपये प्रतिमास की दर से पेंशन पाने और एक वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये तीन सौ रुपये प्रतिमास के स्थान पर पांच सौ रुपये प्रतिमास की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार बनाने की व्यवस्था की गयी है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

माननीय खन्ना जी और माननीय तिवारी जी ने मान्यवर, अभी सदन को आपके माध्यम से अवगत कराया। मैं यह कहना चाहता हूं आपका संरक्षण चाहते हुए कि भूतपूर्व विधायकों की जो विधवाएं हैं नेताओं को तैयार करने में उनका बड़ा योगदान है। वह भूखे प्यासे रहकर नेताओं को तैयार करती हैं और जब भूतपूर्व विधायक का देहान्त हो जाता है तो वह बेचारी अपनी दवा के लिये, इलाज के लिये दर-दर भटकती है। मान्यवर, मैं सारे सदन के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि अगर पारिवारिक पेंशन न जोड़ा जाय तो माननीय विधायकों को उनके जीवनकाल तक यह सारे सदन का दर्द है, इसको आप अपनी पीठ से निर्देश दें और सरकार भी इस पर गम्भीरता से विचार कर निर्णय ले सामूहिक दल के लोगों को बैठालकर कि उन विधवाओं को पारिवारिक पेंशन से जोड़ा जाय।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अगर पत्नी विधायक रही है तो पति को और विधायक रहा है तो पत्नी को.....

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भविष्य में सरकार इसकी कोई योजना बना रही है ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जहां विधवा पेंशन लागू है वहां विधूर पेंशन भी लागू हो।

श्री अध्यक्ष-

हां ठीक है, जो बनना चाहे बन सकता है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या भूतपूर्व विधायकों की पत्नियों को पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जायेगा ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस पर आपकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी उसमें विचार किया जा रहा है।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब, आप कौन सी पेंशन चाहते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, स्पाउस पेंशन इन पर लागू नहीं होती है। यह आज तक सहयात्री तलाश नहीं सके हैं। इनको तो उसकी सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों को क्या सुविधा मिलेगी, इस बारे में विचार करना पड़ेगा। ऐसे लोगों की पेंशन किसको दी जाय ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं वसीयत करके जाऊंगा तिवारी जी के लिये। मान्यवर, भूतपूर्व विधायकों की चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था पहले से है, लेकिन उसके लिये बहुत कठिनाई होती है। जो व्यवहारिक स्थिति है, जिला अस्पतालों में लोगों को उसके शासनादेश की जानकारी नहीं है, न ही के0जी0एम0यू0 और संजय गांधी पी0जी0आई0 में जानकारी है। भूतपूर्व विधायकों को बार-बार हर स्तर पर परसू करना पड़ता है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी आपको सुझाव देना चाहूंगा और आग्रह भी करना चाहूंगा कि जो शासनादेश पहले से है, उसको प्रभावी बनाने के लिये एक नया शासनादेश, चाहे तो उसी के संदर्भ में या उसी को रिफरेंस करते हुए जारी कर दें ताकि भूतपूर्व विधायकों को जिला अस्पतालों और केन्द्रीय अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा न आये ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, विधायकों और भूतपूर्व विधायकों को चिकित्सा सुविधा आपके कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और वह पहले से ही है, उसमें नया शासनादेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, पूर्व विधायकों की पेंशन 3 हजार से बढ़ाकर 6 हजार किये जाने के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया। मैं जो कहने जा रहा हूं उसकी मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। जो विधायक यहां चुनकर आते हैं, उनको डेढ़ लाख रुपये का रेलवे कूपन मिलता है। जो लखनऊ से चुनकर आते हैं, उनको भी और जो मेरठ, बागपत, छपरौली, 600 कि0मी0 दूर से चुनकर आते हैं, उनको भी वही डेढ़ लाख रुपये का कूपन मिलता है। लखनऊ से चुनकर आने वाले विधायकों की पूर्ति डेढ़ लाख में हो जाती है, जबकि दूर से चुनकर आने वाले विधायकों का काम इससे नहीं चल पाता, क्योंकि वहां से किराया ज्यादा है और इसके अलावा तमाम खर्चे भी बढ़ गये हैं। तो क्या सरकार इन कूपनों की धनराशि वर्तमान विधायकों के लिये बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

इसके बारे में सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी बता दीजिए कि लखनऊ वालों को कितना मिले ? यह अलग हटकर है, अलग से बात कर लीजिएगा।

[नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने पर]

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, दूसरा प्रश्न भी इसी में शामिल कर लीजिए, दोनों का विषय एक है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है प्रश्न संख्या-2 को भी शामिल कर लें और उसका उत्तर भी पढ़ दें।

तारांकित प्रश्न

गन्ना पेराई सत्र 2006-2007 में चीनी मिलों को कृषकों द्वारा आपूर्ति किये गये गन्ने के बकाये के ब्याज सहित भुगतान किये जाने की मांग

*1-श्री हुकुम सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2007 के दूसरे बुधवार को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-3 के उत्तर के संदर्भ में क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा दिनांक 31-08-07 तक चरणबद्ध रूप से अनिवार्यतः अद्यावधिक ब्याज सहित भुगतान किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं ? प्रश्नगत अवधि में चरणबद्ध तरीके से कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान कृषकों को किया गया ? क्या पूर्ण भुगतान 31-08-07 तक मय ब्याज के कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

जी हां।

प्रश्नगत अवधि में चरणबद्ध तरीके से निम्नवत् भुगतान कराया गया है :--

	(धनराशि करोड़ रुपये में)
जुलाई, 2007	353.44
अगस्त, 2007	358.20
सितम्बर, 2007	299.20
अक्टूबर, 2007	198.71
नवम्बर, 2007	160.50 (20-11-2007 तक)

जी नहीं।

दिनांक 31-08-2007 तक देय भुगतान न करने वाली निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। बकाये के भुगतान हेतु विधि अनुमन्य कार्यवाही की जा रही है।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए दो-तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं क्योंकि यह प्रश्न वर्ष 2007 के दूसरे बुधवार को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0-3 के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर से सम्बन्धित है। मान्यवर, आपके उत्तर से यह प्रश्न लगाया गया है और आपके उत्तर में यह था कि

ब्याज सहित चरणबद्ध तरीके से भुगतान 31 अगस्त तक कर दिया जायेगा। यह आपका उत्तर था और जब आपके उत्तर में यह था कि ब्याज सहित भुगतान किया जायेगा और अब आप कह रहे हैं कि जी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस उत्तर में यह कहा गया था कि ब्याज सहित भुगतान 31 अगस्त तक कर दिया जायेगा तो यह जो भुगतान हुआ है क्या इसमें ब्याज शामिल है या केवल मूलधन ही है, और यदि इसमें ब्याज शामिल है तो इसमें कितना ब्याज और कितना मूलधन है क्योंकि आपके उत्तर में था कि मय ब्याज 31 अगस्त तक भुगतान कर दिया जायेगा ? यह जो फीगर दी है वह दिसम्बर तक की दी है तो निश्चित रूप से जुलाई से ले करके अब तक का जो भुगतान किया गया है वह आपके उत्तर से जुड़ा हुआ है। मैं यह जानकारी लेना चाहता हूं कि आपके उत्तर के अनुरूप जिस धनराशि का भुगतान हुआ है क्या उस धनराशि में ब्याज जुड़ा हुआ है और यदि नहीं जुड़ा हुआ है तो क्यों ?

श्री नर्सामुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में कहा है कि वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं, जो भी वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं, वह मान्यवर, ब्याज जोड़कर ही निर्गत किये गये हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, ठीक है, जो भी भुगतान हुआ है वह ब्याज जोड़कर ही हुआ है, यह मैं आपकी बात से समझा हूं और ऐसा ही आप भी समझे होंगे। अब यह बता दें कि इसमें कितना ब्याज है और कितना मूल है ? क्योंकि जो गन्ना आयुक्त के यहां से फीगर हमारे पास आई हैं, वह मैं आपकी अनुमति से रखना चाहूंगा। हमारे पास सितम्बर की फीगर भी है दिसम्बर की फीगर भी है, आपके सामने भी होगी और उसके अनुसार जो भुगतान हुआ है वह भी मैं अगले प्रश्न के रूप में आपके सामने रखना चाहूंगा। अब मुझे यह बता दें कि यदि ब्याज सहित भुगतान हुआ है तो इसमें ब्याज की धनराशि कितनी है और मूल की धनराशि कितनी है।

श्री नर्सामुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, यह आर0सी0 के साथ जोड़ा गया है। जब यह पूरा भुगतान हो जायेगा तभी तो हम अलग-अलग बता पायेंगे कि स्थिति क्या है। मान्यवर, हर घण्टे स्थिति बदल रही है तो अब क्या स्थिति है यह सूचना हमारे पास नहीं है लेकिन यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मालूम करके आपको सूचना दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी के पास सूचना नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी के पास सूचना नहीं है, यह शर्म आने वाली बात है क्योंकि सूचना तो मुझे यही चाहिए थी। ठीक है, कोई बात नहीं, सूचना मैं आपसे ले लूंगा। सिद्धान्त रूप से तो आप इससे सहमत हैं ही कि जिस धनराशि का भुगतान हुआ है, उसमें ब्याज की धनराशि भी शामिल है। अब आप हमें यह बता देंगे कि ब्याज की धनराशि कितनी है और मूल धनराशि कितनी है ? अब मैं आपसे संरक्षण चाहते हुए दो बातें कहना चाहता हूं कि जो निजी क्षेत्र के भुगतान की जानकारी है,

03-12-2007 को गन्ना आयुक्त द्वारा जो जानकारी अधिकृत रूप से दी गई उसमें सितम्बर के महीने में 1339 करोड़, 91 लाख रुपये की धनराशि अवशेष दिखायी गयी थी और अब 1034 करोड़ 16 लाख की धनराशि अवशेष दिखायी गयी है। उनके अनुसार लगभग 305 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है। आपकी फीगर बता रही है कि जो आपने बताया है सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर की, यह 658 करोड़ रुपये बैठती है। जो अधिकृत जानकारी गन्ना आयुक्त ने दी है उसके अनुसार भुगतान हुआ है 305 करोड़ रुपये का और जो मंत्री जी ने जानकारी है उसके अनुसार भुगतान हुआ है लगभग 658 करोड़ रुपये का। माननीय सदस्य इससे क्या निष्कर्ष निकाले जो जानकारी यहां दी जा रही है उसको सही मानें या गन्ना आयुक्त ने जो मा0 सदस्यों को 3 दिसम्बर, 2007 को विधिवत जानकारी दी है उसको सही मानें ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, कल भी मैंने बताया था, दुरभाष पर पता चला था इसलिये मैंने कहा था कि स्पेसिफिक सूचना नहीं है। 03 तारीख तक जो स्थिति थी अब स्पष्ट है रु0 1229.94 करोड़ शेष है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बताया है कि गन्ना मूल्य भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत करने के बाद कितना रुपया निजी चीनी मिलों द्वारा गन्ना काश्तकारों का भुगतान किया गया ? दूसरे, जिन चीनी मिलों ने इसके विरुद्ध स्टे ले लिया है उस स्टे को खारिज कराने के लिये इस सरकार ने क्या पैरवी की है ? यह दो स्पेसिफिक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जिन चीनी मिलों ने स्टे ले रखा है उसे वैकेट कराने के लिये बराबर पैरवी की जा रही है। मैं और स्पष्ट कर दूं कि जिन्होंने स्टे ले रखा है उनके अतिरिक्त जितनी निजी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं, 64 के 64 चीनी मिलों के खिलाफ आर0 सी0 जारी की गयी है। जहां तक भुगतान का प्रश्न है तो मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में जुलाई से लेकर अभी 03-12-2007 तक पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है। उत्तर में नवम्बर का दिया है, 29-11-2007 तक का, 29-11-2007 के बाद 3 दिसम्बर, 2007 तक मान्यवर, 13.27 करोड़ रुपये का और भुगतान किया गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था, आपने वसूली प्रमाण-पत्र केवल इसलिये जारी किया था ताकि निजी चीनी मिल भुगतान कर दें। जो वसूली प्रमाण-पत्र जारी हुआ है उसके बाद से अब तक कितना भुगतान हुआ है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि आर0सी0 जारी होने के बाद वसूली हुई है या नहीं, यह बता दें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, वसूली हुई है परन्तु कितनी हुई है इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके बाद मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि आर0सी0 जारी होने के बाद वसूली हुई है।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान चाहता हूं। निजी मिलों के सम्बन्ध में प्रश्न करना चाह रहा हूं, विशेष रूप से 4-5 मिलों का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं कि 4 महीने में क्या स्थिति बन करके आयी है। मेरे पास जानकारी सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर और अब दिसम्बर चल रहा है, अब तक स्थिति क्या बनकर आयी है, अब तक किनौनी मिल पर 37.42 करोड़ रुपया बकाया है, कुल 4 महीने में मिल ने 2 करोड़ रुपये का भुगतान किया है अर्थात 50 लाख रुपया महीना मिल दे रहा है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 37 करोड़ का भुगतान कब तक पूरा करेंगे ? यही स्थिति गोला चीनी मिल का है, 51 करोड़ रुपया बकाया है और 4 महीने में केवल 4 करोड़ रु0 का भुगतान हुआ है। इसी तरह से बुढ़ाना चीनी मिल पर 88.89 करोड़ का बकाया है, केवल 3 करोड़ रु0 का भुगतान हुआ है। मान्यवर, थानाभवन मिल पर 87.80 करोड़ बकाया है और 2 करोड़ 99 लाख रुपये का भुगतान हुआ है। स्योहारा मिल पर 32 करोड़, 59 लाख का बकाया है लेकिन एक पैसे का भी भुगतान 4 महीने में नहीं हुआ है। इससे साफ जाहिर है कि 50-60 लाख रुपया महीना चीनी मिल वाले भुगतान कर रहे हैं। उससे तो आने वाले एक साल में भुगतान पूरा नहीं हो सकेगा। आपने सदन में जो आश्वासन दिया था उसके अनुरूप ब्याज सहित चरणबद्ध तरीके से पूरा भुगतान करें। जो स्थिति बताई गई है वह भयावह है जो फीगर कोड किये गये हैं वह सरकारी फीगर हैं जो गन्ना आयुक्त के यहां से जानकारी मिली है उसके अनुसार फीगर कोड किये गये हैं। इस स्थिति को देखते हुए क्या मंत्री जी सदन को पुनः आश्वस्त करेंगे कि इस तारीख को सारा का सारा भुगतान हो जायेगा ? जो आपने आश्वासन दिया था उसके अनुरूप मय ब्याज के हो जायेगा यह तो बता दें ? पहले आश्वासन को भूल भी जायं उसका पालन नहीं करा सके तो अब तो बता दें हम आपसे पूरी गम्भीरता की अपेक्षा करते हैं कि इस तारीख तक ब्याज सहित बकाये का भुगतान हो जायेगा। जो मैंने सवाल किये थे वह नजरन्दाज न हों। जो मिलें 50, 50-60, 60 लाख का भुगतान कर रही हैं और उनके ऊपर 27 करोड़ बकाया है उनके भुगतान की स्थिति क्या रहेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय ने प्रत्येक चीनी मिल के लिये यह निश्चित कर दिया है कि किस तिथि तक कितना भुगतान करेंगे, कितने प्रतिशत अथवा कितने करोड़। जो उच्च न्यायालय ने तिथि निश्चित की है जो तिथि गुजर गई है उस तिथि तक उच्च न्यायालय ने जितना भुगतान करने के लिये कहा था उतना भुगतान उन्होंने किया है। जब उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि इस तारीख तक आपको इतना करना है तो उसका पालन कराने की सरकार की जिम्मेदारी है, पूरा प्रयास है यह जो हाई कोर्ट का आदेश है उसको क्रास नहीं किया गया है। जहां तक यह सवाल है कि कब तक करा देंगे तो जितना मा0 उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। दिसम्बर के अन्त तक अभी अन्डर कंसीडर है,

विचाराधीन है। उसी समय सीमा में भुगतान कराने का हमारा प्रयास होगा। हमने पहले भी यही कहा था कि हम पूरा प्रयास करेंगे, उनको मजबूर करेंगे, यदि नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे आज भी हम कहते हैं कि हमारी सरकार ने पूरा दबाव डाला है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हमने बुला-बुलाकर दबाव डाला और भुगतान हुआ। सरकार की पूरी कोशिश होगी। सरकार पूरा भुगतान कराने के लिये वचनबद्ध है। हमारा प्रयास होगा कि दिसम्बर महीने के अन्त तक पूरा का पूरा भुगतान करवा दिया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मैं बताना चाहता हूं कि जहां पर सरकार की विफलता होती है वहां पर न्यायपालिका शुरू होती है। इस सदन का आश्वासन कोई मायने नहीं रहता हो, पक्का इरादा मायने नहीं रहता, सदन के अन्दर दिया गया आश्वासन मायने नहीं रहता। उच्च न्यायालय का अपना स्थान है उनकी गरिमा का भी ध्यान रखते हैं, उनको सम्मान देते हैं लेकिन अपने सारे अधिकारों को, सारे दायित्वों को सारी जिम्मेदारी को उच्च न्यायालय को सौंप नहीं सकते हैं। हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं वहां हमें लाखों किसानों ने चुनकर भेजा है सरकार से निश्चित रूप से अपेक्षा की जाती है। इस सदन से ऊपर कोई न्यायालय नहीं है। सदन अपने आप सर्वोच्च है संविधान उससे ऊपर है। हम भी संविधान के अन्तर्गत काम कर रहे हैं। यहां आपने आश्वासन दिया। मिल उच्च न्यायालय के आदेश से 50 लाख रुपये नहीं दे रही हैं वह अपने विवेक से दे रही हैं। उच्च न्यायालय को बीच में न लाया जाय। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि जिनके ऊपर 27 करोड़ 28 करोड़ रुपये बाकी हैं उनके बारे में यह आश्वस्त करेंगे कि इतनी किश्त बनाकर फलां तारीख तक मयब्याज के भुगतान हो जायेगा।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मैंने पहले ही कहा था कि उच्च न्यायालय ने तिथि निश्चित की है। अब वह 25 दिसम्बर को ही शुरू करेंगे कि आज से शुरू करेंगे इसके लिये हम उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं लेकिन जो बाकी चीनी मिलें बची हैं यानि जिनका टाइम बाउन्ड होता चला जायेगा उनके बारे में हमारा प्रयास होगा कि 100 फीसदी भुगतान हम उनसे दिसम्बर महीने तक करा लेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न से सम्बन्धित एक और अहम् प्रश्न गन्ना मूल्य के बारे में करना चाहता हूं। मुझे यह कहने में संकोच होता है कि मैं यह कहूं कि अदालतें बेलगाम हो गई हैं और मुझे यह नहीं कहना चाहिए। अभी अदालत ने एक फैसला किया है कि गन्ना मूल्य जो निर्धारित हुआ था उसमें 15 रुपये प्रति क्विंटल कम करा दिया जायेगा। मान्यवर, इसका परिणाम यह होगा कि अकेले गोरखपुर मण्डल में ही 200 करोड़ रुपये गरीब किसानों के पेट से निकल गया उनके पाकेट से निकल गया और इस तरह से पूरे प्रदेश में यह रकम खरबों में पहुंच जायेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस आदेश के विपरीत उच्चतम न्यायालय में कोई अपील की है ? और उसमें इसको स्थगित करने की मांग की है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

एक प्रश्न आगे है लेकिन माननीय सदस्य वरिष्ठ है और बुजुर्ग है मैं सम्मान करता हूं। इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि हम एस0एल0पी0 में सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और उसकी तैयारी चल रही है।

(दो तीन माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी कहिये, आपको क्या कहना है।

एक सदस्य-

अध्यक्ष जी, आपने किसको बुलाया है ? मुझको या खन्ना साहब को।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब का नाम मैंने बुला लिया है। आप बैठ जायं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा एक स्पष्ट प्रश्न है कि सदन की जो घोषणा है, उसका कितना अनुपालन किया गया यह आपके सामने है। मान्यवर, यहां इस सदन में दो घोषणाएं की गईं एक 31-8-2007 तक गन्ना मूल्य का भुगतान हो जायेगा और उसके बाद एक कैलेन्डर भी दिया गया जिसमें था कि नवम्बर माह में किन-किन तिथियों में कौन-कौन सी चीनी मिलें चलना प्रारम्भ हो जायेंगी। 22 नवम्बर, 2007 को शाहजहांपुर की पुवायां चीनी मिल के चलने की तिथि निर्धारित थी यह कैलेन्डर मेरे हाथ में है लेकिन मान्यवर, वह नहीं चली है। फिर तिथि बढ़कर आई कि वह 15 दिसम्बर तक चलेगी कुछ अखबार में आया है कि पुवायां चीनी मिल नहीं चलेगी। मैं स्पेसिफिक रूप से कहना चाहता हूं कि सदन में जो घोषणाएं होती हैं उनका पालन होना चाहिए अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्टे वेकेट कराने की कार्यवाही कर रहे हैं। मान्यवर, शाहजहांपुर की रोजा चीनी मिल ने पेमेन्ट कराने के लिये स्टे ले लिया कि इस तारीख तक हम पेमेंट कर देंगे लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पेमेंट नहीं किया। ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से उस स्टे को वैकेट कराने के लिये कोई एप्लीकेशन नहीं डाली गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आखिर सदन को गुमराह करने की क्या जरूरत है ? जो यहां पर कहा जाय उसका अनुपालन होना चाहिए। अन्यथा सदन को गलत उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए। यह पूरे प्रदेश की चिन्ता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रोजा चीनी मिल के खिलाफ स्टे वैकेट कराने के लिये अगर कोई एप्लीकेशन दी गई है तो उसका फैक्स बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने कहा तो कि एस0एल0पी0 करा रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एस0एल0पी0 दूसरी चीज है। जिन चीनी मिलों ने स्टे ले रखा है उनके स्टे को वैकेट कराने की बात कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि रोजा चीनी मिल के स्टे को वैकेट कराने के

लिये क्या कार्यवाही कर रहें हैं ? शाहजहांपुर की रोजा चीनी मिल के स्टे को वैकेट कराने के लिये किस तारीख को एप्लीकेशन दी है।

श्री अध्यक्ष-

तमाम मिलों ने स्टे लिया है उस स्टे को वैकेट कराने के लिये कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं। मंत्री जी स्पेसिफिक रोजा चीनी मिल के बारे में सूचना है क्या ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

एक अेकेले रोजा के बारे में नहीं है। मैं सभी की बात कर रहा हूं। जो आदेश हुआ है उसके खिलाफ कल भी तारीख थी अगली तारीख मुझे याद नहीं है। सरकार पूरी तरह से पैरवी में लगी हुई है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

कोई सामूहिक व्यवस्था हो तो सब एक साथ बोल लें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं गन्ना किसानों का जो बकाया है। इसमें कहा गया है कि 31-8-07 तक भुगतान दिला दिया जायेगा। मैं गन्ना मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गन्ना किसान उत्तर प्रदेश की रीढ़ है।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक करें। रीढ़ और पैर न बतायें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि 31-8-2007 के लिये मंत्री जी ने घोषणा की थी इस सदन में, कि गन्ना किसानों का बकाया दिया जायेगा और ब्याज सहित किसानों का भुगतान किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह बात तीन बार आ चुकी है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गन्ना मंत्री जी से कि आज की डेट तक जो गन्ना किसानों का बकाया चीनी मिल मालिकों ने दिया है क्या उसमें 16 प्रतिशत ब्याज लगाकर दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष-

यह माननीय हुकुम सिंह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से अनुपूरक के रूप में प्रश्न पूछ लिया है। मंत्री जी ने इसका जवाब भी दे दिया है इसलिये उसका कोई अनुपूरक नहीं बनता है।

(व्यवधान)

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या ब्याज जोड़कर किसानों का भुगतान किया जा रहा है मैं मा0 गन्ना मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

जिस बात पर आप इतना जोर देकर पूछ रहे हैं उसका उत्तर आ गया है। आप ध्यान से पढ़े होते। सोलंकी जी, आप बैठ जाएं आगे इससे सम्बन्धित प्रश्न है। दो प्रश्न एक साथ थे इसलिये समय दिया गया है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

छोटा सा प्रश्न है मंत्री जी ने आश्वासन दिया था।

श्री अध्यक्ष-

ओम प्रकाश जी खड़े हो गये हैं। इन्होंने कहा है कि प्रयास करेंगे। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से माननीय हुकुम सिंह जी ने स्पष्ट रूप से पूछी अनुपूरक प्रश्न के माध्यम से पूछीं सबकी जिज्ञासाओं का उन्होंने उद्धरण दिया है। अब आप लोग उसी को फिर दोहरा रहे हैं। सोलंकी जी आप बैठ जाएं। जवाब आ गया है।

श्री ओंम प्रकाश सिंह-

यह स्पष्ट हो गया है कि इस सरकार से चीनी मिल निडर हैं यह कदम उठाते हैं वह कोर्ट से स्टे ले लेते हैं यह फिर कदम उठाते हैं वह फिर स्टे ले लेते हैं। यह धीरे-धीरे स्टे वैकेट कराने के नाम पर कार्यवाही शुरू करते हैं यह निश्चित रूप से मिलीभगत का प्रमाण और नहीं हो सकता है। मान्यवर, आपने कहा इसमें सम्मिलित हैं और इसको हम बाद में बतला देंगे। मेरी पूरी आशंका है कि इसमें ब्याज नहीं जोड़ा जा रहा है। अगर यह बता दें कि ब्याज के लिये आश्वासन के बाद अलग से कोई शासनादेश जारी किया है ? अगर किया है तो बता दें कब किया है। मान्यवर, मेरी आशंका है कि इसमें ब्याज नहीं जुड़ा है। मंत्री जी कह रहे हैं ब्याज जुड़ा है अगर कल को यह प्रमाणित हो जाये कि ब्याज इसमें नहीं जुड़ा है तो आप विशेषाधिकार की नोटिस लाने की अनुमति देंगे यह आपसे आग्रह है कि आप इस पर विचार कर लीजिएगा। लेकिन आदेश कब हुआ है कि ब्याज सहित दें, चीनी मिलों को कब आदेश हुआ है ? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सब मिलीभगत से हो रहा है, क्योंकि एक भी मिल के विरुद्ध गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं होना, यदि ऐसी कोई कार्यवाही करते तो उससे चीनी मिल मालिकों में डर पैदा होता और उससे भुगतान और तेज होता।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, कभी कोई, माननीय सदस्य 14 परसेण्ट, कभी 15 परसेण्ट और हाशमी साहब, जिनका मान्यवर, आपने अभी "खान" नाम दिया है, 16 परसेण्ट की मांग कर रहे हैं। मा0 ओम प्रकाश जी बहुत वरिष्ट सदस्य हैं, बहुत विद्वान हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और भी जो वरिष्ट सदस्य हैं, उनसे भी हम सीखते हैं। यह इस विभाग के मिनिस्टर भी रहे हैं और सब मालूम है हमारे बड़े भाई को, माननीय सदस्यों को भी जानकारी है कि जो भी होता है, वह एक्ट के मुताबिक होता है। जब एक्ट में ही प्राविधान है कि 15 परसेण्ट इन्ट्रेस्ट देय होगा तो आर0सी0 जो जारी हुई है, वह 15 परसेण्ट इन्क्लूड करके ही जारी हुई है। इसमें विशेषाधिकार का कोई सवाल नहीं है। एक्ट के आधार पर ही आर0सी0 जारी हुई है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मिलीभगत है, मैं कहना चाहता हूं, मान्यवर, सदन के लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि किसकी किससे मिलीभगत है, किसकी किससे मिलीभगत चली आ रही है। किसने किस मिल मालिक को कितना लाभ पहुंचाया, यह बताने की जरूरत नहीं है। जहां तक कार्यवाही की बात है, इस सरकार ने जो कार्यवाही की है, मा0 बहन कुमारी मायावती जी की सरकार ने जो कार्यवाही की है, वैसी कार्यवाही इससे पहले किसी सरकार ने कभी नहीं किया। हमने पूरी की पूरी मिलों को आर0सी0 जारी कर दी है। मान्यवर, इस सरकार ने पहली बार 64 मिलों के विरुद्ध आर0सी0 जारी की है, उद्योगपतियों से जिसकी मिलीभगत रही होगी, लेकिन किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा, चीनी मिलों को भुगतान करना होगा, करना होगा, करना होगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह हमें मालूम है कि 16 परसेण्ट ब्याज की व्यवस्था एक्ट में है और वर्तमान मुख्य मंत्री जी हम लोगों के साथ भी मुख्य मंत्री रह चुकी हैं लेकिन क्या उस व्यवस्था को रिमाइण्ड करने का काम उन्होंने किया ? क्योंकि एक्ट की व्यवस्था तो मिल मालिक भी जानते हैं और सदन भी जानता है लेकिन क्या आपने उन्हें रिमाइण्ड कराया कि अब तक तो ब्याज नहीं लिया है लेकिन ब्याज लिया जायेगा ? हमने भी गिरफ्तारी कराई थी, आर0सी0 तो हर सरकार जारी करती है और वह जाकर स्टे भी लाते हैं लेकिन जब भुगतान कराने की नीयत होती तो आप गिरफ्तारी भी कराते। यह सरकार गन्ना किसानों के गन्ने की पेराई में न रुचि रखती है, न समय से चीनी मिलों को चलवाने में सफल रही है और न अपने आश्वासन के अनुसार भुगतान कराने में सफल रही है, यह पूरी तरह असफल रही है, इसके विरोध में हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री ओम प्रकाश सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने के बकाये मूल्य का भुगतान चीनी मिल मालिकों द्वारा न किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के गन्ना किसानों की गन्ने के बकाये मूल्य का भुगतान सरकार के आश्वासन के अनुरूप दि0 31-8-07 तक न किये जाने के

क्या कारण हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि निजी मिल मालिकों द्वारा भी गन्ना मूल्य भुगतान अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा गन्ने के बकाये मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराते हुए निजी चीनी मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान न कर पाने का प्रमुख कारण घरेलू एवं विदेशी बाजार में चीनी की मांग एवं कीमतों में निरन्तर गिरावट बताया गया। गन्ना मूल्य भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये हैं। बकाया गन्ना मूल्य की वसूली हेतु चीनी मिलों के विरुद्ध विधिक अनुमन्य कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों एवं निगम की चीनी मिलों को घाटे से उबारने की योजना

*3-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा सहकारी चीनी मिलों एवं निगम की चीनी मिलों को घाटे से उबारने की कोई कार्य-योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है और प्रदेश की मिलों में लगभग आधी कोआपरेटिव और निगम की हैं। मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह हास्यास्पद है। मैंने प्रश्न किया था कि क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा सहकारी चीनी मिलों एवं निगम की चीनी मिलों को घाटे से उबारने की कोई कार्य-योजना बनायी गयी है ? मान्यवर, आपका संरक्षण चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि विगत एक वर्ष में 2006-07 में निगम और कोआपरेटिव चीनी मिलों ने प्रदेश को कितना घाटा दिया है यह बता दें ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने स्वयं यह स्वीकार कर लिया है कि निगम और सहकारी चीनी मिल संघ यह दोनों घाटे में हैं, अभी हमने जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि घाटे में है तभी तो पूछ रहे हैं कि कितने घाटे में हैं ? मान्यवर, सहकारी चीनी मिल संघ, यह वर्तमान में जो इसका समेकित नेटवर्क है वह 1881.11 करोड़ ऋणात्मक है और निगम की जो चीनी मिल है इसका निगम की संकलित अनुमानित शुद्ध हानि है वह 1705.72 करोड़ है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप मूल प्रश्नकर्ता हैं, पहले और लोगों को प्रश्न कर लेने दें। मैं आपको फिर अनुमति दूंगा।

श्री राजेश यादव-

मान्यवर, इसी प्रकार का एक मामला पुआयां चीनी मिल का भी है कि यह घाटे के कारण बन्द कर दी जायेगी। पहले दिया जाता है सदन में सूचना कि 22 तारीख को करेगी और बाद में आता है कि घाटे की वजह से, घाटे का कारण क्या है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। मैं उस चीनी मिल का डायरेक्टर भी रहा हूं, पुवायां चीनी मिल जब चलती है उसी गन्ने से तो आपकी रिकवरी आती है। वही गन्ना पड़ोसी मिलों को दिया जाता है-पलिया, गोला और अजुआपुर को तो उसकी रिकवरी निकलती है साढ़े नौ से पौने दस तक, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या आप कार्यवाही करेंगे ? पुआयां चीनी मिल को चलाने का कब तक तय कर देंगे कि पन्द्रह तारीख तक चला देंगे क्योंकि 35 रुपये लीटर का डीजल मिल रहा है, शाहजहांपुर पुवायां में 35, 40 रुपये में गन्ना बिक रहा है और सर्वाधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में कहीं अच्छा होता है तो वह मेरट में होता है और उससे भी अच्छा हमारे यहां होता है, बहुत बड़े काश्तकार हैं, बहुत बड़े फार्मर हैं, तीन-तीन सौ एकड़ तक के किसान हैं, तो ऐसी स्थिति में पुवायां चीनी मिल का चलना बहुत जरूरी है इसका फैसला करा दीजिये, फैक्टरी चले। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि गन्ना मूल्य का हर बार यही चलता है कि बकाया का भुगतान, को खत्म करते हुए इस वर्ष जो सरकार प्रचण्ड बहुमत में है, क्या चीनी मिल मालिकों पर ऐसी नकेल कसेगी कि जो इस साल गन्ना खरीदेंगे उसका पूरा भुगतान कर देगी ?

श्री अध्यक्ष-

वह बात आ चुकी है। यह स्पेसिफिक एक मिल के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मुझे इनके प्रश्न पर हंसी आती है। इन्होंने कहा कि तीन सौ एकड़ के काश्तकार हैं।

श्री राजेश यादव-

मान्यवर, हम नहीं काश्तकार हैं। (व्यवधान)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जो इन्होंने अधिकारियों की बात कही है तो मैं इसको दिखवा लूंगा। जहां तक चलाने की बात है, मैं पूर्व के प्रश्न में उत्तर दे चुका हूं। इस प्रश्न का चलाने से कोई मतलब नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, निगम की चीनी मिल और सहकारी चीनी मिलों से यह सम्बन्धित है और एक कारण स्पष्ट हो रहा है कि यह पुरानी मिलें हैं और निजी चीनी मिलों की प्रतिस्पर्धा में खड़ी नहीं हो पा रही हैं। कुछ समय पूर्व तत्कालीन सरकार ने कुछ घरानों को, जिनकी पूंजी तीन सौ, साढ़े तीन सौ या पांच सौ करोड़ थी, को एक नयी नीति बनाकर छूट दी थी। बहुत उनको छूट मिली, अरबों रुपया उन्होंने कमाया तो स्वाभाविक है कि सरकारी चीनी मिलें प्रतिस्पर्धा में नहीं रहेंगी। मैं केवल आपसे आश्वासन चाहता हूं कि जो आपने अच्छा काम किया है सत्ता में आते ही उस नीति को समाप्त किया। दोबारा उस नीति को लागू करने का कोई विचार सरकार का है या नहीं है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, पहले तो मैं इनको धन्यवाद दे दूं, बड़े भाई ने कोई तो अच्छाई स्वीकार की। बहुत कम अच्छाई स्वीकार करते हैं। मान्यवर, कल क्या होगा, हालांकि अगर हमारी मंशा होती तो हम उसको विदड्रा ही क्यों करते। कल क्या होगा यह बता पाना आज सम्भव नहीं है। यह मतलब नहीं कि इसका अर्थ यह लगाया जाये कि हम किसी को अनावश्यक लाभ देने के लिये यह जवाब दे रहे हैं, लेकिन आज इसका जवाब देने की तैयारी में नहीं हूं, यह प्रश्न से अलग है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि उन घरानों को छूट देने की जो साढ़े तीन सौ करोड़ का, पांच सौ करोड़ का पूंजीनिवेश करेंगे, जो आपने समाप्त की थी, दोबारा उस नीति को लागू करने का कोई प्रश्न विचाराधीन तो नहीं है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, ऐसा कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

बस ठीक है मान्यवर।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से माननीय गन्ना मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि आपने जवाब दिया कि हमने कोई कार्य योजना नहीं बनाई घाटे से उबरने को ले करके। तो यह मान लिया जाये कि कार्य योजना न बनने के कारण क्या हैं ? क्या सरकार ने कोई ऐसा निर्णय ले रखा है कि निगम की मिलों को, को-आपरेटिव की मिलों को हम बन्द कर देंगे या उनको बेच देंगे या लगातार उनके हो रहे घाटे की भरपाई सरकार के खजाने से करते रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने तो पहले ही कहा कि ऐसी कोई कार्य-योजना नहीं बनाई है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैं इनकी जिज्ञासा को शान्त कर दूं, यह मूल प्रश्नकर्ता हैं, इनको भी संतोष होना चाहिए। मान्यवर, कई वर्षों से लगातार जो हैं हानि पर हैं, यह मैंने पहले ही बता दिया कि कितनी हानि पर हैं। जहां तक निगम की चीनी मिल का सवाल है, तो उनके निजीकरण की कार्यवाही चल रही है, निरन्तर घाटे में रहने के कारण और सहकारी चीनी मिलों की जो स्थिति है वह मान्यवर, निजी परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के अन्तरण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है, यह सुव्यवस्थित व्यापार नहीं कर पा रही हैं, व्यवसाय नहीं कर पा रही हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, बस एक अनुपूरक और करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से एक जवाब आया है कि हमने इन मिलों को घाटे से उबारने की कोई कार्य-योजना नहीं बनाई है और मिलों को बेचने का काम करने जा रहे हैं। मान्यवर, घाटे में को-आपरेटिव की मिलें है,

घाटे में निगम की मिलें हैं और हम बड़ी अर्जाबो-गरीब स्थिति में खड़े हैं। घाटे में तो प्रदेश की सरकार भी है। क्या निगम और को-आपरेटिव मिलों की तर्ज पर कल हम प्रदेश को भी बेच देंगे ? मान्यवर, यह विषय बड़ा गम्भीर है, हम आपका संरक्षण चाहते हैं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि घाटे के नाम पर हम किसको, कब तक और कहां तक बेचते रहेंगे ?. आपका हम संरक्षण चाहते हैं और निवेदन करना चाहते हैं कि कोई कार्य-योजना ऐसी बनायें जिससे मिलें घाटे से उबरें और किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। बेचना ही सब कुछ उपाय नहीं है। हम क्या-क्या बेचेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आपका सुझाव आ गया है और माननीय मंत्री जी ने इसको संज्ञान में भी ले लिया है।

श्री मदन चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो गन्ना किसान गन्ना तौलने के बाद में मिल के द्वारा जो पर्ची दी जाती है ...

श्री अध्यक्ष-

नहीं, आप प्रश्न से हट कर बोल रहे हैं, आप प्रश्न से सम्बन्धित ही अनुपूरक पूछिये।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण बिन्दु है और प्रश्न से ही जुड़ा है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन सा रेट उस पर्ची पर डाल कर गन्ना किसान को दिया जा रहा है, जिससे उनका पेमेण्ट होगा। क्या इस बात की जानकारी है कि उनकी पर्ची पर कौन सा रेट डाला जा रहा है या नहीं डाला जा रहा है ?

पूर्वांचल के लिये विशेष पैकेज दिये जाने की घोषणा

*4-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन ने बुन्देलखण्ड के विकास के लिये 1285 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो क्या पूर्वांचल के लिये भी इसी प्रकार विशेष पैकेज देने की घोषणा सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़ा गम्भीर मामला है सरकार इसे स्वीकार करती है कि बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल अति पिछड़े भू-भाग हैं इस प्रदेश के। मान्यवर, और उनके उत्थान के लिये

सरकारों ने बराबर प्रयास किया है जब पिछली बार मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो सरकार ने शुरू में ही पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड विकास निधि के लिये स्वीकृति देने का काम किया था। यह हो सकता है कि मेरे प्रश्न पूछने में कुछ त्रुटि हुई हो। सम्भवतः बुन्देलखण्ड के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से आपने मांग की है क्या इसी प्रकार की मांग पूर्वांचल के लिये भी करने जा रहे हैं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जिस तरीके से बुन्देलखण्ड के लिये मांग की गयी है भारत सरकार से वैसी ही पूर्वांचल के लिये भी मांग की गयी है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, पूर्वांचल के लिये केन्द्र से मांग करेंगे यह बाद का विषय है। जो पूर्वांचल विकास निधि का लाभ हम लोगों को मिला करता थी सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। इससे पता चलता है कि यह सरकार पूर्वांचल के प्रति कितनी समर्पित है। मैं जानना चाहता हूं कि किन कारणों से पूर्वांचल विकास निधि के क्रियान्वयन पर रोग लगी है और कब तक उस रोक को हटा देंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, आप किस निधि की बात कर रहे हैं, जिलांश की बात कर रहे हैं या राज्यांश की बात कर रहे हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, जिलांश की बात कर रहे हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया गया था और धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, पूर्वांचल विकास निधि से जो स्वीकृत कार्य हैं और जिनमें तीस प्रतिशत से अधिक का कार्य हो चुका है तो उनको पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश जारी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

इसमें पूर्वांचल विकास निधि, राज्यांश का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, प्रश्न पूछ लेने दें। क्या यह सही है कि जिन स्वीकृत कार्यों में तीस प्रतिशत से अधिक का कार्य हो गया है उनको रोके जाने का कोई निर्देश दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से हटकर है।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

यदि कोई रोक लगायी है मान्यवर, तो उसे यह सरकार वापस लेगी और चालू कार्यों को पूरा कराने का निर्देश देगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से हटकर है।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, क्या सरकार पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि की भांति पश्चिमांचल विकास निधि बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष-

यह मूल प्रश्न से हटकर है।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, यह सरकार पूर्वांचल विकास निधि में विपक्ष के सदस्यों के साथ भेदभाव कर रही है उन्हें राज्यांश में हक नहीं मिल रहा है। राज्यांश में उनके कोई प्रस्ताव सम्मिलित नहीं किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राम विशुन आजाद जी, आप इस पर सूचना देकर जानकारी कर लीजिये। इतनी इनर्जी क्यों लगाते हैं, थोड़ी कम लगाइये।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, अगर यह सरकार समतामूलक समाज में विश्वास करती है तो पूर्वांचल विकास निधि में राज्यांश में, जो विपक्षी विधायकों का भी बराबर का हक बनता है, वह मिलना चाहिए। उनके प्रस्ताव राज्यांश में सम्मिलित होने चाहिए।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विषय दूसरा है। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं। जो बात मैं उठा रही हूं वह सबके हित की है। मान्यवर, जो पूर्वांचल का राज्यांश जिलांश हमको प्राप्त हुआ है। जो आपने कहा कि शासनादेश जारी हुआ वह सही है हम सबों का पूर्वांचल राज्य के लिये प्रस्ताव मान लिया गया हैं लेकिन इसमें हमारी एक आपत्ति है जो हम सभी को पैसा मिला है जिलांश का उसमें एक प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि 15 प्रतिशत हम सामान्य को देंगे और जो बचेगा उसमें अम्बेडकर ग्राम का हम काम करायेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, यह जो पूर्वांचल विकास निधि है यह माननीय विधायकों के विवेक की निधि है तो इसमें हम चाहते हैं कि जो प्रतिबन्ध लगाया गया है, इसमें अध्यक्ष जी हम आपका निदेश चाहेंगे जो पूर्वांचल विकास निधि पहले हमारी संस्तुति पर लिया जाता था उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। इसमें मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि इसको हम सबके विवेक पर छोड़ दीजिए कि हम उतने पैसे के अन्तर्गत क्षेत्र में जहां चाहेंगे मानक के अन्दर काम करायें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पर विचार करेंगे, प्रश्नों का समय खत्म हुआ माननीय मंत्री जी आपकी बात का संज्ञान ले लिये हैं अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

5-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[तीसरे गुरुवार के ता0 प्र0 सं0-8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नोट :-नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनी दारुलशफा में स्थित विधायकों को आवंटित गैराजों का उपयोग

*6-श्री लालजी यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनी दारुलशफा ए ब्लाक, बी ब्लाक एवं सी ब्लाक व नये विधायक निवास दारुलशफा, लखनऊ में कितने सरकारी गैराज हैं, वह किन-किन मा0 विधायकों के नाम से आवंटित हैं ? क्या यह सही है कि आवंटित गैराजों का व्यापारिक कार्यों में उपयोग हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कर सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

कुल 26 गैराज हैं। उक्त आवंटित गैराज के आवंटियों की सूची संलग्न है।

15 गैराजों का गाड़ी खड़ी करने से भिन्न उपयोग हो रहा है।

गैराजों का उपयोग वाहन खड़ी करने हेतु सम्बन्धित आवंटियों से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 169 पर)

*7-डा0 अजय तोमर-

[दूसरे शुक्रवार के तारां0 प्र0 सं0-11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विधान भवन के पुनः विद्युतीकरण के लिये विद्युत केबिल और पैनल का क्रय

*8-श्री प्रदीप माथुर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान भवन के पुनः विद्युतीकरण के लिये विद्युत केबिल और पैनल वर्ष 1991 या उसके आसपास में क्रय किये गये थे ? यदि हां, तो केबिल की माप और पैनलों की संख्या एवं लागत क्या थी ? क्या यह सही है कि उक्त उपकरण आदि की उस समय कीमत लगभग सवा करोड़ रुपये थी जो कई वर्षों तक विधान भवन के गेट-7 के पास विधान भवन परिसर में बाहर खुले में पड़े रहे ? यदि हां, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त केबिल तथा पैनल के क्रय होने के वर्षों बाद विधान भवन की वायरिंग में प्रयोग किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनकी उपयुक्तता एवं गुणवत्ता की जांच उन्हें प्रयोग करते समय आई0आई0टी0 से करायी गयी थी ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी हैं और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

कु0 मायावती-

विद्युत केबिल एवं पैनल बोर्ड 1997-98 में क्रय किये गये थे।

केबिल 1800 मीटर और पैनल 3 नग क्रय किये गये थे जिनकी कुल लागत रु0 88.36 लाख थी।

केबिल और पैनल की लागत रु0 88.36 लाख थी। केबिल ड्रम में इंदिरा भवन परिसर में रखी गयी थी और पैनल विधान भवन के गेट नं0-7 के पास पोलिथीन कवर से ढककर रखे हुये थे।

कोई उत्तरदायी नहीं है।

उक्त केबिल और पैनल का प्रयोग वर्ष 2005 में किया गया।

केबिल एवं पैनल का प्रयोग करते समय उसकी उपयुक्तता एवं गुणवत्ता की जांच आई0आई0टी0 से कराये जाने का कोई प्राविधान विभाग में परिचलन में नहीं है और न ही नियमों में बाध्यता है।

केबिल की उपयुक्तता एवं गुणवत्ता की सही जांच न होने से प्रयोग करने में केबिल में दोष आया, जिसके लिये श्री ए0पी0 उपाध्याय, तत्कालीन कार्य अधीक्षक, अ0वि0नि0ई0 (वि0/यां0) लो0नि0वि0 लखनऊ व श्री एम0ए0 खान, सहायक अभियन्ता (वि0/यां0) दोषी हैं, जिनका शासन द्वारा निलम्बन किया गया है।

प्रदेश के गन्ना मूल्य में बढ़ोत्तरी की मांग

*9-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना मूल्य में बढ़ोत्तरी करने पर सरकार इस वर्ष विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

पेराई सत्र 2007-08 के लिए राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य गत सत्र के समान ही निम्नवत् रखा गया है :-

(1) अनुपयुक्त घोषित प्रजातियों के लिए	रु0 122.50 प्रति कुन्टल
(2) साधारण प्रजातियों के लिए	रु0 125.00 प्रति कुन्टल
(3) अगैती प्रजाति के लिए	रु0 130.00 प्रति कुन्टल

केन्द्रीय कर्मियों की भांति ही राज्य सरकार के कर्मियों का सी0पी0एफ0 खाता खोलने का निर्णय

*10-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि राज्याधीन सरकारी सेवाओं में अप्रैल, 2005 के पश्चात् नियुक्त कर्मियों हेतु केन्द्रीय कर्मियों की भांति सी0पी0एफ0 (कान्ट्रीब्यूट्री प्रोविडेन्ट फण्ड) का खाता खोले जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इससे सम्बन्धित निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?. यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री कमला कान्त गौतम)-

केन्द्र सरकार की नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना राज्य सरकार के कर्मियों पर दिनांक 01-04-2005 से लागू है। फण्ड मैनेजर व सी0आर0के0 की नियुक्ति के सम्बन्ध में भारत सरकार का निर्णय अपेक्षित है। फण्ड मैनेजर एवं सी0आर0के0 की नियुक्ति की जानकारी भारत सरकार से प्राप्त हो जाने के उपरान्त खाता खोले जाने के सम्बन्ध में यथासमय आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की सूखी नहरों को चलाने की मांग

*11-श्री प्रदीप जैन आदित्य-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की अधिकांश नहरें सूखी पड़ी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार नहरें चलाने के लिये कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 1421 नहरें रबी हेतु परिकल्पित हैं। इस वर्ष कम वर्षा होने के कारण ज्यादातर जलाशयों में पानी नाम मात्र का है। जलाशयों में उपलब्ध जल के अनुसार रबी 1415 फसली में कुल 1421 नहरों के सापेक्ष 436 नहरें चलाकर टेल फीड करना प्रस्तावित है।

जलाशयों में जल उपलब्धता के अनुसार नहरें चलायी जा रही हैं।

जल उपलब्धता के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

नलकूप खण्ड (प0) बागपत की केन्द्रीय कार्यशाला व स्टोर को तहसील बड़ौत में स्थानान्तरित करने की मांग

1-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-9-2007 जो नलकूप खण्ड (प0) बागपत की केन्द्रीय कार्यशाला व स्टोर को मेरठ से जनपद बागपत की तहसील बड़ौत में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में पूर्व विधायकों के ठहरने हेतु आवासीय सुविधा के निर्माण पर विचार

2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या सरकार पूर्व विधायकों के ठहरने के लिये लखनऊ में कोई हास्टल या अलग से आवासीय सुविधा के निर्माण पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत कारी पाकर से अमिरता एवं मैगलगंज से बड़ागांव मार्ग का लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण करने की मांग

3-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत कारी पाकर से अमिरता एवं मैगलगंज से बड़ागांव वाया (अमिरंता होते हुए) मार्ग स्वीकृत हुए थे ? क्या यह सही है कि उक्त मार्गों पर अधूरे कार्य कराकर छोड़ दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त दोनों सड़कों का कार्य लेपन स्तर तक पूर्ण कराने हेतु निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

श्रमिक एवं सामग्री की दरों में बढ़ोत्तरी होने के कारण स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण नहीं हो सका।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के बघला बांध से पानी पहुंचाने की योजना

4-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बारा, जनपद इलाहाबाद के पहुआ नहर के माध्यम से बघला बांध में पानी पहुंचाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बघला बांध से उसकी नहरों की सींच की व्यवस्था है और तद्नुसार सींच होती है।

जनपद इलाहाबाद के टोंस नदी पर देवरा लिफ्ट कैनाल की क्षमता बढ़ाने की योजना

5-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के टोंस नदी पर देवरा लिफ्ट कैनाल की क्षमता बढ़ाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक में उक्त पम्प कैनाल की क्षमता बढ़ाने हेतु प्राविधान नहीं है।

जनपद इलाहाबाद की तहसील बारा के कुशला ग्राम सहित पचास गांवों में सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने की व्यवस्था

6-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बघला नहर में टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है जिससे तहसील बारा के कुशला ग्राम सहित लगभग पचास गांव बिना सिंचाई के रह जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार टोंस नदी (इलाहाबाद) पर लिफ्ट लगाकर टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्नगत नहर प्रणाली के सभी टेलों पर पानी पहुंचता है और नहरी कमाण्ड में सभी गांव सिंचित होते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान सिंचाई व्यवस्था पर्याप्त है।

जनपद फतेहपुर में राम गंगा नहर में आवंटित पानी की व्यवस्था

7-श्री राधेश्याम गुप्ता-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर, जनपद फतेहपुर में राम गंगा नहर में आवंटित पानी का कोटा 2300 क्यूसेक है जबकि इसके विरुद्ध मात्र 600 क्यूसेक पानी मिलता है ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्धारित कोटा के अनुरूप पानी की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर जनपद फतेहपुर में रामगंगा नहर (पश्चिमी इलाहाबाद शाखा) में आवंटित जल 950 क्यूसेक के सापेक्ष पानी की कमी के कारण औसतन 518 क्यूसेक पानी मिलता है।

निचली गंगा नहर प्रणाली क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना के अन्तर्गत पश्चिमी इलाहाबाद शाखा की क्षमता पुनर्स्थापना का कार्य कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्राधिकरणों द्वारा आवंटित भूखण्डों पर भवन निर्माण करने हेतु समय-सीमा

8-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास प्राधिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों के आवंटित भूखण्ड जिनकी फ्री होल्ड रजिस्ट्री हो गयी है, पर भवन बनाने की कोई समय-सीमा निर्धारित है ? क्या यह सत्य है कि जनपद उन्नाव में प्रियदर्शिनी नगर योजना में उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत अनेकों प्लाटों पर अभी तक निर्माण नहीं कराया गया है ? क्या सरकार ऐसे भूखण्ड स्वामियों पर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

जी हां।

जी नहीं।

आवंटित भूखण्ड की फ्री होल्ड रजिस्ट्री हो जाने के पश्चात किसी भी समय अवधि तक भवन निर्माण न करने के कारण क्रेता पर प्राधिकरण स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

मैनपुरी विधान सभा क्षेत्र में मण्डी समिति मार्ग से राजीव गांधी नगर तक सड़क निर्माण

9-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी विधान सभा क्षेत्र में मण्डी समिति मार्ग से राजीव गांधी नगर तक सड़क के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में धन स्वीकृत हुआ था ? क्या उक्त सड़क का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया ? यदि हां, तो सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, परन्तु माह फरवरी, 2007 से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण निविदा की प्रक्रिया का निस्तारण नहीं हो पाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका और धनराशि समर्पित कर दी गई।

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद देवरिया के सिंचाई विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री सर्वेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा फर्जी टी0 आई0 के भुगतान की जांच

10-श्री दीनानाथ कुशवाहा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद अन्तर्गत सिंचाई विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री सर्वेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा 2 लाख रुपया फर्जी टी0 आई0 के भुगतान सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-8-06 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में पूर्वांचल विकास निधि द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का सत्यापन

11-श्री सनातन पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण अनुभाग-14 उ0 प्र0 शासन, लखनऊ का पत्र सं0-1217/28-14-07, 01 जनरल/2007, दिनांक 31 मई, 2007 जो जनपद बलिया में पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत परियोजनाओं का स्थलीय सत्यापन कराने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

गठित समिति द्वारा स्थलीय सत्यापन आख्या प्राप्त हुई है जिसका परीक्षण किया गया। प्राप्त स्थलीय सत्यापन आख्या के आधार पर कतिपय परियोजनाओं के पुनरीक्षित आगणन/उपभोग प्रमाण-पत्र मुख्य विकास अधिकारी बलिया से अपेक्षित है।

जनपद उन्नाव में जिला खाद्य सलाहकार समिति की बैठक

12-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में जिला खाद्य सलाहकार की बैठक दिनांक 12-6-07 में जनप्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझावों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राम प्रसाद चौधरी)-

जनपद उन्नाव में दिनांक 12-6-2007 को जिला खाद्य सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न नहीं हुई, अतः किसी भी जनप्रतिनिधि से कोई सुझाव प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव ब्रांच से निकलने वाली पड़री रजबहा से गौरीशंकर माइनर में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की मांग

13-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में शारदा सहायक उन्नाव ब्रान्च से गौरीशंकरपुर ग्रन्ट तक पड़री रजबहा अभिलेखों में दर्ज है ? क्या यह सही है कि विगत दस वर्षों से ग्राम गौरीशंकरपुर ग्रण्ट रजबहा में पानी नहीं पहुंच रहा है जिससे किसानों की फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रजबाहे की सफाई कराकर पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद उन्नाव में उन्नाव ब्रांच से निकलने वाली पड़री रजबहा से गौरीशंकरपुर माइनर निकली है जो गौरीशंकरपुर ग्राम तक जाती है।

ग्राम गौरीशंकरपुर ग्रण्ट नाम का कोई रजबहा जनपद में नहीं है बल्कि गौरीशंकरपुर माइनर नाम से नहर है जो ग्राम गौरीशंकरपुर तक जाती है, जिसमें विगत दो वर्षों से पानी नहीं पहुंच रहा है।

इस समस्या के समाधान हेतु हरदोई शाखा की क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना पर कार्य वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ कर दिया गया है, के पूर्ण होने पर समस्या का निदान हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में बरसाती ड्रेनों की सफाई हेतु विधायकों से प्रस्ताव एवं सुझाव

14-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में बरसाती ड्रेनों की सफाई हेतु वर्ष 2006-07 में कितना धन सिंचाई विभाग को प्राप्त हुआ तथा उनसे कौन-कौन सी ड्रेने साफ करायी गयी ? क्या सरकार द्वारा विधायकों से कोई प्रस्ताव या सुझाव लेने के निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो कौन से सुझाव प्राप्त हुए ? उनका विवरण क्या है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद उन्नाव में ड्रेनों की सफाई हेतु वर्ष 2006-07 में सिंचाई विभाग को कुल धनराशि रु0 13.30 लाख प्राप्त हुई। उक्त धनराशि से टीकर, भैसई, इटौली, पाही हरदो, बेहटा गोपी, पतारी, वरबट, तारगांव, भादिन, महरेन्द्राताल, नवाबगंज, नारीचक, पुरेनाताल, मियागंज रम्भा, रसूलपुर, आदमपुर, लतीफपुर, चन्दौली, दयालपुर, गेरुआ, नरायनपुर तेन्रा एवं गागन ड्रेनों की सफाई कराई गयी।

जी हां।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 170-173 पर)

चौधरी चरण सिंह सिंचाई विकास योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त की जानकारी

15-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2007-2008 में चौ0 चरण सिंह सिंचाई विकास योजनान्तर्गत मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ को कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी ? आवंटित राशि को मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ द्वारा किस अनुपात में विभिन्न खण्डों को आवंटित किया गया ? क्या सरकार उपरोक्त योजना के अधूरे पड़े कार्यों को इस वर्ष पूरा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्ष 2007-2008 में चौधरी चरण सिंह सिंचाई विकास योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत धनराशि रु0 1666.66 लाख अवमुक्त की गयी है।

मुख्य अभियन्ता (गंगा) मेरठ द्वारा आवंटित धनराशि रु0 1666.66 लाख को कार्यवार विभिन्न खण्डों को आवंटित किया गया है।

अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा शमसाबाद राजमार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की मांग

16-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा शमसाबाद राजमार्ग के चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

उक्त मार्ग निर्माण के लिये रु0 1813.37 लाख का प्रस्ताव शासन में प्राप्त हुआ है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में किरावली राजमार्ग का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत धनराशि

17-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जनपद में किरावली कागारौल राजमार्ग का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण का सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

उक्त मार्ग निर्माण के लिये रु0 1696.00 लाख का प्रस्ताव शासन में प्राप्त हुआ है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महामाया नामक आवास योजना की जानकारी

18-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार प्रदेश में महामाया नामक आवास योजना लागू करने जा रही है ? यदि हां, तो इस योजना का प्रारूप क्या है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितना धन आवंटित है ? क्या सरकार योजना का प्रारूप सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया अन्तर्गत विकास खण्ड नगरा गांव के मुख्यालय में बनने वाली सड़क एवं नाली को मानक के अनुरूप पूर्ण कराने की मांग

18-श्री सनातन पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बिलकहर, जनपद-बलिया अन्तर्गत विकास खण्ड नगरा के मुख्यालय नगरा गांव में वर्ष 2002-03 में रुपया एक करोड़ तीन लाख की लागत से बनने वाली सड़क तथा नाली निर्माण कार्य स्वीकृत मानक/लम्बाई के अनुरूप पूर्ण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त अधूरे कार्य को कब तक पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। प्रश्नगत कार्य हेतु वर्ष 2001-02 में रु0 103.12 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कुल रु0 50.78 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। प्राक्कलन में 2400 मीटर लम्बाई में नाली निर्माण एवं 1800 मीटर लम्बाई में सी0सी0 रोड निर्माण का कार्य प्राविधानित था जिसके सापेक्ष उक्त धनराशि व्यय करके 1100 मीटर में सी0सी0 रोड का निर्माण मानक के अनुरूप पूर्ण करा दिया गया है शेष कार्य अपूर्ण है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

माननीय विधायकों को वरिष्ठता के आधार पर मकान, गैराज आवंटन की योजना

20-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय सांसदों की भांति प्रदेश में विधायकों को मकान, गैरेज वरिष्ठता के आधार पर आवंटन की योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

माननीय विधायकों को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के निवास स्थान सम्बन्धी नियमावली, 1963 के अन्तर्गत कमरों का एक कक्ष आवंटित किया जाता है। मा0 विधायक द्वारा आवेदन करने पर उसी विधायक निवास में उपलब्धता के आधार पर गैराज आवंटित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

माननीय विधायकों द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के भ्रमण हेतु सरकारी गाड़ी की मांग

21-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्रीय भ्रमण हेतु तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी हेतु क्या सरकार सरकारी गाड़ी दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नियमों में व्यवस्था नहीं है।

जनपद चन्दौली मुगलसराय के कुण्डा पम्प कैनाल को बिजली की आपूर्ति

22-श्री राम किशुन-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली मुगलसराय के कुण्डा पम्प कैनाल को बिजली की आपूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है ? यदि हां, तो कितने घण्टे बिजली उपलब्ध करायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जनपद-चन्दौली के कुण्डाकला पम्प नहर को वर्ष 2007-08 में विगत 07 महीनों में औसतन प्रतिदिन 12 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

माननीय विधायकों को लखनऊ स्थित विधायक निवासों में कक्षों को आवंटित करने की मांग

23-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के लखनऊ स्थित राज्य अतिथि गृह वी0आई0पी0 अतिथि गृह, डालीबाग, वी0वी0आई0पी0 अतिथि गृह में मा0 विधायकों के प्रयोग हेतु वर्तमान में प्रभावी दर प्रतिदिन 450/- किराये के स्थान पर पच्चीस रुपये की दर निर्धारित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। मा0 विधायकों को लखनऊ स्थित विधायक निवासों में कक्ष आवंटित है।

सरयू नहर परियोजना का प्रारम्भिक कार्य की लागत एवं परियोजना के स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने की मांग

25-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरयू कैनाल परियोजना का प्रारम्भिक लागत मूल्य क्या था तथा अब तक कितनी धनराशि इस पर खर्च की जा चुकी है एवं परियोजना का कितना कार्य पूरा किया जा चुका है तथा शेष के लिए और कितने धनराशि की आवश्यकता है तथा वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। सरयू कैनाल परियोजना (वास्तविक नाम सरयू नहर परियोजना) की प्रारम्भिक कार्य लागत वर्ष 1978 में रु0 299.20 करोड़ थी जो कि वर्ष 2006 की दर सूची पर कार्यों की पुनरीक्षित स्वीकृत लागत रु0 2522.02 करोड़ है। इस परियोजना के प्रस्तावित निर्माण कार्यों पर माह 9/2007 तक रु0 1949.52 करोड़ व्यय हो चुका है। इस परियोजना के पूर्ण एवं अवशेष कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	कार्य का नाम	इकाई	कुल प्रस्तावित कार्य	सितम्बर, 2007 तक प्रगति	अवशेष कार्य
1	2	3	4	5	6
1	भूमि	हे0	22300.00	20627.10	1672.90
2	शीर्ष कार्य	हे0	07	07	--
3	मुख्य नहर एवं शाखायें (अ) नहरें (ब) पक्के कार्य	किमी0 संख्या	1025.00 1341	1013.65 1187	11.35 154
4	वितरण प्रणाली (अ) नहरें (ब) पक्के कार्य	किमी0 संख्या	6378.00 8080	3997.77 6396	2380.00 1684
5	ड्रेन्स (अ) लम्बाई (ब) पक्के कार्य	किमी0 संख्या	7090.00 3275	3416.93 1925	3673.07 1350
6	सिंचन क्षमता	ह0 हे0	1076.00	792.88	283.12

अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिये रु0 572.50 करोड़ धनराशि की आवश्यकता है। सरयू परियोजना के स्वीकृत कार्यों को मार्च, 2009 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में घाघरा नदी के बाढ़ पीड़ितों के लिये शरणालयों के निर्माण की मांग

26-श्री सर्वेश सिंह

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में घाघरा नदी के बाढ़ पीड़ितों को आश्रय देने हेतु वर्ष 2006 में महुला बन्धे के किनारे कुल 12 बाढ़ शरणालयों का निर्माण स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त शरणालयों का निर्माण कार्य पूरा हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त शरणालयों के निर्माण कार्यों में कुल कितना धन खर्च हुआ ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, जनपद-आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में 13 अदद शरणालयों के निर्माण कार्य की परियोजना स्वीकृत हुई थी।

जी हां, निर्माण कार्य पूरा हो गया है। मात्र फर्श की ब्रिक सोलिंग का कार्य अवशेष है।

उपरोक्तानुसार।

उपर्युक्त परियोजना पर सितम्बर, 2007 तक रु0 166.33 लाख व्यय हुआ है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के श्री ए0 एम0 सिद्दीकी, अधिशासी अभियन्ता की विधवा श्रीमती गुलफाम शबनम को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति प्रदान करने की मांग

27-श्री जावेद अंसारी-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ए0 एम0 सिद्दीकी, अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण की सेवाकाल में ही दिनांक 14-3-05 को मृत्यु हो गई थी ? यदि हां, तो क्या उनकी विधवा श्रीमती गुलफाम शबनम को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति प्रदान कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर आई0 एवं जे0 के भूखण्डों की रजिस्ट्री व आवंटियों को कब्जा दिया जाना

28-श्री पूरन प्रकाश-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर आई0 एवं जे0 के 115 भूखण्डों का आवंटन लाटरी के माध्यम से दिनांक 31-8-2004 को किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण और लखनऊ नगर निगम के मध्य विवादित हो जाने के कारण अभी तक भूखण्डों की रजिस्ट्री कर आवंटियों को कब्जा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो शासन स्तर से भूमि पर उत्पन्न विवाद को समाप्त कराने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो विकास कार्य पूर्ण कराकर आवंटियों को कब तक कब्जा दे दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

यह प्रकरण नगर निगम, लखनऊ की कार्यकारिणी में रखकर निस्तारित किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम सभा भूमि के पुनर्ग्रहण हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी, लखनऊ ने राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को संदर्भित किया है।

प्रश्न नहीं उठता।

विवाद के समाधान होने व भूमि के पुनर्ग्रहण के पश्चात् ही कब्जा दिये जाने की कार्यवाही की जानी सम्भव होगी।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रवर वर्ग सहायकों की प्रकाशित वरिष्ठता सूची

29-श्री पूरन प्रकाश-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में 41 प्रवर वर्ग सहायकों की वरिष्ठता सूची आदेश संख्या-680/सा0प्रा0/98-99, दिनांक 04-02-99 द्वारा अन्तिम रूप से प्रकाशित की गयी थी जिसके क्रमांक 36 व 37 पर श्री हनुमान प्रसाद व श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी को दिनांक 02-12-96 को प्रोन्नत दर्शाया गया है और आदेश सं0-295/सा0/प्रा0/2005-06, दिनांक 20-12-2005 को प्रकाशित वरिष्ठता सूची में क्रमांक 4 व 5 पर श्री हनुमान प्रसाद व श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी को दिनांक 28-6-1995 को प्रोन्नत दर्शाया गया है तथा क्रमांक 7 पर श्री अरुण कुमार निगम को प्रोन्नत दर्शाया गया है जबकि श्री अरुण कुमार निगम का नाम दिनांक 4-2-99 को प्रकाशित वरिष्ठता सूची में नहीं था ? यदि हां, तो दोनों आदेशों में भिन्नता का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

दिनांक 4-2-99 को प्रकाशित वरिष्ठता सूची के पश्चात् पुनः प्रवर वर्ग सहायकों की अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 13-9-01 को प्रकाशित कर उस पर प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 23-1-02 की प्रख्यापित की गयी जिसमें श्री हनुमान प्रसाद व श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी को पूर्व तिथि 28-6-95 से प्रोन्नत माना गया। दिनांक 23-1-02 की वरिष्ठता सूची के प्रोन्नत कार्मिकों को पृथक कर प्रवर वर्ग सहायकों की अन्तिम वरिष्ठता सूची पुनः दिनांक 20-12-05 को प्रकाशित की गयी। प्रोन्नत हुए कार्मिकों को पृथक कर दिये जाने से दिनांक 20-12-05 को प्रकाशित वरिष्ठता सूची के क्रमांक में अन्तर होना स्वाभाविक है। वरिष्ठता सूची में अंकित श्री लोकनाथ, प्रवर वर्ग सहायक तथा श्री अरुण कुमार निगम, लेखालिपिक के पारस्परिक अनुरोध के दृष्टिगत श्री लोकनाथ, प्रवर वर्ग सहायक के लेखालिपिक पद पर समायोजित हो जाने के फलस्वरूप श्री अरुण कुमार निगम का नाम प्रवर वर्ग सहायक के रूप में दिनांक 20-12-05 को प्रकाशित वरिष्ठता सूची में अंकित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जिला हरदोई में सोहिलामऊ मनिकापुर के बीच में स्थित तालाब से मोहदियापुर तक ड्रेन की सफाई किये जाने की मांग

30-श्री सनातन पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मनिकापुर मजरे मीरनगर अजिगवां, तहसील सण्डीला, जिला-हरदोई में सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 में खुदाई गयी ड्रेन से सोहिलामऊ मनिकापुर के बीच में स्थित तालाब से मोहदियापुर तक ड्रेन की सफाई न होने के कारण किसानों के खेतों में पानी भरा रहता है जिससे वहां के किसानों में असन्तोष व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ड्रेन की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

मानसून से पूर्व सफाई करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती से बढ़नी राजमार्ग के बेवा से बेकर ढेबरुआ तक क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराने की मांग

31-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती से बढ़नी राजमार्ग के बेवा से लेकर ढेबरुआ तक की सड़क जर्जर स्थिति में है ? यदि हां, तो उक्त जर्जर मार्ग को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

डुमरियागंज-ढेबरुआ राजमार्ग संख्या-75 के बेवा से लेकर ढेबरुआ तक (लम्बाई 41.50 कि0मी0) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

इस मार्ग के मरम्मत/नवीनीकरण/विशेष मरम्मत के अन्तर्गत कुल रु0 325.61 (रु0 19.50+76.25+229.86) लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है इस मार्ग के प्रारम्भिक 04 कि0मी0 में नवीनीकरण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है और शेष कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च, 2008 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उतरौला कैनाल से भोजपुर शाखा की नहर की सिल्ट सफाई

32-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उतरौला कैनाल के भोजपुर शाखा की नहर की सिल्ट सफाई नहीं की गयी है जिससे नहर ओवरफ्लो होती है ? यदि हां, तो उसकी सफाई कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

उतरौला कैनाल से भोजपुर शाखा के लिये कोई नहर नहीं है। उतरौला कैनाल ही पम्प नहर की मुख्य नहर है। उतरौला मुख्य नहर में सिल्ट सफाई की आवश्यकता नहीं है तथा इसमें पानी का ओवरफ्लो नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

33-श्री सुन्दर लाल लोधी-

[दूसरे गुरुवार के अता0प्र0सं0-36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सीतापुर की किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद की चिमनी में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाने की मांग

34-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद जनपद सीतापुर की चिमनी से निकलने वाली राबिस से होने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु क्या सरकार प्रदूषण रोधी यंत्र लगवाकर होने वाले प्रदूषण को रोकेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। चीनी मिल महमूदाबाद की चिमनी से निकलने वाली राबिस से होने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु प्रदूषण नियंत्रण यंत्र-वेट स्क्रबर व मल्टीसाइक्लोन/फ्लाई ऐश एरेस्टर पूर्व से ही स्थापित है, जो कार्यरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के मुख्यालय से तहसील मनकापुर को जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करने की मांग

35-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के मुख्यालय से तहसील मनकापुर को जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? जिससे आने-जाने वाले लोगों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग दर्जीकुआं-मनकापुर-बभनान मार्ग (प्र0जि0मा0) का भाग है, जिसकी लम्बाई 18.08 कि0मी0 है। इस मार्ग के कि0मी0-5, 10, 14 एवं 17 में सिंचाई विभाग द्वारा नहर की पुलिया एवं सम्बन्धित सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराया गया है। वर्तमान में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त है जिससे आने-जाने वाले लोगों को कुछ असुविधा होती है।

क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, सरयू नहर खण्ड-3, गोण्डा, एवं सरयू नहर खण्ड, नानपारा को सूचित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर एवं छपिया के उपभोक्ताओं को नजदीक के कोटेदारों से सम्बद्ध करने की मांग

36-श्री राम विशुन आजाद-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर एवं छपिया में मई, 2007 से 19 सितम्बर, 2007 तक उप जिलाधिकारी द्वारा कोटे की जिन दुकानों को निलम्बित किया गया था उन निलम्बित दुकानों से सम्बद्ध उपभोक्ताओं को नजदीक के ग्राम सभा के कोटेदारों से सम्बद्ध न करके नियम विरुद्ध दूर के पंचायत क्षेत्रों के कोटेदारों से सम्बद्ध कर दिया गया है ? जिससे कार्डधारकों को काफी असुविधा हो रही है ? क्या सरकार उक्त कार्डधारकों को नजदीक के कोटेदारों से सम्बद्ध करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जनपद-गोण्डा के मनकापुर एवं छपिया, विकास खण्ड में मई, 2007 से 19 सितम्बर, 2007 तक जिन दुकानों को निलम्बित किया गया था, उनका सम्बर्द्धीकरण सम्बन्धित ग्राम सभा के प्रधान द्वारा प्रेषित अनुशंसा/प्रस्ताव के आधार पर किया गया था।

जनपद में ऐसी व्यवस्था की गयी है कि यदि ग्राम सभा को दुकान अनियमितता के कारण निलम्बित या निरस्त की जाती है, तो उसे पास की ग्राम सभा से सम्बद्ध किया जाय तथा निरस्त दुकान के ग्रामवासियों को दुकानदार उनके ही गांव से आवश्यक वस्तुओं का वितरण करायेगा। इस व्यवस्था से कार्ड धारक अपने ग्राम सभा में ही आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये स्वीकृत मार्गों का निर्माण कार्य

37-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 में कौन-कौन से मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृत हैं ? स्वीकृत मार्गों में कौन-कौन से ऐसे मार्ग हैं जिनका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है ? यदि हां तो क्यों ? उक्त सभी कार्यों को लेपन स्तर तक कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 में कुल 42 मार्गों की स्वीकृत हुई है।

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

20 कार्यों का लेपन स्तर तक पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष 22 कार्यों को पूर्ण किया जाना वित्तीय संशाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा में वर्तमान में खराब पड़े नलकूपों को ठीक किये जाने की मांग

38-श्री राम विशुन आजाद-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्तमान में कितने नलकूप चालू हालत में हैं तथा कितने नलकूप खराब पड़े हैं ? खराब पड़े नलकूपों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद-गोण्डा में सप्ताहान्त बन्दी दिनांक 18-10-07 के अनुसार उक्त तिथि को 441 चलित राजकीय नलकूपों में से 425 राजकीय नलकूप चालू हालत में तथा 16 नलकूप बन्द थे।

खराब 16 राजकीय नलकूपों में 07 नलकूप जो यांत्रिक दोष में बन्द थे, ठीक करा दिया गया है। विद्युत दोष में बन्द 09 राजकीय नलकूपों में से 05 राजकीय नलकूप विद्युत विभाग द्वारा ठीक करा दिये गये हैं, शेष 04 राजकीय नलकूप विद्युत विभाग द्वारा ठीक कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

विकास खण्ड मनकापुर छपिया एवं वजीरगंज के कोटेदारों की दुकानें सम्बद्ध किये जाने में अनियमितता सम्बन्धी शिकायती-पत्र

39-श्री राम विशुन आजाद-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर तहसील तरबगंज के विकास खण्ड मनकापुर छपिया एवं विकास खण्ड वजीरगंज के कोटेदारों की दुकानें निलम्बित कर एक दुकान से कई दुकानें सम्बद्ध किये जाने एवं अधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र अपर जिलाधिकारी, गोण्डा को दिनांक 5-9-07 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

अपर जिलाधिकारी, गोण्डा द्वारा अपने पत्र संख्या-1984, दिनांक 8 सितम्बर, 2007 द्वारा उप जिलाधिकारियों से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या के अनुसार वर्तमान समय में एक उचित दर की दुकान से एक ही दुकान सम्बद्ध चल रही है। ग्राम सभा अंचलपुर की उचित दर दुकान से ग्राम सभा करौंदा तथा ग्राम पंचायत डुमरियाडीह की दुकान भी सम्बद्ध कर दी गयी थी। संज्ञान में आते ही उक्त दुकान का सम्बद्धीकरण समाप्त कर पास की ही अन्य दुकान से सम्बद्ध कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के राजकीय कालोनी बादशाहनगर में ट्यूबवेल के पम्प हाउस सम्प के निर्माण कार्य को पूर्ण करने की मांग

40-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के राजकीय कालोनी बादशाह नगर में ट्यूबवेल के पम्प हाउस सम्प एवं पूरी कालोनी के बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

बादशाह नगर कालोनी में ट्यूबवेल के पम्प हाउस सम्प के निर्माण हेतु आंकलित लागत रु0 15.28 लाख के सापेक्ष में रु0 6.50 लाख की धनराशि तथा कालोनी के बाउन्ड्रीवाल निर्माण हेतु आंकलित लागत रु0 23.86 लाख के सापेक्ष रु0 23.29 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। शेष धनराशि की व्यवस्था हो जाने पर निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी की खम्भार खेड़ा चीनी मिल पर गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान

41-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी की बजाज हि0 लि0 खम्भारखेड़ा चीनी मिल पर गन्ना किसानों का लगभग 51 करोड़ रुपया बकाया है ? यदि हां, तो सरकार किसानों के बकाया गन्ने का भुगतान कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद लखीमपुर खीरी की खम्भार खेड़ा चीनी मिल पर दिनांक 27-11-2007 की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 2006-07 का रु0 2652.41 लाख गन्ना मूल्य अवशेष है।

खम्भार खेड़ा चीनी मिल द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या-38967/2007 में पारित आदेश दिनांक 04-10-2007 के अनुसार किया जाना है।

तहसील बारा, ग्राम बिरवल में नलकूप से सिंचाई

42-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निधि से ग्राम बिरवल तहसील बारा इलाहाबाद में नलकूप लगवाया गया है ? क्या नलकूप के माध्यम से समूचे क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था हो पा रही है ? यदि हां, तो कितने हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हो पा रही है ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में टोंस नदी पर लिफ्ट सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग

43-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बघला नहर के टेल तक पानी नहीं पहुंच पाने के कारण तहसील बारा के मौशरिया ग्राम सहित लगभग पचास गांव असिंचित रहे जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हित में टोंस नदी (इलाहाबाद) पर लिफ्ट सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्नगत नहर प्रणाली के सभी टेलों पर पानी पहुंचता है और नहरी कमाण्ड में सभी गांव सिंचित होते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान सिंचाई व्यवस्था पर्याप्त है।

जनपद इलाहाबाद की तहसील बारा के ग्राम बूरेबल्हू से लालापुर तक सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण करने की मांग

44-श्री उदयभान करवरिया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बारा जनपद इलाहाबाद के ग्राम बूरेबल्हू से लालापुर तक सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यह कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

जनपद इलाहाबाद की तहसील बारा के ग्राम बिरवल का नलकूप सं0-के0सी0 103 को ठीक करने की मांग

45-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम-बिरवल, तहसील बारा जनपद इलाहाबाद का नलकूप संख्या के0सी0 103 विगत कई वर्षों से खराब पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नलकूप को सिंचाई हेतु शीघ्र ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं, नलकूप संख्या-103 के0सी0 ग्राम-बिरवल, तहसील-बारा, जनपद-इलाहाबाद का जल स्तर नीचे चले जाने के कारण दिनांक 10-7-07 से पूर्ण क्षमता से कार्यशील नहीं था। दिनांक 11-9-07 को कालम पाईप बढ़ाने हेतु नलकूप का पम्प सेट खोला गया एवं दिनांक 17-9-07 को ठीक कर सिंचाईरत कर दिया गया किन्तु दिनांक 17-10-07 को नलकूप का ट्रान्सफार्मर जल जाने के कारण पुनः बन्द हो गया।

उक्त नलकूप दिनांक 20-10-2007 को ठीक करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस में मथुरा हाथरस राजमार्ग से जोड़ने वाले कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

46-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हाथरस में मथुरा हाथरस राजमार्ग से मुरसान-करील मार्ग को वाया भकरोई होकर जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो कार्य को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। मार्ग का निर्माण कार्य पहले से ही पूर्ण है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

47-डा0 अनिल चौधरी-

[2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

48-डा0 अनिल चौधरी-

[2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हाथरस ब्रांच गंग नहर के सहपऊ रजबाहा से निकलने वाली मढ़ाभोज माइनर की पटरी को पक्का किये जाने की मांग

49-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस से गुजरने वाली हाथरस ब्रांच गंग नहर के सहपऊ रजबाहा से निकलने वाली मढ़ाभोज माइनर की पटरी खोडा-सहपऊ सड़क पर कमजोर हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पटरी को पक्का बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

आंशिक रूप से पटरी कमजोर हो गई है।

पटरी सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही की जा रही है। पटरी पक्का कराने की कोई परियोजना विचाराधीन नहीं है।

माइनरों की पटरियों को सामान्यतः पक्का नहीं कराया जाता।

जनपद मथुरा के ग्राम बिरौना से जटौरा ग्राम तक मार्ग निर्माण की मांग

50-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि आगरा शहर को तीर्थस्थली बल्देव (जनपद-मथुरा) से जोड़ने वाला मार्ग पर हाथरस जनपद के मई, बिलारा आदि ग्रामों से होकर मथुरा जनपद में ग्राम भरतिया बिरौना, जटौरा होते हुए बल्देव तक जाता था ? यदि हां, तो क्या उक्त सबसे कम दूरी वाले मार्ग के ग्राम बिरौना से ग्राम जटौरा जनपद-मथुरा के निर्माण हेतु क्या कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला अम्बेडकर नगर की तहसील अकबरपुर के विकवाजीतपुर-महरुआ के अवशेष मार्ग को पिच किये जाने की मांग

51-श्री लल्लू सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि अम्बेडकर नगर जिले की अकबरपुर तहसील के विकवाजीतपुर-महरुआ मार्ग (18 कि0मी0) में से 14 कि0मी0 पिच मार्ग है और दो-दो पक्के पुल नदियों पर बनकर तैयार हैं ? यदि हां, तो क्या मात्र 4 कि0मी0 सड़क पिच न होने से पूरा मार्ग यातायात के लिये अवरुद्ध रहता है ? यदि हां, तो जनता के यातायात के लिये अवशेष मार्ग कब तक पिच करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

4 कि0मी0 में से 0.8 कि0मी0 में टाप कोट कार्य पूर्ण है व शेष लम्बाई 3.2 कि0मी0 खड़न्जा स्तर है। मार्ग यातायात के लिये अवरुद्ध नहीं है।

मार्ग के 4 कि0मी0 भाग का लेपन कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मऊ के विकास खण्ड रतनपुरा अन्तर्गत ग्राम सभा मेउड़ी कला में अपात्र व्यक्तियों के बी0पी0एल0 कार्ड की जांच की मांग

52-श्री लालजी यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मऊ के विकास खण्ड रतनपुरा अन्तर्गत ग्राम सभा मेउड़ी कला में अपात्र व्यक्तियों ने बी0पी0एल0 कार्ड बनवा लिये हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराने एवं इसमें दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए छूटे लोगों का राशन कार्ड बनाने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

जनपद-मऊ के विकास खण्ड-रतनपुरा अन्तर्गत ग्राम सभा मेउड़ी कला में 18 अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड जांच कराकर निरस्त करते हुए उनके स्थान पर पात्र 18 व्यक्तियों के नाम बी0पी0एल0 कार्ड जारी कर दिये गये हैं एवं दोषी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है। लक्ष्य के अनुरूप अब कोई भी बी0पी0एल0 का पात्र व्यक्ति राशन कार्ड बनने से वंचित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ विकास प्राधिकरण की शारदानगर योजना अन्तर्गत रतन खण्ड के आवंटियों को कब्जा दिलाया जाना

53-श्री लालजी यादव-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की शारदानगर योजना अन्तर्गत रतन खण्ड के आवंटियों को भूखण्डों का कब्जा दे दिया गया है ?

यदि नहीं, तो विकास कार्य पूर्ण कराकर आवंटियों को कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की शाग्दानगर योजना के रतन खण्ड का विकास कार्य प्रगति पर है। समस्त विकास कार्य पूर्ण कराकर आवंटियों को शीघ्र ही कब्जा दिये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर में पूर्वांचल विकास निधि की धनराशि को अवमुक्त किया जाना

54-श्री राधेश्याम गुप्ता-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष जनपद-फतेहपुर में पूर्वांचल विकास निधि का धन अभी तक नहीं भेजा गया है ? यदि हां, तो उक्त धन कब तक भेज दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। शासनादेश दिनांक 30-10-2007 द्वारा पूर्वांचल विकास निधि योजनान्तर्गत जनपद-फतेहपुर हेतु वर्ष 2007-08 में एस0सी0पी0 मद मे रु0 171.35 लाख एवं जिलांश मद में रु0 93.47 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर छपिया एवं वजीरगंज में नलकूपों के निर्माण पर व्यय

55-श्री राम विशुन आजाद-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर छपिया एवं वजीरगंज में 2006-07 एवं 2007-08 में नलकूपों के निर्माण पर प्रति नलकूप कितना-कितना धन व्यय किया गया ? क्या सरकार बतायेगी कि आपरेटरों के उपस्थित न रहने के कारण अधिकांश नलकूप खराब हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी आपरेटरों को देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर, छपिया एवं वजीरगंज में वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में नलकूपों का निर्माण नहीं किया गया है, अतः धन व्यय का प्रश्न नहीं उठता है।

जी नहीं, वर्तमान में 441 राजकीय नलकूप चलित है जिसके विरुद्ध कुल 333 नलकूप चालक कार्यरत हैं। इन 333 नलकूप चालकों को चलित 441 नलकूपों का दायित्व सौंपा गया है, नलकूप चालकों के कम होने के कारण 108 राजकीय नलकूप दोहरे कार्यभार में संचालित किये जा रहे हैं।

नलकूप के संचालन एवं सींच अभिलेखन का दायित्व पूर्ववत नलकूप चालकों के पास है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कार्य

56-श्री राम विशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा के अन्तर्गत झिलाही-वजीरगंज मार्ग, सोनवरसा (संगवा)-चांदडाबर होते हुए बगदर ग्रन्ट मार्ग, आई0टी0आई0 मनकापुर बाईपास मार्ग, मनवर झिलाही मार्ग का निर्माण कार्य मानक के अनुरूप न होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी टी0ए0सी0 से जांच करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर छपिया एवं वजीरगंज के कोटेदारों की दुकानों का निलम्बन एवं आवश्यक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था

57-श्री राम विशुन आजाद-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर, छपिया एवं वजीरगंज में मई, 2007 से 19 सितम्बर, 2007 तक कितने कोटेदारों की दुकानों का निलम्बन किया गया ? क्या निलम्बन किये गये दुकानों को जिन दुकानों से सम्बद्ध किया गया है उनके द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार स्थलीय परीक्षण करवाकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड-मनकापुर छपिया तथा वजीरगंज में मई, 2007 से 19 सितम्बर, 2007 तक कुल 41 दुकानें निलम्बित की गयीं।

जी हां। वितरण का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित ग्राम सभा के प्रधान लेखपाल तथा बहुउद्देशीय कर्मियों से नियमित रूप से लिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के लवकुश गंगा बैराज पर समुचित निगरानी एवं व्यवस्थित सूचना पटों की व्यवस्था

58-श्रीमती प्रेमलता कटियार-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लवकुश गंगा बैराज कानपुर पर समुचित निगरानी एवं व्यवस्थित सूचना पटों के अभाव के कारण छः माह के अन्दर लगभग एक दर्जन युवकों की मृत्यु हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त व्यवस्थायें तत्काल सुनिश्चित कराकर दुर्घटनाओं से बचाव करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

बैराज स्थल पर समुचित निगरानी एवं व्यवस्थित सूचना पटों की व्यवस्था है। समुचित निगरानी एवं सूचना पटों के अभाव में युवकों की मृत्यु का प्रश्न ही नहीं है।

विभागीय व्यवस्था पूर्व से ही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद की तहसील बारा में पहुआ नहर के माध्यम से बघला बांध में पानी पहुंचाने की प्रस्तावित कार्य योजना

59-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील-बारा जनपद-इलाहाबाद में पहुआ नहर के माध्यम से बघला बांध में पानी पहुंचाने की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विधायकों हेतु यू0पी0 आई0एल0 कैम्पस ऐशबाग रोड स्थित बिल्डिंग में अग्निशमन सम्बन्धी उपकरण लगवाये जाने की मांग

60-श्री बाला प्रसाद अवस्थी-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों हेतु यू0पी0आई0एल0 कैम्पस ऐशबाग रोड, लखनऊ स्थित बिल्डिंग में अग्निशमन सम्बन्धी सुरक्षा उपकरण लगवाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या मा0 मंत्री जी उक्त बिल्डिंग में अग्निशमन सम्बन्धी सुरक्षा उपकरण लगवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

जी नहीं।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा यू0पी0 आई0एल0 कैम्पस में विधायकगणों को निजी रूप से विक्रय करने हेतु 102 नग भवन निर्मित कर रु0 10.94 करोड़ के वास्तविक व्यय के स्थान पर मात्र रु0 7.92 करोड़ कम मूल्य पर विक्रय किये गये हैं। रख-रखाव/अग्निशमन व्यवस्था तथा परिसर के अन्तर्गत किसी भी कार्य को कराने का दायित्व क्रेतागण का ही है।

जनपद उन्नाव के ग्राम सभा डीह की राशन की दुकान के सम्बन्ध में पत्र

61-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दि0 8-8-07 को जिलाधिकारी, उन्नाव को प्रेषित पत्र जो विकास खण्ड बिछिया के ग्राम डीह की राशन की दुकान से सम्बन्धित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

प्राप्त शिकायती-पत्र पर जांचोपरान्त ग्राम सभा डीह की ग्राम प्रधान श्रीमती कुंवारा के पति श्री कालीचरन उचित दर विक्रेता की दुकान का अनुबन्ध पत्र दिनांक 24-10-2007 को निरस्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

62-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[दिनांक 4-12-07 के अता0प्र0सं0-49 द्वारा उत्तरित]

मा0 सांसदों की भांति मा0 विधायकों को भी वरिष्ठता के आधार पर लखनऊ में बड़े आवास का आवंटन

63-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 सांसदों की भांति मा0 विधायकों को भी सदस्यता की अवधि वरिष्ठता के आधार पर बड़े आवास लखनऊ में दिये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

मा0 विधायकों को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के निवास स्थान सम्बन्धी नियमावली, 1963 के अन्तर्गत कमरों का एक कक्ष आवंटित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा छितौनी, जनपद कुशीनगर के कोटेदारों के विरुद्ध दिया गया शिकायती-पत्र

64-श्री लालजी यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि माननीय विधायक विश्वनाथ सिंह द्वारा ग्राम प्रधान व अन्य सदस्य ग्राम सभा छितौनी वि0 ख0 खड्डा जनपद कुशीनगर का कोटेदार के विरुद्ध शिकावती-पत्र जो दि0 28-9-07 को प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद तथा मा0 खाद्य एवं रसद मंत्री को भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायती-पत्र की बिन्दुवार जांच कराकर दोषी कोटेदार के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

ग्राम सभा छितौनी के कोटेदारों के विरुद्ध दिये गये शिकायती-पत्र की जांच करायी गयी। जांच में पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर दोषी कोटेदार के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की चीनी मिल पुवायां में कार्यरत गन्ना पर्यवेक्षकों की भविष्य निधि कटौती

65-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या चीनी मिल पुवायां में (शाहजहांपुर) कार्यरत गन्ना पर्यवेक्षकों के वेतन से की गयी भविष्य निधि कटौती एवं चीनी मिल की योगदान धनराशि पी0एफ0 खाते में नियमित रूप से जमा की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त विषय के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-9-07 मा0 मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

चीनी मिल की खराब वित्तीय स्थिति अत्यन्त खराब होने के कारण संघ स्तरीय कर्मचारियों/अधिकारियों के भविष्य निधि की कटौती की धनराशि जमा करना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-9-07 अप्राप्त है।

जनपद लखनऊ के डालीबाग स्थित पुराना बहुखण्डीय मंत्री आवास में गैरेज एवं वाहन चालकों व सुरक्षा कर्मी के लिये अतिरिक्त कक्षों की व्यवस्था

66-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डालीबाग लखनऊ स्थित पुराना बहुखण्डीय मंत्री आवास में विधायकों के वाहनों के लिये गैरेज एवं वाहन चालकों एवं सुरक्षा कर्मी के लिये अतिरिक्त कक्षों की व्यवस्था प्रत्येक आवास के साथ की जायेगी ? 'यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

ऐसी कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ स्थित विधायक निवासों की पुताई हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

67-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-लखनऊ स्थित विधायक निवासों के लिये वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक कितनी-कितनी धनराशि पुताई हेतु आवंटित की गयी है ? आवंटित धनराशि में कितनी धनराशि खर्च की गयी तथा कितनी धनराशि अवशेष है ? क्या सरकार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद-लखनऊ स्थित विधायक निवासों के लिये पुताई हेतु अलग से धनराशि का आवंटन नहीं किया जाता अपितु यह कार्य सामान्य मरम्मत एवं विशेष मरम्मत मद में सम्मिलित होता है। वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक उक्त मद में कुल रु0 311.30 लाख आवंटित की गयी है।

आवंटित कुल धनराशि रुपये 311.30 लाख में से रु0 276.27 लाख व्यय हुई, इस प्रकार रु0 35.03 लाख धनराशि अवशेष है। उक्त आवंटित धनराशि में से रु0 107.82 लाख पुताई कार्य पर व्यय हुई।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सीतापुर, तह0 महमूदाबाद में शारदा सहायक के उत्तर में जल भराव व दलदल को समाप्त किये जाने विषयक योजना

68-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर, तह0 महमूदाबाद में शारदा सहायक के उत्तर, करीब तीन व आठ कि0मी0 के बीच में हजारों बीघा जमीन में जल भराव व दलदल है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा जल भराव व दलदल को समाप्त करने की कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां। शारदा सहायक नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना लागत रु0 269.73 करोड़ में महमूदाबाद जनपद-सीतापुर की सीपेज समस्या का विषय भी सम्मिलित है। इस वृहत परियोजना में नहरों की पुनर्स्थापना के अतिरिक्त सीपेज समस्या के निदान हेतु सीपेज ड्रेन की पुनर्स्थापना एवं फिल्टर ड्रेन का कार्य भी सम्मिलित है। यह परियोजना वर्तमान में केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के परीक्षणाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड मनकापुर एवं छपिया में राजकीय नलकूप से भूमि की सिंचाई

69-श्री राम विशुन आजाद-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जनपद-गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड मनकापुर एवं छपिया में लगे राजकीय नलकूप चालू हालत में हैं ? यदि हां, तो प्रति नलकूपों से गत वर्ष 2005 से 07 तक रबी एवं खरीफ की फसल में कितन-कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की गयी तथा उससे कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड मनकापुर एवं छपिया में 54 एवं 20 नलकूप चालू हालत में हैं।

राजकीय नलकूप पंचायती राज विभाग से सिंचाई विभाग को स्थानान्तरण के पश्चात् दिनांक 01-04-07 से सिंचाई विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत हुए हैं। अतः वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 से सम्बन्धित सींच का अभिलेखन सिंचाई विभाग में नहीं किये जाने के परिप्रेक्ष्य में नलकूपों से की गयी सींच एवं राजस्व अर्जन की सूचना उपलब्ध नहीं है जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा के अम्बेडकर ग्राम के लिये राष्ट्रीय सम योजना में मार्ग प्रस्ताव

70-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा के ग्राम पर्वतपुर सुलेमान जो अम्बेडकर ग्राम भी है के लिये राष्ट्रीय सम योजना में 5 किमी0 मार्ग निर्माण

का प्रस्ताव प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण द्वारा स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, किन्तु राष्ट्रीय सम योजना अन्तर्गत 0.888 कि0मी0 लम्बाई का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। जिससे प्रश्नगत ग्राम जुड़ जायेगा।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में वाटर रि-स्ट्रक्चरिंग योजना के अन्तर्गत शामिल राजबहा व अल्पिका

71-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कौन-कौन सी रजवहा अल्पिका, वाटर रि-स्ट्रंक्चरिंग योजना के अन्तर्गत शामिल है ? क्या स्वीकृत सभी पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में 7 राजबहे एवं 38 अल्पिकायें, वाटर सेक्टर रि-स्ट्रंक्चरिंग परियोजना के अन्तर्गत शामिल हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

राजबहा :-

नागापुर, मदाफपुर, चिलबिला, जौनपुर राजबहा, धरौली, रामगंज एवं सिगरामऊ।

अल्पिका :-

छीड़ा, गंगापुर, साल्हीपुर कंजास, सराय जमुबारी, उतरास, सरौली, सरसी डीह, सुजानगढ़, कोहंडौर, नरहरपुर, कन्थई मधुपुर, पूरे कोलाहल, ताला चन्दुआडीह, नारायनपुर, दरछुट प्रथम, उमरपुर, भीखमपुर, खानपुर, अमरगढ़, चिलावां, लबेदा, धनसार, भीटी, रामपुर, अन्देवरी, करैला, दफरा, डेटुआ मालेपुर, भरोखन, गोपालपुर, होशियारपुर, गोपापुर, नेवादा, उसरौली, कादीपुर एवं बासूपुर।

जी नहीं, सभी पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

जिन नहरों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है उनका विवरण निम्न प्रकार है :-

मदाफरपुर राजबहा, चन्दुआडीह, नारायनपुर दरछुट, धरौली राजबहा, लबेदा, धनसार, भीखमपुर, खानपुर, अमरगढ़, चिलावा, राजगंज, सिंगरामऊ राजबहा, कादीपुर एवं बासूपुर।

समस्त कार्य माह अक्टूबर, वर्ष 2009 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

जनपद लखनऊ में पत्रकारों को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवंटित आवास

72-श्री आर0 पी0 एन0 सिंह-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में कितने पत्रकारों को सरकारी आवास राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवंटित हैं ? क्या ऐसे पत्रकारों को भी आवास आवंटित किये गये हैं जिनके पास लखनऊ के पत्रकारपुरम् में सरकार द्वारा सस्ती दरों एवं आसान किश्तों पर मकान दिये गये हैं अथवा जो वास्तव में पत्रकारिता से सम्बद्ध नहीं हैं ? क्या सरकार ऐसे पत्रकारों की जांच

कराकर उनसे राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवंटित आवासों को खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन आवासों में कुल-295 पत्रकारों को आवास आवंटित हैं।

पत्रकारों को आवास आवंटन संगत नियमावली के अनुसार किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

बभनान बाजार से वाया गौर व टिनिच होती हुई गोविन्द नगर जाने वाली सड़क के पुल के दोनों साइड की पटाई एवं डामरीकरण का कार्य पूरा कराने की मांग

73-श्री आर0 पी0 एन सिंह-

क्या सरकार को जानकारी है कि बभनान बाजार से वाया गौर व टिनिच होती हुई गोविन्द नगर जाने वाली सड़क पर नवनिर्मित पुल की पटाई न होने से कारण जनता को कठिनाई होती है ? यदि हां, तो उक्त सड़क के पुल के दोनों साइड की पटाई एवं डामरीकरण का कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर की तहसील सिकन्दराराऊ में असिंचित भूमि की सिंचाई हेतु सुविधा उपलब्ध कराया जाना

74-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सिकन्दराराऊ, जनपद महामायानगर में कृषि योग्य कितनी भूमि सिंचित और कितनी भूमि असिंचित है ? क्या सरकार असिंचित भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

तहसील सिकन्दराराऊ, जनपद महामायानगर में ऊपरी गंगा नहर प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि 30,834 हेक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित क्षेत्र खरीफ फसल में 44 प्रतिशत अर्थात् 13,566 हेक्टेयर एवं रबी फसल में 53 प्रतिशत अर्थात् 16,342 हेक्टेयर सिंचित भूमि है। इस प्रकार कुल कमाण्ड क्षेत्र में खरीफ फसल में 17,268 हेक्टेयर तथा रबी फसल में 14,492 हेक्टेयर असिंचित भूमि है।

असिंचित भूमि के लिये अलग से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतिरिक्त जल उपलब्ध न होने के कारण।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत कतिपय ड्रेनों की सफाई की उच्च स्तरीय जांच किये जाने की मांग

75-श्री राम विशुन आज़ाद-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा विधान सभा क्षेत्र मनकापुर जनपद गोण्डा के अन्तर्गत कतिपय ड्रेनों की सफाई की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक कम्प्यूटर सं0-सम0-10090027 पर पत्र सं0-सी0एम0-वि0को0/एम/90027/2003, दिनांक 15-11-04 प्रमुख सचिव, सिंचाई को भेजा गया था। यदि हां, तो उक्त पत्र पर कब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, मा0 सदस्य का पत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी संख्या-सी0एम0वि0को0/एम/90027/2003, दिनांक 15-11-03 है, न कि दिनांक 15-11-04 है।

प्रकरण में जांच प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ (टी0ए0सी0) से करायी गयी। जांच के आधार पर प्रथमदृष्टया श्री अशोक कुमार, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, श्री आर0 के0 शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता एवं तत्कालीन ख़ण्डीय लेखाकार, सरयू नहर खण्ड-2, गोण्डा उत्तरदायी पाये गये। श्री आर0 के0 शर्मा का निधन हो जाने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही सम्भव नहीं है। श्री अशोक कुमार, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता सरयू नहर खण्ड-2 गोण्डा का स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 22-10-07 द्वारा मांगा गया है तथा खण्डीय लेखाकार के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु उनके नियुक्ति प्राधिकारी महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से पत्र दिनांक 22-10-07 द्वारा अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक की सहायता से वाह्य सहायतित परियोजना विभाग द्वारा बछरावां से लालगंज फतेहपुर से बांदा मार्ग के निर्माण कार्य से सम्बन्धित शिकायती-पत्र

76-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विश्व बैंक की सहायता से वाह्य सहायतित परियोजना विभाग द्वारा बछरावां से लालगंज, लालगंज से फतेहपुर तथा फतेहपुर से बांदा मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों के निर्माण कार्य की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? क्या यह भी सही है कि मार्ग के निर्माण में पटरी मिट्टी भराई का कार्य मानक के विपरीत कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य का भौतिक सत्यापन एवं जांच करायेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां। माननीय सदस्य का शिकायती-पत्र दिनांक 3-10-07 प्राप्त हुआ है।

उक्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर दिनांक 17-10-07 को कमेटी गठित कर जांच करायी जा रही है।

जनपद बागपत की सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल रमाला व बागपत का संचालन

77-डा0 अजय तोमर-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बतायेंगे कि क्या जनपद बागपत की सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल रमाला शुगर मिल रमाला तथा बागपत शुगर मिल बागपत एवं निजी क्षेत्र की एस0बी0ई0सी0 शुगर मिल लोयन मलकपुर दिनांक 15 अक्टूबर, 2007 से संचालित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। वर्तमान में सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल रमाला व बागपत क्रमशः दिनांक 8-11-2007 व 16-11-2007 व निजी क्षेत्र की एस0बी0ई0सी0 शुगर मिल लोयन मलकपुर दिनांक 22-11-2007 से संचालित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना में जवासा माइनर में रजवाहे की सफाई कराने की मांग

78-श्री सुन्दर सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जनपद बुलन्दशहर में जवासा माइनर में विगत 6 वर्ष से रजवाहे की सफाई न होने के कारण पानी नहीं आ रहा है जिससे किसानों की फसल की सिंचाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त रजवाहे की सफाई कराकर पानी की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

विधान सभा क्षेत्र स्याना जनपद बुलन्दशहर की जवासा माइनर में विगत 6 वर्षों में केवल वर्ष 2002 तथा वर्ष 2004 में पानी पहुंचा। शेष 4 वर्षों में खानपुर राजवाहे की सफाई न होने के कारण जवासा माइनर में पानी नहीं आ सका तथा सिंचाई नहीं हो पायी है।

जी हां।

वर्ष 2007-08 में सिल्ट सफाई हेतु धनराशि स्वीकृत है जिसके अनुरूप राजवाहे तथा माइनर की सफाई कराकर नहर की सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना में लोअर परीक्षितगढ़ राजवाहे की सफाई व टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था

79-श्री सुन्दर सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि स्याना विधान सभा क्षेत्र जनपद बुलन्दशहर में लोअर परीक्षितगढ़ राजवाहे की सफाई न होने के कारण विगत कई वर्षों से पानी टेल तक नहीं पहुंच रहा है जिससे किसानों के फसलों की सिंचाई नहीं हो पा रही है ? क्या सरकार उक्त राजवाहे की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

गत खरीफ 1415 फसलों में लोअर परीक्षितगढ़ राजवाहे की टेल तक पानी पहुंचा है एवं किसानों की फसलों की सींच भी हुई है।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र स्याना में गांव भड़कऊ में निर्मित पुल की क्षतिग्रस्त दोनों साइड की मरम्मत

80-श्री सुन्दर सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि स्याना विधान सभा क्षेत्र जनपद बुलन्दशहर में गांव भड़कऊ में निर्मित पुल की दोनों साइड क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिससे कभी भी दुर्घटना घट सकती है ? क्या सरकार उपरोक्त पुल की साइडों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

आंशिक क्षतिग्रस्त साइडों की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उतरौला इलाहाबाद को चौड़ा करने की कथित योजना का प्रकरण

81-श्री राम विशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उतरौला-इलाहाबाद मार्ग को चौड़ा कराने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो चौड़ीकरण का कार्य कब तक शुरू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

उतरौला-फैजाबाद-इलाहाबाद मार्ग (राज मार्ग संख्या-09) के कि0मी0 21 से 38 जो रेहरा से मनकापुर तक है, के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 में कुल रु0 789.48 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है। नवाबगंज से कि0मी0 59.500 से आगे का भाग 7.00 मीटर पूर्व से चौड़ा है। अवशेष मार्ग उतरौला से रेहरा तथा मनकापुर से नवाबगंज को चौड़ा कराने की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

उक्त मार्ग के कि0मी0 21 से 38 के चौड़ीकरण का कार्य प्रगति में है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में जैन जाति के सदस्य को अल्पसंख्यक आयोग में मनोनीत किये जाने की मांग

82-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में जैन जाति की कुल कितनी जनसंख्या है ? क्या सरकार अल्पसंख्यक आयोग में जैन जाति के सदस्य को मनोनीत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अनीस अहमद खां)-

प्रदेश में जैन धर्मावलम्बियों की कुल जनसंख्या 2,07,111 है।

श्रीमती गीतिका जैन पत्नी श्री अरविन्द कुमार जैन, गोमती नगर, लखनऊ को उ0 प्र0 अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रदेश के जिलों में भू-आवंटन की मांग

83-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के जिलों में भूखण्ड आवंटन के लिए सरकार ने कोई नीति बनायी है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आवास विभाग के नियंत्रणाधीन विकास प्राधिकरणों द्वारा स्थानीय मांग आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सुविधाओं का लाभ पत्रकारों द्वारा यथासमय लिया जा सकता है।

जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में मार्ग का निर्माण

84-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2006-07 में कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है ? क्या यह सत्य है कि उक्त निर्माण अधोमानक है ? क्या इनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन कराया गया है ? यदि हां, तो कितनी सड़कें मानकों के विपरीत पायी गयीं ? क्या इन पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद आगरा के फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2006-07 में 67.48 कि0मी0 में मार्ग का निर्माण किया गया है।

जी नहीं।

जी हां।

कोई नहीं।

जी नहीं। कार्य मानक के अनुरूप है।

आगरा जनपद में आगरा टर्मिनल व इरादतनगर माइनर की सफाई पर व्यय की गयी धनराशि

85-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2006-07 में आगरा जनपद में आगरा टर्मिनल व इरादत नगर माइनर की सफाई पर कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या सरकार द्वारा सफाई के बाद इन नहरों में किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

राजवहा टर्मिनल की कुल लम्बाई 63.30 कि0मी0 है। वर्ष 2006-07 में इस राजवहा पर कुल 31.60 कि0मी0 लम्बाई में रु0 9.15 लाख धनराशि व्यय की गयी।

जनपद आगरा में इरादत नगर नाम की कोई माइनर नहीं है अपितु राजवहा टर्मिनल के कि0मी0 26.81 से राजवहा इरादतनगर निकलता है जिसकी कुल लम्बाई 28.80 कि0मी0 है। वर्ष 2006-07 में राजवहा इरादतनगर पर 10.20 कि0मी0 लम्बाई में रु0 2.82 लाख की धनराशि व्यय की गई।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा, पट्टी मंगरौरा, बेल्थरनाथ धाम में राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में पत्र

86-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा, करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा, पट्टी, मंगरौरा, बेल्थरनाथ धाम में राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-3/143342 दिनांक 7-12-2006 प्रमुख सचिव, सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

माननीय विधायक के प्रश्नगत पत्र में सम्मिलित ग्रामों का नलकूपों के निर्माण हेतु शासन के सुसंगत दिशा निर्देशों के अनुसार साध्यता/उपयुक्तता हेतु सर्वेक्षण प्रक्रिया में है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जनपद झांसी से ललितपुर जाने वाले मार्ग में बेतवा नदी पर बने पुल की मरम्मत की मांग

87-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद झांसी से ललितपुर जाने वाले मार्ग में तहसील-तालबेहट के पहले बेतवा नदी पर बने पुल में जगह-जगह दरारें पड़ गयी हैं ? क्या सरकार पुल की मरम्मत अथवा नये पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं, पुल के मात्र वियरिंग सतह पर दरारें हैं लेकिन पुल की भार वाहक संरचना सही है।

वर्तमान पुल की मरम्मत आवश्यकतानुसार की जा रही है तथा भविष्य में यातायात के लिये इसे उपयोग किया जायेगा। झांसी-ललितपुर रोड के प्रस्तावित चौड़ीकरण के कारण एक नये पुल की आवश्यकता होगी जिसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है जिसे वर्ष 2009 के अन्त तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र हेतु स्वीकृत सड़क निर्माण का कार्य

88-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2006-07 में स्वीकृत प्रदेश की प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 07 कि0मी0 सड़क निर्माण का कार्य झांसी शहर में अब तक क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया ? क्या सरकार स्वीकृत 07 कि0मी0 सड़क निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव की घोषणा हो जाने के फलस्वरूप आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

89-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[2सरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रतापगढ़ में ग्राम गहबरा-आहोपुर पुल, कठार नाला पुल एवं असुढ़ी पुल में पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य

90-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी, प्रतापगढ़ में ग्राम-गहबरा आहोपुर एवं कठार पुल एवं असुढ़ी पुल के दोनों ओर के पहुंच मार्ग एवं बोल्डर पिचिंग का कार्य नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो उसे मानकों के अनुसार कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

ग्राम गहबरा-आहोपुर पुल, कठार नाला पुल एवं असुढ़ी पुल में पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 30 मी0 से कम स्पान के पुलों में सामान्यतया बोल्डर पिचिंग कार्य नहीं कराया जाता है। प्रश्नगत तीनों सेतु 30 मीटर से कम स्पान के है किन्तु सुरक्षा की दृष्टि से असुढ़ी पुल में बोल्डर पिचिंग का कार्य अपरिहार्य था जिसे करा दिया गया है। गहबरा-आहोपुर एवं कठार नाला पुल में बोल्डर पिचिंग का कार्य नहीं कराया जाना है।

गहबरा-आहोपुर पुल एवं कठार नाला पुल में बोल्डर पिचिंग का कार्य नहीं कराया जाना है। असुढ़ी पुल में बोल्डर पिचिंग का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के परिपत्र सं0-39पी0डब्ल्यू0/4309/एम0टी0/52एम-39/89-201-01 सेतु 31/87 दिनांक 17-8-1989 के अनुसार 30 मीटर से कम के स्पान के पुल में पिचिंग इत्यादि सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने का प्राविधान नहीं है। अतः गहबरा आहोपुर पुल एवं कठारा नाला पुल में बोल्डर पिचिंग का कार्य नहीं कराया गया है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के प्रत्येक ग्राम में बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्ड का निर्धारित लक्ष्य

91-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के प्रत्येक ग्राम में बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्ड बनाने के लिए जो संख्या निर्धारित की गयी है उससे अधिक संख्या में पात्र श्रेणी के व्यक्ति हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी बचे हुए पात्र व्यक्तियों को कोई कार्ड उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित संख्या के अन्तर्गत बी0पी0एल0/अन्त्योदय योजनाओं के राशन कार्ड जारी किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त राशन कार्ड दिये जाने में असमर्थता व्यक्त की गई है।

जनपद लखनऊ के शारदा नगर योजनान्तर्गत रतन खण्ड में सड़क निर्माण, पौधों के रोपने का कार्य

92-श्री लालजी यादव-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के शारदा नगर योजना अन्तर्गत रतन खण्ड में सड़क निर्माण, पौधों के रोपने का कार्य बहुत ही धीमी गति से हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आवासीय योजना के उक्त कार्यों में तेजी लाने हेतु निर्देशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जी नहीं, शारदा नगर योजना के रतन खण्ड में सड़कों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। रतन खण्ड में निर्धारित स्थलों पर वृक्षारोपण का कार्य विगत वर्ष में पूर्ण कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

93-डा0 अजय तोमर-

[2सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बागपत की सहकारी/निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर गन्ना कृषकों का बकाया भुगतान

94-डा0 अजय तोमर-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बागपत की सहकारी क्षेत्र की रमाला शुगर मिल बागपत शुगर मिल तथा निजी क्षेत्र की एस0बी0ई0सी0 शुगर मिल लोयन मलकपुर पर गन्ना किसानों का पिछले पेराई सत्र का कितना-कितना भुगतान बकाया है ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पेराई सत्र 2006-07 का जनपद बागपत की सहकारी चीनी मिल, रमाला एवं बागपत द्वारा बकाया गन्ना मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया है। निजी क्षेत्र की मलकपुर चीनी मिल पर

दिनांक 27-11-2007 की स्थिति के अनुसार रु0 1610.07 लाख बकाया है। बकाये का भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु चीनी मिल के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया। वसूली कार्यवाही के विरुद्ध चीनी मिल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका योजित की गयी है। बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार चरणबद्ध रूप से मिल द्वारा किया जाना है।

जनपद बागपत में डी0वाई0 रोड से छपरौली वाया सूप रढोरा मार्ग हेतु कृषकों की अधिग्रहीत भूमि एवं मुआवजे की मांग

95-डा0 अजय तोमर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में डी0 वाई रोड (बिराल) से छपरौली वाया सूप रंढोरा मार्ग जिसको बने लगभग 35 वर्ष हो चुके हैं के भूमि अधिग्रहण का मुआवजा किसानों को अब तक दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्नगत प्रकरण में आपसी समझौते के आधार पर किसानों को प्रतिकर भुगतान किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु शासन के पत्र दिनांक 8-2-2007 द्वारा जिलाधिकारी, बागपत को यह निर्देशित किया गया है कि राजस्व अनुभाग-13 के शासनादेश दिनांक 29-09-01 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए मण्डलायुक्त के अनुमोदनोपरान्त प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये। प्रस्ताव जिलाधिकारी, बागपत के स्तर से प्रतीक्षित है। जिलाधिकारी, बागपत से प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करके प्रभावित किसानों को नियमानुसार प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा।

सी0आर0एफ0 मार्ग जीयनपुर आजमगढ़ से मुहम्मदाबाद मऊ एवं नहरहन-लाटघाट आजमगढ़ पर हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा निर्माण में प्रयोग की जा रही घटिया सामग्री की जांच विषयक-पत्र

96-श्री सर्वेश सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-9-2007 जो सी0आर0एफ0 मार्ग जीयनपुर आजमगढ़ से मुहम्मदाबाद मऊ एवं नहरहन-लाटघाट आजमगढ़ पर हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग एवं निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग के निर्माण में प्रयोग की जा रही घटिया सामग्री की जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मानक के अनुरूप ही सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। अतः जांच की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कल्पीपारा सिंचाई कालोंनी, बहराइच में आंवासीय भवन एवं आवंटन की प्रक्रिया

97-डा0 वकार अंहमद शाह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कल्पीपारा सिंचाई कालोनी, बहराइच में कितने आवासीय भवन हैं तथा उनके आवंटन की प्रक्रिया क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त कालोनी में अनधिकृत रूप से लोग रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अनधिकृत रूप से रहने वाले लोगों से आवास खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

कल्पीपारा सिंचाई कालोनी, बहराइच में 305 आवासीय भवन हैं। आवास आवंटन समिति द्वारा विभागीय आवास आवंटन नियमावली में निर्धारित नियमों के अन्तर्गत आवास आवंटन की कार्यवाही की जाती है।

जी हां।

जी हां।

शासनादेश संख्या-42आईएम0/06-27सिं-9-28एसएवी/03, दिनांक 30-8-06 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनधिकृत अध्यासन के विरुद्ध बेदखली हेतु जिला शासकीय अधिवक्ता की विधिक राय प्राप्त कर यू0पी0 प्रिमिसेज एक्ट 1972 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में वाद योजित कर दिया गया है।

चौधरी चरण सिंह विकास योजना के अन्तर्गत जनपद आगरा में नहरों, पुल/पुलिया एवं सड़कों के निर्माण/सुधार हेतु आवंटित धनराशि

98-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि चौधरी चरण सिंह विकास योजना के अन्तर्गत जनपद-आगरा में नहरों, पुल/पुलिया, पशुघाट एवं सड़कों के निर्माण/सुधार हेतु इस वर्ष कितना धन किन-किन कार्यों हेतु आवंटित किया गया है और उक्त धन से प्रस्तावित कार्यों को कब तक पूरा कराने का लक्ष्य है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद आगरा के अन्तर्गत लोअर खण्ड, आगरा नहर, आगरा अपर खण्ड, आगरा नहर, मथुरा, लोअर मांट शाखा खण्ड, गंगा नहर, मथुरा एवं सिंचाई खण्ड, फिरोजाबाद के कार्य क्षेत्र आते हैं। चालू वित्तीय वर्ष (2007-08) में लोअर मांट शाखा खण्ड, गंगा नहर, मथुरा को रु0 100.00 लाख एवं अपर खण्ड, आगरा नहर मथुरा को रु0 9.66 लाख कुल धनराशि रु0 109.66 लाख चौधरी चरण सिंचाई विकास योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत आवंटित की गयी है जिसमें से नहर सेवा मार्गों को पक्का करने हेतु रु0 60.00 लाख, पुल पुलियों एवं पशुघाट आदि के निर्माण हेतु रु0 39.66 लाख एवं जल वितरण प्रणाली के विस्तार हेतु रु0 10.00 लाख धनराशि आवंटित की गयी है।

उक्त आवंटित धनराशि से प्रस्तावित कार्यों को वित्तीय वर्ष 2007-08 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

सचिवालय के मुख्य भवन के धरातल पर जल भराव की समस्या का समाधान

99-मदन भैया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सचिवालय के मुख्य भवन का धरातल सड़क से नीचा हो जाने के कारण वर्षाकाल में कतिपय प्रवेश द्वार पर पानी भर जाने के कारण लोगों को आने-जाने में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो उक्त जल भराव की समस्या का समाधान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

समस्या के निदान हेतु अधीक्षण अभियन्ता, 39वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय तकनीकी कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें प्रान्तीय खण्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग, अनुरक्षण खण्ड-1 (सिविल) लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान/जल निगम के अधिशासी अभियन्ता तथा नगर निगम द्वारा नामित सदस्य सम्मिलित हैं। समिति के सुझावानुसार जल भराव की समस्या का समाधान किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

टिकैतराय तालाब का सौन्दर्यीकरण कराने की मांग

100-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ स्थित ऐतिहासिक टिकैतराय तालाब का सौन्दर्यीकरण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्नगत विकास कार्य से सम्बन्धित स्थल के भू-स्वामित्व से सम्बन्धित विवाद होने के कारण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निश्चित समयावधि नियत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी प्राकल्पित वेतन निर्धारण का लाभ दिये जाने की मांग

101-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विभाग के अधीन स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के लेखा परीक्षक संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को महालेखाकार कार्यालय के लेखा परीक्षा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की समानता के सिद्धान्त को स्वीकार कर दिनांक 1-1-96 के स्थान पर दिनांक 1-4-2001 से उच्चीकृत वेतन का लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी प्राकल्पित वेतन निर्धारण का लाभ दिनांक 1-1-96 से दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलाकान्त गौतम-

राज्य सरकार ने कर्मचारियों की इस मांग को सिद्धान्ततः स्वीकार किया है कि राज्य कर्मचारियों को उनके समकक्ष पदों पर जो केन्द्र सरकार में विद्यमान हैं, केन्द्र के समान वेतनमान दिया जाय। इस सिद्धान्त के दृष्टिगत प्रदेश के अन्य कार्मिकों के साथ स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के लेखा परीक्षक संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01-01-86 से केन्द्र के समकक्ष पदों के समान वेतनमान अनुमन्य कराये गये। दिनांक 01-01-96 से सभी राज्य कर्मियों को जिसमें स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के लेखा परीक्षक संवर्ग के कार्मिक भी सम्मिलित हैं, सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य कराये गये। केन्द्र सरकार द्वारा अपने लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में बाद में लिये गये निर्णय के आधार पर दिनांक 01-01-1996 से प्राकल्पित आधार पर उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 19-12-2003 से दिया गया। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा ऐसे मामलों के सम्बन्ध में लिये गये सामान्य निर्णय के अनुसार लेखा/लेखा परीक्षा संवर्ग को केन्द्र सरकार के जिसमें महालेखाकार कार्यालय के उक्त श्रेणी के कार्मिक भी सम्मिलित हैं, के समान उच्चीकृत वेतनमान का लाभ, केन्द्र सरकार द्वारा अनुमन्य कराये गये वास्तविक लाभ के पूर्व की तिथि 01-04-2001 से अनुमन्य कराया गया है।

जी नहीं।

राज्य सरकार द्वारा ऐसे मामलों में लिये गये सामान्य निर्णय का अनुसरण करने के कारण।

ग्राम पंचायत पिपरहटा तहसील करछना जिला इलाहाबाद के अन्तर्गत ग्राम देवरा के सम्पर्क मार्ग निर्माण की मांग

102-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत पिपरहटा तहसील-करछना, जनपद-इलाहाबाद के अन्तर्गत देवरा (पूरा लोकमन) की सड़क एवं पुलिया के अधूरे निर्माण को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

ग्राम पंचायत पिपरहटा के अन्तर्गत ग्राम देवरा (पूरा लोकमन) का सम्पर्क मार्ग जारी राजवहा के कि0मी0 14.40 पर क्रास करता है, जिस पर पुलिया पूर्व में ही निर्मित है। सिंचाई विभाग का इस जगह कोई अधूरा निर्माण कार्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायत पिपरहटा के अन्तर्गत ग्राम देवरा में सड़क एवं पुलिया को पूर्ण कराने की मांग

103-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत पिपरहटा तहसील-करछना, जनपद-इलाहाबाद के अन्तर्गत देवरा (पूरा लोकमन) की सड़क एवं पुलिया अधूरी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त सड़क एवं पुलिया को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

ग्राम पंचायत पिपरहटा के अन्तर्गत ग्राम देवरा (पूरा लोकमन) का सम्पर्क मार्ग जारी राजवहा के कि0मी0 14.40 पर क्रास करता है, जिस पर पुलिया पूर्व में ही निर्मित है। इस जगह सिंचाई विभाग की कोई अधूरी पुलिया नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा पर प्रशासन गाजीपुर द्वारा फर्जी मुकदमा कायम करके उनका उत्पीड़न कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना एवं दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय शादाब फातिमा जी का व्यक्तिगत मामला है आप इनको सुन लीजिए।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाह रही हूं कि आप इस गरिमामयी सदन के अध्यक्ष हैं और हम सभी लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति हैं। गत 14 नवम्बर को जब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र से लखनऊ आ रही थी, जब मैं वहां से चली तो वहीं बौरी पुल पड़ता है, वहां निर्माण कार्य चल रहा था अप्रोच का भी कार्य था वहां किसान धरने पर बैठे हुए थे क्योंकि उनको मुआवजे की राशि नहीं मिली थी। बिना मुआवजे की राशि दिये उनकी जमीन में अप्रोच बनाने के लिए 2 जेसीबी मशीनें उत्खनन का कार्य कर रही थी। वहां पर वह लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने मुझे रोका तो मुझे वहां रुकना पड़ा। हम लोग वहां पर बैठे लेकिन शासन प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया। डी0एम0 गार्जीपुर से दो बार बात करने का प्रयास किया गया वह नहीं आ पाई. एस0पी0 नहीं आ पाये, शाम 6.00 बजे ए0डी0एम0 वहां पर आये तो यदि 6.00 बजे तक जाम चला तो इसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार था न कि किसान और हम लोग जिम्मेवार थे। तमाम सम्मानित सदन के लोग बैठे हैं। मान्यवर, यदि खाद और बीज की समस्या होगी किसान बैठा होगा, रोकेगा तो हमें रुकना पड़ेगा। मैं उल्टा बजाय इसके कि किसान की समस्या का समाधान होता वहां पर गैरकानूनी कार्य हो रहा था। पी0डब्लू0डी0 के अभियन्ता ने स्वीकार किया कि कोई टेण्डर, कोटेशन नहीं हुआ कोई बाण्ड नहीं बना था उसके बाद भी खोदाई हुई।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना व्यक्तिगत बतायें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कह रही हूं कि मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया धारा 143, 341, 283, और 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेंट ऐक्ट मेरे ऊपर लगाया गया। मेरा न तो कोई आपराधिक इतिहास है, मैं इस सदन की सम्मानित सदस्य हूं मेरा पिछला रिकार्ड देख लिया जाय उस पूरे मामले की जांच करा ली जाय मेरे ऊपर 7 क्रिमिनल ला ऐक्ट लगाया जाता है जबकि मेरे ऊपर आज तक एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। इससे मैं स्वयं को बहुत अपमानित और आहत महसूस कर रही हूं।

क्योंकि एक महिला मुख्य मंत्री है यंहां की और आपके एक नेता जी ने अपने भाषण में यहां कहा था कि "यत्र नार्यस्तु पूज़यन्ते रमन्ते तत्र देवता" तो क्या केवल यह शब्दजाल था। मैं अपने को बहुत अपमानित महसूस कर रही हूं। मैं चाहती हूं कि यही पर सदन में आश्वासन दिया जाय, पूरे मामले की जांच कराई जाय यदि में दोषी हूं तो मेरे ऊपर और यदि पुलिस प्रशासन और अधिकारी दोषी हैं तो उन पर कार्यवाही हो केवल हम पर नहीं। यह मुकदमा वापस लिया जाय क्योंकि में अपराधी नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायं।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

मान्यवर, आप निर्देशित कीजिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, इसको दिखवा लीजिए।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है उसको दिखवा लेते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि माननीय सदस्य चाहे महिला हो या पुरुष हो उसका अपमान हो।

* श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने संतोषजनक आश्वासन दिया लेकिन आप इतना तो कहें, आप निर्देशित करें, कल सदन चलना है, कल तक तो यह प्रकरण आ जाय, सदन के सामने, कि क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, अब कह तो दिये हैं दिखवाने के लिये।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्या आपके सामने अपना अपमान महसूस कर रही हें महिला सदस्य हैं। उसको इतनी तो गंभीरता दें कि कल तक मंगा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुये हैं, इसीलिए तो कहा है कि इसको दिखवा लेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, कल तक अवगत तो करायें।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब इतना आश्वासन के बाद आप लोग बैठ गये थे। अब ओम प्रकाश सिंह जी ने कह दिया तो आप खड़े हो गये। अब सरकार इसको दिखवा लेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री लालजी यादव द्वारा अध्यक्ष आसन की तरफ बढ़ने पर तथा श्री अम्बिका चौधरी जी के खड़े होने पर)

आप कहां जा रहे हैं। देखिये चौधरी साहब, माननीय सदस्या ने अपनी व्यक्तिगत समस्या को रखा, मैंने उसको सुना। आप लोग भी शांति से सुने और आश्वस्त होकर बैठ गये। माननीय मंत्री जी ने सदन में पूरा विश्वास दिलाया और सरकार ने संज्ञान में ले लिया, कार्यवाही के लिये कह दिया।

(लालजी यादव के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

लाल जी यादव जी, आप काहे परेशान हो रहे हैं। आप दूसरी जगह बैठ जायें। वरना आप हरदम बोलते रहेंगे।

* श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने उदारतापूर्वक न सिर्फ एक सदस्य की समस्या सुनी बल्कि कृपापूर्वक आपने सदन के किसी सदस्य की गरिमा को बनाये रखने के लिये आपने निर्देशित किया माननीय मंत्री जी को, इसके लिये हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम इसको बहुत गम्भीरता से दिखवा लेंगे, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन श्रीमन् यह सदन अगर सत्र में नहीं होता, तब भी हम आपसे अनुरोध करते और तब भी आप इस सम्बन्ध में हमारा संरक्षण करते। लेकिन सदन सत्र में है और यह बहुत ही सामान्य बात है कि जो बहुत ही निश्चित सूचना माननीय शादाब फातिमा जी ने दिया है, इस सूचना के बारे में आज ही तुरन्त, तत्काल कार्यवाही की जा सकती है और आपकी यह संवेदनशीलता मान्यवर, रूटीन होकर और तकनीकी संवेदनशीलता नहीं रह जायेगी, वास्तविक संवेदनशीलता तभी होगी जब इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का कल तक ब्योरा इस सदन में आ जाय और मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अगर स्वयं अपनी ओर से उठकर यह बात कह दें कि हम आज ही दिखवा लेते हैं और कल सदन को अवगत करा देंगे तो इसमें सदन की गरिमा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। हम कोई अवमान किसी का नहीं कर रहे हैं। हम धन्यवाद कर रहे हैं आप का भी और माननीय मंत्री जी का भी। लेकिन आप अपनी ओर से इतनी बात निर्देशित करें कि माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से कल सदन को अवगत करा दें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने निर्देशित किया माननीय मंत्री जी को और उन्होंने कहा कि मैं इसको गम्भीरता से ले रहा हूं और इसको दिखवा लेता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आप ले रहे हैं, पूरी गम्भीरता से ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

सरकार ने भी पूरी गम्भीरता से लिया है, आप काहे को बात बढ़ा रहे हैं।

* श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, जब एक सदस्य का सवाल है और महिला सदस्य का सवाल है क्योंकि वहां के अधिकारियों ने महिला सदस्य को अपमानित किया है। केवल यह मांग है माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कि जो भी कार्यवाही वह कर रहे हैं, कल तक इस सदन में आ जाना चाहिए क्योंकि वैसे तो हम लोग समाजवादी पार्टी के सदस्य और सभी मा0 सदस्य अपमानित हो रहे हैं। जब भी कोई समस्या लेकर हम लोग जाते हैं और शायद सत्ता पक्ष के लोग भी जब जाते हैं तो सभी अपमानित होते हैं। मान्यवर, अधिकारी मिल नहीं रहे हैं, एस0एस0पी0 और डी0एम0 के पास कोई समय नहीं है। डी0एम0 और एस0एस0पी0 के कार्यालय के गेट में ताला पड़ा हुआ है, कोई भी 10 बजे से पहले किसी भी जनप्रतिनिधि से नहीं मिलता है। मान्यवर, इतना अपमान तो शायद ही आजादी के बाद से किसी सरकार में जनप्रतिनिधियों को मिल रहा है। तो मान्यवर, यह जो शादाब फातिमा जी के साथ जो घटना घटित हुई है उसकी आप आज ही जांच करा लें और जिन अधिकारियों ने माननीय सदस्या को अपमानित किया है उनके खिलाफ कार्रवाही हो जाए, तो ज्यादा उचित होगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री जी इसका आश्वासन दे दें ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्यों के अपमान का सवाल है और यह कहा गया है कि अधिकारी नहीं मिलते हैं तो पहली बार यह सरकार बनी है जिसने सभी छोटे और बड़े अधिकारियों को इस बात के लिए विवश किया है कि 10 बजे से 12 बजे तक वह अपने कार्यालय में बैठें और केवल मा0 सदस्यों से ही नहीं बल्कि सामान्यजनों से भी मिलने के लिए उपस्थित रहें। यदि वह किसी भी तरह से अनुपस्थित पाये जाते हैं तो उन पर कार्रवाही की जाएगी, पहली बार यह फैसला हमारी सरकार ने लिया है। दूसरी बात जहां तक माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में है, जो सूचना माननीय सदस्या ने दी है, इसको मैं दिखवा लेता हूं और जो सूचना होगी उससे मैं कल सदन को अवगत करा दूंगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, जनपद इटावा में एस0एस0पी0 के यहां 10 बजे से पहले ताला पड़ा रहता है, कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या हो लेकिन वह मिल नहीं सकते। इसका मतलब तो यह हुआ कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो निर्देश दिये हैं उसका अनुपालन अधिकारी नहीं करते हैं।

गंगा जल के प्रदूषण सम्बन्धित नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से उठाने का प्रयास

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, जब यह नियमावली बनी होगी तो उस समय बहुत विद्वान सदस्यों के द्वारा सलाह-मशविरे किये गये होंगे और उसमें हमारे बड़े भाई भी सम्मिलित हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसके नियम-311 के ओर देखने की कृपा करें। इसमें लिखा हुआ है कि "नियमों का निलम्बन - कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा। ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चत की जायेगी।" मान्यवर वह आपका अधिकार है और आपको विनिश्चित करना है। मान्यवर, आज जिस विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूं उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज के अखबारों में भी है, यह ठीक है कि सदन में अखबारों का संज्ञान नहीं लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

कहां चले गये महाना जी, आपको सदन में क्या कोई अव्यवस्था दिखायी दी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैंने नियम-311 में एक प्रश्न लगाया है और आपसे मेरा निवेदन करने का अधिकार है कि आप सभी नियमों को निलम्बित करके उसको सुने। मान्यवर, इस समय गंगाजल के आचमन से अगर व्यक्ति मरने की स्थिति में है, तो यह बहुत गम्भीर स्थिति है।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, इसमें कोई व्यवस्था नहीं बनती है, कल तक सदन है आप दूसरे नियमों में लाइयेगा, मैं इसे सुन लूंगा। प्रमुख सचिव जी आप प्रस्तुत करें।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150(2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन सहित दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को इस सचिवालय में प्राप्त हुआ है, को विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150(2) के अन्तर्गत सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007, जो उत्तर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को इस सचिवालय में प्राप्त हुआ है, को विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, के नियम 150(2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को इस सचिवालय में प्राप्त हुआ है, को विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, के नियम 150(2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को इस सचिवालय में प्राप्त हुआ है, को विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 29 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं :-

पहली सूचना डा0 बकार अहमद शाह की प्रदेश की वैकल्पिक ऊर्जा का विकास कर बिजली की कमी दूर किये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री संजीव दरियाबादी की है, वह अनुपस्थित हैं। तीसरी सूचना श्री इमरान मसूद की जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट के अन्तर्गत वर्ष 2006 में स्वीकृत 40 खनन पट्टों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री प्रमोद सिंह की देवरिया के गौरी बाजार क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा पट्टी के पास दोहरी नाला पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव की वाराणसी में काशी विद्यापीठ एवं लंटिया विशुनपुर गांव की सड़कों की गुणवत्ता ठीक कराने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना डा0 अजय तोमर की जनपद बागपत के राजकीय चिकित्सालयों में

पर्याप्त एन0टी0 रैबीज इन्जेक्शन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री काशी राम की रामपुर-बरेली क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्रीमती कृष्णा राज की जनपद खीरी की मुहम्मदी कृषि मण्डी परिषद् द्वारा सड़कों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री धनीराम वर्मा की है, वह अनुपस्थित हैं। दसवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में शिक्षकों की कमी दूर करने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री राजेश कुमार की खीरी के पैला क्षेत्रान्तर्गत कुकरा से भीरा पी0डब्लू0डी0 रोड के मध्य पेण्टेड रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की, गोण्डा में सर्वशिक्षा अभियान योजनान्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मा0 विधायक के प्रस्तावों को स्वीकृत न किये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना डा0 कौशल किशोर की जनपद खीरी के माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-9 एवं 11 के छात्रों का पंजीकरण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी की जौनपुर के गड़वारा क्षेत्रान्तर्गत सई नदी पर बेसवार घाट में निर्माणाधीन पुल की गुणवत्ता ठीक न होने की जांच कराने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं :-

श्री बलि प्रसाद अवस्थी, श्री मिथिलेश कुमार, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री अब्दुल वारिस खां, श्री पूरन प्रकाश, श्री सुन्दर सिंह, श्री जसवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री अशोक कुमार कंसल, श्री सिबगतुल्ला अंसारी, श्री प्रदीप जैन आदित्य, डा0 धर्मपाल सिंह, श्री शम्भू चौधरी व श्री पंकज मलिक।

सभी स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।

प्रदेश की वैकल्पिक ऊर्जा का विकास करके बिजली की कमी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* डा0 वकार अहमद शाह-

[महोदय, मैं इस सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश की वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं। उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल बंटवारे के पश्चात हारिजेंटल माइक्रोहाइडिल प्रोजेक्ट की सम्भावनायें बहुत कम हो गयी हैं। क्योंकि झरने बंटवारे में उत्तरांचल को आवंटित है। सरयू नहर परियोजना एवं अन्य नहर परियोजनाओं में न्यूनतम वाटरफाल बनाये गये थे। किन्तु सरकार की निष्क्रियता से उन पर अब तक कार्यवाही नहीं हो पायी है। सबसे ज्यादा नहरें जनपद बहराइच में हैं जो 12 माह 6 माह व तीन माह तक चलती हैं। आजादी के इतने लम्बे अन्तराल के बाद आज भी इस पर कार्यवाही कर पूर्व से बनाये गये वाटरफाल पर माइक्रोहाइडिल प्रोजेक्ट नहीं बना रही है जबकि इसको वित्त पोषण भारत सरकार की वैकल्पिक ऊर्जा विभाग द्वारा करना है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बंटवारे से झरनों के उत्तरांचल आवंटित हो जाने से अब केवल वर्टिकल फ्लोट प्लेटॉर्म माइक्रोहाइडिल प्रोजेक्ट की सम्भावना, जिस पर आज चीन राष्ट्र अमल कर ऊर्जा निर्भर ही नहीं लघु उद्यमियों को निःशुल्क ऊर्जा प्रदान कर विश्व के अग्रणी मार्केट में शामिल हो चुका है, रह गयी है। लेकिन यह निष्क्रिय सरकार जनता के मूलभूत आवश्यकता को नजर अंदाज कर प्रदेश को सैकड़ों वर्ष विकास की गति में पीछे छोड़ रही है। बिजली के लिये त्राहि-त्राहि मची है और अगर मिलती है तो मंहगी से मंहगी। यदि चीन की भांति वर्टिकल फ्लोट प्लेटॉर्म माइक्रोहाइडिल प्रोजेक्ट व माइक्रोहाइडिल प्रोजेक्ट उपलब्ध वाटरफाल नहरों पर स्थापित कर दिये जायें तो बिजली उत्पादन से जनता की बिजली कमी दूर होगी तथा प्रदेश ऊर्जा में आत्म निर्भर ही नहीं बनेगा दूसरे प्रदेशों की आपूर्ति में भागीदारी तथा जल जो मूल स्रोत हैं के निःशुल्क मिलने से बिजली दर बहुत ही कम तथा अल्प समय में उत्पादन लागत शून्य हो जायेगी।

उपरोक्त प्रकरण में सदन में तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट के अन्तर्गत वर्ष 2006 में स्वीकृत 40 खनन पट्टों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री इमरान मसूद-

[मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 22-12-06 द्वारा जनपद सहारनपुर के तहसील बेहट के अन्तर्गत वर्ष 2006 में स्वीकृत किये गये 40 खनन पट्टों में यह मतव्य व्यक्त किया है कि जिस आवेदक के पक्ष में अधिमान निर्धारण कर पट्टे दिये गये थे उनके अभिलेख अन्य आवेदकों की तुलना में अधिमान निर्धारण के समकक्ष नहीं थे तथा पर्याप्त एवं संतोषजनक नहीं थे तथा सी0डी0ओ0 को खनन पट्टा स्वीकृत करने का अधिकार नहीं था। मा0 न्यायालय ने ऐसे स्वीकृत 40 खनन पट्टे क्षेत्रों में से मात्र याचिकाओं से सम्बन्धित 16 खनन पट्टा क्षेत्रों पर उक्त आदेश का प्रभाव होना बताया गया है जबकि शेष 25 खनन पट्टा भी मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 22-12-2006 के अनुसार ही है। मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 22-12-2006 के अवधारणा के अन्तर्गत सभी क्षेत्र सी0डी0ओ0 द्वारा स्वीकृत की गई है जो नियम विरुद्ध है। खनन का पट्टा चुगान हेतु दिया गया था परन्तु पट्टा धारकों द्वारा चुगान के स्थान पर बड़े पैमाने पर जे0सी0बी0 मशीनों द्वारा अवैध तरीके से खुदान कराया जा रहा है। जिससे नदियों का स्वरूप बिगड़ गया है। पर्यावरण को भयंकर खतरा हो रहा है। पट्टे धारकों द्वारा एम0एम0 11 (निर्धारित) पर बोर्ड बहान के प्रकार की पम्पिंग नहीं हो रही है न ही खनन की मांग अंकित की जा रही है जिससे शासन को प्रतिदिन लाखों रुपये की हानि हो रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यानाकर्षण चाहता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

देवरिया के गौरी बाजार क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा भरथा पट्टी के पास दोहरी नाला पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री प्रमोद सिंह-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र गौरी बाजार जनपद देवरिया में विकास खण्ड-देसही देवरिया क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम सभा भरथा पट्टी के पास दोहरी नाला पर देश की आजादी से लेकर आज तक पुल नहीं बना है। दोहरी नाला सैकड़ों गांव यातायात मार्ग से जुड़े हैं। यहां के स्थानीय लोगों को लगभग 10 कि0मी0 की दूरी तय करके जाना पड़ता है। जनहित में पुल निर्माण नितान्त आवश्यक है। पुल न होने से किसानों, छात्रों, यात्रियों, व्यापारियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। पुल न होने से क्षेत्रीय जनता, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य जिला पंचायत सदस्यों में रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के तत्कालिक अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम सभा भरथा पट्टी के पास दोहरी नाला पर पुल बनवाने की अविलम्ब मांग करता हूं।]

वाराणसी में काशी विद्यापीठ एवं लठिया विशुनपुर गांव की सड़कों की गुणवत्ता ठीक कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

[महोदय, इस समय प्रदेश में अम्बेडकर ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण हो रहा है, जो वास्तव में विकास की दिशा में एक सही कदम है। टूटे-फूटे, जर्जर सड़कों का निर्माण, गांव की खुशहाली का अंग होता है। लेकिन निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जितनी निन्दा किया जाय वह कम है। काशी विद्यापीठ, वाराणसी के लठिया और विशुनपुर गांव की सड़क पर बिछी गिट्टी को पैर से ठोकर देने की जरूरत नहीं, हाथ से ही उठाया जा सकता है। नई निर्मित सड़कों की हालत यह है कि किसी भी सड़क पर चले जाइये, गाड़ियों के पहियों के साथ सड़क पर बिछी नई गिट्टी हवा में उड़ रही है। शिकायत करने पर अधिकारीगण जवाब देते हैं कि क्या करें समीक्षा बैठक के पहले हमें यह कार्य कर डालना है। इस प्रकार विकास के नाम पर जनता की गाढ़ी कमाई का वारा-न्यारा हो रहा है।

अतः जनहित में सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह मांग करती हूं कि सरकार तत्काल इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये और सड़कों की गुणवत्ता के स्तर को ऊंचा करने की तत्काल व्यवस्था करे, जिससे जनता के पैसों का उचित उपयोग हो।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बागपत के राजकीय चिकित्सालयों में पर्याप्त एण्टी रेबीज इन्जेक्शन, उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 अजय तोमर-

[जनपद बागपत के जिला चिकित्सालय में बड़ौत, छपरौली के उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एण्टी रैबिज इंजेक्शन की उपलब्धता सुचारु रूप से नहीं है। जनपद का अधिकतर हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र है। किसान मजदूर बहुत गरीब है तथा कुत्ते, बिल्ली, बन्दर, गीदड़ आदि तमाम जानवरों के काटने पर इसकी सुरक्षा हेतु लगायी जाने वाली औषधि बाजार में बहुत महंगी है। तथा राजकीय चिकित्सालयों पर सुलभता से उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस कारण गरीब व्यक्ति इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं। जिससे उनके मृत्यु का डर बना रहता है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत कर जनपद ब्रागपत में एण्टी रैबिज सुई उपलब्ध कराने की सरकार से मांग करता हूं।]

रामपुर-बरेली क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री काशीराम-

महोदय,

[जनपद रामपुर बरेली मार्ग से शंकरपुर पटवाई मार्ग पर ग्राम दीनपुर मनकरा हरियाल पटरिया व नदनऊ में बहुत ही जीर्ण-शीर्ण है। उक्त गांव में सड़क पर 2 से 3 फिट तक गडढे में पानी भी भरा रहता है। इसमें अधिकांश भाग में मच्छर भी पैदा होते रहते है। जिससे गांव में मलेरिया भी फैल रहा है। गन्दे पानी में तांगा पलटने से 1 घोड़ा व 1 आदमी की मौत भी हो चुकी है। और भी घटनायें मनकरा गांव में हो चुकी है। आवागमन बन्द ही हो रहा है। जिससे जनता में रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये रामपुर बरेली मार्ग में अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद खीरी की मोहम्मदी कृषि मण्डी परिषद् द्वारा सड़कों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती कृष्णाराज-

महोदय,

[खीरी जनपद के मोहम्मदी कृषि मण्डी परिषद् द्वारा सड़क निर्माण के कार्य नहीं कराये जा रहे हैं। किसानों को अपनी फसल मण्डी तक लाने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जबकि उपरोक्त मण्डी परिषद् के पास किसानों का पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध है। अनेक बार प्रस्ताव देने के बाद भी सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है जिसके कारण किसानों तथा व्यापारियों में रोष व्याप्त हैं मण्डी परिषद् द्वारा निम्न सड़कों का निर्माण तत्काल कराये जाने की आवश्यकता हैं विकास खण्ड-मोहम्मदी में ग्राम मढ़ैया से वैनी होते हुये वेलहारा तक, ग्राम शिव नगरा से ग्राम हरिहरापुर तक,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

छोलावारी से बहेड़ा होते हुये अजीतपुर तक, बगरेठी से रछेला वाजिदपुर तक। विकास खण्ड-पसगंवा में गौहनिया आलम से गौहनिया सुखई तक, मैगलगंज से पिपरी तक, मैगलगंज से ग्राम चौखड़िया तक, एकघरा गांव से बीरमपुर होते हुये मोहम्मदीनपुर तक सड़कों का निर्माण जनहित में उपरोक्त मण्डी परिषद् से कराया जाना अत्यावश्यक है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाते हुये सड़कों के निर्माण हेतु निर्देश देने की मांग करती हूं।]

वी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज के शिक्षकों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[महोदय, बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज में शिक्षकों की कमी एक सर्वमान्य एवं सर्वविदित तथ्य है। शासन में बैठे अधिकारी लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में 2-3 वर्ष लग जाते हैं। कोई भी चिकित्सक लोक सेवा आयोग में आवेदन करने के उपरान्त, नियुक्ति पाने के लिये 2 वर्ष तक घर बैठ कर इन्तजार नहीं कर सकता है। इस बीच में या तो वह कहीं और नौकरी करने लगता है अथवा प्राईवेट प्रैक्टिस जमा लेता है और मेडिकल कालेज की नियुक्ति पाने पर भी उसे ज्वाइन नहीं करता है।

प्रशासनिक अधिकारियों के समझ में यह बात नहीं आती कि सामान्य शिक्षकों और चिकित्सक शिक्षकों की नियुक्ति में एक जैसे नियम नहीं बनाये जा सकते हैं। वैसे भी चिकित्सीय शिक्षकों के समकक्ष कहे जा सकने वाले विश्वविद्यालयी शिक्षकों की नियुक्तियां विश्वविद्यालय स्वयं करते है, वे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की भरती नहीं करते हैं। मेडिकल कालेजों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिये अलग से एक पृथक चिकित्सीय शिक्षक चयन नियमावली बना करके या तो उन्हें कैम्पस इण्टरव्यू के माध्यम से सीधे नियुक्त किया जाना चाहिये अथवा मेडिकल विश्वविद्यालय चयन आयोग के माध्यम से त्वरित नियुक्तियां दी जानी चाहिये।

शिक्षकों की कमी का दूसरा त्वरित तरीका, प्रान्तीय चिकित्सा सेवा एवं स्वास्थ्य संवर्ग के उन चिकित्सकों को जो मेडिकल कालेज में शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता रखते हैं, उन्हें सीधे मेरिट के आधार पर मेडिकल कालेजों में स्थायी रूप से स्थानान्तरित करके चिकित्सक शिक्षक बना देने का है। पी0 एम0 एस0 के चिकित्सक लोक सेवा आयोग का साक्षात्कार दे चुके होते हैं, अतः उन्हें दोबारा साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं होगी। किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में कई गैर-शिक्षक मेडिकल आफिसर्स के पद पर कार्यरत चिकित्सकों को चिकित्सक शिक्षक बनाया जा चुका है। पी0 एम0 एस0 संवर्ग में ऐसे स्थानान्तरण से आई कमी को लोक सेवा आयोग से पूरा कराया जा सकता है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के तहत स्वीकार करें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खीरी के पेला क्षेत्रान्तर्गत कुकरा से भीरा पी0 डब्लू0 डी0 रोड के मध्य पेण्टेड रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेश कुमार-

महोदय,

मेरी विधान सभा क्षेत्र-53 पैला खीरी के विकास खण्ड-बांकेगंज की तहसील-गोला जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत ग्राम-कुकरा से भीरा पी0 डब्लू0 डी0 रोड लम्बाई लगभग 4 कि0 मी0 के मध्य पिच रोड न होने के कारण राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क, तहसील मुख्यालय, जिला अस्पताल तथा रेलवे स्टेशन आने-जाने में क्षेत्रीय जनता को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रीय जनता के आवागमन हेतु मार्ग न होने के कारण क्षेत्रीय जनता में अत्यन्त रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कुकरा से भीरा पी0 डब्लू0 डी0 रोड के मध्य पेण्टेड रोड के निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।

गोण्डा में सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा माननीय विधायक के प्रस्तावों को स्वीकृत न किये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर,

[आपको सादर अवगत कराना है कि सर्वशिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में वर्ष 2007-08 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोण्डा द्वारा प्राथमिक विद्यालय एवं जू0 हा0 स्कूल के खोलने एवं भवन निर्माण के लिये जनपद के सभी माननीय विधायकों एवं सांसदों से प्रस्ताव मांगे गये थे। उसी के परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा भी विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत भवन निर्माण एवं विद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव दिया गया था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोण्डा द्वारा मेरे प्रस्तावों को नहीं स्वीकार किया गया जबकि वह मानक के अनुसार थे और सभी लोगों के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया एवं कार्य भी प्रारम्भ करा दिया गया है। मेरे द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोण्डा से जानकारी चाही कि मेरे प्रस्तावों को क्यों नही लिया गया, इस पर उनके द्वारा कोई उचित उत्तर नहीं दिया गया। मेरे द्वारा मुख्य विकास अधिकारी गोण्डा को भी अवगत कराया गया परन्तु अभी तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। मेरे क्षेत्र में अन्य लोगों से प्रस्ताव लिया गया जो मानक के विपरीत हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने निजी स्वार्थ में मेरे क्षेत्र के विद्यालयों को स्वीकृत नहीं किया गया। मेरे प्रस्तावों को किन परिस्थितियों में नहीं लिया गया इसकी जांच एवं कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद खीरी के माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 एवं 11 के छात्रों का पंजीकरण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 कौशल किशोर-

[मान्यवर, इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कुछ कालेजों में कक्षा 9 व 11 के छात्रों के पंजीकरण फार्म विलम्ब से प्राप्त हुये थे। फलतः पंजीकरण अब तक नहीं हो सका। ऐसे छात्र पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग एक लाख तीस हजार हैं। कुल कालेजों में कक्षा 9 व कक्षा 11 दोनों का पंजीकरण नहीं हुआ है और कुछ में केवल एक का ही पंजीकरण नहीं हुआ है। जनपद लखीमपुर में भी ऐसे चार कालेज हैं जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है। ऐसे छात्रों का भविष्य अधर में है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

जौनपुर के गड़वारा क्षेत्रान्तर्गत सई नदी पर बेसवार घाट पर निर्माणाधीन पुल की गुणवत्ता की ठीक न होने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

[विधान सभा गड़वारा में सुजानगंज ब्लाक में सई नदी पर बेसवार घाट का पुल स्वीकृत पिछले 2 वर्ष से है। सुल्तानपुर खण्ड द्वारा कार्य किया जा रहा है। गुणवत्ता अत्यन्त खराब है। मेरे संज्ञान में है कि इसे सुल्तानपुर से स्थानान्तरित करके वाराणसी खण्ड को दिया गया। जिसे गुणवत्ता खराब होने के कारण वाराणसी खण्ड ने मना कर दिया, जिसके कारण कार्य बंद है।

कृपया इसकी जांच करके तत्काल जनहित में पुल बनवाया जाय।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 5 दिसम्बर, 2007 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 8 सूचनाएं प्राप्त हुईं :-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करने पर थाना शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद की पुलिस द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 को नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृत कार्यवाही की जानकारी माननीय सदस्य को निर्धारित समय के भीतर न दिये जाने के सम्बन्ध में।

तीसरी सूचना डा0 राजेन्द्र सिंह की वर्ष में 90 दिन व दो माह के अन्तराल पर 10 उपवेशनों के लिए विधान सभा के सत्र न बुलाये जाने के सम्बन्ध में।

चौथी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की माननीय सांसदों एवं विधायकों के पत्रों के निस्तारण हेतु शासन द्वारा अलग से व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पांचवी सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, डा0 अजय तोमर, मो0 वारिस अली खां की प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई, बिजली, खाद एवं बीज आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

छठी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ स्थित रानी लक्ष्मी बाई राजकीय चिकित्सालय के निर्माण कार्य के सन्दर्भ में सदन में त्रुटिपूर्ण उत्तर देने के सम्बन्ध में।

सातवीं सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की भूतपूर्व माननीय विधायकों के निधनोपरान्त राज्य कर्मचारियों की भांति पारिवारिक पेंशन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

आठवीं सूचना श्री राम बिशुन आजाद की जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में प्राथिमिक स्वास्थ्य केन्द्र मसकनवा कों उच्चीकृत करने के सन्दर्भ में सदन में भ्रामक उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करते हुए थाना शिकोंहाबाद, जनपद फिरोजाबाद की पुलिस, द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

अध्यक्ष जी मैं बहुत दुख और वेदना के साथ इस प्रश्न को उठा रहा हूं। आप स्वंय जहां पर पीठासीन हैं आपकी पीठ के ऊपर उस राष्ट्रपिता का चित्र लगा हुआ है जो अगर नहीं होते तो यह देश कभी आजाद नहीं होता। आज बहुत से वंचित समाज के लोग थे उनको अधिकार न मिले होते। आज महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग पर चलकर न जाने कितने अफ्रीकी और लेटिन अमेरिका देश आजाद हो रहे हैं। उन्हीं के देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं। मेरी विचारधारा, मेरे दल की विचारधारा बहुत स्पष्ट है। किसी पर आस्था हो सकती है एक से ज्यादा महापुरुषों का सम्मान किया जा सकता है लेकिन किसी महापुरुष का सम्मान करने और किसी दूसरे महापुरुष का अनादर करने का अधिकार किसी को नहीं होता है। ऐसी ही घटना जनपद फिरोजाबाद में शिकोहाबाद में हुई। वहां पर एक कार्यक्रम चल रहा था धर्मार्थ बापू आयोग संस्थान द्वारा यह कार्यक्रम किया गया था खादी ग्रामोद्योग जिसके लिए राष्ट्रपिंता महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि खादी मेरे प्राणों में बसती है खादी के बिना मेरा जीवन अधूरा है इस कार्यक्रम में एक राज्य मंत्री का स्तर प्राप्त श्री दयाराम सेन जी गए। वहां पर एक अन्य महापुरुष का चित्र भी लगा था मैं चाहता हूं कि आप भी ध्यान दें और सम्पूर्ण सदन ध्यान दे। उन्होंने पहुंचते हीं आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि इस बुढ्ढे का चित्र यहां कैसे लगा हुआ है जब तक यह चित्र रहेगा मैं मंच पर नहीं बैठूंगा। मान्यवर, उन्होंने वहां पर बहुत ही अभद्र तरीके से बर्ताव किया। मुझे शर्म आती है जब इस देश में ऐसे लोग मौजूद हैं जो राष्ट्रपिता का सम्मान नहीं कर सकते हैं ऐसे लोगों को पदों को छोड़ देना चाहिए उनके लिए सभ्य समाज में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उनको सभ्य समाज में रहने का अधिकार नहीं है उनकी जगह अगर कही हो सकती है तो वह जंगल में हो सकती है, या जेल के अन्दर हो सकती है। सभ्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समाज में ऐसे लोग नहीं रह सकते हैं उन्होंने वहां पर महात्मा गांधी के बारे में बहुत ही अनर्गल प्रलाप किया। राष्ट्रपिता किसी के प्रमाण-पत्र के मोहताज नहीं है कोई मानसिक रूप से दिवालिया व्यक्ति अगर महात्मा गांधी के खिलाफ अपमान जनक शब्दों का प्रयोग करेगा तो इससे उनकी प्रतिष्ठा गिरने वाली नहीं है। अगर राष्ट्रपिता के खिलाफ कोई व्यक्ति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेगा तो यह उसके मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है। बीमार मानसिकता का प्रतीक है। इस पर रोक लगनी चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

सूचना का आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष-

सूचना का आधार दूसरा है प्रवचन दूसरा चल रहा है।

श्री प्रमोद तिवारी-

चूंकि संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं चाहता था कि शायद वे संवेदनशीलता का परिचय देंगे लेकिन उन्होंने अपने तकनीकी ज्ञान का परिचय दिया। इस सूचना का आधार वहां पर उपस्थित कांग्रेस के कार्यकर्ता और इस कार्यक्रम के संयोजक और सुन लीजिये एक वीडियो टेप रिकार्ड, वीडियोफोटोग्राफी जिसमें कैद है माननीय राज्य मंत्री द्वारा कही गयी वाणी, उनका चित्र और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिये कहे गये अपमानजनक शब्द। मैं तो यह समझता था कि शायद इस संवेदनशील विषय पर सरकार संवेदनशील होगी और सरकार मुझसे प्रमाण न मांग कर प्रमाण उस व्यक्ति से उसके मानसिक दिवालियेपन का मांगेगी। मान्यवर, आपको अपनी नेता से सबक लेना चाहिए। मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि उनको प्रताड़ित किया गया बैठक में बुलाकर उनके खिलाफ कहा गया कि उन्हें महात्मा गांधी का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए था। उनके खिलाफ रोष प्रकट किया और माननीय मंत्री जी आप यहां पर बैठकर मुझसे प्रमाण मांग रहे हैं। मान्यवर, यही प्रवृत्ति ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है। इसकी मैं निन्दा करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उसके बाद जब तक महात्मा गांधी के चित्र को मंच से हटवा नहीं लिया गया।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना के तथ्य पर आइये। जो तथ्य है उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं इसकी पृष्ठभूमि कह रहा हूं। इसके आगे आ रहा हूं। मान्यवर, इस सूचना का उद्देश्य इस सूचना का तथ्य यह है कि महात्मा गांधी का अपमान हुआ है। मान्यवर, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ धरना प्रदर्शन माननीय दिग्विजय सिंह भूतपूर्व मुख्य मंत्री जो 10 वर्षों तक मध्य प्रदेश की मुख्य मंत्री रह चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर की हमारी नेता सुश्री रीता बहुगुणा जोशी भी हमारे साथ थीं और हमारे साथी प्रदीप माथुर भी हमारे साथ थे। हमने अनुरोध किया कि भारतीय दण्ड संहिता प्रक्रिया के अन्तर्गत हमारा अधिकार भी है और एक निर्वाचित सदस्य अगर जाकर कहे कि यह घटना घटित हुई है तो उस रिपोर्ट को लिख लेना चाहिए अगर सही है तो जिसके विरुद्ध रिपोर्ट है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और अगर रिपोर्ट असत्य है तो जैसा भारतीय दण्ड संहिता में प्राविधान है उसके अनुसार गलत सूचना देने वाले के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए। मान्यवर, हमने तीनों विकल्प

दिये। मेरे साथ प्रदीप माथुर जी थे हम लोगों को शिकोहाबाद कोतवाली में तीन घण्टे तक रखा गया। मान्यवर, मैं कह रहा हूं तो इसको सूचना का आधार माना जाना चाहिए। यदि कोई सदस्य सदन में कुछ कहता है तो यह सदन की परम्परा रही है कि उसको सत्य माना जाता है जब तक कि वह असत्य न प्रमाणित हो जाय। मान्यवर, तीन घण्टे निर्वाचित सदस्यों के अनुरोध के बाद भी उनकी एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी। एक राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष को लगातार यह अनुरोध करना पड़ा कि आप इसको पंजीकृत कर लें और फिर जांच करा लें हमने यह कहा है कि जांच के बाद यदि यह गलत पाया जाय तो जो सूचना देने वाले हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। मान्यवर, तीन घण्टे तक सूचना नहीं लिखी गई। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक आये और कहा कि हमारी मजबूरी है हम नहीं लिख सकते। मान्यवर, इस सदन में आप एक तरफ खड़े होकर कहते हैं तीन साल पुरानी घटना की भी एफ0आई0आर0 लिखी जायेगी और मान्यवर, विधान सभा में मैं आपके सामने खड़ा होकर कह रहा हूं कि तीन घण्टे तक बैठे रहने के बाद भी आपके राज्य में हमारी एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गई। मान्यवर, जिलाधिकारी आये, पुलिस अधीक्षक आये और उन्होंने कहा कि मजबूरी है। हमने कहा कि अगर मजबूरी है तो हम तब तक नहीं जायेंगे जब तक हमारी एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जायेगी। उन्होंने कहा कि हमको गिरफ्तार करना पड़ेगा आपको। हमने कहा कर लीजिये। मुझे प्रदीप माथुर जी को गिरफ्तार करके 11-12 बसों में बैठालकर शिकोहाबाद से फिरोजाबाद लाया गया। जेल के सामने बैठा दिया गया और 4 घण्टे हम जेल में बैठे हैं हम लोगों की सूची बनाई गई और सूची बनाने के बाद रात में 9 बजे हमको यह कह कर छोड़ दिया गया कि अब जेल में और जगह नहीं है। मैं तीन बातें आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक तो विधायक के रूप में अपने अधिकार की बात करता हूं कि क्या मुझे यह अधिकार नहीं है कि एक घटना के बारे में एक एफ0आई0आर0 लिखा सकूं। दूसरी मैं आपके अधिकार की बात करता हूं कि जब हमें निरुद्ध किया गया और फिरोजाबाद तक लाया गया और हम बन्दी रहे उसकी सूचना आपको दी गयी। अगर नहीं दी गयी तो नियमावली के नियम-80 का अवलोकन करने की कृपा करें। जो कहता है और मैं चाहता हूं इसका ब्रीच कैसे हुआ और अगर ब्रीच हुआ तो यह अपमान मेरा नहीं सम्पूर्ण सदन का अपमान है। मान्यवर, नियम-80 देखें :- 'जब कोई सदस्य किसी दोषारोपण या किसी दण्ड अपराध के लिए बन्दी किये जायं या उन्हें किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश किया जाय..।' इसके आगे वाला देखें- 'या किसी कार्यपालिका के आदेश, कार्यपालिका में डी0एम0 भी आते हैं एस0पी0 भी आते हैं कोतवाल भी आते हैं, सी0 ओ0 भी आते हैं, के अन्तर्गत निरुद्ध किया जाय, निरुद्ध मान्यवर, शब्द जेल के अन्दर जाने का नहीं होता है। निरुद्ध तो आप कहीं पर किसी स्थल पर किसी को निरुद्ध कर सकते हैं और मान्यवर हमको शिकोहाबाद कोतवाली में निरुद्ध किया गया, हम फिरोजाबाद जेल के सामने निरुद्ध किया गया और आपको सूचना नहीं दी गयी, तो यह तो नियमावली का ब्रीच हुआ। इसकी भी अगर सूचना का स्रोत आप जानना चाहते हैं तो इस सूचना का स्रोत प्रमोद तिवारी हैं जो इस विधान सभा का सदस्य है। मेरे साथ घटना घटित हुई है अब मैं इस पर सरकार से जवाब चाहता हूं अगर सरकार इस पर जवाब नहीं देती है और इस पर कार्यवाही नहीं करती है रिपोर्ट नहीं लिखाती है तो मानूंगा कि यह सरकार महात्मा गांधी का अपमान करने वालों को लाइसेंस दे

रही है। यह सरकार महात्मा गांधी के प्रति सम्मान नहीं प्रदर्शित कर सकती है। मैं समझूंगा कि दो विधान सभा के मेरे जैसे वरिष्ठ सदस्य और तीन बार चुनकर आए प्रदीप माथुर के निरुद्ध करने की आदेश को भी आप तक सूचना नहीं दी गई फिर हमारी रिहाई की भी सूचना नहीं दी गई और हमें बस पर बैठालकर ले जाया गया शिकोहाबाद से फिरोजाबाद तक, उसकी सूचना नहीं दी गई तो मैं इसके औचित्य पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि सरकारें बनती हैं और बिगड़ा करती हैं न जाने कितनी सरकारें आई हैं और जायेंगी लेकिन महात्मा गांधी का अपमान करके और महात्मा गांधी का अपमान करने वालों को अगर बचाने का प्रयास किया जाएगा तो न जाने कितने जुल्म उठाने वाले इतिहास की ठोकर बन गए हैं और यह सरकार भी ठोकर बन जाएगी अगर महात्मा गांधी का इसने अपमान किया और अगर मेरे जैसे सदस्य को तीन घण्टे निरुद्ध करने के बाद भी सूचना न दी जाए और एफ0आई0आर0 भी न लिखी जाए तो संसदीय कार्य मंत्री जी यह मेरे ही नहीं आपके भी सोचने का विषय है। क्या मेरे द्वारा एफ0आई0आर0 लिखाने पर भी अगर एफ0आई0आर0 न लिखी जाए उसके बाद भी आप कोई जवाब देना चाहते हैं आप दीजिए जवाब।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें।

* श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं इसं बात को रखना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार सभी महापुरुषों का सम्मान करती है और विशेष रूप से महात्मा गांधी जी का जिन्होंने आजादी के आन्दोलन में अग्रणीय भूमिका निभाने का काम किया है उनका हम सम्मान करते हैं। उनके अपमान का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने बड़े अच्छे ढंग से असत्य बात को सत्य साबित करने का प्रयास किया। मान्यवर, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से सफाया हो गया। माननीय तिवारी जी और इनके नेता अपना आधार तलाशने में लगे हुए हैं और इसलिए निरर्थक बातों को असत्य बातों को अच्छे ढंग से इसको उठाकर असत्य को सत्य साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर शिकोहाबाद में महात्मा गांधी के अपमान की कोई घटना नहीं हुई। जिस घटना का मा0 तिवारी जी ने चर्चा किया है वह कल्पना पर आधारित और अखबारों पर, असत्य पर आधारित सूचना है। मा0 श्री दयाराम को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नहीं है। फिर भी उनके द्वारा भी कोई इस तरह का महात्मा गांधी के अपमान की घटना नहीं की गई है। जब इस तरह की कोई घटना हुई ही नहीं तो माननीय तिवारी जी मा0 दिग्विजय सिंह जी, मा0 प्रदीप माथुर जी वहां थे ही नहीं, जहां की घटना का जिक्र कर रहे हैं और लखनऊ में रहते हुए जाकर केवल असत्य पर आधारित सूचना की रिपोर्ट लिखाना चाहें, मान्यवर, मैं भी नहीं जानता कि ऐसा कोई कानून या नियम है कि हम लखनऊ में हैं,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम वहां पर हैं ही नहीं, जहां घटना हो रही है और हम यहां पर बैठकर उसकी रिपोर्ट लिखायें। तो जब घटना नहीं हुई है तो इस तरह की कोई बात ही नहीं है, और महात्मा गांधी जी के अपमान का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इस तरह की चाहे जितनी असत्य बातों को सत्य साबित करना चाहें, उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और फिर अब कांग्रेस आने वाली नहीं है। मान्यवर, जहां तक मा0 तिवारी जी को निरुद्ध करने का सवाल है, मैं इस बात को दिखवा लूंगा अगर इनको निरुद्ध किया गया था और उसकी सूचना अब तक नहीं आयी है, उसकी सूचना आपको नहीं दी गयी है, अगर निरुद्ध किया गया था तो निश्चित रूप से उसको हम दिखवा लेंगे और उस पर कार्यवाही होगी। जहां तक इस प्रश्न का नियम-300 के अन्तर्गत आने का सवाल है, मान्यवर, आप भी बखूबी जान रहे हैं, मा0 तिवारी जी भी जान रहे हैं, मा0 सभी सदस्य जान रहे हैं, नियम-300 के अन्तर्गत यह सूचना कहीं से दूर-दूर तक भी नहीं आती है, इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि इसे आप अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने नियम-300 की इस सूचना पर मा0 प्रमोद तिवारी जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे मजबूर न करें, मुझे विवश न करें जो मैंने कभी जीवन में नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष-

ऐसी उम्मीद ही नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा एक आग्रह है, मान्यवर, मुझे दुख है कि जितने गम्भीर विषय को मैंने उठाया था और जितने सतही ढंग से जवाब आया है, जवाब में तो कांग्रेस का सफाया हो गया है, मुझे क्षमा करेंगे, रोज आप केन्द्र सरकार से जब कुछ मांगते हो तो वहां कांग्रेस की ही सरकार है, इस देश से सफाया कांग्रेस का नहीं हुआ है और एक प्रदेश में आकर अगर इतना अहंकार आपको है तो इतना याद रखिएगा, अहंकारी का जीवन बहुत लम्बा कभी हुआ नहीं करता है और आपका भी नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपसे और दूसरी बात मान्यवर, यहां बात मेरे निरुद्ध होने और न होने की थी, यहां कांग्रेस की बात नहीं थी। कांग्रेस को आपको नहीं लाना चाहिए था, कांग्रेस को आप लेकर आए हैं कि कांग्रेस का सफाया हो जाए इसलिए मुझको कहना पड़ता है, आपसे और आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस बात को जिस तरह से आपको कहना चाहिए था, संसदीय कार्य मंत्री जी, उस ढंग से नहीं कहा। विषय कहीं था, उत्तर आपका कहीं गया। आज मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं, मैं विधान सभा का सदस्य हूं, मैं कह रहा हूं कि मुझे निरुद्ध किया गया, शिकोहाबाद में, मुझे निरुद्ध करके ले जाया गया फिरोजाबाद, किस सूचना की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं; कौन सी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहता हूं, आपके विवेक को, आपकी गरिमा को मैं चुनौती देता हूं, कौन सा सबूत चाहिए

आपको, मैं इस सदन में यह सबूत दे रहा हूँ, क्या आधार है, मंत्री जी का, एक दरोगा का बयान ? क्या सदस्य यहां कहेंगे, उसके बाद उसकी आप जांच करवायेंगे ? अरे, दृढ़ता तब होती जब आप यहीं खड़े होकर कहते कि जिस अधिकारी ने किया है, उस अधिकारी को, हम निलम्बित करते हैं। इसकी घोषणा आपको यहां करनी चाहिए थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, मैं उन लोगों में हूं जो बात कहता हूं, सुन लेता हूं। लेकिन महात्मा गांधी के अपमान पर कहा गया कि दयाराम सेन को राज्य मंत्री का स्तर नहीं प्राप्त है, मैं आपकी बात मानता हूं लेकिन यदि राज्य मंत्री का स्तर बताते वह घूम रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा आप कायम करायेंगे ? मैं अपने राजनीतिक जीवन के अनुभव के आधार पर एक चुनौती देता हूं, मंत्री जी को अगर स्वीकार करना हो तो कर लें। अगर मैं इनको वह टेप न दे दूं जिसमें उन्होंने गांधी जी का अपमान किया है तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा, वरना मंत्री जी को चुनौती है अगर आप में साहस हो तो आप इस्तीफा देकर इस विधान सभा में घोषणा कर दो। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मैं टेप देता हूं जिसमें दयाराम जी ने महात्मा गांधी का अपमान किया है। मैंने शिकोहाबाद में जाकर देखा है और सुना है। आपमें साहस हो तो उठकर सदन में कहिये कि मैंने आप जैसे वरिष्ठ सदस्य की सूचना को गलत कहा है इसलिए गलत साबित होने पर मैं इस्तीफा दूंगा और अगर नहीं दे सकते हैं तो इस बात को कार्यवाही से निकाल दीजिये। है अगर साहस तो मैं चुनौती देता हूं कि महात्मा गांधी जी के नाम पर दोबारा चुनाव लड़ लूंगा। अहंकार में डूबकर अगर कोई मंत्री ऐसी बात करता है तो यह विवेक पर प्रश्न खड़ा होता है। मैं बहुत विनम्रता के साथ अपनी बात करता हूं, लेकिन जिस ढंग से आपने इसको उड़ा दिया कि ऐसी घटना नहीं हुई है, कब मैं वहां पर गया नहीं था ? आप कह रहे हैं कि लखनऊ में बैठकर घटना देखी है, तो मैंने कब कहा था कि घटना देखी है। मैंने तो आपको यह बताया था कि जब यह घटना घटित हुई तो हम लोग वहां पर प्रदर्शन धरना देने गये थे। शिकोहाबाद में रिपोर्ट जब लिखाने गये थे, तो सी0आर0पी0सी0 में एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को यह अधिकार नहीं है कि हम अपनी रिपोर्ट लिखा सकें ? और अगर हम रिपोर्ट लिखाते और गलत रिपोर्ट लिखाते तो जिस शख्स ने देखा था, महानगर का अध्यक्ष, उसके खिलाफ कार्यवाही कर लेते। आपने कार्यवाही नहीं किया। मान्यवर, यह हमारे निर्वाचित विधायक अशोक जी वहां पर थे, मैं इनको अपनी गवाही में पेश करता हूं। यह सदन आज फैसला कर दे। महात्मा गांधी के अपमान करने वालों को अगर बचाने की कोशिश हो रही है तो इस सदन को चलाने का औचित्य नहीं है। और कुछ करिये या न करिये, भारी दिल से मैं बता देना चाहता हूं कि उस चित्र को हटा दीजिये जहां ऐसे असत्य भाषण सुनने से वह बच तो जायें।

श्री अध्यक्ष-

सबका सम्मान कर रहे हैं। आप बैठ जायें। पूरी बात आ गयी है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, सदस्य अशोक जी बैठे हैं आप इनकी बात सुन लें।

श्री अशोक यादव-

मान्यवर, यह घटना बिल्कुल सत्य है। मैं शिकोहाबाद से एम0एल0ए0 हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायें।

(कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

आप वापस चलें। नियम-300 की सूचना में मैंने पूरा मौका दिया है। जबकि इसमें सुना नहीं जाता है लेकिन मैंने फिर भी सुना है। आप लोग जायें। मैंने इसको अग्राह्य कर दिया है। आगे महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं सुरेश कुमार खन्ना जी आदि की। माननीय तिवारी जी आप अपने सदस्यों को वापस बुला लें। काहे एक-एक करके भेज रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अगर आप इनको निष्कासित भी कर दें पूरे सत्र के लिए तो मैं तैयार हूं। और थोड़ी देर बाद मैं खुद वहां पर आऊंगा।

श्री अध्यक्ष-

आप से ज्यादा उन्होंने गांधी जी को माना है, आपसे ज्यादा वह सम्मान करते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जिस सस्ते ढंग से लिया गया है और जिस अहंकार से बोला गया है यह सदन की भाषा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कह दिया है कि वह गांधी जी का आपसे ज्यादा सम्मान करते हैं। हो सकता है आप कम करते हों और बोलते ज्यादा हों लेकिन वह आपसे ज्यादा सम्मान करते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

आप निकाल दीजिये सबको निष्कासित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

यह परम्परा नहीं बनी है।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह भी परम्परा नहीं बनी है कि दो-दो सदस्य रिपोर्ट लिखाने जायें और रिपोर्ट न लिखी जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसके बारे में मैंने निर्देश सरकार को दे दिया है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप इनको निष्कासित कर दें। पूरी कांग्रेस का सफाया हो गया है, पूरी कांग्रेस को निष्कासित कर दें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य सदन की वेल में बैठकर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे जिससे व्यवधान की स्थिति बनी रही)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 का मतलब यह नहीं होता कि आप लोग इसका कोई मुद्दा बना लें। मेरे द्वारा सूचना लेने का मकसद यह नहीं है। ऐसी सूचनाओं को, नियम-300 की सूचनाओं को अगर मैं नियम के आधार पर चयन करने लगूंगा तो किसी को भी मौका नहीं मिलेगा। यह तो हमारा विचार है कि चलिये एक मौका दे देते हैं बात आ गई सदन में, आपने सही कहा, उन्होंने भी जो कुछ कहा वह बात इसी के माध्यम से सदनों में आ जाती है जिसको मैं नियम-300 में सुन लेता हूं। इसका मतलब यह नहीं हो गया कि नियम-300 की सूचना पर एक बहुत बड़ा इश्यू बनाकर आप सदन को बाधित कर दें। मैंने सुन लिया तो सुन लिया, किसी नियमों के तहत सदन की कार्यवाही होती है, इसको मैं पहले ही निरस्त कर सकता था, लेकिन मैंने सुना है। आपकी भी बात आ गई, उनकी भी बात आ गई। महात्मा गांधी जी का सम्मान, पूरा सदन, पूरा प्रदेश, पूरा देश कर रहा है, उसमें कहां अपमान की बात आ गई है।

मैं इस सूचना को अग्राह्य कर चुका हूं। अब यह सब करने से कुछ काम नहीं चलेगा। आप इन्हें वापस बैठा लीजिए, आपका विरोध दर्ज हो गया। महात्मा गाँधी जी का सम्मान हैं, सम्मान रहेगा और उसको कोई बुझा नहीं पायेगा। इनका सब लोग सम्मान करेगें। आप इन्हें बुला लीजिए, नहीं तो अब मैं नियम-300 की सूचनाओं को छाँटूँगा ठीक-ठाक ढंग से। उसके बाद नियमों के अन्तंगत लाऊँगा। अब आपको मौका दिये दे रहा हूँ इस तरह का, लेकिन दिखाऊँगा कि इसमें कैसे और कौन सी सूचनायें आती है। अभी तमाम सदस्यों की महत्वपूर्ण सूचानयें हैं, जब सदन ठीक से चल रहा हो, महात्मा गाँधी जी का सम्मान है और उनका सम्मान पूरा देश करेगा, विश्व करेगा, हम सब लोग करेंगे। अगर कही इस तरह की बात नहीं आई तो इसको बहुत बड़ा इश्यू न बनाइये। चलिये आप लोग वेल में आ गये और आप लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त कर लिया, वह सही है। अब हो गया। आप सबको वापस सीट पर बैठा लें। आपने सूचना भी दिया, सुन भी लिया। सरकार का पक्ष भी आ गया और इस नियम-300 की सूचना में तो प्राइमरी स्टेज में ही ग्राह्य नहीं थी। लेकिन मैंने कहा चलिये सुन लेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अगर यह नियम-300 में सूचना नहीं आती है तो फिर कोई सूचना नियम-300 में नहीं आयेगी। नियम-80 का उल्लंघन हुआ है। सदस्य को निरुद्ध किया गया, उसकी सूचना नहीं दी गयी। मान्यवर, अगर यह औचित्य में नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये इस बिन्दु पर कह दिया गया है कि इसको दिखवा लेंगे। फिर आप क्यों बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपके लिए बहुत आसान है। बड़ी कृपा की आपने सुन लिया है। आपने कहा है मान्यवर, मैं अस्वीकार करता हूं, लेकिन क्या यह हमारा अधिकार नहीं है, एक गलत बात पर अगर हम एफ0आई0आर0 लिखाना चाहें तो न लिखा सकें।

श्री अध्यक्ष-

आपका अधिकार है। आपके अधिकार सुरक्षित हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

तो फिर आप निर्देश दीजिए वरना कांग्रेस के सभी सदस्यों को आप निष्कासित कर दीजिए, पूरे सदन के जितने दो दिन बचे है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जहां तक उस घटना का जिक्र है। मान्यवर, इमसें जांच कराई गई और जांच में वह घटना असत्य पाई गई। मान्यवर, जहां तक उक्त क्रम में शान्ति भंग की आशंका को देखते हुए दिनांक 15-11-2007 की अपराह्न में माननीय श्री प्रमोद तिवारी सदस्य विधान सभा उ0 प्र0, श्री प्रदीप माथुर सदस्य विधान सभा के साथ-साथ पूर्व मुख्य मंत्री मध्य प्रदेश एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री दिग्विजय सिंह, श्रीमती रीता बहुगुणा नेता कांग्रेस एवं माननीय पूर्व मुख्य मंत्री उ0 प्र0 श्री जगदम्बिका पाल को अन्य लगभग 250 कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सी0आर0पी0सी0 की धारा 151 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और कुछ समय पश्चात पुलिस की आख्या के आधार पर शान्ति भंग की आशंका न रहने के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। मान्यवर, उसकी सूचना दिनांक 15 नवम्बर, 2007 को ही प्रमुख सचिव विधान सभा उ0 प्र0 को जिलाधिकारी और एस0पी0 के द्वारा फैक्स से भेजी जा चुकी है। उसकी प्रति मेरे सामने है। मान्यवर, इसलिए यह औचित्य का कोई प्रश्न बनता ही नहीं है, इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

इसको मैंने अग्राह्य कर दिया है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अब सरकार ने तो आपको कटघरे में खड़ा कर दिया है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, हमें कटघरे में नहीं खड़ा किया है।

श्री प्रमोद तिवारी-

श्रीमन्, अगर आपको सूचना मिल गई तो आपने उसको प्रकाशित क्यों नहीं कराया।

श्री अध्यक्ष-

अगर हम इसको प्रकाशित करा देते तो आप इतनी बात कैसे कहते ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अब तो सरकार ने आपको दोषी बना दिया। अगर यह सूचना आपके पास आ गई थी तो यह कार्यवाही में प्रकाशित क्यों नहीं हुई और सदन की पहली बैठक में आपने सदन को सूचित क्यों नहीं किया ?

मान्यवर, 15-11-2007 की घटना है। अब मैं इस पर आपके समक्ष व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता हूं। जब आपको सूचना प्राप्त हो गयी थी तो जब हम यहां बैठते हैं तो एजेण्डे में इसकी मद बनी हुई है उसमें इसका उल्लेख आना चाहिए था। अब तो आपकी इज्जत का सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

आप उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली का नियम-82 भी पढ़ लें।

श्री प्रमोद तिवारी-

आप मान्यवर, उस नियम का सहारा ले रहे हैं जिसका नहीं लेना चाहिए था। मान्यवर, अगर आपको यह सूचना सरकार से प्राप्त हो गयी थी तो उसकी सूचना देनी चाहिए थी। मद संख्या-6 के अन्तर्गत जिसमें सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें यदि कोई हों आती हैं, में सूचित करना चाहिए था। मान्यवर, यह आपका विवेक है कि सूचित करें या न करें, आपके विवेक को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। यहां पर दो सदस्यों का मामला है आप ऐसे विवेक का उपयोग क्यों कर रहे हैं ? दो सदस्य गिरफ्तार हुए जिस समय यह सदन बैठा था आप उस समय सूचित कर सकते थे। यानि आपको सूचना नहीं दी गयी थीं आपको अंधेरे में रखा गया था। प्रत्येक दिन की कार्यसूची में इस तरह की मद प्रकाशित होती है किसी सदस्य की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में, उसकी सूचना उस दिन क्यों नहीं दी गयी।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम-82 पढ़ लीजिए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं ऐसे प्रश्न को यहीं पर समाप्त करूंगा जिसमें आप आ जायें। इससे यह पता चलता है कि यह सरकार आपके प्रति कितना सम्मान प्रदर्शित करती है। नीचे आप बैठे हैं आपको सूचना नहीं दी गयी और ऊपर जिनका चित्र लगा है उनका सम्मान नहीं किया गया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस सरकार का आपके प्रति सम्पूर्ण सम्मान है। साथ ही साथ महात्मा गांधी जी के प्रति भी सम्पूर्ण सम्मान और पूरा आस्था है। उनकी देश के लिये की गयी सेवाओं का हम सम्मान करते हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, अगर इस प्रकार से कार्यवाही में लगातार बाधा उत्पन्न की जाती रहेगी तो यह ठीक नहीं है। जो सूचना आपने अग्राह्य कर दी है उस पर लगातार बोला जा रहा है। आप मान्यवर, देखें, अकेले आप पूरे सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं। जिस असत्य घटना के बारे में जिलाधिकारी ने जांच करायी है और जांच में वह घटना असत्य बतायी गयी है फिर भी बराबर सदन को बाधित करने का काम कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि अब इनकी बातों को सदन की कार्यवाही का भाग न बनने दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, उसका आपको पूरा अधिकार है। मैं चुनौती दे रहा हूं कि जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है वह निराधार है असत्य है और राजनीति से प्रेरित है। गलत सूचना दी जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आप लोगों को सुना, मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप चाहें तो नियम-299 के अन्तर्गत प्रस्ताव लाकर हम लोगों को निष्कासित करा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह ठीक नहीं है आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। महात्मा गांधी जी का सम्मान पूरा सदन कर रहा है हम सब करते हैं। आप अपने माननीय सदस्यों को वापस बुला लें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसकी जांच करायें, शिकायतकर्ता का बयान तक नहीं लिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

जहां तक महात्मा गांधी जी के सम्मान की बात है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है उनका पूरा सम्मान है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अब कार्यवाही का भाग न बनने दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, कार्यवाही में न आने दें। जो विरोध है वह हम व्यक्त कर रहे हैं। हम सब सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 को नियम-301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृत कार्यवाही की जानकारी श्री सुरेश कुमार खन्ना को निर्धारित समय के अन्तर्गत न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि नियम-300 की सूचना पर अपनी बात को कहने का अवसर आपने दिया है। मान्यवर, 31-10-2007 को मैंने नियम-301 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी, आपके संज्ञान में है और कार्यवाही भी आपके पास है। गांधी प्रचार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोरिया कला, शाहजहांपुर में पूर्णकालिक प्रबन्धक एवं प्रबन्धतंत्र का चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में। मान्यवर, आपने कृपापूर्वक उसको क्रम संख्या-8 पर चयनित किया था यह कार्यवाही का अंग है। मान्यवर, मैं प्रतीक्षा करता रहा इसका उत्तर नहीं मिला और न ही इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी। विलम्ब में भी 5 दिन का ऊपर हो गया। इस प्रकार के प्रकरण सदन में रोज आते हैं। यह सरकार न तो हम लोगों के प्रति इतनी संवेदनशील है कि हमारी बात के ऊपर कोई कार्यवाही करे या हमारे पत्र का उत्तर दे और न ही आपकी पीठ से जो निर्देश होते हैं उनका सम्मान है। मैं कृपापूर्वक एक अपेक्षा करता हूं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और प्रार्थना भी करता हूं कि सरकार को यह निर्देशित करें कि हरहालत में नियम-301 के अन्तर्गत जो सूचनाएं चयनित की जाय उसका समय से उत्तर दें और कार्यवाही करायें। यह हमारा अधिकार बनता है। पीठ से ऐसा निर्देश होना चाहिए कि ये इसका पालन जरूर करें।

संसदीय कार्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि नियमों के अनुसार जो उसके समय की बाध्यता है उसके अनुसार सूचना अवश्य मिले।

श्री अध्यक्ष-

नियम-301 की सूचनाओं को गम्भीरता से लें।

वर्ष में 90 दिन व दो माह के अन्तराल पर 10 उपवेशनों के लिये विधान सभा के सत्र न बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(श्री राजेन्द्र सिंह के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

डा0 राजेन्द्र सिंह जी, यह विषय उठाया जा चुका है।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, यह विषय उठाया जा चुका है लेकिन मैं इसके आगे की बात कहना चाहता हूं मान्यवर, इसमें हमारी बहुत बड़ी पीड़ा है। हम लोग विधान सभा के अन्दर बहुत आकांक्षाएं लेकर आते हैं लेकिन हमारे ऊपर जो एक बहुत बड़ा तमगा लगा हुआ है कि हम नये सदस्य हैं। हम जितनी सूचनाएं देते हैं यह किसी भी नियम के अन्दर हम अपनी बात कहने की कोशिश करें लेकिन हमारी ज्यादातर सूचनाएं निरस्त हो जाती हैं। आज भी हमने नियम-301 के अन्दर एक सूचना दी थी वह कोई बहुत बड़ी सूचना भी नहीं थी सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज जो आगरे का बहुत बड़ा मेडिकल कालेज है उसके अन्दर जो अव्यवस्थाएं हैं उसके बारे में वह सूचना हमारी निरस्त कर दी गयी। हमें आज एक सूचना प्राप्त हुई जो अतारांकित प्रश्न के रूप में थी इस सम्बन्ध में सिंचाई मंत्री जी से पूछा था।

श्री अध्यक्ष-

आप सत्र बुलाने के बारे में अपनी बात कहिए।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

हम यह कहना चाहते हैं यदि सदन का समय 90 दिन का नहीं निर्धारित किया जायेगा तो हम सदस्यों को अपनी बात कहने का अपने अधिकारों के प्रति सचेत होने का मौका नहीं मिलेगा। हम यह कहना चाहते हैं कि हम इसको नियम के अन्तर्गत लायें हैं। यह 174 अनुच्छेद के अन्दर नियम 14 के अन्तर्गत है जिससे सदन का कार्य विनियमित होता है तथा यह माननीय अध्यक्ष के संज्ञान में भी है। यह कोई विशेषाधिकार का प्रश्न हम नहीं लाये हैं। यह समानता के सिद्धान्त पर आधारित है और न कोई जानकारी मांगने के लिए लाये हैं इसलिए यह नियम-300 के अन्तर्गत आता है। हम जो कहना चाहते हैं वह यह कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंग तो है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के भी अंग हैं लेकिन लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के अंग नहीं बन पा रहे हैं। मान्यवर, नये सदस्यों को हर

समय बोलने के लिए कोई मौका दिया जाय और ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि हम लोगों को भी बोलने के लिए कुछ समय निर्धारित कर दे चाहे कुछ मिनटों के लिए ही कर दें। हम लोगों को विधान सभा के अन्दर आज तक एक बटा दस भाग भी बोलने का मौका नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि इसमें आप अपनी तरफ से कोई व्यवस्था दे दें इससे नये सदस्य को मौका मिल जायेगा तो वह अपनी आवाज यहां उठा सकेगा। ऐसा लगता है कि हमने शादी तो कर ली है लेकिन गौना अभी तक किया ही नहीं है।

आशा है अध्यक्ष महोदय, मेरी इस बात को संज्ञान में लेते हुए नये सदस्यों की भावनाओं का आदर करेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी हमारा निवेदन है कि इसको अग्राह्य न करें क्योंकि मैं इसको बिल्कुल नियम के अन्तर्गत लाया हूं। अनुच्छेद 174 के नियम-14 और नियम-17 को भी मैंने इसमें इन्क्लूड किया है। हम लोगों को इस उपवेशन के बारे में 10 दिन पहले सूचना दी जानी थी जो नियमावली के नियम 17 के अन्दर लिखी हुयी है। लेकिन हम लोगों को सूचना दो-तीन दिन पहले ही दी गयी है। हम लोगों के प्रश्न भी नहीं लग पाते हैं। जब यह सदन जन-गण-मन के बाद में स्थगित नहीं हुआ था तो कम-से कम इस तरह की सूचना हमारे पास होनी चाहिये थी जिससे कि हम अपने प्रश्नों के माध्यम से ही सदन के अन्दर अपनी बात कहने की स्थिति में होते। क्योंकि यह पूरा महीना निकल गया और हम एक प्रश्न भी नहीं लगा पाये। यह औचित्य का प्रश्न है इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है कि इस पर अपनी व्यवस्था दें और नये सदस्यों को संरक्षण देने की कृपा करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, 13 मई, 2007 को सरकार बनने के बाद से विधान सभा के कुल 24 उपवेशन हो चुके हैं और साथ ही साथ मान्यवर, यह विषय भी पिछले सत्र में उठाया जा चुका है और उस पर आपने निर्णय दे दिया है तो इसलिये जहां तक सदन के आहूत करने का सवाल है आपने 26 नवम्बर, 2007 को बुला लिया 4 दिसम्बर, 2007 के लिये और इसलिये कोई इसमें औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, आपसे अनुरोध है कि इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने डा0 राजेन्द्र सिंह जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती, मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

मा0 सांसदों एवं विधायकों के पत्रों के निस्तारण हेतु शासन द्वारा अलग से व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी की है, माननीय अग्रवाल साहब यह बताइये, आपकी सूचना कहां से नियम-300 में आती है ?

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर मामला है। माननीय सांसद और माननीय विधायक जो भी पत्र लिखकर माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय को देते हैं, उसका जवाब एक महीने तक नहीं आता है।

केवल एक लेटर आ जाता है कि हमने फलां जगह इसको कार्यवाही के लिये भेज दिया है। हमारा कहना यह है कि जो भी सांसद या विधायक चिट्ठी मुख्य मंत्री कार्यालय को भेजें, उसका उत्तर समय से आना चाहिये। उस लेटर को लिखने से विधायक को क्या फायदा, जब उसका जवाब ही नहीं आता। यहां पर सरकार को यह करना चाहिये कि उसका जवाब चाहे जो भी हो, जैसा भी हो वह आये ताकि वह जाकर जहां जरूरी हो, कार्यवाही कर सके या जिसका काम कराना हो वह लिखित में आ जायेगा तो काम कराने में आसानी होगी। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इस पर प्राथमिकता के आधार पर तुरन्त कार्यवाही की जाय और माननीय विधायकों के जो लेटर जायें, उन पर जो भी कार्यवाही हो उसे सूचित किया जाय। यह न हो कि एक महीने बाद मुख्य मंत्री कार्यालय से यह पत्र आ जाय कि हमने फलां जगह कार्यवाही के लिये भेज दिया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इसको दिखवा लें। सूचना अग्राह्य की जाती है।

पांचवीं सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों के लिये सिंचाई, बिजली, खाद एवं बीज आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है। इस पर चर्चा होने वाली है खाद बीज पर। छठी सूचना सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी का लखनऊ स्थित रानी लक्ष्मीबाई राजकीय चिकित्सालय का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में सदन में त्रुटिपूर्ण उत्तर देने के सम्बन्ध में है। इसको दूसरे नियमों में आप ला सकते हैं। यह औचित्य का प्रश्न नहीं है सूचना अग्राह्य की जाती है सातवीं सूचना डा0 आर0ए0 उस्मानी की भूतपूर्व माननीय विधायकों के विचारोपरान्त राज्य कर्मचारियों की भांति पारिवारिक पेंशन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है। जहां तक माननीय राम विशुन आजाद जी का मामला है, इनका जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मसकनवा को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में है। यह सब आप दूसरे नियमों में ला दीजिये, यह नियम-300 में कहां आता है। यह सब सूचनायें अस्वीकृत करता हूं।

(श्री राम विशुन आजाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह नियम-300 में नहीं आती मैं इसे पहले ही अग्राह्य कर चुका हूं। आजाद जी अगर गलत उत्तर गया है तो आप दूसरे नियम में ले आइये।

(श्री राम विशुन आजाद के बोलते रहने पर व्यवधान बना रहा)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत ग्रिड कोड, 2007 दिनांक 18 अप्रैल, 2007

ऊर्जा एवं ग्रामीण समग्र विकास मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से. उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ द्वारा प्रकाशित की गई उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत ग्रिड कोड, 2007, दिनांक 18 अप्रैल, 2007 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1867/ग्यारह-9 (35)/2003-उ0प्र0अधि0-15-48-नियम-1948-2007-आदेश (07) दिनांक 14 अगस्त, 2007 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2152/ग्यारह-9(5)/06-उ0प्र0अधि0-15-48-आदेश-08-2007, दिनांक 13 सितम्बर, 2007 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अमरमणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा को केन्द्रीय कारागार, वाराणसी से हरिद्वार कारागार को स्थानान्तरित किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष-

मुझे सदन को सूचना देनी है।

माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि के सम्बन्ध में इस सचिवालय की बुलेटिन संख्या-03, दिनांक 26 नवम्बर, 2007 के पश्चात् निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुयी है :-

वरिष्ठ अर्धाक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी ने अपने टेलेक्स दिनांक 03 दिसम्बर, 2007, जो इस सचिवालय में दिनांक 04 दिसम्बर, 2007 को प्राप्त हुआ है, में यह सूचित किया है कि श्री अमरमणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा को आदेश सं0-3660 जे0एल0/22-3-07-100 (20)/07, दिनांक 19 नवम्बर, 2007 एवं महानिदेशक कारागार उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-30066/एस0ए0एम0ए0-1 (3)/33 टी0सी0/07, दिनांक 19 नवम्बर, 2007 एवं पत्र सं0-30639/एस0ए0एम0ए0-1 (3)/43टी0सी0/07, दिनांक 26 नवम्बर, 2007 के अन्तर्गत हरिद्वार कारागार को स्थानान्तरित किया गया।

श्री अध्यक्ष-

मद सं0-7, 8 और 9 में कुछ नहीं है।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 को नियम-311 में प्राप्त 4 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 35 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

पहली सूचना (1) श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री राम सेवक, श्रीमती अमीता सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री अजय पाल सिंह, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह,

श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री शिव गणेश लोधी, श्री अशोक सिंह, विनोद चतुर्वेदी, श्री संजय कपूर, श्री पंकज मलिक, श्री माधव पासवान, श्री आर0पी0एन0 सिंह, चौ0 रवीन्द्र प्रताप एवं श्री अजय प्रताप सिंह (2) श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल एवं श्री अम्बिका चौधरी (3) श्री राम विशुन आजाद (4) श्री दुर्गा प्रसाद यादव (5) श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री हुकुम सिंह एवं श्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रदेश में रबी की बुवाई के समय डी0ए0पी0 खाद एवं बिजली की आपूर्ति में कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना (1) श्री प्रदीप जैन आदित्य (2) श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल एवं श्री विशम्भर सिंह यादव (3) श्री दीप नारायण सिंह की बुन्देलखण्ड के सभी जिलों में सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री कौकब हमीद, डा0 अनिल चौधरी एवं चौ0 सत्यपाल सिंह की जनपद-मेरठ के कस्बा सिवाल-खास में दहेज उत्पीड़न के मामले में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री इमरान मसूद की जिला-सहारनपुर के थाना-गंगोह, गागलहेड़ी में गरीबी एवं भुखमरी के कारण हुई आत्महत्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री उदयराज यादव की जनपद-उन्नाव के सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा करोड़ों रुपये के नियम विरुद्ध अनुबन्ध किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई, अतः अस्वीकृत हुई :-

पहली सूचना नियम-311 में प्राप्त श्री प्रमोद तिवारी, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री आर0पी0एन0 सिंह, श्री माधव पासवान की, नियम-311 में ही प्राप्त दूसरी, तीसरी व चौथी सूचना क्रमशः श्री सतीश महाना, श्री मदन चौहान, डा0 आर0ए0 उस्मानी, श्री आर0 के0 चौधरी की। डा0 पी0 के0 राय, डा0 आर0ए0 उस्मानी, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री लालजी यादव, हस्ताक्षर अपठनीय, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री पूरन प्रकाश, श्री कादीर राणा, डा0 अजय तोमर, श्री अशोक कुमार कंसल, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री सुन्दर सिंह, श्री जगन प्रसाद गर्ग, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, डा0 कौशल किशोर, श्री मदन चौहान, श्री राम किशुन, श्री अनूप सण्डा, श्री डी0पी0 यादव, श्रीमती उमलेश यादव और श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह।

श्री सुन्दर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी भी एक सूचना है, मैं दो दिन से लगातार दे रहा हूं। बहुत गम्भीर मामला है, इसको सुन लिया जाए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, आज तो पर्याप्त समय है, कई मा0 सदस्य हैं जिनकी सूचनायें नहीं आ पायी हैं, उनको भी सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

पहले किसान, खाद, बीज वाली सूचना हो जाए उसके बाद देख लिया जायेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, बुलन्दशहर में डी0ए0वी0 के प्रिंसिपल की हत्या हुई है और परसों मेरठ क्षेत्र के जितने कालेज थे उसी के विरोध में बन्द थे। उसी पर उन्होंने कार्य-स्थगन दिया है उनको सुन लेना चाहिए। एक व्यक्ति का नाम मा0 सदस्य ने सूचना में लिया है, वह उनका नाम न लें लेकिन पूरे तथ्य आ जायं। मान्यवर, एक प्रिंसिपल की हत्या इसलिए हुई है वह प्रिंसिपल कालेज में अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा था।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पहले चयनित सूचनायें हो जायं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, इटावा जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र में एक 13 साल के लड़के की हत्या हुई है लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और अपराधी लखना क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के विधायक भीमराव अम्बेडकर के घर पर संरक्षण पाते रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष-

माननीय शिवपाल सिंह जी, इसकी गम्भीरता को देखते हुए सुन लिया जायेगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, अपराधी विधायक जी के घर पर पकड़े गये और जी0डी0 में नाम दर्ज है।

श्री अध्यक्ष-

शुरू में ही आपने अम्बिका चौधरी जी व नरेश अग्रवाल जी ने इसको उठाया था। मैंने कहा था कि सूचना अस्वीकार हो गयी है। अभी चयनित सूचना पर बात आ जाए उसके बाद आप अपनी बात कह लीजिएगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने मेरी सूचना पर कहा था कि सुन लेंगे। कृपापूर्वक आज की कार्यवाही देख लें, आपने कहा था कि सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, देख लेंगे।

* श्री अनूप सण्डा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपकी कृपा चाही थी। एक गरीब आदमी की जमीन को एक ब0स0पा0 नेता के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने खड़े होकर कब्जा करा दिया जबकि सक्षम न्यायालय का आदेश मौजूद था। मान्यवर, न्यायालय के स्थगनादेश के बावजूद पुलिस ने खड़े होकर उस गरीब आदमी की जमीन का कब्जा करा दिया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

सण्डा जी आसन ग्रहण करिये, आपको अनुमति नहीं दी गयी है।

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, मैंने आज नियम-56 में नोटिस लगायी थी लेकिन स्वीकृत नहीं हुई और अग्राह्य हो गयी। मा0 अध्यक्ष जी, कृपा पूर्वक एक मिनट सुन लें, यह बहुत गम्भीर घटना है।

श्री अध्यक्ष-

सण्डा जी आपकी बात हो गयी। सदन के संज्ञान में आ गयी।

श्री प्रमोद तिवारी-

अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां बहुमत की आबादी किसानों की है और इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से किसानों पर आधारित है। लेकिन आज प्रदेश में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो वह किसान है। किसान की स्थिति आज यह है कि एक तरफ रासायनिक उर्वरकों की अनुपलब्धता के कारण खास तौर से डी0ए0पी0 और यूरिया की अनुपलब्धता के कारण। मान्यवर, किसान को डी0ए0पी0 खाद नहीं मिल रही है जो खाद, रासायनिक उर्वरक यहां आई है वह पड़ोसी प्रान्तों मध्य प्रदेश और बिहार में ब्लैक की जा रही है। उत्तर प्रदेश की साधन सहकारी समितियां डिफक्ट हो गयी हैं। जिन केन्द्रों से रासायनिक उर्वरकों का वितरण होता है वहां पर रासायनिक उर्वरकों का वितरण नहीं हो रहा है। नतीजे के तौर पर लम्बी-लम्बी लाइनें लगी हैं और किसानों को खाद मिल नहीं रही है। प्रदेश सरकार में एक पैरलल समानान्तर वितरण व्यवस्था चल रही है और पूरी तरह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है। किसानों को जो निर्धारित दाम है उसमें रासायनिक उर्वरक नहीं मिल रही है ब्लैक में उपलब्ध है। इसी तरह से बिजली की उपलब्धता का जहां तक सवाल है आज बिजली न मिलने के कारण ट्यूबवेल्स चलाए जाने की स्थिति में नहीं है। ग्रामीण अंचलों में पांच-छः घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं मिल पा रही है। जिला मुख्यालयों में 12-14 घण्टे बिजली दी जा रही है और बड़े-बड़े महानगरों में 5-6 घण्टे की कटौती की जा रही है। इसके कारण रबी की बुआई पिछड़ती जा रही है। बिजली की अनुपलब्धता के कारण सिंचाई समय से न होने के कारण बुआई प्रभावित हो रही है। नहरों की सफाई न होने के कारण टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है। इससे किसानों की सिंचाई भी बाधित हो रही है। गन्ने की अभी चर्चा हुई है बकाया बढ़ता जा रहा है।

(इस समय 1 बजकर 37 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुए)

मिल मालिकों और सरकार की सांठगांठ से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि गन्ना निर्धारित मूल्य 130 रुपये प्रति कुन्टल के स्थान पर खुले आम 50-60 रुपये प्रति कुन्टल में कोल्हू पर पहुंच रहा है। कुल मिलाकर आज स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश में वितरण व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी है। रासायनिक उर्वरक मिल नहीं रही है। बिजली मिल नहीं रही है, नहरों में टेल तक पानी पहुंच नहीं रहा है। किसान अपना गन्ना बोकर तैयार करता है उसका खरीददार कोई मिल नहीं रहा है। इस कारण आज न जाने कितने किसान आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। आज किसान आत्महत्या

ही नहीं कर रहे हैं आज स्थिति यह है कि किसान अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर रहे हैं। मान्यवर, आत्महत्या जीवन का अन्तिम कदम होता है इन सारी परिस्थितियों में, मैं कहना चाहता हूं सरकार बिजली, पानी और खाद देने में पूरी तरह से असफल है। इस अविलम्बनीय और लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय। बिजली, पानी और रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाय। गन्ना बकाए का भुगतान किया जाय व गन्ने की पेराई कलेण्डर के अनुसार सुनिश्चित की जाय।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता जी, नियम-56 के अन्तर्गत हमने और हमारे दल ने जो सूचना दी है वह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। श्रीमन्, जब यह सरकार बनी थी तो उस समय चाहे महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण रहा हो, चाहे सरकार ने अपना जो बजट प्रस्तुत किया था उसमें इस बात की प्राथमिकता रही थी कि प्रदेश में गांव में रहने वाले लोगों के लिये यह सरकार अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित कर रही है। लेकिन श्रीमन् सत्यता क्या है ? इसको भी जानना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, काफी चर्चा हुई थी। हमने कहा था कि हम विपक्ष में है और हमारा काम सरकार को आइना दिखाना है। हम वस्तुस्थिति सरकार के सामने रख रहे हैं। सत्ता के मद में चूर रहेंगे तो हश्र जो होना है वह होगा ही। आज रबी की बुवाई अपनी चरम सीमा पर है और खाद, बीज, पानी, बिजली की क्या व्यवस्था है। ऊर्जा मंत्री जी बैठे हुए हैं। मुख्य मंत्री जी का भी बयान आया है कि केन्द्र से जितना कोटा निर्धारित है उस मात्रा में हमको बिजली नहीं मिल रही है। 4300 मेगावाट मिलना चाहिए और 3000 से कम हमको मिल रही है। मान्यवर, हम केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते हैं। हमारा मतलब तो यह है कि गांव के लोगों के लिये जो घोषणा सरकार द्वारा की गई थी वह पूरी नहीं हो रही है। जब आज शहरों में ही 14 घण्टे बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो गांव की स्थिति क्या होगी ? ऊर्जा मंत्री जी को मालूम होगा वे बतायेंगे। यदि उनके पास सूचना नहीं है तो आप आंकड़े मंगवा लीजिये। खाद्य मंत्री लक्ष्मी नारायण जी कल खुद कह रहे थे, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि इस वर्ष 30 नवम्बर तक 60 प्रतिशत ही गेहूं की बुवाई हुई है जबकि पिछले वर्ष इस समय तक 70 प्रतिशत हो गयी थी। एक अखबार में रिपोर्ट है उसके अनुसार 22 जिले के किसानों के ऊपर लाटी चल रही है। उनको डी0ए0पी0 उपलब्ध नहीं है। जो बात कल कही गई थी मैं उसको फिर कहता हूं कि आप कोई 10 जिले बता दें जहां खाद उपलब्ध हो। आपने स्वयं कहा था कि 31 दिसम्बर तक हमको जितनी खाद चाहिए नहीं मिल रही है। 285 लाख मीट्रिक टन इस वर्ष इस प्रदेश का गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है उसके अनुसार इसको पूरा कर पाना असम्भव है। केन्द्रीय मंत्री श्री शरद पवार जी ने स्वीकार किया है कि यदि यही स्थिति रही तो उत्तर प्रदेश अपने लक्ष्य का आधा गेहूं भी उत्पादित नहीं कर पायेगा। उत्तर प्रदेश जो कि देश में सबसे ज्यादा अनाज पैदा करता है और पंजाब भी इसके बाद आता है। आज आपको विदेश से गेहूं मंगाने की स्थिति पैदा हो रही है। मैं वायदा करता हूं कि आप 2 हजार रुपये में विदेश से गेहूं मंगाने के लिये तैयार हैं यदि आप अपने किसानों को डेढ़ हजार रुपये दें तो वो इतना गेहूं पैदा कर देगा कि आपको विदेश से गेहूं नहीं मंगाना पड़ेगा। जब हमारी सरकार थी तो हमने

इसका प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव लेकर तत्कालीन केन्द्र सरकार के पास गये थे और इसके बारे में कहा था। हम आज भी यही कहते हैं कि यदि 2000 रुपये आप आस्ट्रेलिया के किसान को दे रहे हैं आप डेढ़ हजार रुपये यहां के किसान को दीजिये तो आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान्यवर, यह उनकी कृषि नीति है। मैं इस बात को कहता हूं कि कृषि प्रधान देश होने के बाद भी आपकी कोई अच्छी कृषि नीति नहीं है। आपकी मार्केट व्यवस्था ठीक नहीं है। आपका किसान जो फसल जो माल उत्पादित कर रहा है उसको बेचने की उचित व्यवस्था नहीं है। आज किसान जो गन्ना पैदा कर रहा है वह उसको 50 रुपये में बेचना पड़ रहा है। अधिक उत्पादन करने के बाद उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा है और वह अपना गन्ना खेत में जला रहा है। यह सब आपकी मार्केट व्यवस्था अच्छी न होने के कारण से है। आलू पैदा करता है तो इतना उत्पादन हो जाता है कि उसका आलू सड़ जाता है। कृषि प्रधान प्रदेश होने के कारण यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह किसान के उत्पादित माल को फसल को बेचने की उचित व्यवस्था करे। किसान यदि कमजोर होंगे तो उससे देश की अर्थ व्यवस्था भी प्रभावित होगी। इस देश की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है। उद्योग पर आधारित नहीं है। हमारा जो भी बजट बनता है वह कृषि पर आधारित बनता है। कृषि पर आधारित होने के बाद भी हमारे प्रदेश के सामने यह समस्या है।

आप लोग अभी खड़े होंगे, अभी केन्द्र पर आरोप लगा देंगे। चलिए हम आरोप से निकल गए। अब केन्द्र आरोप में आ गया। अभी प्रमोद जी बोल रहे थे तो मुझे लगा कम से कम मुतहा विवाह टूटा तो क्योंकि वह तो कल तक वकालत करते थे तो सब लोग बहुत खुश होते थे। आज वह विरोध में बोल रहे थे। हम लोग तो आरोप के घेरे में खड़े ही रहते हैं जो भी आरोप है समाजवादी पार्टी के ऊपर है हमें तो जो सजा मिलनी थी वह जनता ने दे दी। हम तो उसको स्वीकार कर रहे हैं। जनता ने आज हमको सत्ता से हटाया विपक्ष में भेजा, आज हम विपक्ष में बैठे हुए हैं लेकिन विपक्ष में बैठकर हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं। उन कर्तव्यों को पूरा करने का हमारा अधिकार है। अगर यह भी नहीं करेंगे तो जनता कहेगी कि कम से कम आपको उन कर्तव्यों को तो निभाना चाहिए था जो आपका अधिकार है। लेकिन मैं यह नहीं मानता हूं कि आप अखबार से बयानबाजी कर लें अखबार से भाषण दे दें हमारा कर्तव्य यह है कि हम सरकार को सही सुझाव दें ताकि सरकार उस सुझाव पर कार्य करे तो इस प्रदेश की स्थिति तो बदले। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा प्रदेश बिहार बने। हमारा प्रदेश उन राज्यों की तरह बने जो बहुत पिछड़े प्रदेश हैं। हम उत्तर प्रदेश को विकसित देखना चाहते हैं हम किसानों को खुशहाल देखना चाहते हैं। इसलिए इस बात को उठा रहे हैं और इसलिए मैं कह रहा हूं कृषि मंत्री जी आप कोई नीति बनाइए। आप कम से कम कुछ तो करिए। किसानों को खाद तो कम से कम मिल जाए। उत्तर प्रदेश में बुआई तो हो जाए। इस टाइम नहरों की सफाई को लिया गया है सारी नहरों की सफाई हो रही है सारी नहरें बन्द कर दी गई। जिस समय पानी की जरूरत है उस समय नहरों की सफाई, जिस समय बिजली की जरूरत है उस समय बिजली उपलब्ध नहीं है। जिस समय खाद की जरूरत है तो खाद उपलब्ध नहीं। जब बीज की जरूरत है 10 बोरी बीज हमको चाहिए तो आपका बीज निगम कहता है एक बोरी ले लीजिए। न मानें तो आप किसी को भेज दीजिए और जहां से बीज उपलब्ध होता है वहां से पूछ लीजिए कितना बीज किसको

उपलब्ध करा रहे हैं। यह स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। श्रीमन् हम इस बात को बड़ी गम्भीरता से उठा रहे हैं। इस पर हमें बड़ी चिन्ता है। हमारे हरदोई की भी यही स्थिति है। मैं जब जाता हूं तो शहर में लाइन लगी हुई है, सड़क जाम है किसान मारा-मारा फिर रहा है। बीच में ब्लैक वाले भी लग गए। अब तो देखते हैं कि औरतों की भी भीड़ लग रही है। वह भी खाद के लिए खड़ी है तो आप कोई कठोर कदम उठाइए ताकि लोगों को खाद मिले, बिजली मिले, पानी मिले गन्ना किसानों को राहत मिले और जो हमारा नैतिक सिद्धान्त है जो हमारा नैतिक कर्तव्य है वह पूरा हो कम से कम इस प्रदेश की वह जनता जो दूर-दराज गांव में रहती है और जो सरकार को इस निगाह से देखती है, 24 घण्टे इस आस से देखती है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है वह चीजें उन तक पहुंच जाएं और जो हम अपने कर्तव्यों का पालन करने आए हैं उन कर्तव्यों का पालन करें। श्रीमन् इसी बात को मैं देख रहा हूं और मुझे दुख है कहते हुए मैं भर्त्सना भी कर रहा हूं जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हो रही है अगर उसी तरह से उपेक्षा होती रही तो भविष्य आप लोगों का वही होगा हम लोगों से भी ज्यादा, हम लोगों का वोटों का प्रतिशत कम से कम उससे कम तो नहीं हुआ लेकिन आपका जो ब्रढ़ा है वह इतना गिरेगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। इस कार्य-स्थगन में अविलम्बनीय भी है लोक महत्व भी है मैं आपके माध्यम से सरकार से कह रहा हूं आज कोई ऐसी घोषणा करें नीति की, जिससे किसानों को लगे कि उनको समय से वह चीजें उपलब्ध हो गई जिनकी उनको जरूरत थी।

(मा0 अम्बिका चौधरी जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री विवेक कुमार सिंह-

आप इन लोगों को बैठा दें हम लोगों को सुनें जहां पानी नहीं है समस्या हो रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में बहुत समस्या है।

श्री अधिष्ठाता-

चौधरी साहब को बुला लिया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, कार्य-स्थगन की जिस सूचना पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है जिस गम्भीर सूचना पर आज यह सदन इसं गम्भीरता से विचार कर रहा है मैं ध्यान आकर्षित करूंगा कृषि मंत्री जी का, आपका महकमा कितनी गम्भीरता से इसको ले रहा है। फर्जी आंकड़ों को बनाने के अलावा जितनी गम्भीरता से इस विषय पर किसानों से सरोकार को हम व्यक्त कर रहे हैं उसको कितनी गम्भीरता से आपका महकमा ले रहा है आप स्वयं दीर्घाओं की ओर देखकर इसका संज्ञान ले सकते हैं और उसकी गम्भीरता का आपको अंदाजा हो जायेगा कि आपके महकमें का एक छोटा अधिकारी भी आपको कितने नान-सीरियस तरीके से खाद के इतने बड़े संकट के सवाल पर ले रहा है। जब 10वीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा हो रही है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में हमने क्या लक्ष्य रखे थे और हमने क्या लक्ष्य प्राप्त किए और 10वीं योजना के लक्ष्यों के हासिल करने के क्रम में मान्यवर, जो सबसे मुश्किल सवाल है, खाद्यान्न की कमी का, जिसका बहुत बड़ा स्टाक हमारे पास था। विभिन्न योजनाएं चलाई गयीं, विषयान्तर नहीं होना चाहूंगा, लेकिन उनके बाद की अभी की स्थिति यह है कि हमारे पास उस स्टाक में पूरे देश में निरन्तर गिरावट आई और मैं इसलिए विशेष रूप से

कहना चाहता हूं कि खाद्यान्न के उत्पादन में जो सबसे बड़ा योगदान है, वह हमारे प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति मान्यवर, इतनी गम्भीर हो गयी है और जब मैं इस समय खाद की कमी के बारे में अपनी बात रखना चाहता हूं, मा0 नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने और अन्य मा0 सदस्यों ने जो बातें रखी हैं उसके क्रम में, श्रीमन् मैं इस बात का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं जहां हमें अपने खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए था जहां पंजाब में उत्पादन 42.3 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है, वहीं हमारे उत्तर प्रदेश का औसत उत्पादन 26 कुन्तल प्रति हेक्टेयर है, उसको बढ़ाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। समय पर खाद की उपलब्धता न होने से, समय पर बुवाई न होने से फसल कितना प्रभावित होती है, आप स्वयं किसान परिवार से आते हैं, मैं भी किसान परिवार से आता हूं, हम सब किसानी करने वाले लोग हैं और सिर्फ हर सवाल का एक जवाब कि खाद, डी0ए0पी0 हमारा अपना उत्पादन नहीं है, पूरी तरह से यह आयातित है और आयातित होने के कारण केन्द्र सरकार यह जानती है। केन्द्र सरकार यह जानती है कि क्यों इस बार देर हो गयी। इससे पल्ला झाड़ लेने से काम नहीं चलने वाला। अपनी इन जिम्मेदारियों से मुकर जाने से काम चलने वाला नहीं है। हम अपेक्षा करेंगे माननीय कृषि मंत्री जी से कि जब वह इस चर्चा का उत्तर देने के लिए आयें तो अत्यन्त संवेदनशील तरीके से तकनीकी तौर पर इस बात का उत्तर दे देने से काम नहीं चलेगा, ऐसा अधिकारीगण कर रहे हैं, जिन अधिकारियों की समीक्षा आप करते हैं, डांटते हैं। मेरे पास आंकड़े हैं, जिनके खिलाफ आपने कार्यवाही की है, बावजूद इसके रटे-रटाये आंकड़े आते हैं।

मान्यवर, आज स्थिति क्या है, अदालतों को भी इसमें हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य होना पड़ा है और आज जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कदाचित इसी समय मा0 उच्च न्यायालय के सामने आपके निदेशक और दूसरे उच्चाधिकारी तलब है कि बतायें कि प्रदेश में खाद क्यों नहीं है ? मान्यवर, केन्द्र सरकार की विफलता का रोना, रोने वाली यह सरकार और केन्द्र सरकार के मत्थे डालने वाली यह सरकार कल 4 तारीख को जब यह सवाल आया था तो क्यों नहीं बता सकी कि 3 तारीख को केन्द्र सरकार से डी0ए0पी0 की कमी पर जो बैठक दिल्ली में हुई थी, उसका क्या परिणाम रहा ? कौन से सवाल आपने उठाये और केन्द्र सरकार ने क्या जवाब दिया ? जब 3 दिसम्बर को केन्द्र सरकार के साथ वार्ता की तिथि नियत थी तो यह बात सदन के सामने आनी चाहिए थी, अगर कल नहीं आयी तो आज आनी चाहिए। हमको जानना चाहिए, प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि सचमुच हमारी सरकार कोई प्रयत्न कर रही है या राजनैतिक कारणों से विभिन्न जगहों पर चुनाव में जब वह कांग्रेस को समर्थन देने के बावजूद विभिन्न राज्यों में उसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है तो क्या उत्तर की जनता में केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है ? एक ओर कांग्रेस का समर्थन और दूसरी ओर सारी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार के मत्थे डालकर के यह मिला-जुला खेल आखिर प्रदेश को कहां ले जायेगा। मान्यवर, मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि अभी आधिकारिक तौर पर जब मण्डलों की समीक्षा हो रही थी। अभी पिछले दिनों मा0 मुख्य मंत्री जी की मण्डलीय समीक्षा हुई। वाराणसी में तीन मण्डलों की समीक्षा हुई और अभी लखनऊ में समीक्षा हुई। मान्यवर, जिन-जिन स्थानों पर मण्डलीय समीक्षाएं हुई हैं, जिन मण्डलों की समीक्षा की एपीसी महोदय ने अध्यक्षता की,

जिसकी मुख्य सचिव महोदय ने अध्यक्षता की, सर्वाधिक गम्भीरता से अगर कोई सवाल उठा, सबसे बड़ी समस्या अगर कोई उठी है तो वह डीएपी खाद की कमी की उठी है। मान्यवर, डीएपी और पोटाश यह आप जानते हैं, इन दोनों खाद की आवश्यकता बुवाई के समय होती है, यूरिया इस समय थोड़ी चाहिए, बाद में टाप ड्रेसिंग के लिए चाहिए, जब-जब उसकी आवश्यकता होगी, तब-तब उसकी आवश्यकता पड़ेगी और मान्यवर, कैसे पूरा कर देंगे, 30 प्रतिशत सोसाइटियां निष्क्रिय पड़ी हैं जो सोसाइटी काम कर रही हैं, उसमें 30 से 45 फीसदी किसान उसके सदस्य नहीं है, यह मना है कि सदस्यों से बाहर देंगे नहीं और इनको ठीक से व्यवस्थित करने के बजाय सारी की सारी खांद को अवैध तरीके से इन सोसाइटियों पर भेजने का जो काम हुआ उसके चलते खाद का वितरण ठीक से नहीं हो सका और जो खाद 475 रुपये प्रति बोरी मिलनी चाहिए वह 700 रुपये के हिसाब से आपकी सोसाइटियों में ब्लैक हो रही है, पूरे प्रदेश में। आप सरकार में होने के नाते मजबूरी में इसको स्वीकार न कर सकें तो मैं समझता हूं कि आप अपने कर्तव्य का सही निर्वाह नहीं कर रहे हैं।

अगर जिस रोग का आपको उपचार करना है उस रोग के नब्ज पर हाथ रखकर के अगर आप उस रोग को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं मानता हूं कि किसी भी हालत में आप इसका उपचार कर पाने में समर्थ नहीं हैं और यह कोई एक जिले का मामला नहीं है, यह गाजियाबाद से लेकर के बलिया तक का मामला है। कहीं कोई जिला ऐसा नहीं है जिस जिले में रोज कम से कम दो एस0डी0एम0 सिर्फ किसानों के सड़क जाम को हटवाने में न लगे हों रोज आप हर जगह की रिपोर्ट ले लीजिए प्रत्येक जनपद में रिपोर्ट ले लीजिए और जब उनकी ड्यूटी का पूछेंगे कि आप के जनपद में कलेक्टर साहब एस0डी0एम0 कहां हैं तो वह बतायेंगे कि साहब किसानों के खाद की किल्लत के लिए जाम लगाया है और वह वही जाम हटाने गये हैं। मैं अकेले लखनऊ का, अकेले बिजनौर का, गाजियाबाद का, शाहजहांपुर का, बरेली का, सहारनपुर का, मुजफ्फरनगर का, बलिया का, गार्जीपुर का, देवरिया का, गोरखपुर का, इलाहाबाद का अलग-अलग जिलों का नाम नहीं लेना चाहता हूं पूरे प्रदेश में स्थिति यह है जहां एक ओर नहरों में पानी नहीं हैं लेकिन मैं अपनी नोटिस पर हूं, इसलिए मैं अपनी सूचना के बाहर नहीं बोलूंगा। जहां बिजली की किल्लत के लिए माननीय बिजली मंत्री जी आज बैठे हुए हैं हमारे सामने, मैं इनसे जवाब की अपेक्षा नहीं करूंगा यह स्वयं स्वीकार करते हैं, हम लोगों के साथ, केन्द्र सरकार ने नहीं दिया तो हम क्या करें तो केन्द्र सरकार ने इनको नहीं दिया इसलिए बिजली नहीं है, लेकिन नहरों में पानी नहीं है वह केन्द्र सरकार ने क्यों रोक दिया और कृषि मंत्री जी खाद की किल्लत की वजह से और चाहे यह आर्टिफिशियल किल्लत हो, हम यह नहीं कहते इस बात को, आपके आंकड़ों की बाजीगरी को हम कैसे चुनौती दे सकते हैं। आप महान कलाकार हैं आप उसमें बाजीगरी कर सकते हैं आपके अफसर आप से बड़े कलाकार हैं वह उससे बड़ी कालाकारी कर सकते हैं तो इन महान कलाकारों के सामने मैं नतमस्तक हूं, उसको चुनौती देने का क्या सवाल है। महान कलाकारों के सामने हाथ जोड़कर काम करना चाहता हूं। उस बाजीगरी का सवाल नहीं है। आप चाहे आंकड़ों में जितनी ज्यादा खाद मंगा लिये हों और चाहे आंकड़ों में जितनी ज्यादा खाद जिलों में पहुंचा दिये हों, लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय किसान को जहां बुवाई के लिए खाद मिलनी चाहिए उस बिन्दु पर खाद नहीं है और अगर है तो ब्लैक में बहुत मंहगे दर पर है, मान्यवर, इन सारी स्थितियों

में श्रीमन् जो इसकी तात्कालिकता है इससे बड़ी कोई तात्कालिकता नहीं हो सकती कार्य-स्थगन के लिए जो अनिवार्य शर्त है मान्यवर, और लोकहित का मामला, लोक महत्व का मामला अगर लोक हित का मामला खाद की अनुपलब्धता से उत्पन्न स्थिति नहीं है तो मैं ऐसा मानता हूं मान्यवर, कि फिर कोई दूसरा मुद्दा इससे बड़ा नहीं हो सकता है, इस प्रदेश में बहुत बड़े-बड़े मुद्दे हैं लेकिन इन सारे मुद्दों से बड़ा मुद्दा है कि अगर इस रबी के बुवाई के समय किसान को खाद ही नहीं मिलेगी तो फसल अगली होगी कैसे और श्रीमन् इसकी तात्कालिकता, लोक महत्व को देखते हुए श्रीमन् इसके औचित्य पर जितनी भी बातें रखी गयी हैं आज मैं चाहूंगा कि कृषि मंत्री जी स्वयं स्वीकार करें कि चर्चा की आवश्यकता थी बल्कि हमें तो श्वेत-पत्र जारी करना चाहिए था स्थिति इतनी हमारी खराब थी और नैतिक जिम्मेदारी हमारी थी कि प्रदेश की जनता को हम बताते कि क्यों खाद की इतनी बड़ी किल्लत है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज प्रतिपक्ष की ओर से यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है वह थोड़ी नैतिकता का प्रदर्शन करेंगे और इस किल्लत को स्वीकार करते हुए सचमुच में गम्भीरता से अगर कोई प्रयास करना है तो अपने प्रयासों का उल्लेख भी करते हुए इस चर्चा को निश्चित रूप से कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार करने का काम करेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय आप ऐसा निर्देश देंगे इस पीठ से ऐसी ही अपेक्षा है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

* श्री हुकुम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसानों की समस्याओं को लेकर के मान्यवर, आज सामान्य रूप से कार्य-स्थगन है और किसानों की समस्या चाहे बीज का क्षेत्र हो, चाहे रासायनिक खाद का हो चाहे सिंचाई का हो, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए प्रश्न है। कल रासायनिक खाद को लेकर के काफी समय तक चर्चा यहां पर हुई प्रश्न के माध्यम से। बहुत सवाल किये गये, उत्तर भी दिये गये और यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया सरकार की ओर से कि वह एडवांस में भी पैसा जमा करने के लिए तैयार है, किये भी हैं, लेकिन केन्द्र सरकार से उनको अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। ऐसा कुछ सामने आया हमारे। आज जब उत्तर दें कृषि मंत्री तो मैं चाहूंगा कि आपके उत्तर में यह जरूर आना चाहिए, आपका कितना अनुमान था कि रबी की फसल के लिए बुवाई के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी डी0ए0पी0 की आवश्यकता है, आपका अनुमान क्या था और आपके अनुमान के अनुरूप आपने कब अपना इन्डेन्ट दिया केन्द्र सरकार को और केन्द्र सरकार से प्राप्त करने के लिए क्या-क्या आपने प्रयास किये ? कम से कम इस सदन के माध्यम से जनता में यह संदेश जाना चाहिए कि प्रयास हुआ कि नहीं हुआ। मान्यवर, अगर हर चीज को हम रूटीन में लेते रहेंगे और आज जब बुवाई शुरू हो गई है, हाहाकार पूरे प्रदेश में मच गया। सहकारी समितियों का काम भी चौपट हो गया निजी क्षेत्र में खाद मिल नहीं रही है और जैसा कि अभी आपके सामने कहा गया कि जो खाद हमको 400-450 रुपये बोरी मिलनी चाहिए थी आज 600-650 रुपये बोरी ब्लैक में क्रय करनी पड़ रही है। ब्लैक में खाद की उपलब्धता है। उपलब्धता उसकी सामान्य श्रेणी में क्यों नहीं है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसकी उपलब्धता ब्लैक में क्यों है, कालाबाजारी में क्यों है। यह बताया गया कि इतने छापे मारे गये और उसमें एक व्यापारी को जेल भी भेजा गया। आपका बहुत ही प्रभावी काम रहा है इससे ज्यादा प्रभावी काम और क्या हो सकता है। वह कालाबाजारी में जेल में गया या किसी अन्य अपराध में गया यह पता नहीं है हम लोगों को। माननीय कृषि मंत्री जी ने वह एक नमूना पेश कर दिया कि उनकी एजेन्सी कितने प्रभावी ढंग से काम कर रही है। हां आज प्रदेश में एक संदेश जरूर जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सामने कृषि की कोई प्राथमिकता नहीं है और उसी के कारण प्राथमिकता की श्रेणी में कृषि है ही नहीं। अब प्रश्न यह है कि आपकी प्राथमिकता की श्रेणी में इस समस्या को जोड़ा कैसे जाये।

आज मान्यवर, हो क्या रहा है जहां भी यह बैठकें होती हैं और माननीया मुख्य मंत्री जी के कार्यक्रम लगते हैं, 15 दिन पहले से अखबारों में छपने लगता है कि अधिकारियों की नींद उड़ी। अब नींद क्यों उड़ गयी है, नींद इसलिए नहीं उड़ रही है कि खाद वहां पर है नहीं, वहां यह प्रश्न नहीं किया जा रहा है कि खाद क्यों नहीं है। मान्यवर, एक साधारण सदस्य के तौर पर, एक कृषक के रूप में यह बात आपके सामने रख रहा हूं कि एक पीड़ा यह है कि जहां-जहां नेता सदन गयी हैं, अच्छा होता वह हेलीकाप्टर से उतरते ही गांव में जाकर किसी किसान से पूछतीं कि आपको डी0ए0पी0 खाद मिली है या नहीं। गेहूं की बुवाई हुई या नहीं, आपके यहां बिजली आ रही है या नहीं। बस गली में कीचड़ कैसे जमा हो गया उसको लेकर डी0एम0 सस्पेंड हो गया। इसी प्रकार से दीवार के ऊपर पेंट क्यों नहीं हुआ, अच्छा पेंट न होने के कारण डी0एम0 सस्पेंड हो गया, सी0एम0ओ0 सस्पेंड हो गया। वहां यह नहीं देखा जा रहा है कि मरीजों का अच्छा इलाज हो रहा है या नहीं। आप किसी भी अखबार में या मीडिया में छपी कोई ऐसी खबर दिखा दें जिसमें यह हो कि मुख्य मंत्री जी दौरे पर गयीं और किसी किसान से पूछा हो बीज के बारे में, खाद के बारे में, बिजली के बारे में, नहर के बारे में। तब हम मानें कि आपके मन में कृषि के लिए कितनी प्राथमिकता है। वह आपकी प्राथमिकता में नहीं है। मैं जो स्थिति सामने है वह कह रहा हूं। जब कोई कमी होती है तो दूसरे की कमी निकाली जाती है कि उस वजह से कमी है। अगर कमी है तो किस वजह से कमी है यह सब बातें तो आनी चाहिए। अगर किसी ने कमी कर दी है तो जिम्मेदारी तो आपकी है उस कमी को पूरा करने के लिये। यह अत्यन्त दुख की बात है कष्ट की बात है।

अभी सिंचाई मंत्री भी आ गये सदन में और उनके बड़े लम्बे चौड़े दावे होते हैं हमेशा। विभाग भी लम्बे चौड़े और दावे भी लम्बे चौड़े। 15 दिन के अन्दर टेल तक पानी पहुंच जायेगा तो टेल तक तो तब पहुंचेगा जब हेड पर पानी आयेगा, न टेल का पता न हेड का पता।

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, नोटिस पर बोलें।

श्री हुकुम सिंह-

शरीर के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता शरीर बहुत मजबूत है। मुझे खुशी है इस बात की। मान्यवर, यह सामान्य नोटिस है इसलिए मैं कह रहा हूं यह किसानों की समस्या के ऊपर नोटिस है मैं ग्राह्यता के ऊपर ही नहीं बोल रहा हूं मैं तथ्यों के ऊपर भी बोल रहा हूं। यही चर्चा चल रही है आज। मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस पर चाह रहा हूं और पहले प्रश्न के माध्यम से भी एक बार उत्तर आपने दिया था कि नहीं पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। मेरी विनती भी आप सुन लें और मेरी पीड़ा भी आप सुन लें। पश्चिम के किसी 5 रजबहों को अपनी सुविधा के अनुसार आप चुन लें, पूरब के 5 रजबहों को आप चुन लें, बुन्देलखण्ड की तो बात ही नहीं बुन्देलखण्ड में तो कहीं पानी ही नहीं है आप भी रहने वाले बुन्देलखण्ड के हैं। आप देख लें और देखकर बता दें खुद न जा सके तो दो सदस्यों की 4 सदस्यों की समिति को भेज दें वह जाकर देख लें, उन रजबहों में पिछले 5 महीनों में एक बूंद भी पानी आया हो तो मैं आपका नागरिक अभिनन्दन करा दूंगा हालांकि उसकी आवश्यकता आपको नहीं है, बहुत अभिनन्दन आपके होते हैं लेकिन फिर भी मेरी तरफ से अभिनन्दन आपका हो जायेगा। अगर कहीं भी यमुना नहर प्रणाली से अगर पिछले 5 महीनों में किसी राजबहे में पानी आया हो तो बता दें मुझको और जिनको मैं चुनकर बताऊंगा आपको उनमें मान्यवर, 2-2 फिट घास खड़ी हुई है, सफाई नहीं हुई है बरसात में। उसमें आपके अभियन्ता से कहता हूं तो कहता है कि ब्लाक की जिम्मेदारी है सफाई की। उनको नहीं पता है कि सफाई की जिम्मेदारी किसकी है किसान को तो पानी चाहिए, किसान को रजबाहे की सफाई चाहिए। नहीं हुई है तो कारण क्या है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नोटिस पर बोलें। आप अभी डी0ए0पी0 खाद पर बोल रहे थे इसलिए मैं कह रहा हूं।

श्री हुकुम सिंह-

समस्या यह है कि आपने नोटिस पढ़ा नहीं और आपने और पढ़ना भी नहीं चाहिए आपको, आप नोटिस पढ़ेंगे तो कई कमियां निकाल दोगे, आप शांति से सुनते रहिये। मान्यवर, मैं पुनः सानुरोध आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे लिए कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है जो वस्तुस्थिति है उसको स्वीकार कर लेंगे तो शायद उसका प्रभाव नीचे भी पड़ जायेगा। लेकिन अगर आप यहां उनका सुरक्षा कवच बनकर खड़े हो जायेंगे तो कौन किसकी सुनेगा। एक जनप्रतिनिधि आपके सामने कह रहा है और मैं किसी को ब्लेम करने के लिए दोषारोपण करने के लिए नहीं कह रहा हूं लेकिन जो वस्तुस्थिति है वह कह रहा हूं कि पानी नहीं आ रहा है। बड़ी नहर में पानी चला और उसके बाद भी रजबहे में पानी न जाय तो कारण क्या है ? कारण यह है कि सफाई हुई नहीं है, जंगह-जगह पटरी कटी हुई है।

देखने वाला कोई है नहीं। मान्यवर, बहुत हमारे स्मार्ट मंत्री हैं रामवीर उपाध्याय जी, देखने में यहां भी ऐसे लगते हैं और जब कभी टाई वाई बांधकर खड़े होते हैं तो बड़े इम्प्रेसिव लगते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

आपको जलन होती है।

श्री हुकुम सिंह-

मैं प्रशंसा कर रहा हू जलन तो आपको हो रही है। किसान अगर निजी नलकूप का कनेक्शन लेना चाहे तो कोई व्यवस्था है आपके यहां। जवाब तो आप दे देंगे, पहले भी दिया है कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहे हैं वह भी आप जवाब दे देंगे और नहीं मिल रहे हैं तो चकबन्दी की प्रक्रिया में जिनके नये चक लग गये, नये कनेक्शन की आवश्यकता है। एक लाख रुपये लगाकर उन्होंने बोरिंग करा लिया और कनेक्शन उसको मिल नहीं रहा है आप भी बता देंगे और मैं भी बता देता हूं जब कनेक्शन के लिए जाता है तो जवाब यह मिलता है कि पावर कार्पोरेशन ने अपनी नीति में संशोधन कर लिया है और संशोधन यह कर दिया है कि पहले जो 40-42 हजार रुपये का अनुदान मिल जाता था वह अनुदान बन्द हो गया है अब अगर नया कनेक्शन किसान लेगा तो उसे 80 हजार रुपये से लेकर सवा लाख रुपये तक देने पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा किसान ऐसा है जो 80 हजार रुपये से लेकर सवा लाख रुपये नये कनेक्शन के लिए दे देगा। जवाब तो आप दे देंगे कोई व्यवस्था आपने की। 20 करोड़ रुपये महीना अनुदान की व्यवस्था है लगभग 240 करोड़ रुपया आप उत्तर प्रदेश के बजट से दे रहे हैं विद्युत परिषद् को इसी काम के लिए तो दे रहे हैं।

केवल खेती के काम के लिये तो 240 करोड़ रुपये आप दे रहे हैं। आखिर उनके सामने अगर नियामक आयोग ने यह निर्णय लिया है तो कहीं न कहीं जिम्मेदारी सरकार की आती है। मान्यवर, यह प्रश्न ऐसा है उसका निराकरण होना चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए और प्रदेश की जनता को यह जानकारी होना चाहिये कि क्या होने जा रहा है। मान्यवर, ट्रांसफार्मर अगर जल गया तो अभी तक यह व्यवस्था थी कि हर जिले में इनका स्टोर था और मण्डल स्तर पर इनका अधिशासी अभियन्ता बैठता है। वहां एक ए0 ई0 बैठता है, मुश्किल से वह मिलता है और मिल भी गया तो मान्यवर, मैं तीन-तीन महीने की मिसाल आपको दे सकता हूं कि 63 के0वी0ए0 और 100 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे हैं और तीन-तीन महीने तक नहीं मिल रहे हैं। अब व्यवस्था दूसरी बदल दी गयी, जो हमको बताया गया अब स्टोर पर ट्रांसफार्मर नहीं मिलेंगे, अब उनको वर्कशाप पर जाना पड़ेगा। अगर मैं यह कहूं मैं आपको लपेटने की कोशिश नहीं कर रहा हूं लेकिन जो नीचे हो रहा है तीन-तीन हजार, चार-चार हजार रुपये लेकर किसान इकट्ठे करके भीख मांग रहे हैं कि पैसे ले लो और ट्रांसफार्मर हमको दे दो। इस किसान से आप चाहते हैं कि वह अन्न उपजायेगा, अन्नदाता जिसको आप कहते हैं। उसको भिखारी तक आपने बनाकर रख दिया और प्रताड़ित करते हैं,

अपमानित करते हैं आपके अधिकारी वहां जाकर। मान्यवर, मैं केवल बिजली के ऊपर कह रहा हूं, आज आवश्यकता इस बात की है कि 14 घण्टे का ऐलान करने की जरूरत नहीं है। आप 8 घण्टे दे दीजिये लेकिन दे तो दीजिये 8 घण्टे। मत 14 घण्टे की नौटंकी करिये। आठ घण्टे मिल जाये, सात घण्टे मिल जाये, छः घण्टे मिल जाये, हमारा काम चल जायेगा। लेकिन अगर तीन-तीन दिन तक दो घण्टे भी बिजली के दर्शन नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा। मान्यवर, मैंने अपने इस संक्षिप्त से कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के माध्यम से कुछ समस्याओं का उल्लेख किया है और मैं चाहता हूं कि गम्भीरता के साथ में उन पर विचार किया जाय और उनका निराकरण किया जाय।

श्री विवेक कुमार सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिये धन्यवाद दे दूं कि आज हम लोगों को भी बोलने का मौका दिया है वरना सात-आठ लोग बोलकर सारा सदन चला लेते हैं। मैं आज आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से और माननीय विद्युत मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज हमें पहली बार मौका मिला है, उस दुर्दशा का बयान करने का। कल से सुन रहे थे, खाद, पानी, तेल लेकिन जिस जगह के हम लोग निवासी हैं उस जगह न खाद है, न पानी है। पूरे के पूरे खेतों में धूल उड़ गयी है। पांच वर्ष से सूखा। हम यहां पर कलाकारियां भी देखते हैं। आंकड़े भी देखते हैं। चाहे मेरे दायें ओर बैठे लोग हों विपक्ष के और चाहे मेरे बांये ओर बैठे लोग हो सत्ता पक्ष के। इनके कार्यकाल में पिछले चार वर्ष से सूखा पड़ा हुआ है बुन्देलखण्ड में। हजारों की संख्या में मौतें हो गयी आज बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग भूख से हुयी मौतों को नकारते थे कम से कम आज भारत की संसद में बैठकर उन्होंने भूख से हुयी मौतों को स्वीकार तो किया है। इतनी समीक्षा बैठक हो रही है क्या इस बात की समीक्षा बैठक करने की आवश्यकता महसूस हुयी है कि उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड भी एक क्षेत्र है, जहां के लोग आज एक-एक दाने के लिये मर रहे हैं, खाने को नहीं है, पीने का पानी नहीं है, एक-एक हैण्डपम्प के लिये तरस रहे हैं। जानवरों का क्या होगा आने वाले दो तीन महीनों के बाद और इससे बड़ी बदहाली में माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि चित्रकूट धाम में किसी कृषि अधिकारी की नियुक्ति नहीं है। केवल एक कृषि निदेशक मौजूद हैं। हम लोगों का तो अजीब सा हाल हो गया है।

जब आप सत्ता में थे तो चार रुपये का चेक बांट रहे थे और अब आप सत्ता में हैं तो सौ से दो सौ रुपये का चेक बांट रहे हैं। मजाक बना दिया, जो लोग अपने निजी नलकूप से कुछ बुवाई भी करना चाहते हैं तो उन्हें बीज उपलब्ध नहीं है, खाद उपलब्ध नहीं है। क्या इस ओर भी आप ध्यान देंगे। हम लोग पीछे बैठते हैं, हम लोगों की आवाज नहीं आती है। नसीमुद्दीन भाई बैठे हुए हैं, दद्दू प्रसाद जी बैठे हुए हैं, तमाम लोग बुन्देलखण्ड के यहां पर बैठे हुए हैं, मा0 कृषि मंत्री जी भी मौजूद हैं, मैं निवेदन करूंगा एक उच्च स्तरीय टीम विधायकों की मा0 कृषि मंत्री के नेतृत्व में यहां से भेज दें, जो जाकर वहां देखे कि वहां हो क्या रहा है ? जो पैसा मिल रहा है राहत के नाम पर,

उसमें ऐसा लगता है कि कलेक्टर के पिताजी की धनराशि है, वह उसे देने में आनाकानी कर रहा है। मा0 सिद्दीकी साहब नहरों का यह हाल है, पानी टेल तक पहुंचाने की बात हो रही है, मैं बताना चाहता हूं कि नहर सड़क में तब्दील हो गई है। हां एक काम जरूर हुआ है नहर विभाग के अधिकारियों का ...

श्री अधिष्ठाता-

मान्यवर, नोटिस पर बोलें।

श्री विवेक कुमार सिंह-

मान्यवर, पानी और खेती पर ही बोल रहा हूं। पूर्व में जो अधिकारी वहां तैनात थे और जब सूखे के कारण वहां पर मौतें हो रही थीं, पानी मिल नहीं रहा था, बिजली मिल नहीं रही थी, बीज मिल नहीं रहा था, उस वक्त केवल एक ही जन्तु है, जिसको सूखे में भी हरा-हरा नजर आ रहा था। उस वक्त हो रहा था कि सूखा नहीं पड़ा, बुन्देलखण्ड में हरियाली है। आज उनका हश्र उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या किया, यह सबके सामने है। यह राम का प्रदेश है। नवाब बांदा की सरजमी है, वहां की मौत का बदला जनता चुकाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक उच्च स्तरीय टीम भेजकर वहां की जांच करा लें और वहां से भ्रष्ट अधिकारियों को हटा दें। राहत का जो पैसा आप भेज रहे हैं, उसको उन्हें बांटने में दिक्कत हो रही है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, आप अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछ लें कि क्या स्थिति मची हुई है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं और अनुरोध करता हूं कि हमारी बातों को गम्भीरतापूर्वक सुन करके उस पर कार्यवाही करें। एक बात मा0 ऊर्जा मंत्री से कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं कि पूरे प्रदेश में 70 रुपये शुल्क लिया जा रहा है लेकिन बुन्देलखण्ड में 130 रुपये लिया जा रहा है। यह अजीब तमाशा है मैं आपको व्यक्तिगत रूप से इससे अवगत कराऊंगा।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, जब प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो प्रदेश की जनता को उम्मीद थी कि यह सरकार प्रदेश में किसानों के लिए अच्छी सी योजनाएं चलायेगी लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जब से यह सरकार आयी है तब से अगर किसी का शोषण हुआ है तो किसानों का हुआ है। चाहे वह गन्ना किसान हों, चाहे आलू किसान हों, इस सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसानों की दुर्दशा हो गई है। आज रबी की बुवाई का समय चल रहा है, इस बुवाई के समय सरकार ने अपने सहकारी स्टोरों पर बीज और खाद तक उपलब्ध नहीं कराया है। अगर बीज और खाद संमय से किसानों को मिल जाती तो किसान समय से अपनी फसल की बुवाई कर लेते। प्रदेश में बिजली की यह स्थिति है कि आज विद्युत बिल्कुल अनियमित ढंग से आ रही है। सारे राजकीय नलकूप खराब पड़े हुए हैं, मैंने प्रश्न के माध्यम से पूछा था कि जनपद गोण्डा में कितने नलकूप खराब पड़े हैं तथा कितने नलकूप चल रहे हैं।

जवाब आया कि सारे नलकूप चल रहे हैं लेकिन यह जवाब नहीं आया कि कितने हेक्टेअर भूमि की सिंचाई हुई, उसका जवाब आ गया कि सूचना एकत्र की जा रही है। इस तरीके से देखा जाए तो किसानों का बुरी तरह से शोषण इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। कैसे उम्मीद की जा सकती है कि उत्तर प्रदेश जो कृषि प्रधान प्रदेश है और जहां की 70 से 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, खेती करती है लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण, अगर इसी तरह से रहा तो किसान की रीढ़ टूट जायेगी, उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो जायेगी जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति चरमरा जायेगी, आर्थिक ढ़ांचा कमजोर हो जायेगा, आर्थिक ढ़ाचे को मजबूत करने के लिए किसान को मजबूत करना होगा और किसानों के लिए समय पर बिजली, खाद, बीज देना होगा तभी उत्तर प्रदेश का किसान मजबूत हो सकता है, अन्यथा किसान मजबूत नहीं हो सकता, इनके एजेण्डे में किसानों की बात नहीं है केवल कानून व्यवस्था की बात है। आज तक किसी समीक्षा में किसानों की बात नहीं आयी कि किसानों के लिए यह नीतियां बन रहीं हैं जिससे किसान खुशहाल होगा। यह बात नहीं आयी कि खाद का दाम कम करने जा रहे हैं, यह बात नहीं आयी कि गन्ना किसानों का गन्ना दाम बढ़ायेंगे। जब से यह संदेश गया है कि गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य कम हो गया है तो अब वह रबी की फसल की तरफ आ गया है, गेहूं की बुवाई की तरफ आ रहा है। इससे गेहूं की फसल का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से गेहूं का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, बीज और विद्युत की व्यवस्था तत्काल मुहैया करायी जाए ताकि कृषि उत्पादन बढ़े और किसान खुशहाल हो। मान्यवर, कार्य-स्थगन के रूप में यह अविलम्बनीय, लोकमहत्व और तात्कालिक है। इस पर सरकार का तत्काल बयान आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कार्य-स्थगन के इस कृषि सम्बन्धी प्रस्ताव की ग्राहयता पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो गन्ना मूल्य या खाद की कमी के बारे में पहले आ चुकी है। परन्तु मान्यवर, हमारे क्षेत्र की जो ज्वलंत बातें हैं, मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में हैं उस पर मैं बल देना चाहता हूं। मैं शाहजहांपुर से आता हूं। नवम्बर के महीने में शाहजहांपुर में एक आदेश गया कि विद्युत की सप्लाई 14 घण्टे के स्थान पर 9 घण्टे कर दी गयी है। शहरी क्षेत्र में परिवर्तन नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में है, कारण नहीं बताया गया है कि ऐसा क्यों कर दिया ? ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर 20 लाख की आबादी है उसको इस प्रकार से अकारण, वैसे भी जब 14 घण्टे की सप्लाई थी तब 6-7 घण्टे बिजली मिलती थी अब 9 घण्टे के स्लैब पर लाकर खड़ा कर दिया। मान्यवर, जो स्थिति थी, नवम्बर का शासनादेश बदलकर पूर्व की स्थिति बहाल कर दी जाए। 72 घण्टे में ट्रांसफार्मर बदलने की बात है। हमारे क्षेत्र में विकास खण्ड भागलखेड़ा में एक दर्जन से ज्यादा ट्रांसफार्मर खराब हैं महीने भर से ज्यादा समय हो गया लेकिन आज भी ट्रांसफार्मर बदलने की व्यवस्था नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि 72 घण्टे में ट्रांसफार्मर बदलने की जो व्यवस्था है उसका कड़ाई से पालन करायें। तीसरी बात, नलकूप कनेक्शन की है। इससे पहले की सरकारें थी तो 10 से 15 हजार

में निजी नलकूप देने की व्यवस्था थी लेकिन अब वह व्यवस्था समाप्त हो गयी है। बल्कि मुझे बताया गया रेगुलेटरी कमेटी द्वारा कोई व्यवस्था आयी है। 43 हजार रुपये की सब्सिडी उन लोगों को दी जाएगी जो लोग निजी नलकूप का कनेक्शन लेना चाहेंगे। चार-पांच दिन पहले मेरी अधिशासी अभियन्ता और एस0ई0सी0 से बात हुई उन्होंने कहा कि वह भी आदेश वापस ले लिया गया है। आज की तारीख में मेरी जानकारी है मंत्री जी उसको सुधार दें निजी नलकूप के कनेक्शन के लिए जो व्यवस्था थी वह बदल दी गई है कोई ऐसी सर्वमान्य व्यवस्था प्रदेश में कारगर नहीं है जो किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन दिलवा सके। उनको एक लाख से लेकर तीन लाख रुपये उनकी स्थिति को देखकर बताया जायेगा जो किसान देने में असमर्थ है। यहां तक जो लघु सिंचाई विभाग है जो ग्रामीण सीमा में आता है ग्राम्य विकास के क्षेत्र में सब्सिडी के अन्तर्गत जो नलकूप दिए गए हैं जिन लोगों ने पचास-पचास प्रतिशत पैसा देकर जिनकी बोरिंग हो गई है उनको 70-70 हजार रुपए जमा कराए। चयनित नलकूपों की सब्सिडी के आधार पर बोरिंग करा दी गई वह भी बिजली विभाग में चक्कर लगा रहे हैं उनको भी कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। बिजली नहीं मिलेगी, नलकूप कनेक्शन नहीं मिलेगा तो किसान क्या करेगा कहां से सिंचाई की आवश्यकता पूरी करेगा, कहां से बिजली की आवश्यकता पूरी करेगा। इसलिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि यह जो बिजली विभाग की व्यवस्था है उसका तत्काल मंत्री जी संज्ञान लें और इसकी व्यवस्था कराएं। चौथी और अन्तिम बात कहना चाहूंगा चकबन्दी के बारे में हालांकि चकबन्दी का मैं व्यक्तिगत रूप से विरोधी हूं क्योंकि यह बड़े किसानों को फायदा पहुंचाती है लेकिन बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां पर रास्ता नहीं है जहां पर लोगों ने खेत जबरदस्ती जोत रखे हैं यहां से चकबन्दी के लिए आदेश होता है लेकिन निचले स्तर पर एस0ओ0सी0 के स्तर पर रोक लगी हुई है यह कहा जाता है कि कार्यवाही चल रही है। आप कार्यवाही देख लीजिए मैं पिछले ढाई साल से लगातार इस विषय को उठा रहा हूं लेकिन लगातार यही जवाब आता है चाहे 301 की सूचना मैनें दी हो या नियम 51 की जवाब यही आता है कि चकबन्दी की कार्यवाही चल रही है। वहां पर रास्ता नहीं है बड़े-बड़े किसानों ने रास्तों पर कब्जा कर रखा है जबकि वहां जमीन इतनी मंहगी है कि उसकी कीमत 20 लाख रुपए बीघे है। छतौना बिजलीपुरा क्षेत्र लगता है यह शाहजहांपुर में है वहां पर चकबन्दी के लिए आदेश है लेकिन हमेशा यही जवाब आता है कि चकबन्दी की कार्यवाही चल रही है। मैं इस बात को संज्ञान में लाते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार इस पर प्रभावी कार्यवाही करे और चकबन्दी कराने की व्यवस्था करे। जहां तक खाद की बात है मंत्री जी जब जवाब दें तो इस बात का जरूर उत्तर दें कि डी0ए0पी0 खाद कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी। रात में किसान लाइन में खड़ा हो जाता है सबेरे कह दिया जाता है कि खाद नहीं है। दिन भर किसान लाइन में खड़ा रहता है और शाम पांच बजे कह दिया जाता है कि खाद खत्म हो गयी। आज खाद उपलब्ध नहीं है गन्ना मूल्य के बारे में कहना है कि पर्ची सिस्टम व एक कलेण्डर जारी होता है उसकी व्यवस्था जरूर करवाई जाय। मैं पुनः अपने प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0सिंह)-

अधिष्ठाता महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। यहां पर ग्राह्यता पर बात न होकर पूरी चर्चा हो रही है। ग्राह्यता पर केवल दो-तीन सदस्य अपनी बात रखते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

जिन सदस्यों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं उनको बोलने का अवसर दिया जा रहा है। चर्चा नहीं हो रही है।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0सिंह)-

अगर चर्चा हो तो दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

इस पर विपक्ष के जिन सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं उनको अवसर दिया जा रहा है। यह चर्चा नहीं है। अभी तो ग्राह्यता पर जिन लोगों ने नोटिस दिया है उनको सुन रहा हूं। नोटिस के अलावा किसी और व्यक्ति को नहीं बुलाया है। नम्बर दो पर माथुर जी को बुला रहा हूं।

* श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश के किसानों की बदहाली के विषय में नियम-56 के अन्तर्गत परिचर्चा में आपने मुझे भाग लेने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जहां तक खाद का प्रश्न है, माननीय मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी मथुरा के रहने वाले हैं। वे मथुरा जनपद का ख्याल करेंगें इसलिये इस बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। जहां तक मामला बिजली और नहरों का है, हमारे विद्युत मंत्री जी भी मथुरा बहुत आते हैं। मैं तीन-चार बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि जो इलाका ताज ट्रेपेजियम जोन के अन्तर्गत आता है वहां पर बिजली की भारी कटौती हो रही है। सरकार किसानों को 14 घंटे बिजली देने की बात करती है। उनको 6-7 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है। आंप ट्यूबवेल कनेक्शन में जो सब्सिडी देने की बात करते हैं उसके लिये एक लम्बी फेहरिस्त है। किसान को कनेक्शन के लिये बहुत धक्के खाने पड़ते है। कनेक्शन के लिये जे0ई0 स्तर पर किसानों का उत्पीड़न किया जाता है। जो जे0ई0 के लिये व्यवस्था कर देता है उसको तो कनेक्शन मिल जाता है लेकिन जो व्यवस्था नहीं कर पाता है वह कनेक्शन के लिये धक्के खाता रह जाता है। माननीय मंत्री जी मैं आपको यह वास्तविकता बता रहा हूं। देहातों में हम बिजली की व्यवस्था की बात करते हैं। गांवों में विद्युत व्यवस्था के लिये केन्द्र सरकार द्वारा बहुत पैसा दिया गया है लेकिन आप गांवों की यथास्थिति को देखें। वहां पर कहीं खम्बे नहीं हैं, कहीं पर तार इतनी जर्जर अवस्था में हैं कि आये दिन टूट जाते हैं। ट्रांसफार्मर की स्थिति यह है कि यदि कोई ट्रांसफार्मर जल जाता है तो उसको बदलने के लिये कहा जाता है तो यह कहा जाता है कि जब तक पूरे गांव का बिजली का बिल जमा नहीं हो जाता तब तक ट्रांसफार्मर बदला नहीं जायेगा। दो तीन लोगों की वजह से पूरे गांव को इसकी सजा क्यों दी जाय। किसान इंस गम्भीर समस्या से गुजर रहा है। किसान को इस समस्या से निजात दिलाने की व्यवस्था करें। पूरे के पूरा गांव अंधेरे में डूबा रहता है। अंधेरे के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब होती है। अंधेरे में तमाम डकैतियां पड़ती हैं। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप हमारे मथुरा बांके बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं। मैं बांके बिहारी जी को बीच में रखते

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि मथुरा जनपद के बारे में खास तौर से ध्यान दें। देहातों में बिजली के तार जो जर्जर अवस्था में हैं उनको बदलवाने की व्यवस्था करें। बिजली मिलती नहीं है और बिल की वसूली के लिये उनका उत्पीड़न न किया जाय। जहां तक नहरों का प्रश्न है, मैं अपने माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि पहले एक व्यवस्था बनी थी कि एस0डी0एम0 वैरीफाई करेंगें नहरों की सफाई होने से पहले और सफाई होने के बाद। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिये जो पैसा भेजा गया उसको केवल कागजी कार्यवाही हुई है। मैंने खुद जाकर देखा और इसके बारे में बात की कि एक कमेटी बना लीजिये हम भी आपके साथ दौरा करेंगें लेकिन उन्होंने बिल्कुल उपेक्षा कर दी। अपर आगरा कैनाल में शेरगढ़ रजवाहा हो या शाह रजवाहा हो सबकी एक जैसी स्थिति है। सफाई के नाम पर केवल घास छिलवा दी जाती है। मेरा कहना है कि घास ही न छिलवाई जाय बल्कि उनकी जे0सी0बी0 मशीन के द्वारा खुदाई करवाई जाय। यह सब कागजी कार्यवाही में दिखाई देता है वास्तविकता यह है कि कहीं नहरों की सफाई का कार्य नहीं होता है। व्यवस्था किसके जेब में जा रही है इसको देखने की आवश्यकता है। इसी तरह से कहना चाहता हूं कि जहां तक गन्ना मूल्य के भुगतान का प्रश्न है, हमारे यहां छता शुगर फैक्ट्री है। माननीय मंत्री जी भी प्रयास करते हैं लेकिन मैं भी उस पर बल देता हूं कि यथाशीघ्र किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जाय। फैक्ट्रीज चलना शुरू नहीं हुई, किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है जिससे वह आत्म हत्या के लिये मजबूर हो रहा है। इसी तरह से यह भी कहना चाहता हूं कि आपने हाई टेक टाउन पॉलिसी बनाई है। उसके बारे में गुजारिश करना चाहूंगा कि....

श्री अधिष्ठाता-

माथुर साहब नोटिस पर बोलें। इसमें केवल डी0ए0पी0 खाद्य और बिजली की समस्या है।

श्री प्रदीप माथुर-

दो मिनट का समय दे दें। किसानों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही है जहां किसानों की हत्या और आत्महत्या की बात हो रही है। यदि उनकी भूमि का उचित मुआवजा, मार्केट रेट पर नहीं दिया जाता है, मेरे क्षेत्र के किसानों की बहुत बड़ी जमीन एक्वायर की जा रही है। आवास विकास परिषद् द्वारा एक्वायर की जा रही है, विकास प्राधिकरण द्वारा एक्वायर की जा रही है।

श्री अधिष्ठाता-

माथुर साहब, कृपया समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर-

किसान आत्महत्या कर रहे हैं रोज रास्ते जाम होते हैं जिससे आगरा जाने वाले टूरिस्टों को दिक्कत होती है...

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर-

इन समस्याओं पर मान्यवर ध्यान दिया जाना चाहिए। ताकि किसान जो आज तिल-तिल कर मर रहा है उसे बचाया जा सके।

एक मा0 सदस्य-

हमें सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

दुर्गा प्रसाद जी को बुला लिया है उसके बाद बोल लें।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान, इस सदन का ध्यान एक गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। आज चाहे हमारे मा0 तिवारी जी हों, चाहे अम्बिका चौधरी जी हों, चाहे और माननीय सदस्य हों, इन्होंने डी0ए0पी0 खाद पर चर्चा की है। मैं आजमगढ़ की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं आजमगढ़ में कोई उद्योग नहीं है, कोई धन्धा नहीं है वहां का किसान केवल खेती के बल पर अपना पालन करता है। आज गेहूं की बुआई है, गेहूं की बुआई में डी0ए0पी0 खाद बिल्कुल नहीं है, न नहरों में पानी आ रहा है हमारे मा0 ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं आजमगढ़ की यह स्थिति है गांव में चाहे वनकटव सोतीपुर फीडर हो चाहे अन्य फीडर हो तीन-चार घंटे के अलावा किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है। डी0ए0पी0 खाद आज भी नहीं है। दूसरे प्रान्तों में सेल हो रही है। कालाबाजारी हो रही है। हमारे यहां आजमगढ़ में हाल में अतरौलिया में फर्जी खाद बरामद हुई थी इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं यह गम्भीर मसला है संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं। माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं मैं कहना चाहूंगा आजमगढ़ में आज भी किसानों की बुआई नहीं हुई। नवम्बर बीत गया, दिसम्बर चल रहा है, किसानों की बुआई नहीं हो पा रही है। जहां-जहां सोसायटियां हैं वहां-वहां किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन उन्हें लाठियों से मारकर भगाने का काम कर रहा है। नहरों में पानी नहीं है आज बुआई का सीजन आ गया तो नहरों की सफाई का काम हो रहा है मैं इस सदन का ध्यान इस गम्भीर विषय पर दिलाना चाहता हूं सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए। जो खाद की कमी है पूरे प्रदेश में खासतौर से आजमगढ़ जिले में, वहां डी0ए0पी0 खाद दिलाई जाए। ताकि किसान अपनी बुआई कर सके और अपनी जीविका का पालन कर सके। इसलिए खाद अगर समय से नहीं मिलेगी तो उत्पादन कम हो जाएगा इसलिए मान्यवर, खाद की व्यवस्था की जाए, यूरिया की व्यवस्था की जाए, पोटाश की व्यवस्था की जाए। आजमगढ़ में छोटे-छोटे किसान हैं उनकी रोजी-रोटी का सहारा केवल खेती है अगर खेती में समय से खाद नहीं मिलेगी, समय से बिजली नहीं मिलेगी, समय से पानी नहीं मिलेगा तो किसान भूख से मरने के कगार पर पहुंच जाएगा। इसलिए निवेदन है कि यह गम्भीर विषय है इस पर सदन की कार्यवाही रोककर मैं चर्चा कराने की मांग करता हूं।

मान्यवर, साथ-साथ डी0ए0पी0 खाद नहीं है, नहरों में पानी नहीं हैं, बिजली नहीं है, इसकी आप व्यवस्था कराने का काम करें, धन्यवाद।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी और सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। हमारे दूसरे साथियों ने जो बातें कहीं हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। मान्यवर, मैं उस इलाके

की नुमाइंदगी करता हूं जो बिहार का सीमावर्ती क्षेत्र है। सेवरही विधान सभा क्षेत्र जहां से मैं आता हूं, वहां खाद की बहुत बड़ी किल्लत है।

(प्रदीप जैन आदित्य के खड़े होने पर।)

(इस समय 2 बजकर 42 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष-

जैन साहब आपका इसमें नाम नहीं है। मैंने राय साहब को बुला लिया है।

* डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, मैं मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि वहां पर बहुत ज्यादा समस्या है। सम्भवतः कल ही एक प्रश्न के जवाब में बताया गया था कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल ज्यादा खाद उपलब्ध कराई गयी है, लेकिन बुवाई कम हुई है। बावजूद उसके किसानों को खाद नहीं मिल रही है, डी0ए0पी0, फास्फेट नहीं मिल रही है। मान्यवर, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सीमावर्ती इलाके से हैं, जहां से बड़े पैमाने पर तश्करी बिहार को की जा रही है और जब तक उस पर रोक नहीं लगायी जायेगी, वहां पर खाद भेजने के बावजूद किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पायेगी। मान्यवर, मैं दूसरी बात मा0 सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मेरा इलाका बाढ़ से प्रभावित है, ए0पी0 तटबन्ध टूटा है और उसकी वजह से बुवाई में विलम्ब हुआ और अब खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मान्यवर, नहरों की सफाई के लिए भी मैंने लिखा था। आपका लिखित में जवाब भी मिला है। जिन माइनरों की सफाई के लिए व्यवस्था दी थी कि राष्ट्रीय रोजगार योजना से पैसा लेकर इसकी सफाई कराई जायेगी लेकिन डी0एम0 और अधिशासी अभियन्ता से बात करने के बाद भी यह नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, जो फ्रेंचाइजी हैं उनके माध्यम से खाद उपलब्ध नहीं हो रही है, गेहूं की बुवाई का समय निकला जा रहा है। मान्यवर, इसलिए मैं विशेष रूप से कुशीनगर जनपद के बाढ़ प्रभावित इलाके के लिए मांग करता हूं कि उसको प्राथमिकता प्रदान करते हुए वहां पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मैं इस विषय पर बल देते हुए सदन की सारी कार्यवाही रोक कर उस पर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

एक सदस्य-

अध्यक्ष जी, [X X X]

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह कार्यवाही का भाग नहीं बनाया जाए। नियमों के अनुसार अपने विषय लाने की व्यवस्था है। जब जो चाहे बोलने लगे ? मान्यवर, आप इसको कार्यवाही का अंग किसी भी कीमत पर न बनायें।

श्री अध्यक्ष-

इसको निकाल दिया जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री ओम प्रकाश ''ओ0 पी0 सिंह''-

मान्यवर, चर्चा नहीं है, केवल ग्राह्यता पर बोल रहे हैं और मान्यवर लगभग 12 लोग बोल लिये हैं। इससे अच्छा तो यही होगा कि आप चर्चा ही स्वीकार कर लीजिये ताकि हम लोगों को भी बोलने का मौका मिले।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

खाद-बीज वाले बिन्दु की ग्राह्यता पर लगभग सभी लोग बोल चुके हैं। अब कुछ नहीं। मदन चौहान जी आप क्या कहना चाहते हैं। इस पर बहुत चर्चा हो चुकी, इस पर इतनी ज्यादा चर्चा हुई कि लगभग एक घण्टे की चर्चा हो चुकी है। माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें कल भी काफी चर्चा हो चुकी थी और विस्तार से उत्तर भी दिया जा चुका था और मान्यवर, जो नियम-56 है उसके अनुसार इसे आज नहीं लिया जाना चाहिये था मान्यवर, लेकिन फिर भी आपने सदन के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुये आज भी इसको लिया है, इसलिये मान्यवर, अब इसमें और अधिक समय न दे कर के माननीय मंत्री जी से उत्तर दिलवा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

हां ठीक है, इस पर बहुत चर्चा हो गई, कल भी इस पर चर्चा हुई थी, अब आप माननीय कृषि मंत्री जी को सुन लें।

*कृषि मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

माननीय अध्यक्ष जी, कल भी इस सदन में आपके समक्ष कम से कम डेढ़-पौने दो घण्टे प्रदेश के किसानों की समस्या और खाद, बीज, बिजली और नहरों की बात हुई आज भी लगभग सवा डेढ़ घण्टे सभी माननीय सदस्यों, जिनमें अधिकतर माननीय प्रमोद तिवारी जी, माननीय हुकुम सिंह जी, माननीय नरेश अग्रवाल जी, माननीय अम्बिका चौधरी जी, विवेक सिंह जी सभी माननीय सदस्यों ने यह चिन्ता जाहिर की, मैंने कल भी यह बात कही थी सदन में, मैं इसे मानता हूं कि कहीं खाद की कमी हो सकती है लेकिन मान्यवर, यह भी हमें स्वीकार करना चाहिये कि पिछली बार जितनी खाद डी0 ए0 पी0 यहां आई थी विगत वर्ष में, अब की हमारी रबी का जो कुल एरिया है बुआई का वह 120 लाख हेक्टेयर है जिसमें 92 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया जाना है। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है अभी मात्र 55 लाख हेक्टेयर भूमि में गेहूं बोया गया है। 60 फीसदी बुवाई रबी की हुई है और मान्यवर, साढ़े दस लाख मीट्रिक टन डी0 ए0 पी0 प्रदेश में आना है लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसके विरुद्ध कल शाम तक हमारे प्रदेश में सात लाख मीट्रिक टन डी0 ए0 पी0 उपलब्ध हो चुका है। मान्यवर, बहुत से ऐसे हमारे जिले हैं जहां डी0 ए0 पी0 की जगह पर एन0 पी0 का प्रयोग किया जाता है। एन0 पी0 का भी जो हमारा लक्ष्य है मान्यवर, लगभग उस लक्ष्य के 90 फीसदी हमारे पास एन0 पी0 आज उपलब्ध है और जो किसानों को उपलब्ध कराया गया है। मान्यवर, वैसे इस सदन में कभी कोई बात

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई भी सदस्य असत्य न कहे, यह बात मानी जाती है लेकिन कल हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने एक घटना का जिक्र किया था कि कहीं किसान की मृत्यु खाद की लाइन में लगे हुये हो गई थी। मैंने पता कराया है मान्यवर, वह हार्ट अटैक के मरीज थे पहले से हार्ट अटैक उन्हें कई बार हो भी चुका था। कहीं चोट नहीं, कहीं किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं। मान्यवर, यदि इतनी असत्य बात यहां सदन में कही जाये तो उससे बड़ा तो और कोई ताज्जुब नहीं हो सकता। मैं मानता हूं आज समस्त प्रदेश की चर्चा के सम्बन्ध में यह बातें हुई हैं लेकिन मान्यवर, हमारे माननीय अम्बिका चौधरी जी ने और माननीय प्रमोद तिवारी जी ने यहां शुरूआत की थी, तो मैं माननीय तिवारी जी से अनुरोध करना चाहता हूं तिवारी जी प्रदेश में कांग्रेस के नेता हैं जाने का वक्त प्रतापगढ़ मिलता नहीं, लेकिन यदि तिवारी जी को सही सूचना न हो, एक बात यहां पर यह कही गयी थी कि कृषि मंत्री जी और सरकार के मंत्री तो मकड़ जाल में फंसा देते हैं आंकड़ों के।

मान्यवर, जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसकी जांच करा लें और यदि उसमें कोई गलती होगी तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध एक दिन में कठोरतम कार्यवाही की जायेगी उसमें फिर किसी बात का इंतजार नहीं किया जायेगा। मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी के जिले प्रतापगढ़ में 13,111 मीट्रिक टन डी0 ए0 पी0 का लक्ष्य था उस लक्ष्य के विपरीत 14,194 मीट्रिक टन डी0 ए0 पी0 उपलब्ध है। यानि 108 प्रतिशत डी0 ए0 पी0 माननीय तिवारी जी के जिले में उपलब्ध करायी गयी है। अब तिवारी जी की लाईन कहीं दिखाई देती है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, हमने कभी कोई आंकड़े नहीं दिये एक जनरल बात कही थी। हमने कहा था कि यहां की खाद मध्य प्रदेश और बिहार में ब्लैक में बेची जा रही है। बाजार में उपलब्ध है लेकिन आपकी जो साधन सहकारी समितियां हैं और सहकारी संघ हैं यह बिल्कुल ही डिफेक्ट पड़े हुए हैं। इनकी वितरण व्यवस्था आपके हाथ में नहीं है। वह सहकारिता, कृषि और खाद्य तथा रसद एवं आपूर्ति इन तीनों को जब तक मिलाकर नहीं देखेंगे तब तक व्यवस्था ठीक नहीं हो पायेगी।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, जितनी हमें खाद उपलब्ध होती है उसमें से पचास फीसदी खाद सरकारी एजेन्सियों द्वारा बांटी जाती है और 50 फीसदी खाद प्राईवेट एजेन्सियों द्वारा बांटी जाती है। मान्यवर, अबकी जो खाद उपलब्ध हुई है प्रदेश में उसमें से 85 फीसदी खाद पहले हमने सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से बंटवायी है और केवल 15 फीसदी खाद प्राईवेट एजेन्सियों द्वारा बंटवायी गयी है। इसलिए अब प्राईवेट एजेन्सियों का कोटा पूरा किया जा रहा है। यह सोचकर कि वह ब्लैक मार्केट में न जा सके। जो सोसाईटी डिफेक्ट हैं, उसके सम्बन्ध में एक महीने पहले आदेश कर दिये गये हैं कि प्रदेश के प्रत्येक किसान को नकद आधार पर खाद खरीदने का अधिकार भी दिया गया है। यह आदेश सभी सोसाइटीज पर पूरी तरह से जारी हो चुका है। मान्यवर, हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने चर्चा की बीज के सम्बन्ध में। बीज के बारे में बताना चाहूंगा कि जो हमारा लक्ष्य था 22 लाख 80 हजार 5 सौ कुंटल का और अभी तक 23 लाख 26 हजार 5 सौ 74 कुंटल उपलब्ध करा चुके हैं। लक्ष्य से भी एक कुंटल ज्यादा है। मान्यवर, 38 जिले ऐसे हैं जिसमें 700 रु0 गेहूं के

बीज पर छूट दी गयी है। जिस-जिस जिले में बीज की कमी हो माननीय सदस्य बता दें बीज दो दिन के अंदर वहां उपलब्ध करा दिया जायेगा। जहां कहीं की बात आप करेंगे वहां उपलब्ध करा देंगे।

मान्यवर, अभी विवेक कुमार सिंह जी ने एक बात कही थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बुंदेलखंड में समस्या है। वहां पिछले चार वर्षों में वर्षा वास्तव में बहुत कम हुई है। वहां सबसे गंभीर संकट है। लेकिन हमारी सरकार इसके प्रति पूरी तरह से जागरूक है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में हमारी एक बैठक भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री जी और उच्चाधिकारियों के साथ हो चुकी है। आज ही बुंदेलखंड के सम्बन्ध में एक पूरा नोट भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री जी के पास जा रहा है, मैं पिछले तीन दिन से उसे तैयार करा रहा हूं। यह वहां वार्ता में तय हुआ था कि पूरा नोट भेजा जाय जो आज जा रहा है। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की भारत सरकार के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक होगी। फिर भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री जी और हमारे माननीय मंत्रीगण बैठकर बात करेंगे, उसकी योजना तैयार करा रहे हैं।

श्री विवेक कुमार सिंह-

मान्यवर, जब अधिकारियों की वार्ता बुलायें तो उनके साथ जनप्रतिनिधियों को भी बुला लें।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

चलो अब आपने छेड़ दिया तो मैं यह कह रहा हूं अभी बात वहां तक पहुंची नहीं है। यह तय किया गया है कि भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री, मैं और हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी और बुन्देलखण्ड के समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ दो दिन वहां रहकर बैठक करेंगे और वहां की परिस्थितियों को देखेंगे यह तय किया गया है। तो मैं अनुरोध करूंगा माननीय सभी सदस्यों से अधिकारियों के सम्बन्ध अगर आप जानना चाहते हैं तो हाईकोर्ट में एक रिट लगा दी है खाद और बीज के सम्बन्ध में, वहां हाईकोर्ट में गये हुए हैं, बाईनेम है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यदि कहीं अभी 30 दिसम्बर तक हमें पूरी उम्मीद है, 30 दिसम्बर तक गेहूं की बुआई होनी है और 30 दिसम्बर तक साढ़े 8 लाख मीट्रिक टन डीएपी हमको उपलब्ध होगा और एनपीके और पोटाश भी, पोटाश हमने डेढ़ लाख मीट्रिक टन मांगा है लक्ष्य है 94 लाख मीट्रिक टन जिसमें 94 लाख मीट्रिक टन पोटाश मौजूद है लेकिन इसके बावजूद भी कोई विशेष परिस्थिति खाद के सम्बन्ध में हो, बीज के सम्बन्ध में मैं कह चुका हूं, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बता दें निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान किया जायेगा। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर काफी चर्चा हो चुकी है इसे ग्राह्य न किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री प्रमोद तिवारी जी को सुना, श्री प्रदीप माथुर को सुना, श्री विवेक कुमार सिंह को सुना, श्री हुकुम सिंह को सुना, श्री नरेश अग्रवाल को सुना और अन्य माननीय सदस्यों को सुना तथा माननीय कृषि मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं। दूसरी सूचना बुन्देलखण्ड के सभी जिलों में सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन आदित्य की है।

*श्री प्रदीप जैन आदित्य-

बुन्देलखण्ड की सुनो कहानी, आज यहां के पानी में पानीदार यहां का पानी, आज यहां के पानी में। आज बुन्देलखण्ड जो शौर्यता, वीरता और पराक्रम का प्रतीक था आज सूखा, कर्ज और तबाही की दास्तान बन गया। विगत एक साल में 195 लोगों ने पूरे बुन्देलखण्ड में आत्महत्याएं की हैं यह कोई कपोल कल्पना नहीं है। सारे अखबारों में खुदकुशी की घटनाएं छपी हैं। बांदा में 65 लोग, महोबा में 55, हमीरपुर में 40, चित्रकुट में 15, जालौन में 15, ललितपुर में 3 और झांसी में 2 लोगों ने गरीबी, भुखमरी और सूखे के कारण खुदकुशी की है। दलितों की मसीहा कही जाने वाली यह सरकार है और इसमें अधिकांश लोग जिन्होंने खुदकुशी की है वह दलित जाति के थे। हमारे झांसी के मऊरानीपुर के प्रीतम अहिरवार, बड़ागांव के हरू अहिरवार दोनों ने जब अपना घरवार बेच करके वहां खेती में पैसा लगाया। पानी नहीं मिला फसल सूख गयी तो उन्होंने खुदकुशी कर ली। मान्यवर, यह केवल झांसी की, बांदा की. ललितपुर की, जालौन की समस्या नहीं है यह समूचे बुन्देलखण्ड की समस्या है। माननीय कृषि मंत्री ने इस बात को स्वीकारा कि 5 सालों में जो वहां पर वर्षा हुई है, आज ही मैंने सिंचाई मंत्री जी से एक तारांकित प्रश्न किया था लेकिन जिस तरह से सदन में अंतिम प्रश्न पर कोई ध्यान नहीं जाता, उसमें उन्होंने खुद स्वीकारा कि 1421 रबी हेतु परिकल्पित हैं लेकिन पानी के न होने के कारण 436 नहरें प्रस्तावित हैं। 436 नहरें तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केवल 200 नहरें बुन्देलखण्ड में सिंचाई नाम मात्र के लिए दे पा रही हैं। आज बुन्देलखण्ड की स्थिति यह है कि पूरे हिन्दोस्तान में जितने लोग कुपोषण के शिकार हैं उसमें 20 फीसदी बुन्देलखण्ड के हैं। आज 82 फीसदी लोग कृषि पर निर्भर हैं और जो पलायन दर है पूरे हिन्दोस्तान में सबसे ज्यादा है, 42 फीसदी लोग महानगर में जा रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि बुन्देलखण्ड से 4 मंत्री हैं लेकिन उन मंत्रियों के होने के बावजूद बुन्देलखण्ड में कोई सुधार नहीं है। मान्यवर, पिछली बार हमने प्रश्न लगाया था, हमारे यहां 28 डैम हैं, इन पूरे के पूरे डैम की जलधारण क्षमता केवल 12 फीसदी रह गयी है। अगर पूरी बरसात भी हो जाती उसके पश्चात् भी किसान को पानी नहीं मिल सकता था। आज जो पलायन करने वाले लोग हैं वह महानगरों में जा रहे हैं और हेपेटाइटिस बी, एड्स और कैन्सर जैसी बीमारियां लेकर आ रहे हैं। हमारे पूरे के पूरे गांव बंजर हैं और पूरा का पूरा क्षेत्र तबाह है और बरबादी की कगार पर है। आज उद्योगों की जो स्थिति है, उसके अनुसार बुन्देलखण्ड में 1 लाख व्यक्तियों पर 1.6 लोगों को रोजगार मिला है। जबकि बुन्देलखण्ड में 238 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 घनत्व है। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सारे उत्तर प्रदेश में 783 प्रतिवर्ग किमी0 जनसंख्या का घनत्व है। ऐसे में हम यह चाहते हैं कि बुन्देलखण्ड के लिये राहत राशि जो नाममात्र के लिये जा रही है और केवल लघु और सीमान्त कृषकों के लिये जा रही है, उसे बढ़ाया जाय। मान्यवर, हम लोग नये सदस्य हैं. हम लोगों को यह देखकर बड़ा दुःख होता है कि यहां एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप इतना तेजी से चलता है कि पता नहीं लगता कि हम विधान सभा में बैठे हैं या लोकसभा में बैठे हैं। यहां बहुमत वाली सरकार है और राज्य का संचालन और नियंत्रण

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपकी जिम्मेदारी है। अगर केन्द्र सरकार हमारी मदद नहीं कर पा रही है तो जो सदस्य हमारे लोकसभा में हैं, हमारे दल के सदस्य लोकसभा में हैं, वह वहां बात करें लेकिन आप अपनी जवाबदेही और उत्तरदायित्व को किसी के ऊपर स्थानान्तरित नहीं कर सकते। अगर ऐसे ही करना है तो केन्द्र की सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश की विधान सभा संचालित हो जाय। आज स्थिति यह है कि पूरे बुन्देलखण्ड के अन्दर खाद केवल कागजों पर जाती है और वह मध्य प्रदेश में बिकती है। हमारे बुन्देलखण्ड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह ठप्प है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इसी विषय पर अन्य माननीय सदस्यों की भी सूचना है, कृपया समय का ख्याल रखें।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, हम यह कहना चाहते कि बुन्देलखण्ड में 195 लोगों ने खुदकशी की वहां पर 70-80 फीसदी पानी का अभाव है। बुन्देलखण्ड में रबी और खरीफ की फसल के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिये कि इस पर वह 75 प्रतिशत अनुदान दे। आज पूरे बुन्देलखण्ड में पानी की कमी है, नहरें नहीं चल पा रही हैं, स्प्रिंकलर के माध्यम से कम पानी में खेतों में सिंचाई की जा सकती है लेकिन स्प्रिंकलर की स्थिति यह है कि शासन के लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं और स्प्रिंकलर की कम्पनी का नाम फाइनल नहीं हुआ है। इसका नतीजा यह होगा कि जब स्प्रिंकलर मिलने का समय आयेगा तब उस समय किसानों के पास पैसा नहीं होगा। बुन्देलखण्ड का 90 प्रतिशत किसान पूरी तरह वर्षा के जल पर निर्भर है। यहां केवल बरसात का 12 प्रतिशत जल रुक पाता है। बाकी का पानी उत्तर पूर्वी ढलान होने के कारण यमुना नदी में चला जाता है यमुना से बहाव होकर गंगा नदी में बाढ़ आ जाती है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड में जो रोजगार गारन्टी योजना चल रही है, उसकी मानीटरिंग के लिये बुन्देलखण्ड की एक कमेटी बनना चाहिये। हम लोगों ने इस सम्बन्ध में एक संकल्प भी लगाया है कि बुन्देलखण्ड कैसे संचालित हो। बुन्देलखण्ड में जब चन्देलकालीन शासन था, तब वहां 7 हजार तालाब थे। उस समय लोग अपनी स्थिति जानते थे कि कैसे हमें कृषि को पानी देना है। कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि वह बुन्देलखण्ड के लिये एक अलग कृषि नीति बनायें। वहां केवल 10-12 फीसदी पानी रुक पाता है और पूरा का पूरा जल यमुना नदी में चला जाता है। वहां आप बेतवा पर डैम बना सकते हैं, यमुना, केन पर बना सकते हैं लेकिन वह नहीं बन पा रहे हैं। मेरी मांग है कि बुन्देलखण्ड के लिये जो राहत राशि का पैकेज है, वह सीधा किसानों तक पहुंचे ताकि वहां के किसान खुदकुशी न करें। सारे देश में, देश की संसद में इस बात की चर्चा है कि बुन्देलखण्ड की स्थिति कालाहांडी से भी गंभीर हो गयी है लोग जहां सल्फास खाकर आत्महत्या करते थे वहीं लोग हेयरडाई पी करके आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे में तत्काल राहत अनिवार्य है अगर केन्द्रीय सरकार का दल जायेगा एक दो महीने में तो हो सकता है कि तब दो-तीन-चार सौ किसान और खुदकुशी कर लें। ऐसे में मैं चाहता हूं कि किसानों पर जो कर्जा है, उस पर ब्याज माफ हो, उनका कर्जा माफ हो, उनके लिए अलग से कैपिटल सब्सिडी मिले, उनको एग्रीकल्चर में 75 फीसदी का अनुदान मिले। क्योंकि जिस प्रकार से सरकारी प्रक्रिया मिलती है, अधिकारियों के दल जाते हैं, मीटिंग होती है लेकिन उनको

मिलता कुछ नहीं है। लोकमहत्व के इस प्रश्न पर मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं मा0 अध्यक्ष जी कि यह एक अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न है और प्रदेश का गौरव तभी कायम होगा जब बुन्देलखण्ड को उसका अधिकार और हक मिलेगा, अगर बुन्देलखण्ड अपने अधिकार और हक से वंचित रहा और केवल अध्ययन होता रहा कोई नीति नहीं बनेगी तो निश्चित रूप से बुन्देलखण्ड में जहां आज 195 लोगों ने आत्महत्या की है वहां भविष्य में नक्सलाइट भी घुस जाएं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

मान्यवर, मैंने नियम-56 में नोटिस दिया था उस पर आपने बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। चूंकि बुन्देलखण्ड में इस समय सूखे से विषम परिस्थितियां पैदा हो गई हैं वहां खरीफ की फसल सूख गई है, रबी की फसल किसान बो नहीं पाये हैं। जो फसल बोई गई है वह जमी नहीं है क्योंकि पूरे प्रदेश में जाड़ा पड़ रहा था ओस पड़ रही है लेकिन बुन्देलखण्ड में ओस नहीं पड़ रही है। वहां अभी भी गर्मी का मौसम है, वहां का किसान इस आस पर बैठा था कि उसे सरकार की ओर से राहत दी जायेगी। जो राहत की राशि पहुंची है, उसमें नियम यह था कि ढाई सौ रुपए से कम के चेक न दिये जाएं। मा0 सिंचाई मंत्री जी गये थे, किसानों की बैठक की थी, उनको हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब किसान चेक लेने के लिए तहसीलदार, लेखपाल के पास गये तो जिन लोगों ने उन्हें पैसा दिया था उनको चेक दे दिया। यहां तक कि जो मृतक हैं उनके नाम भी चेक बनाये गये, जो भूमिहीन हैं उनके नाम चेक बनाये गये। ढाई सौ रुपये से कम के तमाम चेक बनाये गये, ग्राम अछरौल में 50 किसान थे, जिन्होंने मांग किया था कि सूखे में हमारे सारे खेत सूख गये हैं, हमें धनराशि दी जाए। तो मान्यवर, 26 नवम्बर को उनको चेक देने के बजाय उन्हें लाठियां दी गईं और उनको मार-मार करके जिला कारागार में बन्द कर दिया गया, जिसमें श्रीपाल यादव, छोटेलाल यादव एवं कल्लू तिवारी भी हैं। उसी समय मा0 सिंचाई मंत्री जी भी बांदा गये हुए थे, लेकिन उनको इसका ध्यान नहीं आया। एक तरफ जब ढाई सौ रुपये से कम का चेक न दिये जाने का नियम है फिर भी डेढ़ सौ, पौने दो सौ रुपये के चेक दिये जा रहे हैं। अगर किसान सही बात की मांग कर रहा है तो उसे लाठी मिल रही है, उसे जेल भेजा जा रहा है। मान्यवर, बाद में पता चला कि लेखपाल को सस्पेंड किया गया है लेकिन मान्यवर, उन लोगों को धारा 186, 353, 349, 504, 506 में बन्द कर दिया गया है। हम मौके पर गये थे, किसानों के पास जमानत कराने के लिये पैसा नहीं था, उनके पास खाने के लिये पैसा नहीं है। मान्यवर, लकड़ी काट करके एक किसान छोटेलाल यादव आ रहा था, उसे बन्द कर दिया गया। मैंने आर्थिक सहायता भी मौके पे की है उसके परिवार के लोगों ने दबाव डाला तो हम लोग उसकी जमानत करा लाये हैं, कल ही जेल से छूटे हैं। बड़ी विषम स्थिति है वहां का किसान प्रतिदिन सैकड़ों बसों, ट्रकों से पंजाब, सूरत और गुजरात के लिये पलायन कर रहा है। वहां घरों में ताले लग रहे हैं, जानवर छोड़े जा रहे हैं और जहां पर थोड़ी बहुत फसल है उसको भी जानवर सांफ कर रहे हैं। इस प्रकार से पूरा बुन्देलखण्ड का किसान तबाही के कगार पर आ गया है। इतना ही नहीं मान्यवर, वहां पर लेखपाल चेक भी बिना पैसा लिये नहीं दे रहे हैं। अभी मान्यवर, आज हमने अखबार में पढ़ा है, लखनऊ के मंडलायुक्त का बयान आया है कि

डी0 आर0 डी0 ए0 एवं लेखपालों द्वारा सब रजिस्ट्रार द्वारा बिना पैसे के कोई काम नहीं किया जा रहा है।

मान्यवर, आई0 ए0 एस0 बोल रहे हैं कि इनकी सरकार में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है, सब पैसे ले रहे हैं। जब किसान सूखे की बात करता है, राहत की बात करता है तो उसे जेल भिजवाने की बात की जाती है। मैं मांग करता हूं कि कम से कम दो-दो हजार रुपया मुआवजा दिया जाय। बांदा में जो व्यवस्था है अरबन कोआपरेटिव बैंक शहर में है वहां के एकाउण्ट पेयी चेक दे दिये गये हैं। वहां की जनता 50-60 कि0मी0 दूर से आती है और दो बार आने में उसके 200 रुपये खर्च हो रहे हैं और जो किसान को चेक मिल रहा है उससे उसको कोई लाभ नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके 200 रुपये आने-जाने में खर्च हो रहे हैं जबकि 178 रुपया, 100 रुपया के चेक दिये गये हैं मान्यवर, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, किसान आत्महत्या तक कर रहे हैं। नवम्बर माह में धरती फटी, हमीरपुर जनपद के जिगनी गांव में धरती एक कि0मी0 लम्बी फटी और पूरे देश, विदेश की मीडिया ने उसको छापा। सिंचाई मंत्री जी हमारे जनपद के हैं, वहां पर एक भी नहर की व्यवस्था नहीं की गयी है। यमुना नदी से पानी लिफ्ट करा दिया जाय तो वहां के किसानों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। सूखाग्रस्त क्षेत्र के अन्तर्गत जो वितरण किया गया है वह आनन-फानन में किया गया है, कोई भी लेखपाल गांवों में नहीं गया है, घर बैठ करके चेक बनाया गया है। तमाम मृतकों के नाम चेक बनाये गये हैं, तमाम लोग 10 साल पहले अपनी जमीन बेचकर चले गये, उनके नाम चेक बनाया गया है, जिनके पास खेती नहीं है उनके नाम चेक बनाये गये हैं, जो जिंदा हैं उनके नाम कोई चेक नहीं दिये जा रहे हैं। इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि जो सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है उसे ठीक कराया जाय। एक और निवेदन और करना चाहता हूं। सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बांदा में ट्यूबवेल लगवाये जा रहे हैं हम लोग वहां से विधायक हैं जब प्रस्ताव देते हैं तो नहीं ले रहे हैं, विधायकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। सिंचाई मंत्री जी से मांग करता हूं कि अपने क्षेत्र में प्रस्ताव देना विधायकों का अधिकार है। इसलिये सर्वे कराकर ट्यूबवेल लगाया जाय, इस व्यवस्था में सुधार कर लें। किसानों पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है आपराधिक मामलों में, उसे समाप्त कराया जाय, किसानों की उसमें कोई गलती नहीं थी। कम से कम 250 रुपये के चेक की बात की गयी और 178 से 100 रुपये के चेक दिये गये। अगर किसान विरोध करता है तो अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिये न कि किसानों को जेल भेजा जाना चाहिये। वहां की स्थिति बहुत गम्भीर है। यह सूचना अविलम्बनीय लोक महत्व की है, तात्कालिक है इसलिये इस पर मैं चर्चा की मांग करता हूं।

श्री दीप नारायण सिंह-

मान्यवर, मुझे खुशी है कि आपने मुझे दूसरी बार बुन्देलखण्ड की बात सदन में रखने का अवसर उपलब्ध कराया। वहां की जो वास्तविक स्थिति है उसके सम्बन्ध में बड़े भाइयों ने चर्चा की है। हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि बुन्देलखण्ड वही भूमि है जिसे वीरों की भूमि कहा गया है, इतिहास में संघर्ष के बल पर जगह बनायी है, यह वह भूमि है जिसने हाकी के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यान चन्द्र को जन्म दिया और जिन्होंने हाकी में हिन्दुस्तान का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। यह

प्रसिद्ध राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की जन्म स्थली है, श्री वृन्दावन लाल वर्मा की जन्मस्थली रही है, गोस्वामी तुलसी दास जी ने इसी भूमि पर रामचरित मानस की रचना की है। भगवान राम के 14 वर्षों के बनवास के समय भगवान राम ने वहां 14 वर्षों में से साढ़े 12 वर्ष यहां बिताये हैं। मैं इसलिये आपको यह बातें सुना रहा हूं क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों के बराबर भले धना न हो लेकिन यह क्षेत्र संघर्ष गाथाओं से भरा पड़ा है। वहां के लोगों ने देश के लिये कितना काम किया है। आजादी की लड़ाई की शुरूआत 1857 से हुई थी उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी थी और आजादी की लड़ाई में एक रास्ता दिखाने का काम किया था। आज वही बुन्देलखण्ड की भूमि जिसका महान विभूतियों का लम्बा इतिहास रहा है आज उसकी घोर उपेक्षा हो रही है। बड़ी-बड़ी बातें कही गई हैं वर्तमान सरकार में जो लोग यहां सरकार में बैठे हुए हैं बड़ी-बड़ी बातें करके वह यहां पर चुनकर आये हुये हैं उनकी बड़ी-बड़ी बातों से बुन्देलखण्ड की गरीबी दूर होने वाली नहीं है। सिर्फ मंत्री को देने से बुन्देलखण्ड के लोगों का सम्मान बढ़ने वाला नहीं है। गरीबी दूर करने के लिये योजना और कार्यक्रम चाहिये। बुन्देलखण्ड में चार साल से पानी नहीं बरसा है वहां चार साल से खेत में एक दाना पैदा नहीं हुआ है। लोग घरों में बीमार पड़े हैं लेकिन उनके इलाज के लिये पैसा नहीं है वह मरने का इंतजार कर रहे हैं। जिसके घर में जवान लड़की शादी के लिये बैठी है उसके मां-बाप को नींद नहीं आ रही है कि कैसे लड़की की शादी करें।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री दीप नारायण सिंह-

अध्यक्ष महोदय, आप जिस पीठ पर आप विराजमान हैं उस पीठ पर कभी स्व0 श्री आत्माराम गोविन्द खरे जी बैठा करते थे वह भी मेरे गरौठा क्षेत्र से आते थे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कभी-कभी बेवकूफ आदमी भी अच्छे सुझाव दे सकता है। इसलिये सभी को मौका दो। मैं जिस झांसी जिले से चुनकर आया हूं वहां पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में हालात बहुत खराब हैं। सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं। चार साल से पानी बरसा नहीं है। इससे परिस्थितियां और खराब हो गई हैं। हमारे यहां दो बड़ी नदियां हैं एक बेतवा और दूसरी धसान नदी। इन दो नदियों पर दो बड़े पानी के संग्रह हैं बेतवा पर जुझार पूरा और प्रह्लाद दो बड़े प्राकृतिक जल संग्रह स्थल हैं। जो एक हजार व कई हजार एकड़ जमीन सिंचित कर सकते हैं। उसी तरह धसान नदी पर झारखण्ड जिसे विश्वामित्र की तपस्या स्थली कहा जाता है और कबीरघाट पर कुल दो बड़े पानी के संग्रह हैं पानी वोट (नाव) लिफ्ट कराने का सिस्टम लगा दें जो महंगा नहीं है अगर इन सभी जगहों से यह सिस्टम लगा देंगे तो बहुत सी भूमि सिंचित हो जायेगी। अध्यक्ष जी वहां पर पानी न मिलने के कारण पशु मरने लगे हैं। सरकार हैण्डपम्प लगाने की बात कर रही है सरकार [× × ×] बस्तियों में हैण्डपम्प लगाने की बात करती है।

[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

अध्यक्ष महोदय, यह हरिजन शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

[× × ×] शब्द कार्यवाही से निकाल दें।

श्री दीपनारायण सिंह-

जहां तक खाद की बात है हमारे पास आंकड़े हैं। झांसी जिले में पिछले साल 30 नवम्बर तक 15 हजार मी0 टन खाद बांटी गई जबकि इस वर्ष इस अवधि तक 10 हजार मी0टन खाद ही बांटी गयी। हमारे पास अखबारों की कटिंग है यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जिसमें लिखा है 1000 किसानों को बांटने के लिये सिर्फ 600 बोरी उपलब्ध, गम्भीर हालात है। किसानों को खाद, पानी नहीं मिल रहा है। बड़ी बुरी हालत में वहां के किसान जी रहे हैं। जहां तक सूखा राहत पर राशि बांटने का सवाल है, वह इस तरह से बांटा जा रहा है। अभी ललितपुर जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और सूखा राहत राशि बांटने के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। मेरे पास पूरी डिटेल्स हैं मैं आपको देना चाहता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि आइसो नाम की एक योजना बनाई गई थी जिसमें गरीब किसानों को खाद, बीज और दवा बांटने का काम होना था और उसके लिये 50 लाख रुपये आवंटित किये गये थे। जुलाई तक बुवाई का कार्य हो गया था और इस योजना के अन्तर्गत 40 लाख रुपये का भुगतान अगस्त में किया गया। एक भी पात्र किसान को इसका भुगतान नहीं किया गया। जिनको इसका भुगतान किया वह फर्जी डाक्यूमेंट के आधार पर किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसकी जांच करा लीजिये तो सारी चीजों का पर्दाफाश हो जायेगा कि किस तरह से इन योजनाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। मान्यवर, हमारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र हमेशा से उपेक्षा का शिकार रहा है। हमको आपके संरक्षण की आवश्यकता है। आपसे निवदेन है कि आप वहां के लोगों को राहत दिलाने का काम करेंगे।

श्री विनोद चतुर्वेदी-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड के बारे में हमारे बहुत से साथियों ने काफी बातें कही हैं। मान्यवर, बुन्देलखण्ड की हालत विकास में जैसे देश में उत्तर प्रदेश की है उसी तरह से है प्रदेश में बुन्देलखण्ड की है। मान्यवर, जब इस सरकार का गठन हो रहा था तो एक खुशी हो रही थी कि हमारे बुन्देलखण्ड के बहुत से ताकतवर साथी मंत्री बन रहे हैं। वे बुन्देलखण्ड को इन विपदाओं से निजात दिलायेंगे। मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तक तो हम वहां पर किसानों को बिजली, पानी, खाद के लिये भी कहते रहते हैं लेकिन आने वाले समय में बुन्देलखण्ड के लोग पीने के पानी के लिये तरसेंगे। मान्यवर, मेरे जनपद में जल स्तर 40 फिट नीचे है और आने वाले समय में यह निरन्तर गिरता जा रहा है। जब पीने के पानी की यह स्थिति है तो किसानों को पानी किस तरह से मिल सकता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं और उससे बुन्देलखण्ड की स्थिति के बारे

[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

में कल्पना कर सकते हैं। मान्यवर, नहरों में पानी की क्या स्थिति है ? नहरों की हेड में पानी नहीं आया और नहरें बन्द कर दी गईं। यह सूचना है कि दो दिसम्बर से नहरें बन्द हैं। इसी तरह से मान्यवर, सड़कों की बहुत जर्जर स्थिति है माननीय मंत्री जी निकलते होंगे तो उनकी जर्जर स्थिति देखी होगी। हो सकता है कि इनकी तरफ की सड़कें ठीक हों। मेरे जनपद में कोई भी सड़क ठीक नहीं है। पिछली बार भी मैंने इस बारे में प्रश्न किया था। उरई से राठ हो या उरई से औरैया हो सड़कें बड़ी जर्जर स्थिति में हैं। उधर से निकलना मुश्किल है। मान्यवर, मैं पहली बार चुनकर विधायक आया हूं। सोचता था कि जो लोग पहले थे उन्होंने जो न किया होगा इस बार के लोग करेंगे। लेकिन यहां पर मैं यही देख रहा हूं कि इस बार के लोग पहले वाले लोगों के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। मैं सोचता था कि इस बार नई चीज पैदा होगी लेकिन आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर हमको विकास की एक नई धारा उपस्थित करनी होगी। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे जनपद जालौन के बारे में विकास की नई योजनायें दिलवाने का कष्ट करें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में पिछले सत्र में नगरीय क्षेत्र के विधायकों को हैण्डपम्प देने का निर्णय हुआ था लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि...

श्री विशम्भर सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, कार्य-स्थगन के इस प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया। मैं जबरदस्ती बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप एक मिनट बैठ जायं। हां अब आपको बोलने का अवसर दे रहा हूं। अब आप बोलिये।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य बुन्देलखण्ड के हैं इनको अपनी बात कह लेने दीजिये।

*श्री विशम्भर सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज बुन्देलखण्ड की जो दुर्दशा है वह किसी से छिपी नहीं है। बुन्देलखण्ड आदि काल से भूख, लाचारी और बेबसी का शिकार रहा है। जब राजा रामचन्द्र जी, भगवान राम, बुन्देलखण्ड के बांदा जनपद में गये थे तो वहां के लोगों ने भगवान रामचन्द्र जी से कहा था "यह हमारे अति बडि यह सेवकाई, लेहिन बासन वसन चोराई" तब त्रेतायुग की स्थिति थी बुन्देलखण्ड की, और आज से तीन-चार सौ साल पहले शेरशाह सूरी बुन्देलखण्ड में गये थे विजय करने के लिए, तो बुन्देलखण्ड के किले पर जो शेरशाह सूरी को गोला लगा था वहां शेरशाह सूरी ने यह कहा था कि "मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिन्दुस्तान के इस बादशाह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की जान जा रही है।" वह भी बुन्देलखण्ड था। उस बुन्देलखण्ड में पिछले चालीस साल तक जिन लोगों ने शासन किया उन लोगों ने इस बुन्देलखण्ड के लिए कुछ नहीं किया लेकिन हां, पिछले दिनों जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे इस बुन्देलखण्ड के लिये उन्होंने बुन्देलखण्ड विकास निधि बनाने का काम किया था और बुन्देलखण्ड के लिए कुछ काम करने का काम किया था। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से दुबारा सरकार से कहना चाहता हूं सरकार के कानों में बुन्देलखण्ड की इस बेबसी की आवाज नहीं पहुंच रही है, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इतना परेशान है किसान, बुन्देलखण्ड को जो पानी दिया जा रहा है जिन ट्यूबवेलों के माध्यम से, जो बांदा जनपद को पानी दिया जा रहा है 482 ट्यूबवेल हैं, लेकिन हर ट्यूबवेल का 20-30 फिट तक जल स्तर गिर गया है। जल स्तर नीचे गिर जाने की वजह से आज केवल 100 ट्यूबवेल काम कर रहे हैं। 100 से ज्यादा ट्यूबवेल काम नहीं कर रहे हैं। आठ केवल बांदा जनपद में लिफ्ट कैनाल की योजनायें हैं और आठों में पूरी क्षमता से पानी नहीं चल रहा है। आठों में आधी अधूरी क्षमता से पानी उन लिफ्ट कैनालों में चल रहा है और तब चल पाया है जब वहीं लिफ्ट कैनालों पर हमारे जैसे लोगों ने लिफ्ट कैनालों पर धरना दिया है तीन-तीन चार-चार दिन का धरना दिया है तब पानी उन लिफ्ट कैनालों में चल पाया है। वरना उन सबके मोटर खराब थे, पंखे खराब थे कोई पानी देने की व्यवस्था नहीं थी तो माननीय अध्यक्ष जी जिन बांधों से बांदा को और बुन्देलखण्ड के बड़े भू-भाग को पानी देने का काम किया जा रहा है उन बांधों में पानी नहीं है। बुन्देलखण्ड की स्थिति आज इस कदर खराब हो गई कि बरसात के पानी से ऊपर के हिस्से में तो नमी है बीच का हिस्सा सूखा पड़ा है जिससे किसान बीज नहीं बो पा रहा है। लेकिन मजबूर है जब वह घर पर आता है तो उसकी पत्नी और बच्चे कहते हैं कि कुछ बोइए खेत में, हो सकता है कि भगवान पानी बरसा दें। तो आगे कुछ फसल हो सकती है अपने खाने के लिए अनाज किसान ने जो इकट्ठा कर रखा है उसको किसान खेती में किसी तरह से बरवाद कर रहा है, तबाह होकर कर रहा है लेकिन पानी बरसने की कोई उम्मीद नहीं है, सरकार के पास पानी देने का कोई इंतजाम नहीं है। आज जो मुआवजे के नाम पर चेक दिए जा रहे हैं वह केवल लघु और सीमान्त किसानों को दिए जा रहे हैं, क्या बड़े किसानों की भूमि नहीं पड़ी है, क्या उन बड़े किसानों का नुकसान नहीं हुआ है उनका भी नुकसान हुआ है जो पिछले चार साल से सूखे की चपेट में हैं। उनके घर में भी अनाज का दाना नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कलसाड़ा सानी में राम आसरे गुप्ता जिसकी उम्र 45 साल थी उसकी भूख से मौत हो गई। उसके गांव के लोग चिल्लाते रहे इनका पोस्टमार्टम कराया जाए। लेकिन उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया जबर्दस्ती उसको फूंक दिया गया। उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। उसके पास एक बीघा जमीन है। उसकी पत्नी खाना बनाने का काम करती थी उसको भी चार महीने से वेतन नहीं दिया गया। पैसा नहीं दिया गया मजदूरी का पैसा नहीं दिया गया, पिछले महीने उसको निकाल तक दिय गया। इसी तरह से अन्दौली गांव में मुत्यु हुई, बीसियों लोग आत्महत्या कर चुके हैं। बीसियों लोगों की भूख से मृत्यु हुई है। तो मा0 मंत्री जी कोई ठोस योजना तैयार करनी होगी।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई है।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

जिस तरह से 180 और 200 फिट पर बुन्देलखण्ड और बांदा में पानी है। 200 फिट नीचे ग्रेनाइट के पहाड़ हैं 200 फिट से नीचे बोरिंग नहीं हो सकती है। जो 55 ट्यूबवेल विधायकों को दिये गये हैं बांदा जनपद को, उन ट्यूबवेलों में विधायकों के प्रस्ताव को कोई सुन ही नहीं रहा है। कोई बात ही नहीं सुन रहा है कैसे लगा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। एक जगह खैरागांव में ट्यूबवेल बोर हो रहा था हमारे प्रस्ताव का था किसी तरह बोर कराया जा रहा था वहां से मशीन तक खिंचवाने का काम कराया गया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है बात आ गई।

श्री विशम्भर सिंह यादव-

जो प्रस्ताव में है वहां ट्यूबवेल नहीं लगने दिए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पीने के पानी का संकट बांदा और बुन्देलखण्ड में खड़ा हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी आपने हमें मौका दिया इसके लिए हम आपको बहुत-बहुत बधाई देते हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय चन्देल जी, आप बैठिये, इस पर बहुत लम्बा समय दिया गया है। एक महत्वपूर्ण विषय पर आप लोग कहना चाहते थे, मैंने आप लोगों की भावनाओं का आदर किया है।

श्री विवेक कुमार सिंह-

मान्यवर, मैं 3 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 1857 में रानी लक्ष्मी बाई ने राखी भेजी थी, नवाब बांदा को और वह दिन है कि बुन्देलखण्ड की और अंग्रेजों के वक्त से आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज वहां पर पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, मैं तो आज धन्यवाद देता हूं कि हम भी सपा में थे जब बात करते थे। जब वहां भूख से मौत होती थी, गर्भ से लड़की मरी तो यह कह दिया गया कि बदचलन है। आज मुझे खुशी इस बात की है कि जो बात उस वक्त हम उठाते थे, वह बात आज आप उठा रहे हैं। भारत की संसद में बात उठ रही है कि बुन्देलखण्ड में भूख से मौतें हो रही हैं। मान्यवर, ऊपर पानी है नहीं, तत्कालीन खनिज मंत्री बैठे हैं, वर्तमान के हैं नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि ऊपर पानी नहीं है, लेकिन माफिया लोगों के मार्फत ढाई-ढाई सौ फिट नीचे महोबा, हमीरपुर, बांदा में नीचे के पट्टे दे दिए गये हैं, नीचे के पत्थर तोड़कर पानी निकाला जा रहा है। आने वाले दिनों में न ऊपर पानी है, न नीचे पानी है, अरबों रुपये का गबन किया जा रहा है। माननीय नसीमुद्दीन भाई बैठे हुए हैं, हमारे दद्दू भाई बैठे हुए हैं, मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि अगर बुन्देलखण्ड को बचाना है तो केवल वहां तालाब दे दीजिए, चेक डैम दे दीजिए और इस खनिज सम्पदा पर रोक लगा दीजिए। अगर हम यह कार्यवाही नहीं कर सके तो

हमें मजबूरन यह करना पड़ेगा कि [x x x] स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है। एक और निवेदन करूंगा मैं मा0 मंत्रीगणों से कि जब वह वहां पर जायें तो जनप्रतिनिधियों को बुलाकर जरूर बात करें। अधिकारियों से बात मत करें। वे झूटे आंकड़े दे रहे हैं। इन्हीं अधिकारियों ने आज इनको विपक्ष में बैठाया, आप उस गंलती को मत कीजिए। हम बड़े साफ शब्दों में आपसे कह रहे हैं कि यह किसी के सगे नहीं हैं, यह लाल बत्ती के सगे हैं, यह निष्ठा इतनी जल्दी बदलते हैं। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, मैं कहना नहीं चाहता हूं आप जानते हैं। (कुछ सदस्यों की आवाज आई कि कहना नहीं चाहते हैं तो क्यों कहते हैं), (हंसी)। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, बुन्देलखण्ड के पृथक राज्य का जो विरोध करेगा, वह उस क्षेत्र का देशद्रोही है। आज वहां की हालत यह है, हैण्डपाइप नहीं है। शासनादेश वापस ले लीजिए, ग्राम्य विकास मंत्री जी, भरपूर मात्रा में हैण्डपाइप दे दीजिए, पीने का पानी उपलब्ध करा दीजिए। हमारी नहरें जो टूटी पड़ी हुई हैं, उनको सुधरवा दीजिए। अगर पानी उस इलाके में नहीं है तो मण्डला की तरफ से वहां पानी लाने का प्रयत्न कीजिए और माननीय मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब भी बांदा में आपका हेलीकाप्टर उतरे तो हेलीकाप्टर को (गनीज) (गंगऊ व वरियारपुर) डैम पर उतार दीजिए और वहां से हम लोगों को बुला लीजिए, हम लोग आपको दिखाते हैं, स्वीमिंग टैंक बना है, आपके अधिकारियों का, उस इलाके में जहां पीने का पानी नहीं है। वहां पर सिंचाई विभाग के जिनको नियुक्त किया था पिछली सरकार ने, उन्होंने बढ़िया स्वीमिंग टैंक बना रखा है अगर नहाने में असुविधा हो तो स्वीमिंग टैंक का भी आनन्द ले लीजिए। यह हालत मची हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने हम छोटे लोगों को भी बोलने का मौका दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बहुत अच्छा, अब आप बैठ जायें। माननीय चन्देल जी अब तो सब बात आ गई है। अब आपको क्या कहना है ?

* श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बुन्देलखण्ड की समस्या पर हमारे तमाम सम्मानित भाइयों को सुना, आपने हमें भी बोलने का मौका दिया है इसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम अपनी बात कहें और सत्ता पक्ष के लोग यह समझें कि हम उनकी आलोचना कर रहे हैं हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हम तो इतना कहना चाहते हैं कि जितने हमारे सदस्य भाइयों ने अपनी बातें रखी हैं सत्ता पक्ष के भी बहुत सारे सदस्य इस बुन्देलखण्ड की धरती से आते हैं। उनमें तमाम लोग वरिष्ठ मंत्री हैं और बुन्दलेखण्ड क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और हमारी ऐसी मान्यता है कि अगर वह चाहें तो बुन्देलखण्ड क्षेत्र का उद्धार हो सकता है उसके दुर्दिन बदल सकते हैं। आज हमारे सामने भाई नसीम साहब बैठे है, दद्दू प्रसाद जी बैठे हैं और हमारे तमाम सम्मानित विधायकगण बैठे हैं। ऐसा नहीं कि यह इस बात को नहीं जानते हैं कि बुन्देलखण्ड वास्तव में सूखे की मार को झेल रहा है। ऐसा भी

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है कि आप इस बात से अवगत नहीं हैं कि बुन्देलखण्ड में लोग आत्महत्यायें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं कि बुन्देलखण्ड के साथ जो व्यवहार होना चाहिए था, जितना पैसा दे करके वहां के विकास की दिशा को आगे बढ़ाना चाहिए था वह नहीं हो रहा है। हम तो केवल आप से इतना अनुरोध करना चाहते हैं कि आप वास्तविकता से भली-भांति परिचित हैं आप यह जानते हैं कि वहां पर पानी का स्टेटा नीचे जा रहा है, आप यह जानते हैं कि भयंकर सूखा है, भयंकर तबाही है और एक साल के भीतर दो सौ से ज्यादा लोग मौत के काल में चले गये हैं। माइनर एरीगेशन का जहां तक सवाल है वहां के किसान कैसे वहां पर बोरिंग कराये, अगर वह बोरिंग कराता है तो जो जिला स्तर से आपसे थोड़ी बहुत सहूलियत मांगी गई थी चन्द विभागों के जो बजट आपसे मांगा गया था, आपने कहा कि ढाई सौ के हिसाब से बटेगा, फिर आपने कहा कि नहीं इसको एक हजार रुपये के हिसाब से बांटिये।

श्री अध्यक्ष-

किसी माननीय सदस्य का मोबाइल बज रहा है। मैंने सदन में कई बार माननीय सदस्यों से कहा है कि अगर वह मोबाइल ले करके सदन में आते हैं तो वह बजना नहीं चाहिए लेकिन आइन्दा आज यह व्यवस्था दे रहा हूं कि अब जिसके मोबाइल से आवाज हुई तो उसको जब्त कर लिया जायेगा और उसको दिया नहीं जायेगा। मार्शल दिखवा लें किसका मोबाइल है ?

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप वास्तविकता से परिचित हैं तो मान्यवर हम यह कहना चाहते हैं आपसे कि कम से कम बुन्देलखण्ड में जो पानी का स्टेटा गिर रहा है उसको हम कैसे ऊपर लायें। जो आपके मौदहा बांध वगैरह हैं वहां 70 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर की बीच कुल आपके पास पानी है और वह पानी आप जानवरों को तालाब भर के पिलाने के अलावा किसी खेत की सिंचाई भी आप नहीं करवा पा रहे हैं। एक भी लिफ्ट कैनाल नहीं चल पा रही है उसके लिए आपसे कुछ पैसा मांगा था जिला प्रशासन ने ताकि उस नदी को काट करके उसका पानी वहां तक ले जाया जाये जहां से लिफ्ट कैनालें चलाई जा रही हैं वहां तक के लिए भी अभी तक आपने पैसा उपलब्ध नहीं कराया है। जहां तक नलकूपों का सवाल है उनके रिपेयरिंग के लिए आपसे मात्र 316 लाख रुपया मांगा गया था आज तक वह भी उपलब्ध नहीं कराया गया है अगर नलकूप ठीक नहीं रहेंगे, चलेंगे नहीं तो जो खेत बोये गये हैं वह कैसे काटे जायेंगे ? तो मेरा आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध है और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि कल किसने क्या किया और आज कौन क्या करेगा ? सवाल इस बात का नहीं है। जैसे विवेक सिंह ने बार-बार हमला किया, माननीय प्रमोद तिवारी जी उस पर मुस्करा रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने भी कहा था कि बुन्देलखण्ड राज्य बनायेंगे और आप की भी कांग्रेस की सेन्ट्रल कमेटी की सोनिया गांधी ने कहा था कि हम भी बनायेंगे। हम कह रहे हैं कि अगर बुन्देलखण्ड राज्य से बुन्देलखण्ड से इतनी ही मोहब्बत आपको भी है और आपको भी है, तो बुन्देलखण्ड राज्य बनाने का प्रस्ताव पेश करें हम उसका समर्थन करने का वचन देते हैं।

मान्यवर, आपकी माननीया बहन जी ने कहा था कि इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार प्रस्ताव पास करके भेजे तो उसे लागू कर देंगे। केन्द्र सरकार ने कोई प्रस्ताव पास करके अभी तक नहीं भेजा है। उसमें मध्य प्रदेश के 22 जिले आते हैं बुन्देलखण्ड में। आपने मध्य प्रदेश की ओर से कोई प्रयास नहीं कराया है। केवल छोटी सी बात कहकर कि अधिकारी आपको समाप्त कर देंगे, उन्हीं अधिकारियों ने आपको हमेशा के लिये समाप्त कर दिया है। (मेजों की थपथपाहट)

आज सदन में माननीय नसीम भाई बैठे हैं, माननीय रामवीर उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, नसीम जी हमारे वरिष्ठ हैं मैं उन्हें अपना बुजुर्ग कहता हूं। उन्हें बुजुर्ग कहकर ही सम्बोधित करूंगा। दूसरी चीज माननीय रामवीर उपाध्याय जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी विद्युत के नये कनेक्शनों के मामले में जिन्होंने लघु सिंचाई विभाग से बोरिंग भी करा ली है उनको कनेक्शन दिलाने का कष्ट करें। हमारे यहां हमीरपुर में 180 का कोटा था वह कटकर 150 हो गया है। 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर 10 से 15 हजार रु0 वसूले जा रहे हैं यह सबसे बड़ी विडम्बना है कि जहां लोगों के पास खाने के लिये नहीं है वहां इस तरह से वसूली की जा रही है। इसको देखने का आप काम करें। अपने बुजुर्ग नसीम भाई से कहना चाहूंगा कि वहां लघु सिंचाई के लिये कम से कम 100 नये ट्यूबवेल प्रस्तावित करने का आप काम करें ताकि बुन्देलखण्ड की जनता का उसका लाभ मिल सके और वहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके।

सिंचाई मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, सफेद दाढ़ी उधर है और बुजुर्ग इधर के लिये आप कह रहे हैं। एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। दाढ़ी तो उधर है तिनका कहां है वह पता नहीं। मन्नान भाई यहां पर बैठे हुए हैं उनको आप बुजुर्ग कहते तो हम भी उसका समर्थन करते। मैं भी उन्हें बड़ा भाई कहता हूं।

मान्यवर, सभी की बातें हमने सुनी हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जो हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यगण हैं उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। ट्यूबवेल का प्रस्ताव रखा, नहरों में पानी नहीं चल रहा है वह भी बात आयी है। नहरें खेत में बदल गयी हैं वह भी बात आयी। हमारे एक साथी कभी हमारे हमराह हुआ करते थे आज छोड़कर उधर चले गये हैं या छोड़ दिये गये। उन्होंने कहा कि जो चेक दिये गये हैं वह मृतकों को दिये गये हैं। मंत्री जी वहां गये थे मेरा नाम लेकर कहा कि उनको होश ही नहीं आया इस बारे में। कहा गया है मान्यवर, कि तुमने गैरों पर इल्जाम लगा रखे हैं, अपने दामन के मगर दाग छुपा रखे हैं, वह दाग तो निकालकर लाइये जो छिपा कर रखे हैं। अभी आप टेल की बात कर रहे थे आगे हेड की बात करेंगे। एक विभाग ऐसा भी है जो सीधे हेड में पहुंचता है। लेकिन अभी उसका वह समय नहीं है। हमारे माननीय विशम्भर प्रसाद निषाद जी ने कहा कि मृतकों को चेक दे दिये गये। मान्यवर, जो भी चेक दिये जाते हैं वह इससे पहले एकाउन्ट पेयी करके दिये जाते थे। अगर मान भी लें कि किसी मृतक के नाम एकाउन्ट पेयी चेक दिया गया तो जब वह चेक उसके खाते में जायेगा तो मृतक निकालेगा कैसे ? फिर कहा गया तो बियरर चेक देने की बात आयी, आर्डर चेक की बात आयी, बियरर चेक की जगह आर्डर चेक दिया गया है। उसमें यह प्रक्रिया होती है कि कोई उसका सिग्नेचर सर्टिफाई करेगा इन्ट्रोड्यूज करेगा तभी वह पैसा निकल पायेगा। अगर कहीं किसी मृतक के नाम जारी हो गया और वह निकाल लिया गया तो उसका सबूत आपको हमें देना चाहिये था।

जहां तक यह भी आया कि जाकर विधायकों की टीम को देखना चाहिए। अब कितने गम्भीर हैं माननीय सदस्य हमारे जिन्होंने बात यह रखी है बुन्देलखण्ड के प्रति इतना गम्भीर हैं। मान्यवर, इधर शासन से एक टीम बुन्देलखण्ड भेजी, 11 अधिकारियों की टीम भेजी गयी और वह प्रमुख सचिव, राजस्व सुश्री नीता चौधरी जी की अध्यक्षता में भेजी गयी उसमें 10 और सदस्य थे कुल 11 अधिकारी थे। मान्यवर, पहली तारीख को बांदा यानि चित्रकूट मण्डल तारीख का मेरा तात्पर्य नवम्बर से है दूसरी तारीख को झांसी में पूरी विभागीय समीक्षा की यह शासन से भेजी गयी। इसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया 28 तारीख को मैं गया। माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि 4 साल से सूखा है। हमारे लिये पहला साल है, हम स्वीकार करते हैं सूखा है, दिक्कत है वहां पर पानी नहीं है सच्चाई है यह सभी की चिन्ता है। 3 साल आप कितनी बार गये हो। मान्यवर, मैं गया और जाने के बाद 7 के सातों जिलों के किसानों को माइक में ला करके उनकी समस्याओं को सुना और नोट किया और आने के बाद कार्यवाही हमने प्रारम्भ करवा दिया और होने के बाद बतायेंगे कि क्या कार्यवाही की जा रही लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि इतने गम्भीर थे जो भी माननीय सदस्य बोले एक ने भी आने का वहां कष्ट नहीं किया।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, वहां बसपा के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया विधायकों को नहीं बुलाय गया।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, आप बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

जैन साहब बैठिये।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, न जाने क्या हुआ अब के जहीन लोगों को खराश चेहरे पर है आइना बदलने लगे।

श्री अध्यक्ष-

यह आल्हा में समझेंगे इसमें नहीं समझ पायेंगे।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, खराश चेहरे पर है यह नहीं समझ पायेंगे।

मान्यवर, जो मेरा कार्यक्रम गया था उसको अभी तक निकालकर देख सकते हैं वह फैक्स के जरिये गया था। किसानों और जनप्रतिनिधियों को भेजा गया था पार्टी का कोई भी कार्यक्रम नहीं था।

(श्री प्रदीप जैन एवं कुछ अन्य सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

आप मेरी पूरी बात सुनें। मान्यवर, वैसे भी जो कार्यक्रम भेजा जाता है सारे जनप्रतिनिधियों को उसकी प्रति जाती है, सूचनाएं जाती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सूचना न हो। खैर बात छोड़िये। आपने वहां नहीं बताया आपने यहां बता दिया। हमारे कुछ सदस्यों ने माननीय विशम्भर जी ने खास तौर पर स्वीकार किया कि ट्यूबवेल अच्छीखासी तादाद में बुन्देलखण्ड पहुंचे। मान्यवर, जहां तक नहरों का सवाल है लिफ्ट कैनाल का सवाल है।

मेरी बात को सुन लें। मान्यवर, ट्यूबवेल भेजे गये, जलाशयों में पानी नहीं, नहरों में पानी देने की स्थिति नहीं, अधिकतर जलाशयों में पानी नहीं, यह सही है। लिफ्ट कैनाल की बात कही गयी उसका भी परीक्षण निरीक्षण करा दिया गया है। जितना हम दे सकते हैं उतना दे रहे हैं, इससे ज्यादा नदियों में भी पानी नहीं है। ट्यूबवेल का इनका बिल्कुल सही कहना है, अधिकतम दिये गये हैं। इसके अलावा बुन्देलखण्ड के जितने माननीय सदस्य हैं अपनी डिमान्ड भेज दें हम प्रयास करेंगे अपने वित्तीय संशाधनों को ध्यान में रखते हुए ट्यूबवेल अधिक से अधिक दे सके।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

हम लिखकर दिये हैं वहां लगाया नहीं जाता है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

आप गलत जगह लिखकर देते हैं।

माननीय निषाद जी, जब मैं मांग रहा हूं तो आप मुझे दे दीजिये। वह क्या हुआ, अब यह आप जानें, कहां लिखकर दिया है। मुझे आपने लिखकर अभी तक नहीं दिया है, मुझे आप लिखकर दे दें। मैं परीक्षण करा लूंगा। अधिक से अधिक जो सम्भव होगा, वह करायेंगे। जहां तक भुखमरी की स्थिति है, उसके बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बतायेंगे। यह बात सही है कि जो महोबा जिला है, चित्रकूट जिला है, बांदा जिला है, हमीरपुर, जालौन जिला है, यहां सचमुच गम्भीर संकट है।

श्री दीप नारायण सिंह-

संकट तो झांसी में भी बहुत है। वहां की हालत बहुत खराब है। रोड से निकले होंगे तो आपने देखा होगा।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

और जिलों की अपेक्षा झांसी में कम है। मैं उधर रोड से नहीं निकला हूं। जहां से निकला हूं वहां की बात बता रहा हूं। सचमुच गम्भीर संकट है। इससे कोई फायदा नहीं है कि हम आपके ऊपर आरोप लगायें और आप हमारे ऊपर लगायें। यह जो दैवी आपदा है, यह किसी व्यक्ति की, किसी संरकार की दी हुयी आपदा नहीं है। यह स्थिति कई वर्षों से चल रही है। पिछली बार जितनी बरसात हुयी थी इस बार उससे भी आधी ही कम हुयी है। पिछली बार 65 प्रतिशत बरसात हुयी थी, जबकि इस बार मात्र 29-30 प्रतिशत बरसात हुयी है। हमें इसके लिये बैठकर रास्ता निकालना चाहिये कि कैसे समस्या का हल हो। आगे आने वाले समय में पीने के पानी का संकट हो सकता है उससे निपटने के लिये हमें क्या करना चाहिये, यह सोचने की बात है। यही सच्चाई है, हम उसे डिनाई करेंगे उससे कोई फायदा नहीं है। जलाशयों में जो पानी है उस पानी को व्यक्तियों के पेयजल के लिये, पशुओं के पेयजल के लिये संरक्षित कर लिया गया है। बाकी अधिकांश जलाशयों में पानी नहीं है। सिंचाई के लिये हम क्या सुविधा दे सकते हैं, ट्यूबवेलों आदि के बारे में हमारा विचार चल रहा है, धन्यवाद।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, हमने एक महत्वपूर्ण बात रखी थी और मैं सुझाव देना चाहता हूं कि स्प्रिंकलर के माध्यम से वहां कम पानी में सिंचाई हो सकती है। इस पर पहले 75 प्रतिशत सब्सिडी भी थी। अकाल की स्थिति आप स्वीकार कर रहे हैं। आप स्प्रिकलर उपलब्ध करवा दीजिये और इस पर इस बार

90 फीसदी सब्सिडी हो जाय। अब वहां केन्द्र का दल जायेगा या राज्य सरकार का दल, लेकिन इसके चक्कर में बुन्देलखण्ड के लोग न पिसें। वहां खुदकुशी करने वालों की संख्या 195 है। माननीय मंत्री जी वहां के सम्बन्ध में एक नीति बनायें। मान्यवर, झांसी में एक नहर है, मंत्री जी के संज्ञान में भी है। सीपरी रजबहा वाली नहर है, उस पर निर्माण नहीं हो रहा था, हमने विधान सभा में भी लिखकर दिया, डी0एम0 को भी दिया, सभी जगह दिया लेकिन काम नहीं हुआ। उसके बाद हम 10 हजार लोग सड़क जाम कर बैठ गये, हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लग गया। मैं चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड की स्थिति सुधारने के लिये माननीय मंत्री जी यदि कोई व्यवस्था कर रहे हैं तो वह उसे बतायें। अन्यथा हम लोगों के यहां आने से बेहतर यही होगा कि हम लोग यहां न आये और वहीं सड़कों पर बैठें, अधिकारियों को बंधक बनायें और हम लोग काम न होने पर वहां की सड़कों को जाम कर देंगे।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

माननीय जैन साहब यह ठीक नहीं है, यह भाषा ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि आप समस्या के प्रति गम्भीर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

दीप नारायन जी, विवेक जी आपकी बात आ गई है, आप लोग बैठ जाएं।

श्री विवेक कुमार सिंह-

मान्यवर, महोबा, बांदा और हमीरपुर में जो विस्फोट करके नीचे से पानी निकाला जा रहा है, अगर उस पर रोक नहीं लगायी तो बहुत विषम स्थिति पैदा हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, संज्ञान में आ गया।

श्री दीप नारायन सिंह-

मान्यवर, इसके लिए एक योजना बनायी गयी, विभाग ने पूरी योजना भेजकर सरकार से अनुमति मांगी, मात्र उसमें दो करोड़ रुपये खर्च होने थे पूरा बांध भर सकता था लेकिन बदल गये राजनीतिक हालात और दोबारा से विभाग ने सरकार से अनुमति मांगने का प्रयास किया। मा0 मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि विभाग ने यह रिपोर्ट लगा दी कि वह पानी को वहां पहुंचा नहीं सकते हैं। हम लोग बरसात के पानी को मांग रहे थे कि बरसात का पानी जो नदी के माध्यम से लाखों क्यूसिक पानी बंगाल की खाड़ी में जा रहा है, बरसात के दिनों में उस पानी को, रोक करके उस नहर को चला देंगे। इससे एक हजार हेक्टेयर जमीन वहां सिंचित हो सकती थी, पानी की बहुत बड़ी व्यवस्था थी, लेकिन इसे हमने जोरदारी से उठा दिया तो अधिकारियों ने मिलीभगत करके पूरी योजना ही बदल दी और यह कह दिया गया कि अब पानी भरना वहां सम्भव ही नहीं है। मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को लगा दें, एक सेकेण्ड में निर्णय हो जायेगा कि पानी भर सकता है या नहीं। इसके साथ ही हमारे विवेक कुमार सिंह भी दो-तीन बातें कह गये हैं, इनका भी हिसाब चुकता कर दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपकी बात आ गई, आप बैठ जायें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस बात को मा0 सिंचाई मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि बुन्देलखण्ड में पिछले कई वर्षों से वर्षा कम होने से सूखे की स्थिति है और सूखा पड़ा हुआ है। इस बार पिछले साल से भी कम बरसात हुई जिसके कारण और भयंकर स्थिति है। इस बात को संज्ञान में लेते हुए प्रदेश सरकार ने जांच कराकर, जिलाधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर उन जिलों को, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर सातों जिलों और साथ-साथ मिर्जापुर और सोनभद्र को भी सूखाग्रस्त घोषित किया। सूखाग्रस्त घोषित करने के तत्काल बाद ही दो-दो करोड़ रुपये प्रत्येक जिले को इस कार्य के लिए कि जिससे पेयजल की समस्या न उत्पन्न हो, जो नलकूप ठीक न हों तो उन्हें ठीक कराने के लिए जिलाधिकारी को आवंटित किया गया। सूखे की विषम स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उन सातों जिलों को और साथ में मिर्जापुर और सोनभद्र को भी मिलाकर वहां के किसानों को भी सहायता देने का निर्णय लिया गया और उस निर्णय में मा0 मंत्री जी ने बताया कि पहले ढाई सौ रुपया प्रति कास्तकार जो छोटे कास्तकार हों। एक हजार रुपये प्रति हेक्टेयर लेकिन कम से कम ढाई सौ रुपये देने का निर्णय लिया गया था। प्रदेश सरकार ने बुन्देलखण्ड की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम एक हजार रुपये प्रति कास्तकार देने का निर्णय किया और साथ ही साथ पहले जो एक हजार से कम के चेक हैं उसको आर्डर चेक के रूप में, क्योंकि उनको एकाउन्ट खोलने में दिक्कत होती थी, उसके लिए देने का निर्णय लिया।

अभी तक 118 करोड़ रुपया 9 जिलों को आवंटित किया जा चुका है। इसके साथ ही साथ जो विभिन्न योजनायें हैं जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग, प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, राजस्व एवं राहत आयुक्त, प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, इन्होंने पूरे बुन्देलखण्ड का दौरा किया। दिनांक 1-11-2007 को बांदा और 02-11-2007 को झांसी मण्डल के विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उक्त बैठक में मण्डलायुक्त चित्रकूट, झांसी और समस्त जिलाधिकारियों के साथ विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया और उसमें जो निर्देश दिया गया कि जो बुन्देलखण्ड की विषय परिस्थिति है, कोई अप्रिय घटना न होने पाये, इसके लिये ग्राम्य एवं क्षेत्र स्तर पर रोजगार का सृजन, स्थाई परिसैम्पत्तियों हेतु चैक डेम, बंधियों का निर्माण, निजी भूमि पर जल पर स्थल विकास, तालाब तथा बंधों का निर्माण, ग्राम्य और क्षेत्र स्तर पर सिंचाई की व्यवस्था, ट्यूबवेलों की मरम्मत, हैण्ड पम्पों की स्थापना तथा रि-बोर, प्रत्येक विकास खण्ड पर एक रिंग मशीन की उपलब्धता, क्षेत्र के सभी कुओं का चिन्हीकरण, मरम्मत तथा उनका पुनरुद्धार, टैंकर से जलापूर्ति, पशुओं के लिये पशु कैम्प की स्थापना तथा उनका चारा, औषधि एवं पेयजल की व्यवस्था, अतिरिक्त खाद्यान्न की व्यवस्था ये निर्देश दिये गये। इसके साथ ही साथ सूखाग्रस्त जनपदों के समस्त कृषि देयों की वसूली स्थगित करने का निर्देश दिया गया। प्रदेश सरकार ने लगातार उस क्षेत्र की जो विषम परिस्थिति है उसके संवेदनशील होकर दैनिक समीक्षा की जा रही है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी जनपदों तथा जनपद मिर्जापुर तथा सोनभद्र के स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त यह महसूस किया कि राहत

कार्यों को और तेजी से तथा व्यापक स्तर पर किये जाने की आवश्यकता है। कृषकों को, विशेषकर लघु और सीमान्त कृषकों को दृष्टिगत रखते हुए उनकी फसलों का जो नुकसान हुआ है उसके लिये मैंने पहले ही बताया कि 1000 रुपया जो पहले 250 रु0 प्रति काश्तकार था, 1000 प्रति हेक्टेयर और मिनिमम 250 रु0 था उस 250 रु0 की जगह पर मिनिमम 1000 करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही साथ सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वह प्रत्येक क्षेत्र का सघन निरीक्षण करें, जनप्रतिनिधियों के साथ भी वार्ता करें और कोई भी व्यक्ति भूख से न मरने पाये इसका प्रबन्ध किया जाये। मान्यवर, इसके साथ ही साथ प्रदेश सरकार ने जिस तरह विदर्भ में वहां की परिस्थितियों के लिये विशेष पैकेज केन्द्र सरकार ने दिया था, उसी के अनुसार प्रत्येक सरकार ने केन्द्र सरकार से विदर्भ की भांति विशेष पैकेज की भी मांग करने का भी काम किया। इसके साथ ही साथ मा0 निषाद जी ने जिक्र किया कि चेक वितरण में धांधली करने का काम किया गया है उसी को ध्यान में रखते हुए निरन्तर शिकायतों को प्राप्त करने के लिये जिले के मुख्यालय पर सूखा राहत शिकायत सेल का गठन किया गया है जिसमें प्रातः आठ बजे से सायं 8 बजे तक सूखा राहत राशि वितरण में अनियमितता के साथ-साथ अन्य बिन्दुओं से सम्बन्धित शिकायतों का पंजीयन दर्ज करके समय बद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसी का परिणाम है कि 6 लेखपाल जिन्होंने धांधली की थी उनको निलम्बित किया गया और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा पेपर दिखाने पर)

श्री अध्यक्ष-

पेपर न लहराइयें।

श्री लालजी वर्मा-

कृषकों के विभिन्न देयों पर वसूली के सम्बन्ध में उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न करने के निर्देश दिये जा चुके हैं। इस तरह से प्रदेश सरकार पूरी तरह से चूंकि यह दैवी आपदा है किसी व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न की गई आपदा नहीं है और विषम परिस्थितियां हैं इसको सरकार स्वीकार करती है। हमने प्रदेश सरकार के संसाधन से 118 करोड़ रुपये दिये हैं। पूरे क्षेत्र में करीब साढ़े ग्यारह लाख लघु उद्योग और सीमान्त किसान हैं सबको अनुदान मिलेगा जितने भी धन की आवश्यकता होगी वह उपलब्ध कराया जायेगा। इसमें कोई भी कमी नहीं होगी।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

लघु और सीमान्त किसानों को जो एक हजार रुपये किये गये हैं क्या वह सभी किसानों के लिये करेंगे। क्या बड़े किसान सूखा से पीड़ित नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

यह हमेशा से व्यवस्था रही है कि लघु और सीमान्त किसानों के लिये व्यवस्था की जाती है। सीमान्त की सीमा में वह किसान जिसके पास 8 बीघा पक्के होगा वह भी आ जायेगा यानी पांच एकड़ की जमीन वाला किसान सीमान्त किसान होता है।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

जो बड़े किसान कहे जाते हैं क्या वह सभी सूखा प्रभावित नहीं हैं आपका क्या मानना है।

श्री लालजी वर्मा-

आप बाद में अपनी बात कह लीजिये। जो बड़े किसान होते हैं उनके लिये एक हजार रुपये कोई बड़ी राशि नहीं होती है। मेरा मानना है कि इससे उनका खर्चा भी नहीं चल जायेगा। यह अनुदान है, सहायता है। इसके लिये हमेशा से एक प्रक्रिया रही है। ऐसी परिस्थितियों में हमेशा लघु और सीमान्त किसानों को सुविधा उपलब्ध कराई जाती रही है उसी के अनुरूप यह किया गया है। हम सभी लोग जानते हैं। प्रदेश की मुख्य मंत्री प्रत्येक दिन इसकी समीक्षा कर रही हैं व स्वयं कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेने का काम किया और इस बात के सख्त निर्देश दिये गये जिलाधिकारियों को प्रत्येक दशा में ऐसी व्यवस्था करायें कि कोई भी भूख से न मरने पाये।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

यह हमारे पास पेपर है। दानापुरी कबरई में भूख से मौत हुई। सूखे से पीड़ित नहीं हुए इसलिये नहीं देंगे। मान्यवर, 118 करोड़ रुपये दिया गया है इसके सापेक्ष कितना वितरित हुआ है यह तो बता दें। चर्चा हो रही है लेकिन एक भी रुपया बांटने का काम नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायं। मंत्री जी को अपनी बात कहने दें उसके बाद कह लीजियेगा जो पूछना हो।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, 12 लाख 50 हजार काश्तकार हैं और सबको मिलेगा। इसके लिये जो भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ेगी वह दिया जायेगा। मान्यवर, आप लोग बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। बीच में नहीं बोल रहा था इसलिये आप लोग भी मेरी बात को सुनें। बीच में न बोलें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज वहां पर जो विषम परिस्थितियां हैं उससे मुकाबला करने के लिये, क्योंकि यह दैवीय आपदा है, जितना भी सम्भव हो सकेगा, निपटने के लिये प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। बुन्देलखण्ड के समग्र विकास के लिये प्रदेश सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। आप रोज देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि वहां के विकास के लिये सरकार क्या-क्या कार्य कर रही है। चाहे वहां के लोगों के स्वास्थ्य का सवाल हो। प्रदेश सरकार ने बांदा के एक मेडिकल कालेज की स्थापना करने का निर्णय लिया है। झांसी में पैरा मेडिकल केन्द्र खोलने जा रहे हैं। इस तरह से वहां के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति भी चिन्तित है। हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई वहां भूख से पीड़ित न होने पाये। हम इसके लिये हर संभव प्रयास कर रहे हैं और यह अकेले सम्भव भी नहीं है। मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता जैसा हमारे साथियों ने कहा कि विगत 4 वर्षों से, हम 4 वर्षों का कोई जिक्र नहीं करना चाहते हैं। आप लोगों के साथ माननीय मंत्री जी भी स्वयं उस क्षेत्र के हैं। कई वरिष्ठ मंत्री वहां से सम्बन्धित हैं। प्रत्येक दिन वहां के लोग उनसे आकर मिलते हैं और वहां की परिस्थितियों से अवगत कराते रहते हैं। इन सभी के सहयोग से और आपके सुझावों से जो आये हैं हमने उनका संज्ञान लिया है जो स्थिति बुन्देलखण्ड की है उससे निजात दिलाने के लिये किसानों को राहत देने के लिये हर संभव प्रयास किया जायेगा।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

जो किसान जेल में बिना किसी कारण से बन्द हैं उनके बारे में क्या करेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

एक मिनट बैठ जायं। मैं बता रहा हूं। बैठ तो जाइये। मान्यवर, कानून व्यवस्था तो अपना काम रहती है। जैसा प्रदीप जैन जी ने कहा कि लोगों को बंधक बनायेंगे। तो मान्यवर, अगर इस तरह की स्थिति आयेगी तो कानून चुप नहीं बैठेगा वह अपना कार्य करेगा। हां अगर निर्दोष किसी को जेल भेजा गया है, बिना किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल हुए यदि किसी को जेल भेजने का काम हुआ होगा तो हम उसको दिखवा लेंगे।

(तीन चार सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि निर्दोष किसी को जेल नहीं भेजा जायेगा। यदि कहीं कोई इस तरह की बात है तो उसको दिखवा लेंगे। आप लोग बैठ जायं।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड के किसानों के, कर्ज माफ करने की कोई योजना है ? केन्द्र सरकार से मिलकर उनके कर्ज माफ करने के बारे में कोई प्रयास करेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

कर्ज माफी सम्भव ही नहीं है। हम लोगों ने देखा है कर्ज माफी नहीं हुई है।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, किसानों का कर्ज माफ करें या फिर सारे किसानों को रुपया वितरित करायें। केवल मीटिंग करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते हैं तो हम लोग सदन का बहिष्कार करते हैं।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से उठकर चले गये)

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 के अन्तर्गत इस सूचना पर माननीय सदस्यों श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री अशोक कुमार सिह चन्देल, श्री विशम्भर सिंह यादव को सुनने के पश्चात् मैंने संसदीय कार्य मंत्री को सुना। यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती इसलिये अग्राह्य की जाती है। अगली सूचना श्री कौकब हमीद, डॉ0 अनिल चौधरी, चौधरी सत्यपाल सिंह की जनपद मेरठ के कस्बा सिवाल-खास में दहेज उत्पीड़न के मामले में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सवा चार बज गये हैं, इसको कल ले लीजियेगा।

*श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, इसको आज ही ले लीजिये। मैं ही अकेले बोलने वाला हूं। मान्यवर, आज ही ले लीजिये। 6 नवम्बर, 2007 को सिवाल कस्बे के अन्तर्गत थाना जानि आता है मेरठ जिले के अन्दर वहां एक बारात आई और झगड़े का माहौल पैदा हो गया। मान्यवर, मेरा कहना यह है कि जो झगड़े का माहौल हुआ उसमें जब फैसला लोग करने लगे, तो जो बारात आई थी उसमें जो लड़के और

लड़की वाले लोग थे उसके अन्दर बहुत देर तक फैसला होता रहा और उसमें फैसला रात में डेढ़ बजे तक नहीं हो पाया। उसके अन्दर डेढ़ बजे रात को जब फैसला नहीं हो पाया तो वहां के पुलिस अधिकारी ने एलान किया कि इनकी लड़कियां, औरतें उठाकर थाने में ले जाओ, इससे वहां झगड़ा हो गया। झगड़े में लोगों ने पथराव किया यह बात सही है। मान्यवर, वहां पुलिस ने गोली चलाई और गोली राजीव नामक व्यक्ति को लगी जो दिल्ली में अपना इलाज करा रहा है अपनी जिन्दगी से जूझ रहा है। दूसरा मान्यवर, वहां कहा जाता है कि छः बन्दूके रायफलें गायब हो गईं जो गलत बयानी है। जो रायफलें गायब हुई थीं। वह उसी रात को दे दी गई बाकी तीन लाठियां थी उसके बाद मान्यवर, सबसे बड़ी चिन्ता की बात है कि एक हजार आदमी अज्ञात हैं मान्यवर, एक हजार आदमी तो बड़े-बड़े बलवे के अन्दर अज्ञात नहीं हुआ करता है। एक हजार आदमी अज्ञात में है और 27 आदमी उसमें नामजद हैं। मेरा कहना है एक हजार आदमी के अज्ञात होने से वहां जो स्थिति सिवाल खास में हुई है उससे वहां कर्फ्यू का आलम है। एक महीना हो गया है तकरीबन चार-पांच हजार लोग तकरीबन हजार बारह सौ परिवार वहां से पलायन कर चुके हैं। ताले लगे हैं घरों में यह स्थिति आज भी मौजूद है इसको मंत्री जी या कोई भी जाकर देख सकता है। मेरा सिर्फ यह कहना है क्योंकि इतना गलत हुआ है इसमें सी0बी0सी0आई0डी0 की रिपोर्ट आ जाये, उसमें सही बात सामने आ जायेगी जो पुलिस वाला इसमें मरा है, लेकिन जो एफ0आई0आर0 में रिपोर्ट है कि गोलियां चली गांव वालों से, बड़ी अजीब बात है कि एक हजार आदमियों ने गोलियां चलाई होंगी और एक भी छर्रा किसी पुलिस वाले को नहीं लगा होगा। जो हुआ यह भी किसी और वजह से या पथराव में हुआ होगा। मगर जो हुआ वह बात गलत हुई है उसकी हमें चिन्ता है और दुख भी है। पांच लाख रुपया आपने मुआवजा उसको दे दिया लेकिन जो लड़का अपनी जान से जूझ रहा है उसको भी मुआवजा मिलना चाहिये और सी0बी0सी0आई0डी0 की रिपोर्ट होनी चाहिये। एक हजार आदमी अज्ञात में दिखा दिया जाय और चार-पांच हजार आदमी मारे-मारे फिरें। तीन चार हजार आदमी कस्बे से पलायन कर जायें यह स्थिति आज भी मौजूद है इसमें चर्चा कराई जाये और मान्यवर, सी0बी0सी0आई0डी0 की रिपोर्ट आ जाय।

श्री अध्यक्ष-

एक हजार अज्ञात लोगों की सूचना है हो सकता है इसमें निर्दोष लोगों को भी परेशान करें इसको दिखवा लीजियेगा।

श्री लालजी वर्मा-

जी ठीक है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने एक लोक महत्व के विषय पर आपने बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। जसवन्तनगर क्षेत्र में ग्राम उदयरा थाना बसरिया, 30 नवम्बर, को एक 13 वर्ष का लड़का उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसकी गला घोंटकर तुरन्त मौत कर दी जाती है और इसका बड़ा भाई इससे पहले झूठी शिकायत पर थानाध्यक्ष, थाना बसरिया में उसे बैठाल लेता है। जब हत्या हो जाती है तो वहां के आसपास के गांव में, क्षेत्र में बहुत रोष उत्पन्न हो जाता है।

मान्यवर, जब गांव और क्षेत्र में रोष उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद जनता के दबाव में एफ0आई0आर0 होती है, लेकिन उसके बाद लगातार जनता के प्रयास करने पर भी मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। उसके लगभग 1 महीने बाद लखना क्षेत्र के विधायक भीमराव अम्बेडकर के घर में मुल्जिम पकड़े जाते हैं। बन्टी और विवेक दो मुल्जिम पकड़े जाते हैं और मुल्जिम भाग जाते हैं। मान्यवर, इससे पहले पुलिस प्रशासन की भी मदद की है। मान्यवर, और भी मामले हैं, थाना चौदिया में एक 7 वर्ष का बच्चा स्कूल से लौट रहा था, उसकी हत्या हो जाती है और उसके पहले जसवंत नगर थाने में 5 बजे के करीब 20-21 साल का लड़का अपने खेतों पर जाता है, उसका भी अपहरण हो जाता है और वहां पर कोई भी मुल्जिम को नहीं पकड़ा जाता है और इसलिए नहीं पकड़ा जाता है क्योंकि भीमराव अम्बेडकर और बसपा के लोगों का सीधा-सीधा पुलिस पर दबाव है और अपराधियों को खुल्लमखुल्ला संरक्षण है और यहां तक कि वहां के कई लोगों ने पुलिस की भी मदद की है, पुलिस का काम किया है, कुछ मुल्जिमों को पकड़ कर। लेकिन दबाव में उनको तो जेल भेजा जाता है जो पुलिस की मदद कर रहे हैं। मान्यवर, जी0डी0 में भीमराव अम्बेडकर की रिपोर्ट लिख दी जाती है, उसके बावजूद भी भीमराव अम्बेडकर की गिरफ्तारी नहीं होती है। एस0एस0पी0 को सीधे धमकी मिलती है, सी0ओ0 को सीधे धमकी मिलती है, थानाध्यक्ष को सीधे धमकी मिलती है और यहां तक की एस0एस0पी0 ने जन प्रतिनिधियों को मिलने से मना कर दिया है, उसके घर पर कोई जनप्रतिनिधि मिल भी नहीं सकता है। इतना जो एस0एस0पी0 डर गया हो, सी0ओ0 डर गया हो, थानाध्यक्ष डर गया हो और जिस विधायक जी के घर में मुल्जिम पकड़े जाते हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, आज हमारी मांग है कि जो जी0डी0 में नाम दर्ज है, उन विधायक जी का, अगर अब जरा सी भी संवदेनशीलता हो और जरा भी शर्म हो तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए और गिरफ्तार करना चाहिए। मा0 अध्यक्ष जी, जी0डी0 की नकल मैं आपको भेज रहा हूं। यहां पर जब मुल्जिम विधान सभा के अन्दर हो, तब सुरक्षा कहां की जा सकती है। मैं आपके पास जी0डी0 की नकल भेज रहा हूं। अगर वह दोषी है तो ऐसे मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाए और विधान सभा की सदस्यता से ऐसे लोगों को बर्खास्त भी किया जाए और जरा भी शर्म हो तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, इस लोक महत्व के मामले पर चर्चा करा ली जाए और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

(सत्तापक्ष और विपक्ष के कई सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान की सी स्थिति उत्पन्न हो गई)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप सब लोग शान्त रहिये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस सूचना को मैंने अग्राह्य कर दिया था लेकिन सभी दलों के वरिष्ट नेताओं का आग्रह था कि दो मिनट इन्हें सुन लिया जाय, इसलिये इनको सुन लिया गया। वैसे मैं इस सूचना को अग्राह्य कर चुका हूं। अब आप अपनी बात कहिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है, हमारे माननीय विधायक जी पर, मान्यवर, नाम लेकर आरोप लगाया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप अपनी बात कह लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय शिवपाल यादव जी ने इस बात को कहा कि मुल्जिम पकड़े गये। मान्यवर, सरकार का कोई प्रशासन, पुलिस अधिकारियों या अपराधियों को नहीं बचाने का इरादा इस बात से ही उजागर होता है कि मुल्जिम पकड़े गये। मान्यवर, यह सरकार अपराधियों को किसी भी तरह से बचाने का काम करने वाली सरकार नहीं है। लेकिन मान्यवर, वह लोग इसी सदन में हमारे उसी क्षेत्र से विधायक थे और उनके खिलाफ फर्जी बलात्कार का मुकदमा लिख दिया और जब उनको अपने साथ कर लिया तो बलात्कार का मुकदमा समाप्त हो गया। ऐसे लोग जो इस तरह से अपराधियों का, अपराध का प्रयोग, अपने प्रशासन का प्रयोग करके अपराधियों को बचाने और उनके खिलाफ मुकदमा लिखाने का काम कर रहे हैं ऐसे लोग आज इस तरह का आरोप लगाते हैं तो आश्चर्य होता है। मान्यवर, हम लोग किसी अपराधी को बचाना नहीं चाहते हैं उसकी जांच हो रही है मान्यवर, और जांच में जो भी दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। लेकिन मान्यवर, मैं निवदेन करना चाहता हूं कि इन लोगों ने राजनैतिक ताकत का दुरुपयोग किया था,

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरी सरकार में राजनीतिक दुरुपयोग के आधार पर किसी भी व्यक्ति पर एक भी मुकदमें नहीं दर्ज हुए।

श्री लालजी वर्मा-

चौधरी साहब मैंने बीच में बोलने का काम नहीं किया, जब मैं बैठ जाऊ तो आप भी बोल लीजियेगा, यह बात ठीक नहीं है, हम इस तरह से आपकी बात नहीं सुनेंगे। मैंने बीच में किसी भी तरह से व्यवधान नहीं डाला, लेकिन मान्यवर, मैंने एक उदाहरण दिया कि हमारे एक विधायक पर, और उसका हस्र हुआ कि उनके साथ जब माननीय विधायक जी गये, केवल इस आधार पर उनको तोड़ने के लिये भयभीत करने के लिये फर्जी मुकदमा लिखाये थे और जैसे ही इनके साथ गये बलात्कार का मुकदमा समाप्त। तो मान्यवर, ऐसे लोग, जो लोग हमेशा अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं, अशोक चन्देल भी उसी के भुक्त भोगी हैं, जिन लोगों ने हमेशा अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है, वह मान्यवर, हमारे ऊपर आरोप लगायेंगे। हमारी निष्पक्षता का तो यह प्रतीक है कि जो भी नामजद अभियुक्त थे वह पकड़े गये और उसकी तफ्तीश की जा रहीं है और तफ्तीश में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त रहें। यह सूचना सब अग्राह्य हो गई थी पहले ही इसको मैंने अग्राह्य कर दिया था।

एक मिनट आप सब लोग शान्त होकर बैठें, जिन विधायक जी के ऊपर आरोप लगा है, वह खुद कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात को भी दो मिनट शान्त बैठकर सुन लें।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई)

श्री भीमराव अम्बेडकर-

माननीय अध्यक्ष जी चूंकि यह मामला व्यक्तिगत मेरा नाम लेकर यहां उठाया गया है, इसलिये मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं कि मैं ऐसे जनपद से जहां पूरे प्रदेश में जो जंगलराज कायम था वहां का जो मुखिया है जहां से जंगलराज संचालित होता है मान्यवर, मैं ऐसे जनपद से चुनकर आया हूं। अभी तो शुरू हुआ हूं सुन लो भाई मेरी बात। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

इस सम्बन्ध में आप जो बात कहना चाहते हैं अपनी बात कहें। यह जंगलराज की बात छोड़ दीजिए। आप अपनी बात रखें। माननीय शिवपाल सिंह जी विधायक हैं, हर सदस्य को, जिसके ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप लगता है उसको सदन में अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, आरोप नहीं लगाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मैं इतना पक्षधर हूं कि आरोप नहीं लगाना चाहिए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये मान्यवर।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप उसको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट-

मान्यवर, यहां पर जिस तरह से मेरी बात को दबाया जा रहा है वह आप देखें।

श्री अध्यक्ष-

सदन में किसी माननीय सदस्य के ऊपर व्यक्तिगत अरोप आया हो, आक्षेप आया हो, तो उन्हें सदन में अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और सदन को उसे सुनना चाहिये, लेकिन जो भी बातें हों वह आरोप के वातावरण में न हों। आप तो सदन में अपनी बात रखें कि मेरी यह स्थिति है लेकिन आरोप की स्थिति में न रखें बल्कि स्पष्ट स्थिति को रखें।

श्री भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट-

मान्यवर, जो मसला यहां पर उठाया गया है वह हत्या का मामला है। इसमें कुछ तथ्य जो मेरे पास हैं वह मैं बताना चाहता हूं। यह जो उदयपुरा गांव है वहां पर दलित समाज के लोग रहते हैं। यादव समाज के भी लोग रहते हैं। यह जसवंतनगर विधान सभा क्षेत्र का मामला है। क्योंकि मैं उस जिले का बहुजन समाज पार्टी का चार-पांच साल जिला अध्यक्ष रहा हूं इसलिए मैं वहां एक सामाजिक राजनीति कार्यकर्ता हूं। मान्यवर, वहां हमारे एक सेक्टर के अध्यक्ष हैं उसको फर्जी तरीके से इसमें

फंसाया गया है। कठेरिया समाज की दलित लड़की का मामला था यादव समाज के लोगों के विरुद्ध बात थी, उनकी बात थाने में सुनी नहीं गयी। दूसरे दिन पंचायत हो रही थी उसमें हमारे कार्यकर्ता, वह दलित समाज, कठेरिया समाज के लोग, यादव समाज के लोग उपस्थित थे। उस समय यादव समाज के लोगों ने जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कठेरिया समाज के लोगों के साथ तथा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की घटना की। उसकी थाने में तहरीर दी गयी जिसकी नकल हमारे पास है। मान्यवर, यह शोक की बात है, गलत बात है कि वहां किसी बच्चे का, यादव समाज के बच्चे का मर्डर हुआ। शाम तक उसमें कोई एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई। एस0ओ0 से मेरी बात हुई जो पहले का मामला चल रहा था उसके सम्बन्ध में जो सेक्टर के अध्यक्ष का था। मुझे पता भी नहीं था इस घटना का। क्योंकि करवाचौथ का दिन था और मैं लखनऊ में था। तो उसमें बताया गया कि अभी तक यह ज्ञात में रिपोर्ट नहीं लिखा रहे हैं अज्ञात में लिख कर दी है, रात की बात थी, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। दूसरे दिन बड़ा दबाव बना कर बातें हुई एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे और एक तरफ समाजवादी पार्टी के लोग थे। इसे राजनीतिक मामला बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, उसके पिता और भाई के ऊपर 302 का फर्जी मुकदमा कायम कराने की बात हुई। मान्यवर, जब किसी जाति और धर्म का अपमान हो तो मैं वहां का एक सामाजिक और राजनीति कार्यकर्ता हूं और लोग मेरे घर पर आते हैं उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को अपना लेटर पैड लगाकर एक प्रार्थना-पत्र उसकी मां का जिसका नाम मुन्नी देवी पत्नी गौरी शंकर, गौरी शंकर का भी नाम है उसकी पत्नी है मुन्नी देवी उसके द्वारा प्रार्थना-पत्र माननीया मुख्य मंत्री जी को लिखा गया और उसमें पैड लगाकर मुख्य मंत्री जी के यहां उन्होंने दिया कि हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा जातिगत द्वेष व रंजिश के आधार पर बसपा सेक्टर अध्यक्ष को मय परिवार हत्या के मामले में षड़यंत्र के तहत फंसाये जाने से बचाये जाने हेतु। इसका यहां से सुरेश चन्द्र, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा के लिये फैक्स गया कि इस पर जातिगत द्वेष व रंजिश के आधार बसपा सेक्टर अध्यक्ष को मय परिवार हत्या के मामले में षड़यंत्र के तहत फसाये जाने से बचाये जाने के सम्बन्ध में इस फैक्स को जाने के बावजूद भी वहां यह दबाव बनाया कि यह मामला इनके ऊपर लिखाया गया यह सही है और वह लोग मारे मारे दर-दर भटक रहे हैं। इसके बाद मैं घर पर नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी, 15 साल का मेरा राजनैतिक जीवन है। मैं एक अधिवक्ता हूं 10 साल मैंने इटावा कचहरी में वकालत भी की है। यह पूरे जनपद की 18 लाख जनता है 18 लाख जनता से पूछा जाय कि जो जनप्रतिनिधि इटावा जनपद से चुनकर आते हैं उनमें मेरी क्या छवि है और लोगों की क्या छवि है। मान्यवर, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए इस मामले में जब मैं घर पर नहीं था। मेरी एक पत्नी है और एक बच्चा है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मेरी लिखा पढ़ी में एक पत्नी है और एक बच्चा है लोगों की कितनी पत्नियां हैं वह बताने को भी तैयार नहीं हैं। मेरी एक पत्नी और एक बच्चा है इससे बड़ा मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं घर से क्षेत्र में निकल गया था। मेरा लखना विधान सभा क्षेत्र इटावा से 10-15 कि0मी0 दूर शुरू होता है। मैं सुबह क्षेत्र में निकल गया पत्नी ऊपर होंगी, नीचे कौन लोग बैठते हैं या आते हैं कार्यकर्ता या कोई अन्य है आते हैं पूछते हैं घर

पर कोई भी आ सकता है, बैठे थे कि नहीं बैठे थे, कहां से पकड़ा इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि मेरे पास मोबाइल है उसका स्विच आफ करा दिया है या और चीजें हैं, घर का जो टेलीफोन है वही खुला है इसके अलावा जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो जनता से मिलने के लिए कि जनता की बात सुने, मोबाइल दिन भर बजते हैं, इसलिये मेरे पास भी नहीं था। वहां से इन लोगों ने जीडी में जो जीडी की बात करते हैं मुझे तो बाद में पता चला कि इन्होंने जीडी में भी लिखवाया है। यह षड़यंत्र उस जनपद में माननीय अध्यक्ष जी, जब तक और बातों का उल्लेख न किया जाय, उसी जनपद में रमेश फौजी, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी से जसवन्त नगर विधान सभा से जिन्होंने चुनाव लड़ा था माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, विधायक हैं जसवन्त नगर विधान सभा क्षेत्र से उनके खिलाफ रमेश फौजी के ऊपर 302 का मामला लिखा गया और उस मामले में जो 302 का मामला था एक व्यक्ति की हत्या का और अभी जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो जिस व्यक्ति के फर्जी मुकदमें में रमेश फौजी और उसका पुत्र ने 6 महीने की जेल काटी वह अभी जिन्दा मिला।

माननीय अध्यक्ष जी, जब वह जिन्दा है तो आखिर जो मरा हुआ व्यक्ति था जिसका पोस्टमार्टम किया गया उसकी हत्या किसने की इसकी सी0बी0आई0 जांच होनी चाहिए, यह मैं भी मांग करता हूं। इटावा जनपद इसलिए बार-बार उल्लेख करता हूं कि इटावा जनपद में जितने मामले हैं उन सब मामलों की सी0बी0आई0 जांच की मैं मांग करता हूं। उसमें उदयपुरा काण्ड की भी मैं जांच की मांग करता हूं। अगर मैं दोषी हूं, मैं पहली बार विधान सभा में चुनकर आया हूं। 20 साल के राजनैतिक जीवन में मैं पहली बार विधान सभा का मुंह देखा हूं। मैं माननीया बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में, मान्यवर, कांशीराम जी के नेतृत्व में मैंने काम किया है। सड़क पर लेटकर फुटपाथ पर बैठकर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि माननीय अध्यक्ष जी, कि माननीय सदन में कभी मुझे भी मौका मिलेगा कि मैं इसका मुंह देखूंगा मैं तो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं। लेकिन 20 साल के राजनैतिक जीवन में उस जनपद में मैंने राजनीति की है जिस जनपद में जिन्दा रहने के लिए लोग मोहताज हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी भी हत्या करवाने का षड़यंत्र है। मुझे अपराधी बनाया जाय उसके बाद मेरी हत्या करवा दी जाय, उस जनपद में सैकड़ों हत्यायें हुयी हैं। रणवीर सिंह सेंगर हत्याकाण्ड पूरा का पूरा परिवार आज मर गया है। इसकी सी0बी0आई0 जांच कराई जाय।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

मान्यवर, नामांकन के समय आर0पी0 सिंह, दरोगा की मजिस्ट्रेट के चेम्बर में हत्या कर दी गयी, उसकी भी सी0बी0आई0 जांच की जाये। इसी तरह विनोद यादव जो विधायक थे, उनके गनर की हत्या की गयी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं यह लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं मैं अकेला वहां से ब0स0पा0 का विधायक हूं।

(पुनः समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपनी सफाई बाद में दे दीजियेगा। आरोप नहीं लगेगा, मैंने मना कर दिया है।

श्री भीमराव अम्बेडकर-

माननीय अध्यक्ष जी, ब्लाक प्रमुखी के चुनाव में पंचायत के चुनाव में मेरे ऊपर गोली चलाई गयी। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, मेरा किसी पर आरोप नहीं है। जो कुछ हुआ है मेरे सामने हुआ है, मैंने कैसे अपने दिन काटे हैं, वहां जिन्दा रहने के लिये लोग भीख मांगते हैं। पहले माननीया बहन जी ने मुझे औरैया जनपद का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद मुझे इटावा जनपद का अध्यक्ष बनाया। मैं 5 साल वहां लखना विधान सभा क्षेत्र को तैयार किया जो विधान सभा क्षेत्र 25 साल से समाजवादी पार्टी के कब्जे में था, जीतकर आया हूं। इसलिये यह लोग बौखलाये हुये हैं और मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी मैं तो सत्ता पक्ष की तरफ बैठा हूं और बोल भी नहीं पा रहा हूं। मैं नहीं कह सकता कि वहां का एस0एस0पी0 बदमाश है। मैं नहीं कह सकता कि वहां का सी0ओ0 बदमाश है, मैं नहीं कह सकता कि वहां का एस0ओ0 बदमाश है जी0डी0 में दर्ज किया है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के लोगों ने मुझे षड़यंत्र करके मुझे फंसाने का काम किया है। मैं इस पूरे मामले की सी0बी0आई0 जांच की मांग करता हूं और मैं पूरी तरह निर्दोष हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी उदारता के हम आभारी हैं और आपने इस कार्य-स्थगन पर सुन लिया और इस पर सुनने के क्रम में जितनी बातें आ गयीं, दोनों तरफ से, वह इस सदन की सम्पत्ति है। जो बातें कही गयी हैं, वह शून्य में जाने वाली नहीं है। मेरा सिर्फ यह अनुरोध आपसे है कि जब यह सारे तथ्य आ गये और माननीय सत्ता पक्ष के एक विधायक स्वयं कह रहे हैं कि रिपोर्ट भी फर्जी लिखवा दी गयी, जबरदस्ती लिखवा दी, जी0डी0 में भी जबरदस्ती लिखवा दिया और गिरफ्तारी भी जबरदस्ती करवा दी। सारी चीजें यदि जबरदस्ती करवा दी तो दो बातों में से एक को स्वीकार करना पड़ेगा या तो संसदीय कार्य मंत्री जी यह कह दें कि इटावा में इनकी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है जैसा इनके विधायक जी कह रहे हैं। जैसा माननीय विधायक जी ने कहा है कि इटावा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और वहां पूरी अराजकता है और जो जबरदस्ती चाहे वह रिपोर्ट लिखवा देगा, गिरफ्तारी करवा देगा, जी0डी0 दर्ज करवा देगा, जेल भिजवा देगा, यह सारी चीजें करवा देगा या तो संसदीय कार्य मंत्री जी इस बात को स्वीकार करें और अगर यह स्वीकार नहीं करते हैं और यह मानते हैं कि कानून के हिसाब से कार्यवाही हुई तो श्रीमन् जो रिपोर्ट लिखी गई जहां से मुल्जिम की गिरफ्तारी हुई और मा0 विधायक जी की संलिप्तता के साक्ष्य जी0डी0 में दर्ज है, उस आधार पर उनको आज ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जाये, यह हम आपसे मांग करते हैं और इन दो में से एक बात निश्चित रूप से स्वीकार करनी चाहिए। जो इन दोनों में से सही लगे स्वीकार कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 शिवपाल जी, यह उदारता कहें या जो कुछ भी रहा, काफी बातें हो गई, अब आप लोग बैठ जाएं।

श्री भीमराव अम्बेडकर-

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि पूरे मामले की सी0बी0आई0 जांच हो जाए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप किसी मा0 सदस्य की बात को नियमों के अनुसार सुनेंगे और जब कोई सदस्य जिस नियम में चाहे, जैसे चाहे तो उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि आप उस मा0 सदस्य को सुनें ही। लेकिन मान्यवर, इस आधार पर आरोप लगा देना कि आप नियम में लाये नहीं हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो मान्यवर, इस तरह से आरोप लगाना चन्देल जी का पूरी तरह से अनुचित है, इसलिए इस आरोप को कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

सुनिये, मैं बता रहा हूं शुरू में मैंने सदन को सूचना दी कि यह सूचना अस्वीकार कर दी गई है लेकिन अगर किसी सूचना के बारे में वरिष्ट सदस्यों का सामूहिक निवेदन आ गया तो मैंने नियमों को शिथिल भी किया। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा कि ठीक है इसे सुन लिया जाएगा। अब सुन लेने का मतलब यह नहीं हुआ 'कि मा0 शिवपाल जी तथ्य को रख दिये। मा0 विधायक के ऊपर जिस प्रकार से आक्षेप का वातावरण रहा, उन्होंने भी सफाई रख दी। अब संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि मुकदमा दर्ज हो गया है, तीन लोग मुल्जिम भी बन गये हैं, उसकी जांच हो रही है, जिनको मुल्जिम बनना था वह बन गये और तीन मुल्जिमों में से एक गिरफ्तार भी हो गया है। यह सारे तथ्य आ गये हैं, अब मा0 शिवपाल जी आप और क्या चाहते हैं ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, यह मुकदमा फर्जी नहीं है। 302 तो हुआ है। इसमें हमारी मांग है कि आज एक सर्वदलीय समिति बना दी जाए। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि झूठे केस में पूरा गांव का गांव जमानत करा चुका है तथा जिन्होंने पंचनामा भरा था, उनको भी जेल जाना पड़ा। इन दोनों मामलों में, दूसरा जो रमेश फौजी के बारे में जिक्र किया गया है, मैं चाहता हूं कि इसकी सी0बी0आई0 से जांच हो जाए 'और उससे पहले एक सर्वदलीय समिति बना दी जाए। मान्यवर, जी0डी0 में नाम किसने चढ़ाया, एस0एस0पी0 या सी0ओ0 के दबाव में चढ़ा होगा। मान्यवर, इनके घर से मुल्जिम पकड़े गये हैं, यह उसमें उल्लेख है। इनका नाम जी0डी0 में चढ़ा है और अगर झूठे ही नाम चढ़ा है तो मैं मांग करता हूं कि आज ही वहां के अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। कौन दबाव डलवायेगा, एस0एस0पी0 किसी से मिलता भी है, यह मैं आपसे पूछता हूं, जनप्रतिनिधियों से एस0एस0पी0 मिलता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप भी तो जनप्रतिनिधि हैं, आपसे तो मिलता है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनप्रतिनिधि तो मिलेंगे ही, समाजवादी पार्टी के लोग तो मिलेंगे ही अगर एस0एस0पी0 कार्यालय में नहीं मिलेगा तो सड़क पर मिल लेंगे लेकिन आप लोगों के लिए उनके दरवाजे में ताला बन्द कर दिया गया है और अगर उनकी बात सही है, एस0एस0पी0 ने सही गिरफ्तार करवाया है तो इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, तफतीश चल रही है और विवेचना में जो तथ्य आयेंगे उसके हिसाब से कार्यवाही होगी। जहां तक एस0पी0 और डी0एम0 से मिलने का सवाल है, किसी भी डी0एम0 और एस0पी0 की हैसियत नहीं है कि वह प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक आम जनता से न मिले।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए क्योंकि लगातार 6 महीने से अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है और इटावा जनपद में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह अभूतपूर्व स्थिति है, इटावा में कोई सरकार नहीं है जो जबरदस्ती करता है वह हो जाता है, कोई सरकार नहीं है। माननीय मंत्रीगण बैठे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी इसे स्वीकार करें वहां कोई सरकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि प्रकरण की पूरी जांच हो रही है।

श्री अम्बिका चौधरी-

बहुजन समाज पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश में अराजकता है, इनके दबाव में पुलिस के लोग काम करते हैं। इटावा के बारे में संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है।

श्री लालजी वर्मा-

इनको पुरानी बात याद आ रही है। मैं चौधरी जी को बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में प्रत्येक जिले में कानून का राज है और कानून के अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने बता दिया है कि जांच चल रही है और जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जायेगा। इस सूचना को शुरू में ही मैं निरस्त कर चुका हूं।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े हो गये।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सत्ता पक्ष की ओर से सी0बी0आई0 की जांच की मांग आयी है, उनकी मांग और विपक्ष के आग्रह को भी स्वीकार कर सी0बी0आई0 की जांच करा लें, सी0बी0आई0 की जांच हो जाए। दोनों पक्ष यही चाहते हैं।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों ने सी0बी0आई0 से जांच कराने पर बल दिया)

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, जांच हो रही है।

श्री अम्बिका चौधरी-

आपके विधायक चाहते हैं कि सी0बी0आई0 की जांच, हम जांच के लिए तैयार हैं। सी0बी0आई0 जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा, सी0बी0आई0 जांच करा लीजिए। हम

इस सरकार के साहस को चुनौती देते हैं कि वह अपने विधायक की कही हुई बात पर भरोसा कर सके तो सी0बी0आई0 जांच करा लें। सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए कि यह सरकार अपराधियों को संरक्षण देने में लगी हुई है।

श्री अरविन्द गिरि-

मान्यवर, थाने की जी0डी0 में यह दर्ज है कि सत्ता पक्ष के दबाव में मुकदमा कायम किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

गिरि जी, आसन ग्रहण करिये। ऐसा है अब दो सूचनायें रह गयी हैं मा0 इमरान मसूद और श्री उदयराज जी को दो-दो मिनट का अवसर दिया जायेगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अध्यक्ष जी, सी0बी0आई0 की जांच करा लें और सारे टेस्ट भी करा लें।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि जांच चल रही है। उदय राज जी, कल ज्यादा बिजनेस नहीं है कल आप अपनी सूचना दे दीजिएगा, कल सुन लिया जायेगा।

श्री उदय राज-

मान्यवर, आप पहले से आश्वस्त कर दें कि कल मेरी सूचना दूसरे, तीसरे नम्बर पर आ जायेगी, नहीं तो आज ही दो मिनट सुन लीजिए, माननीय मंत्री जी बैठे हुये हैं दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा।

* श्री इमरान मसूद-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। अभी चारों ओर बुन्देलखण्ड के अन्दर हो रही आत्महत्याओं का जिक्र हो रहा था। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले 10 दिनों में, 21 नवम्बर से 02 दिसम्बर तक जनपद सहारनपुर के अन्दर बड़ी दुःखद स्थिति में 10 लोगों ने गरीबी और भुखमरी के कारण आत्महत्या करने का काम किया है।

अध्यक्ष जी मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में हमारे नेता मुलायम सिंह जी ने घोषणा की थी कि अगर कोई भी भुखमरी होती है तो वहां का जिलाधिकारी जिम्मेदार होगा और उसी घोषणा के अनुरूप बहन कुमारी मायावती की सरकार ने घोषणा करने का काम किया कि जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी अगर कोई भूख से मौत हुई। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि 21 नवम्बर को रमेश चन्द्र रोहिला के परिवार ने सामूहिक रूप से अपनी तीन लड़कियों व पत्नी के साथ आत्म-हत्या करने का काम किया। सबसे दुखद स्थिति यह है कि उस घटना के पश्चात जिस प्रकार की कार्यवाही वहां के प्रशासन और जिलाधिकारी ने रहकर करने का काम किया मैं एक मुसलमान होने के नाते ज्यादा नहीं जानता मुझसे बेहतर आप जानते होंगे लेकिन जितना जानता हूं उसके अनुसार जब तक लाश जल न जाए एक आदमी बाकायदा बैठा रहता है उसका कोई अंग भंग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न हो जाए अंग भंग होगा तो उसको गति प्राप्त नहीं होगी। पुलिस प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके चिताओं से उनके शवों को उठाने का काम किया इससे बड़ी दुखद घटना यह है कि उस परिवार के इकलौते बच्चे योगेश को उठाकर जेल में भेज दिया गया व इकलौते बचे दामाद को भी जेल में भेज दिया गया। दूसरी घटना जो बिल्कुल भुखमरी के कारण हुई है रमेश पाल को उसने अपनी थोड़ी सी जमीन थी उसको बेच दिया कुछ लोगों ने उसका शोषण और उत्पीड़न किया, उसका परिवार भूखों मरने लगा तो उस व्यक्ति ने भी आत्महत्या कर ली। इससे दुखद घटना एक और बताना चाहता हूं। दो दिसम्बर को थाना गंगो में कमेड़ा गांव के महक सिंह ने भुखमरी के कारण आत्महत्या कर ली। अधिकारियों ने उसको तोड-मरोड़कर अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए अपने दायित्व से बचने के लिए यह रिपोर्ट की कि यह भुखमरी के कारण मौत नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूं अगर यह मौत भुखमरी के कारण नहीं हुई होगी तो मैं अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। महक सिंह के परिवार ने आत्महत्या करने का काम किया। इसके बावजूद वहां के प्रशासन ने कोई मुआव़जा देने का काम नहीं किया जिलाधिकारी ने उस परिवार के प्रति कोई सहानुभूति या संवेदना प्रकट नहीं की। 21 नवम्बर को जोगा खेड़ा में प्रशासन ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया जब गांव वालों ने विरोध किया तो हमारी पार्टी के पूर्व विधायक चौधरी प्रदीप कुमार के विरुद्ध प्रशासन ने सी0आर0पी0सी0 की धारा 7 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करने का काम किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की संवदेनहीनता का परिचय सहारनपुर के प्रशासन ने दिया है अगर उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो क्या उसी प्रकार की संवेदनहीनता का परिचय प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में देगी। जिन लोगों ने दुनियां को छोड़ने का काम किया। उनके परिवार को कोई आर्थिक सहायता मुहैया कराई जायेगी। जिस परिवार में लोगों ने आत्म-हत्याएं की हैं उस परिवार के बचे हुए सदस्यों को कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जिससे भविष्य में उनको आत्म-हत्या न करनी पड़े। योगेश की बहन ज़िसकी आंख का आपरेशन हुआ है उसने लिखकर दिया है कि हमारे यहां जिलाधिकारी ने यहां रहकर उत्पीड़न कराया उसमें हमारे पास आत्म-हत्या के अलावा कोई चारा नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

एक दुखद स्थिति यह है कि किसी भी व्यक्ति का आत्म-हत्या करना लेकिन यह प्रचलित हो गया है कि किसी भी मौत को भूख से हुई मौत करार देना। जिस परिवार के पांच लोगों की मृत्यु हुई है उसका तीन मंजिला मकान है।

मान्यवर, तीन मंजिला मकान है और उसके परिवार में पारिवारिक कलह के कुछ कारणों से ऐसी घटना हुई और दूसरा भी पारिवारिक कारणों से हुई। दूसरा गरीब जरूर था लेकिन उसकी मृत्यु भी पारिवारिक कलह के कारणों से हुई। मान्यवर, लेकिन अब यह एक आम फैशन बन गया है कि चाहे जैसी मौत हो, बीमारी से हो, चाहे पारिवारिक कलह से मौत हो हम उसको भुखमरी की मौत करार दे दें। मान्यवर, निश्चित तौर पर ऐसी सूचना कहीं नहीं है कि मौत भूख से हुई है। मैं इस बात का प्रतिवाद करता हूं और आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं है। व्यक्तिगत कुछ मामले हैं मान्यवर, कृपया इसको अग्राह्य करने की कृपा करें। मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि काफी समय बीत गया है अभी 4 विधेयक आने हैं उनको ले लें।

श्री अध्यक्ष-

हां अभी ले रहे हैं। बस जितनी सूचनाएं थी उनको लिया। मैंने माननीय इमरान मसूद को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती। इसको अग्राह्य करता हूं।

श्री इमरान मसूद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक स्पष्ट घोषणा सदन के अन्दर की थी कि अगर यह बात साबित हो गई कि यह मौत भूख से नहीं हुई मैं महक सिंह पुत्र बाला और उसकी पत्नी श्रीमती पिंकी जिनकी मौत भूख से 2 दिसम्बर को हुई है अगर यह मौत भूख से नहीं हुई है तो माननीय अध्यक्ष जी आपके समक्ष घोषणा करना चाहता हूं कि मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। मंत्री जी केवल अधिकारियों के कहने पर दी गई रिपोर्ट को यहां पर पढ़ कर कह देंगे कि यह मौत भूख से नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, नहीं इतना बड़ा फैसला मत लीजिये। बाद में देखा जायेगा।

श्री लालजी वर्मा-

अब इसको अग्राह्य करें।

श्री अध्यक्ष-

अग्राह्य कर दिया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, लेकिन जो दूसरा परिवार वास्तव में भुखमरी से मरा है जिसका नाम उन्होंने लिया है कि 2 दिसम्बर को उनकी मौत हुई है। इसकी जांच करा लें। अगर भुखमरी से मरा है तो जो इसके लिये जिम्मेदार है, उसको दण्डित करें

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लें जो दूसरे परिवार की बात आई है।

(श्री उदय राज यादव के खड़े होने पर)

श्री उदय राज जी अब नहीं। सब बात आ गई है। अब किसी का नहीं सबका समय खत्म। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो दो मिनट में अपने से कहें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक मिनट मेरा भी सुन लें। जैसा नियमों में है और आपने निर्देश भी दिया कि पहली दो सूचनाओं को हम सुनेंगे और बाकी पर शासन का ध्यान आकर्षित कर देंगे तो मान्यवर, दो को आपने सुना, बाकी पर शासन का ध्यान आकर्षित कर दें। मान्यवर, निवेदन है चार विधेयक हैं, उनको ले लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय उदय राज जी कल आप की सूचना ले लेंगे। अब जब अग्राह्य कर दिया है तो अब आप कल दे दीजियेगा। कल बिजनेस भी कम है और जैसा माननीय ओम प्रकाश सिंह जी भी कह रहे हैं कल आपका सुन लेंगे। (श्री उदय राज के खड़े होने पर) अच्छा चलिये दो मिनट में कहिये। आप लोगों को बहुत मौका दिया गया, बहुत सुना गया। अब और नहीं। चलिये उदय राज जी दो मिनट में कहें।

* श्री उदय राज-

मान्यवर, मैं एक ऐसे विषय पर इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो जनपद उन्नाव, रायबरेली और हरदोई के किसानों से जुड़ी हुई समस्या थी। मान्यवर, हरदोई जनपद से निकलकर जनपद उन्नाव, जनपद रायबरेली और जनपद लखनऊ की नहरें आई हुई थीं जिनसे इन तीनों जनपदों के किसानों की सींच का माध्यम था। चूंकि उन नहरों में 15 वर्षों से पानी नहीं जाता था हम लोगों ने काफी प्रयासों के बाद एक प्रस्ताव भारत सरकार को प्रदेश सरकार के माध्यम से विगत वर्ष दिसम्बर में भेजा था। मार्च में 105 करोड़ रुपये की एक योजना स्वीकृत हुई और मान्यवर, उस योजना के अन्तर्गत हरदोई शाखा के अन्तर्गत आने वाले जनपद उन्नाव की शारदा कैनाल आसीवन ब्रांच, मौरावां ब्रांच और इन्हीं नहरों से रायबरेली जनपद की सीमा और रायबरेली जनपद के लोगों की सिंचाई का काम होता था। मान्यवर, 105 करोड़ रुपये मार्च महीने में भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत करने का काम किया गया। हाल में इस सरकार के बनने के बाद लगभग दो महीने पहले 20 करोड़ रुपये इन नहरों की पुनर्स्थापना और उसकी मरम्मत और उसके रख-रखाव के लिये जारी करने का काम किया गया।

मान्यवर, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तमाम प्रयासों के बाद किस तरह से पैसे को लूटने का काम किया जा रहा है माननीय सिंचाई मंत्री जी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं मैं निश्चित रूप से अपेक्षा करूंगा निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर हमारे जनपद उन्नाव के एक अधिशासी अभियन्ता के द्वारा जो एक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है जिसके कारण आज उन्नाव में यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि 24 अक्टूबर से आज तक उस अधिशासी अभियन्ता के विभाग में कार्यरत चार सहायक अभियन्ता और लगभग 12 अवर अभियन्ता लगातार कार्य का बहिष्कार करने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, बहुत कुछ न कहते हुए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड उन्नाव के द्वारा जो 14 करोड़ का अनुबन्ध बगैर किसी विज्ञापन के, मान्यवर, ऐसे अखबार में विज्ञापन निकालने का काम किया गया 'उन्नाव टाइम्स' जिसको उन्नाव जनपद में कोई पढ़ता भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

बस हो गया।

श्री उदय राज-

कम से कम दो समाचार-पत्रों में विज्ञापन निकालने का काम किया जाना चाहिए। मैं इतनी ही मांग करता हूं कि माननीय मंत्री जी के विभाग के अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता 24 अक्टूबर से लगातार इसलिए आन्दोलन पर है कि अधिशासी अभियन्ता के द्वारा मनमाने तरीके से...

श्री अध्यक्ष-

अब बात आ गई।

श्री उदय राज-

मैं केवल यह मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

बहुत धन्यवाद आपने तथ्य रख दिया। आपको सुन लिया माननीय मंत्री जी इसको आप दिखवा लें क्या स्थिति वहां की है।

उत्तर प्रदेश राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र (जनपद-झांसी, ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर, महोबा एवं चित्रकूट) को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके पृथक राज्य का गठन किये जाने विषयक सदन द्वारा केन्द्र सरकार को सिफारिश सम्बन्धी श्री प्रदीप जैन आदित्य आदि द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा

श्री अध्यक्ष-

प्रदीप जैन जी चर्चा जारी रहेगी।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे नियम-103 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र को बुन्देलखण्ड राज्य की संस्तुति भेजने के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, अभी बुन्देलखण्ड राज्य के बारे में अभी पूर्व में सारे दलों के लोगों ने अपनी चिन्ता व्यक्त की। आज बुन्देलखण्ड राज्य बने यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष-

जैन साहब चर्चा जारी रहेगी। यह महत्वपूर्ण विषय है सब लोग सदन में रहेंगे तब कह लीजियेगा।

श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

हम यह चाहते हैं प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन मायावती ने यह अपनी भावना व्यक्त की थी कि बुन्देलखण्ड राज्य बने, हम चाहते हैं केन्द्र सरकार इसको बनवाये और इसका आज ही निपटारा हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

जल्दी ही निपटारा हो जाएगा। इसको जारी रख लीजिये।

सदन के लिए सूचना है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 की बैठक में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए दिनांक 05 दिसम्बर, 2007 के उपवेशन में लिए जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में अग्रेतर निम्नलिखित सिफारिश की हैं :-

दिसम्बर, 2007

5 बुधवार — उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित एवं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित रूप में पारित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

1-उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007

2-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007

3-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007

4-उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007

शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, चार विधेयक पर आपने पढ़ा सिफारिश आई है। स्वीकार भी यह हो जाएगी। पांच बजकर दस मिनट हुआ है। यह चारों विधेयक वह है जो पहले भी सदन व्यवस्थित नहीं था उस दिन यह पास हुए। कोई विचार नहीं आ पाया। जब आज भी विचार न आए तो यहां बैठने का क्या ए.यदा। हम लोग सुबह से यहां बैठे हुए हैं। मेरा आग्रह यह है प्राविधान है लेकिन वह अपवाद स्वरूप है कि उसी रोज पेश हुआ उसी रोज विचार हो गया। पहले हुआ है लेकिन अपवाद को नियम न बनाया जाए। यह प्रतिदिन अपवाद हो रहा है चार-चार विधेयक एक बार पास कराने का। आज यह आए हैं कम से कम इसको बैठकर हम देख तो लें। इससे पहले इस पर विचार नहीं हो सका था। संसदीय कार्य मंत्री जी कहेंगे पहले हुआ है तो हुआ है अपवाद है वह इसलिए है कभी-कभी इस बात की आवश्यकता पड़ती है मान्यवर, यह अपवाद सदैव के लिए रूल और नियम न बना दिया जाए। मेरा आग्रह है समय दे दिया जाए। कल इनको ले लिया जाए सिफारिश जरूर आई है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

अभी कौन्सिल भी जाना है।

श्री हुकुम सिंह-

आपने जो सदाशयता का परिचय दिया है और जैसी दरियादिली दिखाई है कि आज 5.00 बजे तक कार्य-स्थगन ही चलता रहा। मान्यवर, जो हमारा मुख्य कार्य है वह विधायी कार्य है। लेकिन विधायी कार्य को प्राथमिकता न हो और सरसरी तौर से पास कराते रहेंगे तो जनता के प्रति यह न्याय नहीं होगा। समझबूझ कर ही इन पर कार्यवाही होनी चाहिए। यह नहीं कि केवल "हां" या "न" में तय हो गया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह जो सभी विधेयक हैं, यह पहले ही पारित हो चुके हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। यहां पर जब पारित हुए थे, उस समय सदस्यों को पूरा अवसर था, इसलिए यह आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, पूरी गम्भीरता का अभाव दर्शाते हुए संसदीय कार्य मंत्री जी ऐसा कर रहे हैं। मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूं कि कुछ तो संवेदनशीलता दिखाइये। यहां पर सदन अव्यवस्थित था, पास हों गए। यह पास होना है क्या ? यदि ऐसा ही करना हो तो पास कराइये। मैं तो अपने मन की बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, एक तो मैं स्पष्टीकरण यह चाहता था कि जो संशोधन किये गये हैं जिस पर आपने अण्डर लाइन किया है।

श्री अध्यक्ष-

पहले प्रश्न रख लेते हैं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, जो संशोधन आये हैं, उन संशोधनों की स्थिति आज क्या है ? जहां तक मैं समझ पाया हूं इसमें आपने जिसको अण्डर लाइन कर दिया है, वह स्वीकार हुआ है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात आपने उप प्रधान, उप ब्लाक प्रमुख और उपाध्यक्ष, जिला पंचायत का पद समाप्त किया है। एक व्यवस्था है, पंचायती राज में और हर जगह व्यवस्था है कि किसी कारण से प्रमुख, प्रधान या जिला पंचायत का अध्यक्ष अपने दायित्व को निभाने में किसी कारण से समर्थ नहीं है।

किसी कारण से सक्षम नहीं है, बाहर चले जाते हैं और मीटिंग करना आवश्यक है तो उपाध्यक्ष का स्थान बनाया गया, उसमें केवल यह कह करके कि संविधान में उनकी व्यवस्था क्योंकि नहीं की गयी थी मगर संविधान में कोई प्रतिबन्ध भी नहीं लगाया गया था, यह तो हमारे विवेक के ऊपर छोड़ा गया था कि हम उसको सुचारु रूप से चलाने के लिए और क्या व्यवस्था कर सकते हैं ? कोई व्यवस्था हमने की, हमने उप प्रमुख का पद सृजित किया, हमने उप प्रधान का पद सृजित

किया। आखिर उनसे दुश्मनी क्या है ? इस बात के पीछे कोई तर्क होना चाहिए, कोई औचित्य होना चाहिए कि इन पदों को हम इसलिए समाप्त करना चाहते हैं। कोई आपके पास वित्तीय भार नहीं है। जहां तक वित्तीय भार की बात थी, आपने एक लम्बी-चौड़ी फौज यहां पर खड़ी कर दी। हर जगह आपने अध्यक्ष बैठा दिये। जितने निगम थे, उन पर अध्यक्ष बैठा दिये, नहीं भी थे, उनको सृजित करके उन पर अध्यक्ष बैठा दिये, मान्यवर, आपने सैकड़ों व्यक्ति तो बैठा दिये अध्यक्ष के पद पर और जो विधिवत् चुने हुए लोग थे उनको आप समाप्त करने की बात कर रहे हैं। मान्यवर, यह कहां का लोकतंत्र है ? कहां की यह परम्परा है ? क्या इनकी मर्यादाओं का पालन करना चाह रहे हैं मान्यवर, क्योंकि संख्याबल आज आपके पास में है और संख्याबल भी बड़ी सूझ-बूझ का है जो कभी नहीं बोलते हैं, केवल आपके कहने पर ताली बजाते हैं, मैं उनको बधाई देता हूं इस बात के लिए भी, लेकिन कम से कम सोचना तो यह चाहिए आपको कि जिन पदों को वैधानिक रूप से मान्यवर कानून बनाकर के इस विधान मण्डल ने सृजित किया और सृजित करने के बाद में कानून में उनको स्थान दिया। उसमें आप भी शामिल थे, जब यह कानून बना तो उस कानून को बनाने में आपने भी शिरकत की थी, आपकी पार्टी की शिरकत हुई थी। आज आखिर क्या बात देखी कि हमारे उप प्रधान का पद नहीं रहेगा, हमारे उप प्रमुख का पद नहीं रहेगा या हमारे उपाध्यक्ष जिला पंचायत का पद नहीं रहेगा मान्यवर, अगर कल प्रमुख की तबीयत खराब हो जाती है वह बीमार हो जाता है और मीटिंग करनी आवश्यक हो जाती है तो कौन अध्यक्षता करेगा उसकी आप कह देंगे कि सदस्यों में से कोई कर लेगा, लेकिन जब एक व्यवस्था बनी हुई थी उस व्यवस्था को समाप्त करने का कोई तर्क कोई कारण होना चाहिए मान्यवर। मेरा निवेदन है कि अगर इस सदन की सार्थकता कोई रखनी है तो हमें कभी न कभी तर्कों के आधार पर कुछ न कुछ कारण बता करके भी उसका पालन करना चाहिए। यह नहीं कि हां हमने तय कर लिया, हमको निर्देश हो गया, हमें यह करना ही करना है। आज मैं यह चाहता हूं कि तीनों बातों के ऊपर वह कारण बतायें जायें कि विधान द्वारा सृजित तीनों पदों को समाप्त करने का कौन सा औचित्य सरकार के सामने है और उसके बावजूद भी अपर हाउस बना है हमारे लिये परिषद्, उन्होंने भी अपना सोच समझ करके विचार करने के बाद में इसमें एक संशोधन का प्रस्ताव किया कि इनको समाप्त न किया जाय। न आप उनकी बात मानेंगे, न आप बात यहां की मानेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

यहां की बात हम मानते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

उस वक्त आप बैठे हुए थे यहां आप इस स्थान पर बैठे हुए थे मुझको ध्यान है जिस दिन संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मैंने यह प्रस्तुत किया था, आपके विचार भी आये थे, आपने तब तो कोई विरोध किया नहीं था इसका। मैं मान लेता यदि कोई राजनीतिक दृष्टिकोण आपका है, कोई सामाजिक दृष्टिकोण आपका है, अगर बहुजन समाज पार्टी के किसी सदस्य ने उस वक्त विरोध यह किया होता कि नहीं इन तीनों पदों की कोई आवश्यकता नहीं है। तब तो आपने कोई विरोध नहीं किया, एक शब्द भी नहीं मान्यवर, मैं पिछली कार्यवाही इसीलिए देखकर के आया कि बड़े विद्वान सदस्य हैं, बड़ा अध्ययन भी करते हैं, शायद इन्होंने ऐसे अच्छे तर्क उस समय दिये होंगे कि नहीं इन

पदों की आवश्यकता नहीं है, वित्तीय भार बढ़ेगा, अनावश्यक रूप से प्रशासनिक अवरोध पैदा होगा। तब तो एक शब्द भी नहीं कहा गया। आज आये, न जाने कब सपने में आपको आ गया कि तीनों पदों को समाप्त करना चाहिए खड़े होकर के यहां प्रस्ताव कर दिया। अगर ऐसी आपको पदों से दिक्कत थी तो यह सैकड़ों पद क्यों सृजित कर दिये आपने। किन लोगों के लिए कर दिये ? क्यों उनकी आवश्यकता पड़ी और वहां केवल अध्यक्ष पद ही नहीं सृजित किये आपने तो उपाध्यक्ष भी बना दिये वहां पर और कहीं-कहीं तो मान्यवर, अधिकारी अध्यक्ष और आपके राजनीतिक लोग उसमें उपाध्यक्ष।

श्री लालजी वर्मा-

कोई भी राज्य मंत्री उपाध्यक्ष नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

अरे मैं बता दूं निकाल करके एक नहीं दस, एक में नहीं दस जगह है मैं कल ही बता दूंगा ला करके और एक भी नहीं तीन-तीन हैं।

श्री लालजी वर्मा-

किसी को राज्य मंत्री का दर्जा नहीं मिला है।

श्री हुकुम सिंह-

राज्य मंत्री का दर्जा मैंने कब कहा। मैंने राज्य मंत्री का तो नाम ही नहीं लिया। मैंने उपाध्यक्ष की बात कही है। ऐसा न करो मान्यवर, बहुत दिन इस सदन में बैठने का मौका मिला ऐसी हल्की बात मैं नहीं करता हूं। मैंने उपाध्यक्ष की बात कही है, एक राजनीतिक आदमी को उपाध्यक्ष बनाना जहां पर सरकारी अधिकारी अध्यक्ष हों, वहां तक तो आपने कमी छोड़ी नहीं और आज जो कानून बना करके कानून का निर्माण करके विधान मण्डल द्वारा यह पद सृजित किये गये थे मान्यवर, और सदैव से थे, जब से पंचायतराज ऐक्ट बना मान्यवर, तब से उप प्रधान का पद रहा।

मान्यवर, जबसे जिला पंचायत ऐक्ट बना तब से उपाध्यक्ष का पद रहा। जब से बी0डी0सी0 बनी तब से प्रमुख का पद रहा और उनका विधिवत् चुनाव होता है। वह नामिनेट नहीं होते हैं कहीं से यह लोकतंत्र की हत्या करने के सिवाय और क्या है यह आप क्यों खत्म कर रहे हैं। इसलिए कि आपको सारे अधिकार मिल जायें और आप अपने कुछ गिने चुने लोगों को वहां पर बिठाकर इन संस्थाओं की स्वायत्ता को समाप्त कर दें। मान्यवर, असली लोकतंत्र वहीं पर है आप उसको पनपने दो उसके बाद ही यहां का लोकतंत्र काम करेगा। सारी बातें आप नहीं कर सकते हैं।

मान्यवर, जो सिविक बाडी है जो पंचायत सिस्टम है उसको कमजोर करने का काम आज किया जा रहा है। आप देख लें काउंटीज बनी हुई है आप ब्रिटेन में चले जायें जहां से हमने यह पार्लियामेंटरी सिस्टम को एडाप्ट किया हुआ है, आप सारे यूरोप में चले जायें, अमेरिका में चले जायें, आस्ट्रेलिया में चले जायें सारी जगह पंचायत सिस्टम है। इस तरह से आज जिला पंचायत और बी0डी0सी0 जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि यहां तो तीन चार सदस्य हैं आपके पास तो अपार संख्या है। आप इसे पास करा लेंगे उधर के लोग तालियां बजायेंगे जैसे कितनी बड़ी कोई कामयाबी प्राप्त कर ली इन

पदों को समाप्त करके। आप खूब तालियां बजवा लेंगे। लेकिन एक बात यह कहना चाहता हूं कि सदैव सत्ता किसी के हाथ में नहीं रहती है हम लोग भी कभी वहां पर बैठते थे आज इधर बैठे हैं। आप भी कभी इधर आ जायेंगे और जो पब्लिक के बीच हम आप जायेंगे तो यह कहा जायेगा कि इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं था आपके पदों को समाप्त करने वाले आज आपके सामने आये हैं। आप विचार कर लें इनके बारे में। इसलिए यह कहना चाहता हूं कि यह जो इस तरह से पक्षपात की बात है इसके ऊपर आप पुनर्विचार कर लें। कल तक का समय चाहा है इसमें हमने ताकि जहां से आपको शक्ति मिलती है वहां से भी आपकी बातचीत हो जाये। आप जल्दबाजी में काम न करें यही मुझे आपसे कहना था।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो भारत का संविधान का अनुच्छेद-243 है जिसके माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की गयी है उसमें अध्यक्ष, चेयरपर्सन की व्यवस्था है उसमें कहीं उपाध्यक्ष, उप प्रमुख का स्थान निर्धारित नहीं किया गया है। हमारा जो संविधान है यह उसकी भावना के अनुरूप है। अमूमन यह देखा जाता है कि उपाध्यक्ष, उप प्रमुख या उप प्रधान इनको कुछ अधिकार तो है नहीं और उसमें अधिकार न होने के कारण सामान्य रूप से चलने वाले पंचायतों के कार्यों में कभी-कभी रुकावट या असहज स्थिति पैदा होने का काम होता है। इन परिस्थितयों को दृष्टिगत यह उचित महसूस किया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार जो व्यवस्था है उसमें चेयरपर्सन का उल्लेख है इसलिए उसके अनुसार कार्य किया जाये। मान्यवर, त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रधान आम जनता से निर्वाचित होता है। प्रमुख जो है वह क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है और इसी तरह से जिला पंचायत में जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है, इन पदों के अतिरिक्त जो उपाध्यक्ष या उप प्रमुख या उप प्रधान का पद है इसको समाप्त किया जाये। उसी भावना से और जनाकांक्षाओं के अनुसार ही इसको समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। मान्यवर, इसी तरह से हम यह कहना चाहते हैं कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं माननीय हुकुम सिंह जी का भी पूर्ण विश्वास लोकतंत्र में है और लोकतंत्र में अगर विश्वास है तो बहुमत पर आधारित हमारा लोकतंत्र है। अमूमन ऐसा होता है कि अधिकार ऐसे दे देते हैं कि 2/3 बहुमत से हटेंगे। तो बहुमत से नहीं, बल्कि उस कानून के सहारे, पंचायतों को लोकतांत्रिक परम्पराओं से हटकर संचालित करने का कार्य किया जाता है। तो जनता की अपेक्षाओं के अनुसार, लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुसार, लोकतांत्रिक जो ढांचा है वह और मजबूत रहे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसमें यह महसूस किया गया कि 2/3 बहुमत के आधार पर अगर अविश्वास प्रस्ताव आयेगा अध्यक्ष, उप प्रमुख के बारे में, प्रधान के बारे में चेंज नहीं किया गया है तो वह निरंकुश हो जायेंगे और लोकतांत्रिक परम्पराओं का पालन नहीं करेंगे। इसलिए इस बात को जो पहले थी 1994 में जब हमने इस अधिनियम को स्वीकार किया था उस समय भी जो इसमें व्यवस्था थी। वह साधारण बहुमत से ही अविश्वास प्रस्ताव लाने का और एक साल के अन्तराल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था थी। 1998 में इसमें संशोधन किया गया था। यह महसूस किया गया कि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हमारा ढांचा लोकतांत्रिक ढांचा है। इसलिए साधारण बहुमत के आधार पर ही अगर कोई अध्यक्ष या प्रमुख निरंकुश होता है, बहुमत का अनादर करता है तो उसको बदलने का अधिकार बहुमत के पास होना चाहिए। इसलिए यह लोकतांत्रिक

परम्पराओं को और अधिक मजबूत करने की दृष्टि से यह प्रस्ताव लाया गया है। मान्यवर, हम यह चाहेंगे कि जो मूल रूप से हमने प्रस्ताव पेश किया था उसी ढंग से फिर उस पर विचार करके अभी मान्यवर, आपने अनुमति नहीं दिया प्रस्ताव रखने का, अभी तो विचार किया जाय पर है उस पर आपने मतदान भी करा लिया। पहले प्रस्ताव रखने के बाद ही इस पर विचार आना चाहिए था। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि उसी के अनुसार इसको पारित कराने का अपना जो विधेयक का उद्देश्य था उसी के अनुसार पारित करावें और इसमें माननीय हुकुम सिंह जी से भी चाहूंगा वरिष्ट सदस्य हैं, हम लोग उनसे सीखते रहते हैं, हम लोगों को जानकारी जहां कम होती है, जहां हम लोग नहीं समझ पाते हैं आपसे बातचीत करके नियम कानून के बारे में जानकारी भी करते हैं और उनका भी सहयोग रहना चाहिए कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप ही साधारण जो बहुमत है उसकी उपेक्षा न होने पाये। उसके अपेक्षानुसार सदन चले इसलिए साधारण बहुमत के आधार पर भी व्यवस्था किया जाना उचित है इसलिए मैं चाहूंगा कि इसका समर्थन करने की कृपा करें। अगर आपकी अनुमति हो तो प्रस्ताव रख दें, 11 ख।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, हम खण्डशः विचार ले रहे हैं।

खण्ड-2

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 की तीसरी पंक्ति में शब्द "निकाल" के स्थान पर शब्द "रहने" कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(अतः खण्ड-2 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था, विधेयक का अंग बना रहा)

खण्ड-3

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 के मूल अधिनियम की धारा 11-क में उपधारा (1) को रहने दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(अतः खण्ड-3 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था, विधेयक का अंग बना रहा)

खण्ड-9

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-9 की चौथी पंक्ति में शब्द "निकाल" के स्थान पर शब्द "रहने" कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(अतः खण्ड-9 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था, विधेयक का अंग बना रहा)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, को पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, को पुनः पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-8

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-8 के मूल अधिनियम की धारा 35 में उपधारा (क) के अग्रेतर प्रतिबन्ध की प्रथम पंक्ति में शब्द "उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक" के पश्चात् शब्द "या उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक" जोड़ दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-8 के मूल अधिनियम् की धारा 35 (ख) के उपबन्ध (क) एवं (ख) के स्थान पर निम्न रखा जाय :-

जहां निबन्धक ने उपधारा (1) के अधीन प्रबन्धक कमेटी का अवक्रमण किया है वहां वह उनके स्थान पर कोई सरकारी सेवक प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है, जो प्रबन्ध कमेटी के अवक्रमण के दिनांक से तीन माह के भीतर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित कराने के पश्चात् प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन किया जायेगा ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(अतः खण्ड-8 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था, विधेयक का अंग बना रहा)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में मूल अधिनियम की धारा-3 में उपधारा (3) को पूर्ववत् रहने दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(अतः खण्ड-2 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था, विधेयक का अंग बना रहा)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007 जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007 जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर विचार किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(खण्डशः विचार हेतु पुकारे जाने पर)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जैसी हमारी इच्छा थी और मैं इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं कि जो संशोधन हम चाह रहे थे, वह संशोधन करके आप इसे लाये, इसके लिए आपको धन्यवाद दे रहा हूं। साथ ही यह कह रहा हूं कि जिन महापुरुषों के नाम का उल्लेख है, उनके नाम पर किसी को आपत्ति नहीं है। जो आपत्ति थी वह आपने दूर कर दी। लेकिन जो इसमें कमी है, इसमें क्या हम सोच सकते हैं कि भारतवर्ष की संस्कृति में भगवान श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण के बिना यहां की संस्कृति अधूरी है, जो इनके विचार आये, चाहे रामचरित मानस के माध्यम से आये हों रामायण के माध्यम से आया हो, श्रीमद्भागवत् के माध्यम से आया हो, गीता के माध्यम से आया हो, यह ऐसी चीजें हैं, ऐसी पुस्तकें हैं, ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनकी पूजा भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में होती है और भारत का व्यक्ति कहीं पर भी हो वह इनके बिना अपने आप को अधूरा मानता है। इसके अलावा महापुरुषों की जहां पर इतनी बड़ी श्रृंखला हो, भगवान महावीर क्या उनका स्थान यहां पर गौड़ है, गुरुनानक जैसे महापुरुष जिन्होंने पूरे भारत में घूम-घूम करके सबको जोड़ने का काम किया, सब ग्रन्थों से ले करके एक मार्गदर्शन दिया। उनके नाम का इसमें उल्लेख न हो और मान्यवर, आप रामायण के रचयिता को भी भूल गये, महर्षि बाल्मीकि को भूल गये, उनके बारे में कोई शंका है क्या आपको ? इतना ही नहीं मान्यवर, ऐसा नाम जो वर्तमान में सारे भारत वर्ष के उस समाज को, जिसका हजारों सालों से उत्पीड़न हुआ, उसमें जागृति पैदा करने का जिस महापुरुष ने काम किया, आप उन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दर्शन को भूल गये। आज मान्यवर, कहीं भी जाइये, बर्लिन में

जाइये, जर्मनी में जाइये, पूरे शहर में इससे बड़ा चित्र आपको मिलेगा नहीं। हिटलर का चित्र हटा करके उन्होंने महात्मा गांधी का चित्र लगाया है। जिस व्यक्ति के बारे में आज कोई विवाद ही न हो, उस व्यक्ति का साथ छोड़ दें, उनका दर्शनशास्त्र उनकी रचनाएं वहां पर नहीं रखी जायेंगी। आपने इसमें आदि शब्द लिखा है, आदि शब्द अलग है, लेकिन आपने कुछ नामों का जिक्र किया है और उन नामों के साथ-साथ यह नाम कहीं पर गौड़ नहीं पड़ते, छोटे नहीं पड़ते यह नाम। मैं चाहता था कि अगर आपके मन में वास्तव में यह इच्छा है कि सर्वसमाज की बात की जाए तो सर्वसमाज की बात करने के लिये ऐसे महापुरुषों का, जिनको भगवान की संज्ञा दी गई, ईश्वर की संज्ञा दी गई, उनको हम छोड़ दें और बाकी लोगों को ले लें तो सीधा-सीधा यह संदेश आप देना चाहते हैं कि आप समाज को जोड़ना नहीं चाहते हैं बल्कि आप अपने क्रोध की अभिव्यक्ति करना चाह रहे हैं कि इनसे हमें लगाव नहीं है, इनसे हमें लगाव है, यह आदि की श्रेणी में रहेंगे और यह विशिष्ट श्रेणी में रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जहां आपने इतना बड़ा काम किया है, एक ऐसे व्यक्ति का नाम हटाया है, जिसने हमारी संस्कृति के ऊपर प्रहार किया हो। मान्यवर, जिस व्यक्ति ने रामायण को जलाया हो, जिसने बापू की प्रतिमा में जूतों की माला पहनाई हो, उस व्यक्ति का नाम आपने हटाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन साथ में यह आग्रह करता हूं कि जिन महापुरुषों के बिना यहां की संस्कृति अधूरी है, यहां का समाज अधूरा है यहां की सोच अधूरी है, उन महापुरुषों का नाम आपने शामिल न करके इस संस्कृति के साथ अन्याय किया है, इसलिए आज उनका नाम भी जोड़ने की कृपा आप करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, पेरियार रामास्वामी का नाम आपने हटा दिया, अच्छा होता तो अगर विधान सभा में ही वह हटा दिये गये होते तो विधान परिषद् के दबाव का यश इसमें न जाता। अच्छा होता कि उसी समय हटा देते और आज फिर कह रहा हूं कि पेरियार को आपने केवल दबाव के कारण हटाया लेकिन आप भावना से मुक्त हुए हैं, यह हमें अभी विश्वास नहीं है। क्योंकि आपने इसमें समतामूलक, सामाजिक परिवर्तन आदि शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन सर्वसमाज भगवान राम को श्रीराम को भी समतामूलक ही मानता है, उनके समय में कोई सामाजिक विषमता नहीं थी, जिस विषमता की चर्चा आज होती है। समाज में भेद रहा होगा लेकिन भावना में भेद उन्होंने नहीं किया और उनका अपमान करने के लिए जो साहित्य लिखा गया है सच्ची रामायण उस पर भी आपको प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आज ही हो सके तो आप घोषणा कर दें और निर्देश लेना हो तो निर्देश लेकर घोषणा कर दें क्योंकि उसके बिना सर्वसमाज का जो नारा है आपका वह चरितार्थ नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने पेरियार को हटाया, अच्छा किया, सच्ची रामायण पर प्रतिबन्ध लगाने की भी घोषणा कर दें अन्यथा वह सर्वसमाज के हित में नहीं होगा। सर्वसमाज इस तरह से सामाजिक परिवर्तन महसूस नहीं करेगा बल्कि जैसा माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा, उनकी सभी बातों से सम्बद्ध करते हुए उन्होंने जो आशंकायें व्यक्त की उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं और यह जो आपका कार्य है निश्चय ही एक पक्षीय होगा; सर्वसमाज के हित में नहीं होगा।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, पूरी बात आ गयी है, अब रहने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, केवल दो मिनट लूंगा। यह विधेयक है, इस पर विचार नहीं रखेंगे तो किस पर रखेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जब यह विधेयक यहां से पारित होकर विधान परिषद् गया था तो इस पर चर्चा हुई थी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जिस स्थिति में पास हो गया था वह आपके संज्ञान में है। मान्यवर, जैसे ही यह सरकार आयी तो हमने नारा पढ़ा, बजट भाषण में भी आया कि ''सर्वजन-हिताय, सर्वजन-सुखाय''। समतामूलक समाज बने इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम इसके प्रारम्भ से ही समर्थक रहे हैं। मैं माननीय हुकुम सिंह जी, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी के विचारों से अपने आप को सम्बद्ध करता हूं। चूंकि नारा इस प्रकार का है उसके अनुरूप जब हम सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक न्याय की बात करें तब गांधी जी का नाम, लोहिया जी का नाम और जय प्रकाश जी का नाम न शामिल हो या इनके बारे में चर्चा न हो तो अस्वभाविक सा लगता है। मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से विशेष रूप से आग्रह है कि जब इतने महापुरुषों का जिक्र किया है तो गांधी जी, लोहिया जी और जय प्रकाश जी का नाम इसमें शामिल जरूर किया जाए तो मैं समझता हूं कि इसमें जो भी कमी दिखाई पड़ रही है वह पूरी हो जायेगी। मैं इतनी ही बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(डा0 राजेन्द्र सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब अब बैठिये, इसमें अब क्या बचा है ?

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं केवल इस विधेयक के एक क्लाज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस अधिनियम का क्लाज-11 देखें, जिसमें यह है कि 'ऐसे किसी भवन का निर्माण स्थल की सीमा से 50 मीटर की दूरी के भीतर नहीं किया जायेगा जिसकी ऊंचाई डा0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक के गुम्बद की ऊंचाई की आधी से अधिक हो।' ऊंचाई कितनी रखेंगे इसका कोई उल्लेख नहीं है ? इससे लगता है कि 50 मीटर के भीतर कोई भवन निर्माण हो ही नहीं पायेगा। अगर डा0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक के गुम्बद की ऊंचाई की 100 मीटर रख दिया तो फिर निर्माण नहीं हो पायेगा। मान्यवर, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, माननीय वरिष्ठ सदस्य ओम प्रकाश सिंह जी ने जो कहा कि विधान परिषद् के दबाव में यह निर्णय लिया गया कि पेरियार जी का नाम विद-ड्रा कर लिया जाए। पहले मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं, मान्यवर, इस सम्बन्ध में जब विधान परिषद् की प्रवर समिति में यह विधेयक गया उससे पहले

ही उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहिन कुमारी मायावती जी ने लॉ-एण्ड-आर्डर को ध्यान में रखते हुए लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पहले ही फैसला कर लिया था कि पेरियार जी का नाम हम कभी प्रदेश में नहीं लायेंगे। इस विधेयक में इसलिए चला गया कि उनकी घोषणा से पहले आर्डीनेन्स जारी हो चुका था इसलिए नाम उसमें रह गया था। जब यह बात प्रवर समिति में आयी तो वहां बिना किसी के दबाव में बिना किसी के उठाये हुये, समिति का सभापति मैं था, मैंने मीटिंग शुरू होने से पहले ही उसे विद-ड्रा कर लिया। मीटिंग बाद में शुरू हुई। किसी के दबाव में नहीं, आप सबकी भावनाओं का आदर करते हुए, लॉ-एण्ड-आर्डर को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया और जो फैसला पहले लिया गया है उस दिन प्रवर समिति का फैसला नहीं है। जहां तक सच्ची रामायण की बात कही है जब नाम ही विद-ड्रा कर लिया तो अब उसका कोई औचित्य ही नहीं है। अन्य महापुरुषों के बारे में जो बात कही गयी, हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, बापू का नाम आया, लोहिया जी का नाम आया, राज नारायण जी का नाम आया, कुछ लोगों ने यहां पर चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया। अगर सबका नाम रख दिया जायेगा तो कई हजार नाम हो जायेंगे और इस विधेयक में जगह ही नहीं बचेगी।

मैं पहले कह चुका हूं कि हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। प्रत्येक महापुरुष का जीवन संघर्ष अपना अलग-अलग है। यह आवश्यक नहीं कि सभी की विचारधाराएं मिलें। उस चीज को ध्यान में रखते हुए यह नाम रखे गये हैं। इतने नाम ऐड किए भी नहीं जा सकते। जहां तक आपने कहा कि ऊंचाई उससे आधी रहेगी यह कोई पहला फैसला नहीं है इसके पहले भी इस तरह के फैसले लिए गए हैं इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

कोई प्रस्ताव नहीं है, सुझाव है।

खण्ड-5

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधन से यह सदन सहमत है :--

खण्ड-5 के उपबन्ध (ख) की पांचवीं पंक्ति में शब्द 'पेरियार रामास्वामी' निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ और संशोधित हुआ, को विधान सभा द्वारा पुनः यथासंशोधित रूप में पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007 जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ, को विधान सभा द्वारा पुनः यथासंशोधित रूप में पुनः पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक सामान्य नीति बनाये जाने तथा उसे बिना भेद-भाव के प्रदेश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से कड़ाई से लागू किये जाने विषयक चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

इस चर्चा को जारी रखते हैं।

श्री सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, महत्वपूर्ण विषय है कब लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आगे ले लिया जायेगा। कल ले लेंगे।

श्री सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, कल ले लें।

इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक सामान्य नीति बनाये जाये तथा उसे बिना किसी भेद-भाव के प्रदेश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से कड़ाई से लागू किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 5 दिसम्बर, 2007 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 44 सूचनाएं प्राप्त हुईं। स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :--

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जो वर्ष 1962 में जनपद आजमगढ़ में शारदा नहर के लिये अधिग्रहीत किसानों की भूमि का मुआवजा अभी तक न दिये जाने के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की जनपद बस्ती के थाना लालगंज के ग्राम बैरवाखाला निवासी श्री शिवकुमार की पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में गोली मारकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री अमेरिका प्रधान की जो जनपद गाजीपुर स्थित शारदा सहायक चतुर्थ खण्ड-23 एवं लालगंज रजवाहा माइनर में टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री राम विशुन आजाद की जो जनपद गोण्डा के मनकापुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2005 से वर्ष 2007 के मध्य सरयू नहर

खण्ड-2,3,4,5 एवं सरयू ड्रेनेज नहर खण्ड-1 व 2 में कराये गये सफाई के कार्यों की जांच कराने एवं टेलों तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवीं सूचना श्री उदय राज यादव की जो जनपद उन्नाव में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंन्तर्गत ए0बी0बी0 द्वारा गुणवत्ता के विरुद्ध कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठी सूचना श्री प्रदीप माथुर की जो जनपद मथुरा-वृन्दावन की नगर पालिकाओं एवं गोवर्धन नगर पंचायत द्वारा आने वाले पर्यटकों से प्रवेश कर हटाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जो जनपद आजमगढ़ की नहरों में पानी न उपलब्ध होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना श्री मिथिलेश कुमार की जो जनपद शाहजहांपुर स्थित सागर झील में किये जा रहे अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना श्री हुकुम सिंह की जो, जनपद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरट तथा बागपत में निजी बसों के परमिट रद्द किये जाने एवं परिवहन निगम द्वारा बसों का संचालन पर्याप्त मात्रा में न कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की जो जनपद प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील के गांवों के कोटेदारों के विरुद्ध जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं सूचना श्री शंभू चौधरी की जो जनपद कुशीनगर की नगर पंचायत खड्डा को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। बारहवीं सूचना श्री राम किशुन की जो जनपद चन्दौली स्थित कुण्डा पम्प कैनाल के खराब पम्प को ठीक कराये जाने एवं नहर में पानी की आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं उनके नाम इस प्रकार हैं--श्री अब्दुल वारिस खां, श्री लाल जी यादव, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 धर्मपाल सिंह, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री मदन चौहान, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 रजेन्द्र सिंह, श्री आर0पी0एन0 सिंह, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री काशी राम, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री सुन्दर सिंह, डा0 राम प्रकाश कुशवाहा, श्री पूरन प्रकाश, श्री कादिर राणा, डा0 आर0ए0 उस्मानी, डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर, श्री प्रमोद सिंह, श्री लल्लू सिंह, डा0 पी0के0 राय, श्री इमरान मसूद, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री सिबगतुल्ला अंसारी, श्री पंकज मलिक, श्री दीप नारायण सिंह, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री हर गोविन्द भार्गव, श्री जसवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री अनिल कुमार सिंह यादव।

जनपद कानपुर स्थित एयरपोर्ट स्टेशन चकेरी के निर्माण हेतु किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दीपक कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

एयरफोर्स स्टेशन चकेरी, कानपुर नगर के निर्माण हेतु किसानों की अधिग्रहीत.....

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

एयरफोर्स स्टेशन चकेरी कानपुर नगर के निर्माण हेतु किसानों की अधिग्रहीत

[की गयी जमीन का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में श्री दीपक कुमार, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 05-11-2007 को नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है।

प्रकरण में निदेशक, भूमि अध्याप्ति तथा जिलाधिकारी, कानपुर नगर/लखनऊ से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या के अनुसार एयरफोर्स स्टेशन चकेरी, कानपुर के लिये रक्षा सम्पदा अधिकारी, लखनऊ के अनुरोध पर ग्राम सफीपुर की 1.639 है0 भूमि अर्जित की गयी जिसका अभिनिर्णय दिनांक 10-3-2000 को घोषित किया गया था तथा अर्जन निकाय द्वारा प्रतिकर के मद में उपलब्ध करायी गयी धनराशि रु0 1,66,00,505.11/- का प्रभावित भू-स्वामियों को आंशिक भुगतान किया गया है। रक्षा सम्पदा अधिकारी द्वारा अभिनिर्णय दिनांक 10-3-2000 के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0-30155/2001 यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) व अन्य योजित कर स्थगन आदेश दिनांक 13-8-2001 प्राप्त किया गया था। उक्त वाद मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16-8-2007 को खारिज कर दियां गया है।

अभिनिर्णय दिनांक 10-3-2000 के अनुसार रक्षा सम्पदा अधिकारी, लखनऊ से धनराशि की मांग की गयी है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), कानपुर नगर द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 09-11-2006 को जिलाधिकारी, लखनऊ को प्रेषित किया गया है। उप जिलाधिकारी, सदर लखनऊ द्वारा दिनांक 12-9-2007 को रक्षा सम्पदा विभाग के विरुद्ध चल सम्पत्ति कुर्की अधिपत्र जारी किया गया तथा दिनांक 21-9-2007 को बाकीदार संस्था-रक्षा सम्पदा अधिकारी, लखनऊ मण्डल के भारतीय स्टेट बैंक सदर स्थित खाते कुर्क करते हुए उनके आहरण वितरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, फिर भी धनराशि जमा न करने के कारण कुर्कशुदा धनराशि के आहरण का आदेश दिनांक 02-11-2007 को उप जिलाधिकारी, सदर, लखनऊ द्वारा जारी किया गया है। वसूली प्रमाण-पत्र के अनुसार अर्जन निकाय से वांछित धनराशि प्राप्त होने पर अवशेष प्रतिकर दिया जा सकेगा। वसूली की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश जिलाधिकारी, लखनऊ को दे दिये गये हैं।]

जनपद कुशीनगर के मुख्यालय पडरौना में परिवहन निगम के बस डिपो की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0 पी0 एन0 सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जनपद कुशीनगर भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी एक पवित्र स्थली है.....

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

[और यह राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसी कारण से एक नये जनपद कुशीनगर का सृजन किया गया जिसका मुख्यालय पडरौना बना। लगभग 14 वर्षों का समय बीत जाने के बाद भी यहां पर परिवहन निगम के बस डिपो की स्थापना अभी तक नहीं की गयी है, जिससे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अत्यन्त परेशानी हो रही है। यह पूर्वांचल का मुख्य केन्द्र भी है। विशेष रूप से जिला मुख्यालय आने-जाने के लिये लोगों को परेशानी हो रही है। रामकोला, सेवरही एवं कप्तानगंज आदि गन्ने के केन्द्र हैं। यहां पर बस डिपो के निर्माण के लिये भूमि चिन्हित कर ली गयी किन्तु अभी तक बस डिपो का निर्माण नहीं किया गया है जिससे एक तरफ करोड़ों रुपये का नुकसान विभाग को हो रहा है वहीं डग्गामार बसें अनधिकृत रूप से चल रही हैं जिससे यात्रियों को भी परेशानी होती हैं भगवान गौतम बुद्ध की इस धरती के महत्व को देखते हुए, पूर्वांचल के विकास को देखते हुए, तथा गन्ने के केन्द्र को मद्देनजर रखते हुए मुख्यालय आने-जाने हेतु लोगों की आवश्यकता को देखते हुए यहां पर परिवहन निगम की बस डिपो की स्थापना शीघ्र किया जाना आवश्यक है। वहां पर लोगों में निराशा तथा असंतोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।

उपरोक्त नियम-51 के अन्तर्गत श्री आर0पी0एन0 सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जनपद कुशीनगर के पडरौना मुख्यालय पर परिवहन निगम का एक बस स्टेशन स्थापित है परन्तु बस डिपो स्थापित नहीं है। उल्लेखनीय है कि बस स्टेशन पर केवल यात्रियों को बैठाने एवं उतारने के लिये बसें रुकती हैं, जबकि बस डिपो में बस स्टेशन के अति रिक्त कार्यशाला एवं बस संचालन को प्रारम्भ करने की सुविधा भी उपलब्ध रहती हैं। जनपदीय मुख्यालय होने के कारण कुशीनगर के पडरौना मुख्यालय पर डिपो की स्थापना का निर्णय निगम निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 3-9-2007 को निगम मुख्यालय पर आयोजित बैठक में लिया जा चुका है। अतः इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परिवहन निगम द्वारा शीघ्र डिपो की स्थापना किया जाना है।

डिपो की स्थापना के अन्तर्गत डिपो कार्यशाला का निर्माण कराया जायेगा, जिसके लिये पडरौना मुख्यालय पर 5.00 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। जिलाधिकारी, कुशीनगर से तद्नुसार पडरौना मुख्यालय पर 5.00 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने का अनुरोध कर लिया गया है और क्षेत्रीय अधिकारियों को उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिये जा चुके हैं। भूमि उपलब्ध होने पर डिपो कार्यशाला के निर्माण के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

प्रदेश में चकबन्दी विभाग द्वारा मानक के अनुरूप जनपदों में फील्ड स्टाफ की नियुक्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री धनंजय सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 05-11-07 में यह उल्लेख किया गया है.....

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[कि प्रदेश का चकबन्दी विभाग प्रदेश की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों से सीधे सम्बन्धित होने के कारण इसकी छोटी-छोटी कारगुजारियों से प्रदेश का किसान सीधे प्रभावित होता है। 31 मई, 2007 तक फील्ड स्टाफ का जनपदवार मानक निर्धारित होने के बावजूद कतिपय जनपदों में फील्ड स्टाफ की मानकों के विपरीत स्वीकृत पदों से अधिक तथा कम संख्या में पदस्थ किये जाने से किसानों के हित प्रभावित/बाधित हो रहे हैं इन जनपदों में लखनऊ, जे0पी0नगर, हाथरस आदि में स्वीकृत पदों से अधिक कर्मी स्थानान्तरित कर पदस्थ किये गये हैं। इस सम्बन्ध में विभाग के फील्ड स्टाफ का निर्धारण की जाने वाली प्रक्रिया की पारदर्शिता तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप पदस्थापना अनिवार्य है।

जनपदों में फील्ड स्टाफ की पदस्थापना के मानकों का निर्धारण, मानकों के विपरीत जिलों मे फील्ड स्टाफ को स्थानान्तरित कर पदस्थापित किये जाने की स्थिति अधिक अथवा कम स्टाफ वाले जिलों के नाम तथा कर्मियों की सुनिश्चित संख्या आदि की जानकारी मा0 सदन को जनहित में दिया जाना अपरिहार्य है। इसके साथ ही यह सर्वथा उचित होगा कि मानकों के विपरीत स्वीकृत पदों के विपरीत कर्मियों का स्थानान्तरित कर पदस्थ करने तथा स्टाफ की कमी से हो रही कठिनाइयों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उन्हें यथास्थिति दण्डित किया जाय, जिससे शासन की रीति और नीति का स्पष्ट संदेश जन-सामान्य में पहुंच सके। मा0 सदस्य द्वारा उपरोक्त विषय की बिन्दुवार जांच कराये जाने तथा सम्पूर्ण प्रकरण पर सदन में वक्तव्य दिये जाने की मांग की गयी है।

मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में चकबन्दी आयुक्त से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि चकबन्दी विभाग में दिनांक 31-5-2007 को वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु जनपदवार फील्ड स्टाफ के पदों की स्वीकृति इस निर्देश के साथ प्रदान की गई थी कि समस्त बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी इसका भली प्रकार परीक्षण कर लें तथा यदि पदावंटन में कोई आपत्ति हो तो अपना प्रस्ताव निदेशालय भेजें। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए फील्ड स्टाफ की स्वीकृति प्रदान की जाती है ताकि वेतन आहरण सुचारु रूप से हो सके और कालान्तर में कार्य की प्रगति की समीक्षा करके आवश्यकतानुसार फील्ड स्टाफ के पदों का पुनर्निर्धारण सुनिश्चित किया जाता है। पूर्ववर्ती वर्षों में कुल कर्मियों के सापेक्ष स्थानान्तरण का प्रतिशत, अवश्य कम रहा, परन्तु इस वित्तीय वर्ष में अनेक कारणों से अधिक संख्या में स्थानान्तरण किये जाने आवश्यक हुए, जैसा कि नई वार्षिक स्थानान्तरण नीति एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी 06 वर्ष से अधिक समय से एक जनपद में कार्यरत लोकसेवकों को स्थानान्तरित करने सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन किया जाना आवश्यक था। बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दीगण को

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आवंटित पदों के सम्बन्ध में आपत्ति होने पर उनके द्वारा विभागीय बैठकों में की गई समीक्षा के दौरान स्टाफ का पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में मांग की गई। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियां जैसे गम्भीर रूप से बीमार, सेवानिवृत्ति के निकट होने, विकलांग लोकसेवकों तथा पति-पत्नी के शासकीय सेवा में होने के कारण व शासन के उच्चादेश आदि के फलस्वरूप भी स्थानान्तरण किये गये, परन्तु वर्तमान में सभी आवंटित पदों का समायोजन कर दिया गया है तथा वेतन सम्बन्धी कठिनाई किसी लोकसेवक की नहीं है। इस प्रकार सम्प्रति पदों की स्वीकृति संतुलित है, जो जनपदों में उपलब्ध ग्रामों की संख्या, निर्धारित वार्षिक लक्ष्य तथा कार्य की आवश्यकता आदि कारणों को दृष्टिगत रखते हुए की गई है तथा फील्ड स्टाफ का पुनर्निर्धारण पूर्ण पारदर्शिता एवं मानकों के अनुरूप किया गया है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना में जनपद-लखनऊ, जे0पी0नगर, हाथरस आदि में स्वीकृत पदों से अधिक कर्मी स्थानान्तरित कर पदस्थ किये जाने का उल्लेख हैं उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-लखनऊ में मुख्य रूप से लिपिक के अतिरिक्त पदों की स्वीकृति माह मई, 2007 के पश्चात् प्रदान की गई थी, क्योंकि निदेशालय के बैकलाग के पदों के चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने के कारण इस विराट कार्य हेतु काफी संख्या में कर्मियों की तैनाती की आवश्यकता थी। जनपद-हाथरस में वित्तीय वर्ष के पूर्व से ही स्वीकृत के सापेक्ष अधिक संख्या में कर्मी कार्यरत थे, चूंकि स्थानान्तरण नीति बाद में आई, अतः तैनात कर्मियों के 06 पद के सेवाकाल से कम की अवधि होने के कारण उनका स्थानान्तरण उचित नहीं समझा गया। यहां पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, अलीगढ़ द्वारा ही जनपद हाथरस का कार्य देखा जा रहा है और उनके अनुरोध करने पर जनपद-हाथरस के चकबन्दी लेखपालों को यथावत जनपद-हाथरस में तैनात रखा गया एवं उनके द्वारा उनसे जनपद-अलीगढ़ का काम भी लिया जा रहा है। इन दोनों जनपदों में 150 ग्रामों में चकबन्दी प्रचलित हैं तथा 100 चकबन्दी लेखपाल तैनात हैं। जहां तक जनपद-जे0पी0नगर का प्रश्न है, उक्त जनपद में पूर्व से आवंटित 60 लेखपालों के पदों में बढ़ोत्तरी कर 72 करने का कारण प्रश्नगत जनपद के 187 ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया प्रचलित रहना है।

मा0 सदस्य द्वारा जनपद-लखनऊ, जे0पी0नगर, हाथरस में 31-05-2007 को स्वीकृत स्टाफ के सम्बन्ध में दी गई सूचना के क्रम में उक्त जनपदों में दिनांक 31-05-2007 एवं 31 अक्टूबर, 2007 को स्वीकृत एवं कार्यरत फील्ड स्टाफ की स्थिति चार्ट के रूप में निम्नवत् प्रदर्शित है :--

चकबन्दी विभाग में वर्ष 2007-08 में स्वीकृति/कार्यरत फील्ड स्टाफ की स्थिति

जनपद-जे0पी0नगर

क्र0सं0	सम्वर्ग का नाम	माह मई, 2007 की स्थिति				माह अक्टूबर, 2007 की स्थिति			
		स्वीकृत	कार्यरत	कमी	वेशी	स्वीकृत	कार्यरत	कमी	वेशी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चकबन्दी अधिकारी	04	04	-	-	05	05	-	-
2	सहायक चकबन्दी अधिकारी	10	10	-	-	13	13	-	-
3	चकबन्दीकर्ता	21	23	-	02	26	24	02	-

क्र0सं0	सम्वर्ग का नाम	माह मई, 2007 की स्थिति				माह अक्टूबर, 2007 की स्थिति			
		स्वीकृत	कार्यरत	कमी	वेशी	स्वीकृत	कार्यरत	कमी	वेशी
4	चकबन्दी लेखपाल	60	65	-	05	72	72	-	-
5	मुख्य अनुरेखक	04	03	01	-	04	03	01	-
6	अनुरेखक	08	06	02	-	08	06	02	-
7	लिपिक	19	19	-	-	19	18	01	-

जनपद-हाथरस

क्र0सं0	सम्वर्ग का नाम	माह मई, 2007 की स्थिति				माह अक्टूबर, 2007 की स्थिति			
		स्वीकृत	कार्यरत	कमी	वेशी	स्वीकृत	कार्यरत	कमी	वेशी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चकबन्दी अधिकारी	02	02	-	-	02	02	-	-
2	सहायक चकबन्दी अधिकारी	03	02	01	-	03	02	01	-
3	चकबन्दीकर्ता	06	09	-	03	08	08	-	-
4	चकबन्दी लेखपाल	16	28	-	12	31	31	-	-
5	मुख्य अनुरेखक	02	01	01	-	02	01	01	-
6	अनुरेखक	02	05	-	03	06	06	-	-
7	लिपिक	07	11	-	04	14	14	-	-

जनपद-लखनऊ

क्र0सं0	सम्वर्ग का नाम	माह मई, 2007 की स्थिति				माह अक्टूबर, 2007 की स्थिति			
		स्वीकृत	कार्यरत	कमी	वेशी	स्वीकृत	कार्यरत	कमी	वेशी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चकबन्दी अधिकारी	03	03	-	-	03	03	-	-
2	सहायक चकबन्दी अधिकारी	03	05	-	02	05	05	-	-
3	चकबन्दीकर्ता	07	09	-	02	08	08	-	-
4	चकबन्दी लेखपाल	18	27	-	09	21	21	-	-
5	मुख्य अनुरेखक	02	01	01	-	02	01	01	-
6	अनुरेखक	02	03	-	01	03	03	-	-
7	लिपिक	13	23	-	10	23	23	-	-]

जनपद आजमगढ़ स्थित मोहम्मदपुर खरिहा होते हुए निजामाबाद की गड्ढायुक्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंगद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री अंगद यादव, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 05-11-2007 को जनपद आजमगढ़.....

श्री अध्यक्ष-

इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[स्थित मोहम्मदपुर खरिहा होते हुए निजामाबाद की गड्ढा युक्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद-आजमगढ़ में मुहम्मदपुर से फरिहा होते हुए निजामाबाद कप्तानगंज तक मार्ग का वास्तविक नाम कप्तानगंज-तहबरपुर-मोहम्मदपुर मार्ग हैं यह मार्ग बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ के कि0मी0 246 स्थित कप्तानगंज से निकलकर निजामाबाद होते हुए वाराणसी-आजमगढ़ राज्य मार्ग के कि0मी0 70 स्थित मोहम्मदपुर कस्बे के समीप मिल जाता है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 25.60 कि0मी0 तथा औसत चौड़ाई 3.70 मीटर है। 12वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2836/बा0वि0आ0/23-14-06-8(2)आजमगढ़/2006, दिनांक 10-03-2006 द्वारा पूरी लम्बाई में सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 459.13 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए रु0 229.56 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी जिसके सापेक्ष रु0 185.50 लाख व्यय करते हुए कि0मी0 10, 11, 12, 13, 14 (200 मी0) में सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण है। मार्ग के कि0मी0 8, 9 व 19 में दो कोट तथा 20, 21 व 22 (500 मी0) में डब्लू0एन0एम0 से एक कोट सुदृढ़ीकरण का कार्यपूर्ण है.तथा सम्प्रति कि0मी0 20 में डब्लू0एन0एम0 का द्वितीय कोट से सुदृढ़ीकरण कार्य प्रगति में है। इस मार्ग के शेष कि0मी0 में वर्षा ऋतु में हुए गड्ढों की मरम्मत भी कराई जा रही है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पूर्वाह्न फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 5 बजकर 51 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 5 दिसम्बर, 2007

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

(देखिए अता0 प्र0 सं0-6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25 पर)

दारुलशफा 'ए' ब्लाक, बी ब्लाक, सी ब्लाक एवं नयी विधायक निवास में स्थित गैराजों का विवरण

क्र0सं0	आवंटी का नाम	गैराज संख्या
	1-विधायक निवास-1 खण्ड-अ	
	कोई गैराज नहीं हैं	
	2-विधायक निवास-1 खण्ड-ब-स	
1	श्री भगेलू राम, मा0 सदस्य, विधान सभा।	
	3-विधायक निवास-2 नया	
	कोई गैराज नहीं हैं	
	4-विधायक निवास-2 पुराना	
1	सर्वश्री रियाज अहमद, स0वि0स0	1
2	होराम, स0वि0स0	2
3	रमेश यादव, स0वि0प0	3
4	नसीरुद्दीन, स0वि0स0	4
5	हरगोविन्द भार्गव, स0वि0स0	5
6	शेर बहादुर, स0वि0स0	6
7	यशवन्त सिंह, स0वि0प0	7
8	मो0 इशहाक, पत्रकार	8
9	राम अचल राजभर, स0वि0स0	9
10	कैलाश राजपूत, स0वि0स0	10
11	घूराराम, स0वि0स0	11
12	शब्बीर अहमद, स0वि0स0	12
13	सिबगतुल्लाह अंसारी, स0वि0स0	13
14	अब्दुल मन्नान, स0वि0स0	14
15	चन्द्रदेव राम यादव स0वि0स0	15
16	दुर्गा प्रसाद यादव, स0वि0स0	16
17	मोख्तार अंसारी, स0वि0स0	17
18	कमला प्रसाद यादव, स0वि0प0	18
19	उदय राज, स0वि0स0	19
20	पशुपति नाथ राय, स0वि0स0	20
21	सन्तलाल जायसवाल, पत्रकार	21
22	आरिफ अनवार हाशमी, स0वि0स0	22
23	अनीस खान, स0वि0स0	23
24	सुभाषचन्द्र यादव, स0वि0प0	24
25	लल्लन प्रसाद यादव, स0वि0प0	25

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0-14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 121 पर)

उन्नाव खण्ड शारदा नहर, उन्नाव

वर्ष 2006-07 में ड्रेनों की सफाई कराये जाने का प्रस्ताव

जनपद-उन्नाव

क्र0सं0	विधान सभा का नाम	विकास खण्ड का नाम	ड्रेन का नाम	लम्बाई		डिस्चार्ज (क्यूसेक में)	प्रथम / द्वितीय प्रस्तावित लागत (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
				प्रथम वरीयता	द्वितीय वरीयता			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हड़हा	बिछिया	तारागांव	6.70		81.00	0.69	मा0 विधायक हड़हा द्वारा संस्तुत
2	,,	,,	झदिन	1.00		182.00	0.14	-तदैव-
3	,,	,,	भैंसई	9.20		100.00	0.94	-तदैव-
4	,,	सि0पुर कर्ण	इटौली	1.40		30.00	0.14	-तदैव-
5	,,	,,	बेहटा	3.00		45.00	0.31	-तदैव-
6	,,	नवाबगंज	नवाबगंज	3.92		10.00	0.40	-तदैव-
7	,,	,,	रुद्रवारा		2.60	32.00	0.27	-तदैव-
8	,,	,,	कपूरखेड़ा		5.00	10.00	0.51	मा0 विधायक पुरवा द्वारा संस्तुत
9	पुरवा	पुरवा	टीकर	8.80		251.00	1.27	-तदैव-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

10	पुरवा	असौहा	मौरावां	4.40		27.00	0.45	मा0 विधायक भगवंतनगर द्वारा संस्तुत
11	,,	,,	नारीचक्र	4.40		80.00	0.45	-तदैव-
12	,,	पुरवा	अचगांव		7.60	36.00	2.78	-तदैव-
13	,,	असौहा	भादिन		14.60	182.00	2.10	-तदैव-
14	भगवंतनगर	बीचापुर	पाही हरदो	12.20		190.00	1.76	मा0 विधायक भगवंतनगर द्वारा संस्तुत
15	,,	,,	बेहटा गोपी	2.40		34.00	0.25	-तदैव-
16	,,	सुमेरपुर	गहरे दालात	5.20		64.00	0.53	-तदैव-
17	सदर	स0पुर सरौंसा	पतारी	4.40		26.00	0.45	-तदैव-
18	,,	,,	डरवट	3.20		20.00	0.33	मा0 विधायक सदर द्वारा संस्तुत
19	,,	बिछिया	गड़ार		7.20	48.00	2.74	-तदैव-
20	सफीपुर	फतेहपुर चौरासी	कुड़ीना	2.80		10.00	0.29	मा0 श्री सुन्दर लाल कुरील विधायक
21	,,	मियागंज	मियांगंज रम्भा	6.40		70.00	0.65	-तदैव-
22	,,	,,	दरौली		4.80	20.00	0.49	-तदैव-
23	,,	,,	पाठकपुर		1.20	20.00	0.12	-तदैव-
24	बांगरमऊ	गंज मुरादाबाद	रसूलपुर	6.16		33.60	0.63	-तदैव-

25	हसनगंज	हसनगंज	आदमपुर लतीफपुर	10.00		176.00	1.02	श्री मस्तराम मा0 विधायक हसनगंज
26	,,	,,	चंदौली	6.40		76.00	0.65	मा0 सांसद जी मोहनलाल गंज, प्रतिनिधि
27	,,	,,	रोहाताल		4.80	67.00	0.49	श्री मस्तराम मा0 विधायक हसनगंज
28	,,	,,	सन्दाना		2.60	19.00	0.27	मा0 सांसद जी मोहनलाल गंज, प्रतिनिधि
29	,,	,,	दयालपुर	0.60			0.06	-तदैव-
30	,,	औरास	गेरुवा	6.18		65.00	0.63	श्री मस्तराम मा0 विधायक हसनगंज
31	,,	,,	नायनपुर तेन्रां	11.00		68.00	1.13	-तदैव-
32	,,	,,	गागन	4.40		19.00	0.45	माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत
33	,,	,,	व्यारीगांव		3.58		0.37	श्री मस्तराम मा0 विधायक हसनगंज
34	,,	,,	मैनी		2.50	25.00	0.26	-तदैव-
35	,,	,,	बछौली		5.50	75.00	0.56	माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत
36	,,	हसनगंज	नगवा नाला कट		5.00	340.00	0.72	-तदैव-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

37	हसनगंज	हसनगंज	पछवारा		1.75	45.00	0.18	मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत
38	,,	,,	पिलखना		2.20	27.80	0.23	-तदैव-
39	,,	,,	ताला ससय		1.10	15.00	0.11	-तदैव-
40	,,	,,	चन्दौली		4.00	24.00	0.41	-तदैव-
41	,,	,,	कोइया भदारपुर		5.00	12.00	0.51	-तदैव-
42	,,	,,	टिकराबाद		1.50	10.00	0.15	-तदैव-
				124.16	82.53		13.62 22.89	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 04 विधान सभा (07)-15-4-2008-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।